अष्टम माला, खंड 7, अंक 8

गुरुवार, 1 अगस्त, 1985
10 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रमाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रमाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 7 तीसरा सत्र 1985/10 1907 (शक)

अंक 8 गुरुवार 1 अगस्त, 1985/10 श्रावण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	1—176
तारांकित प्रश्न संख्या : 141 से 161	—23
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1400 से 1562, 1564 से 1601	24 —176
विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में वक्तव्य	1˝6
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	177—184
राज्य सभा से संदेश	185
पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय विधेयक—1985	185
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	185
दूसरा प्रतिवेदन	185
कर्मचारियों के लिए स्टाक आप्शन योजना के बारे में वक्तव्य	186
कुवाल-जाच आयोग द्वारा जांच पूरी किये जाने और प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए समय बढ़ाये जाने के बारे में वक्तव्य	187
विधेयक—पुर:स्थापित	187
आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन-विधेयक	188
आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण – सभा-पटल पर रखा गया	189
नियम 377 के अधीन मामले	189
(एक) कर्नाटक में हसन में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने और "इनसेट" नेटवर्क के माध्यम से कन्नड़ भाषा में कार्यक्रम प्रसारित करने की आवश्यकता	189—192
श्रीमती बसबराजेश्वरी	1,89
(दो) आंध्र प्रदेश में जिन गड़रियों की भेड़े बह गयीं उनको ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	189
श्री सी० जंगा रेड्डी	189
(तीन) परिचालन प्रयोजनों के लिए डाक और तार विभाग तथा अन्य सरकार कार्यालयों में भर्ती पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की आवश्यकता	190
प्रो० नारायण चन्द पराशर	190
(चार) बिहार के दरभंगा जिले में अशोक पेपर मिल्स का अधिग्रहण आवश्यकता	190
श्री राम भगत पासवान	190
(पांच) राजस्थान के अलवर और कुछ अन्य क्षेत्रों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए साहबी नदी के भूमिगत जल पर	

विषय | पृष्ठ

आधारित एक विशेष पेयजल परियोजना को स्वीकृति देने की आवश्यकता 190

श्री राम सिंह यादव 190

(छः) राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जिलों में पीने का पानी और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सातवीं योजना के दौरान पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता 191

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 191

(सात) राजस्थान, विशेषकर कोटा, को पर्यावरण प्रदूषण के खतरों से बचाने के लिए आवश्यकता कदम उठाने की आवश्यकता 192

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत 192

नई वस्त्र नीति के बारे में चर्चा—(जारी) 193—203

प्रो० एन० जी रंगा 193

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी 198

श्री शरद दिघे 201

मूल्यों में भारी वृद्धि के बारे में चर्चा 204—229

प्रो० मधु दण्डवते 204

श्री वाई०एस० महाजन 204

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 217

श्री आनन्द गजपति राजू 221

श्री मदन पाण्डे 225

श्री एस० कृष्ण कुमार 207

श्री जायनल अबेदिन 228

श्री सलीम आई० शेरवानी 209

प्रो० (श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत 210

श्री ललित माकन, संसद सदस्य, के दु:खद निधन के बारे में वक्तव्य 230—231

मूल्यों में भारी वृद्धि के बारे में चर्चा— (जारी) 232—254

श्री एम० महालिंगम 232

डा० गौरी शंकर राजहंस 234

प्रो० के० वी० थामस 236

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर 237

श्री सोमनाथ रथ 241

श्री राम प्यारे पनिका 241

डा० दत्ता सामंत 243

श्री जी० एस० बसवराजु 245

श्री नारायण चौबे 246

श्रीमती बसवराजेश्वरी 249

श्री मूल चंद डागा 250

सभा-पटल पर रखे गए पत्र 253

कार्य मंत्रणा समिति 254

नौवां प्रतिवेदन 254

लोक सभा

———

गुरुवार, 1 अगस्त, 1985/10 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण, श्री ललित माकन, का कल निधन हो गया था इस सभा के सदस्य उनकी अन्येष्टि में भाग ले सकें इसलिए सभा दो बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित की जाती है।

तत्पश्चात् लोक सभा 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

उड़ीसा में बिजली की कमी

*141. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य में बिजली की अत्यन्त कमी होने के कारण उस राज्य में हुई हानि के मूल्यांकन के बारे में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी है ;

(ख) क्या उड़ीसा में उच्च वोलटेज (हाई टेंशन) की आवश्यकता वाले उद्योगों को बिजली की सप्लाई में 55 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक कटौती की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस सम्बन्ध में किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) उड़ीसा में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) तलचेर ताप विद्युत केन्द्र की समुचित प्रबन्ध व्यवस्था करने पर बल दिया गया है, जिसमें संयंत्र भार अनुपात के रूप में कुछ सुधार दिखाई देने लगा है।

(2) तलचेर ताप विद्युत केन्द्र के नवीकरण और आधुनिकीकरण को अनुमोदित कर दिया गया है ;

(3) निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने के लिए विस्तृत मानीटरिंग शुरू की गई है; तथा

(4) जहां तक संभव होता है पड़ोसी प्रणालियों से सहायता की व्यवस्था की जाती है।

तेलुगु गंगा परियोजना

*142. **श्री डी० एन० रेड्डी :**

श्री एस० एम० भट्टम : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार तेलुगु गंगा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में कार्यान्वित करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : जी, नहीं।

नौकरियों के लिए डिग्रियों की अनिवार्यता हटाना

*143. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विख्यात शिक्षा शास्त्रियों और कुलपतियों ने नौकरियों के लिए डिग्रियों को अनिवार्यता हटाने के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना का ब्यौरा तैयार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) सरकार रोजगारों से डिग्रियों को अलग करने से सम्बन्धित प्रस्ताव की जांच कर रही है। यद्यपि, इस प्रस्ताव पर शिक्षा शास्त्रियों अथवा कुलपतियों के विचार आमंत्रित नहीं किए गए हैं, उनमें से अनेक ने विभिन्न मंचों पर इस तथा अन्य विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से विचार करते समय इस विषय पर उनके विचारों तथा अन्यों की प्रतिक्रियाओं पर भी विचार किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

छठी योजना का विद्युत संबंधी लक्ष्य

*144. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विद्युत पैदा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य की उपलब्धि क्या रही ;

(ग) क्या लक्ष्य प्राप्त किये गये, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सातवीं योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं और प्रत्येक राज्य के लिए इस हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द):(क) और (ख) छठी योजना अवधि के दौरान जोड़ी गई विद्युत उत्पादन क्षमता के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) लगभग 72 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया है। मुख्य पहलू, जो लक्ष्य पूरा करने में बाधक थे, वे ये हैं :— उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब, निधियों की कमी तथा प्रबन्ध व्यवस्था कमजोर होना।

(घ) सातवीं योजना को अन्तिम रूप देने के लिए कार्यवाही की जा रही है और इसे अभी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

विवरण

छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान जोड़ी जाने वाली नई विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य और उपलब्धि।

क्र० सं०	राज्य	लक्ष्य (मेगावाट)	उपलब्धि (मेगावाट)
1	2	3	4
	उत्तरी क्षेत्र		
1.	हरियाणा	454	186
2.	पंजाब	672	703
3.	राजस्थान	496	356
4.	हिमाचल प्रदेश	38	21
5.	जम्मू और कश्मीर	—	—
6.	चण्डीगढ़	—	—
7.	दिल्ली	—	—

1	2	3	4
8.	उत्तर प्रदेश	1572	902
9.	केन्द्रीय	1540	1540
	उप-जोड़ : उत्तरी क्षेत्र	5172	3708
पश्चिमी क्षेत्र			
1.	गुजरात	1175	950
2.	मध्य प्रदेश	1488	1170
3.	महाराष्ट्र	2644	2452
4.	केन्द्रीय	630	630
	उप-जोड़ : पश्चिमी क्षेत्र	5937	5202
दक्षिणी क्षेत्र			
1.	आन्ध्र प्रदेश	1095	1235
2.	कर्नाटक	1195	885
3	केरल	125	—
4.	तामिल नाडु	630	210
5.	लक्षद्वीप	—	—
6.	केन्द्रीय	1520	835
	उप-जोड़ : दक्षिणी क्षेत्र	4565	3165
पूर्वी क्षेत्र			
1.	बिहार	725	505
3.	उड़ीसा	560	220
3.	पश्चिम बंगाल	1368	788
4.	दामोदर घाटी निगम	460	210
5.	सिक्किम	—	—

1	2	3	4
6.	अण्डमान और निकोवार	—	—
7.	केन्द्रीय	210	—
	उप-जोड़ : पूर्वी क्षेत्र	3323	1723
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		
1.	असम	408	268
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	मणीपुर	—	—
4.	मेघालय	—	—
5.	मिजोरम	—	—
6.	नागालैंण्ड	1	—
7.	त्रिपुरा	5	5
8.	केन्द्रीय/उत्तर पूर्वी परिषद	255	155
	उप-जोड़ : उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	669	428
	जोड़ : अखिल भारतीय	19,666	14,226

"मेंटली रिटार्डिड गेटिंग इनएडिक्वेट अटेंशन" शीर्षक से समाचार

*145. **डा० गौरी शंकर राजहंस :**

डा० चन्द्र शेखर वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "मैंटली रिटार्टिड गेटिंग इनएडिक्वेट अटेंशन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार केवल 10 प्रतिशत मानसिक रूप से अविकसित रोगियों की ओर ही ध्यान दे रही है ; और

(ग) यदि हां, तो देश में मानसिक रूप से अविकसित सभी रोगियों की ओर पर्याप्त ध्यान देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सरकार ने इस समाचार को देखा है । मन्द बुद्धि होना मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का केवल एक रूप है। सरकार ने अब तक जो प्रयास किए हैं वे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के सभी पहलुओं के बारे में हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सलाह मशविरा लेने और इसके इलाज की सुविधायें मानसिक अस्पतालों/संस्थाओं तथा बहुत से राज्यों के जनरल अस्पतालों में उपलब्ध हैं। यदि सभी प्रकार के मानसिक असन्तुलनों में सहायता की जरूरत वाले सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए तो ये सुविधायें कुल अपेक्षाओं की तुलना में कम पड़ जाती हैं। लोगों को दूर-दूर तक सेवायें पहुंचाने के कार्यक्रम चला कर उन्हें मानसिक स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधायें दी जा सकें इसके लिए आधारभूत ढांचा खड़ा करने की योजनायें चलाने का विचार है । यह कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में उपलब्ध संसाधनों और उसकी प्राथमिकताओं के भीतर-भीतर किया जाएगा ।

पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड के साथ प्रशुल्क संबंधी करार

*146. **श्री गदाधर साहा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि फरक्का स्थिति सुपर ताप विद्युत केन्द्र पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत की सप्लाई के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने के बारे में मतभेद होने के कारण सम्बन्धित पक्षों के बीच समझौता नहीं हो सका है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस उद्देश्य के लिए क्या कदम उठाए हैं कि पश्चिमी बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड के साथ किसी प्रशुल्क संबंधी करार करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम उन्हीं सिद्धान्तों और नियमों का पालन करें जो उसने अन्य राज्य विद्युत बोर्डों के सम्बन्ध में अपनाए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य लाभ कर्ताओं नामश: बिहार राज्य बिजली बोर्ड, उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड और दामोदर घाटी निगम ने उन्हीं शर्तों पर समझौता किया है जिन पर पश्चिम बंगाल के साथ बातचीत की जा रही है ।

संयंत्र भार अनुपात को छोड़कर जिसके संबंध में बातचीत जारी है अन्य सभी मुद्दों पर पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बीच समझौता हो गया है ।

राज्यों की राजधानियों तथा दिल्ली के बीच सुपर फास्ट रेलगाड़ियों का चलना

*147. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों की राजधानियों और दिल्ली के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चलती हैं

(ख) यदि नहीं, तो क्या उन राज्यों की राजधानियों को जो दिल्ली के साथ सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से नहीं जुड़ी हैं, इस प्रकार जोड़ने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव है।

(ग) यदि हां, तो अनुमानतः कब तक उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वित होने की संभावना है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) अधिकांश राज्यों की राजधानियां इसी प्रकार जुड़ी हुई हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

जड़ी-बूटियों का परिरक्षण

*148. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में प्रयुक्त होने वाली जड़ी-बूटियों के उत्पादन, संग्रहण और परिरक्षण को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का सम्बन्ध औषधीय वनस्पतियों के सर्वेक्षण, पहचान और प्रायोगिक खेती से है। छठी योजना के दौरान राज्यों को फार्मेसियों और वनोषधि फार्मों के लिए 59.68 लाख रुपये दिए गए थे। केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान की परिषद् और केन्द्रीय यूनानी अनुसंधान परिषद् ने कतिपय महत्वपूर्ण वनोषधियों की खेती और उनके अध्ययन के लिए पांच प्रायोगिक फार्म स्थापित किए हैं। यदि धन उपलब्ध हुआ तो मंत्रालय में एक केन्द्रीय सेल खोलने का प्रस्ताव है जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की दवाओं के बनाने के लिए कच्चे माल की जरूरतों और उनकी सप्लाई की गतिविधियों में तालमेल रखेगा। इनमें जड़ी-बूटियों के उत्पादन, संग्रहण और संरक्षण सम्बंधी सूचना भी शामिल होगी।

सिक्किम की पनबिजली योजना

*149. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम राज्य सरकार ने उस राज्य में संयुक्त क्षेत्र में आरम्भ किए जाने हेतु कोई पनबिजली योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राज्यों में बिजली पैदा करने के लिए संयुक्त उद्यमों के संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हाल ही में, भारत सरकार सिद्धान्त रूप में जल-विद्युत परियोजनाओं का विकास, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त उपक्रम के रूप में करने पर सहमत हो गई है।

गैर-सरकारी विद्यालयों का पंजीकरण

*150. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गैर-सरकारी पक्षों द्वारा चलाए जा रहे अनेक विद्यालय दिल्ली प्रशासन के पास पंजीकृत नहीं हैं ;

(ख) क्या प्रत्येक विद्यालय को दिल्ली प्रशासन के पास पंजीकृत कराने के प्रयोजनार्थ दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम में संशोधन करने हेतु एक विधान लाने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): स्कूलों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 को संशोधित करने का एक प्रस्ताव है, ताकि प्रत्येक प्राइवेट स्कूल के लिए प्रस्तावित उपबन्धों के अन्तर्गत पंजीकृत कराना अनिवार्य हो सके।

रेलों के कम्प्यूटरीकरण विकास कार्यक्रम का स्वदेशी..रण

*151. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** :

श्री अजित कुमार साहा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात द्वारा रेलों का कम्प्यूटर कार्यक्रम चलाने के स्थान पर कम्प्यूटरीकरण विकास कार्यक्रम का स्वदेशीकरण करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई है ; और

(ग) इस दिशा में, यदि कोई प्रगति हुई है तो, क्यों ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रेलों ने 13 आई० बी०

एम-1401 कम्प्यूटरों के स्थान पर 12 स्वदेशी तथा 1 आयातित कम्प्यूटर लगाने की योजना बनायी है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) तीन कम्प्यूटर, जिनमें एक आयातित कम्प्यूटर भी शामिल है, पहले ही लगाए जा चुके हैं और आयातित कम्प्यूटरों के स्थान पर स्वदेशी कम्प्यूटर लगाने के लिए 9 और कम्प्यूटरों का आर्डर पहले ही दिया जा चुका है। एक और स्वदेशी कम्प्यूटर के लिए आर्डर को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

राजस्थान में विद्युत परियोजनाएं

152. **श्री शांति धारीवाल** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार को राजस्थान सरकार से कितनी योजनाएं प्राप्त हुई हैं ;

(ख) प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) राजस्थान सरकार से प्राप्त स्कीमों और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गए विवरण में शामिल कर लिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	स्कीम	अनुमानित आगत (करोड़ रु०)	स्कीम प्राप्त होने की तारीख	स्कीम की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
ताप विद्युत				
1.	(पालना लिग्नाइट पर आधारित) (2x·0 मेगावाट)	180.00	फरवरी, 1985	तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन हो जाने के बाद स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्वीकृत कर दिया था और योजना आयोग द्वारा निवेश संबंधी निर्णय के लिए इस पर विचार किया जा रहा है।
2.	कोटा चरण-तीन ताप विद्युत केन्द्र (1x210 मेगावाट)	195.91	मई, 1984	कोयला लिंकेज और पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन कर सकता है।
3.	सूरतगढ़ ताप विद्युत केन्द्र (2x210 (मेगावाट)	450.50	मई, 1984	
4.	धौलपुर ताप विद्युत केन्द्र (2x210 मेगावाट)	463.85	दिसम्बर, 1984	कोयला लिंकेज, जल की उपलब्धता नागर विमानन प्राधिकारियों और राज्य जल प्रदूषण

1	2	3	4	5
				नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृतियां तथा पर्यावरण को दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन कर सकता है।
5.	चित्तौडगढ़ ताप विद्युत केन्द्र (2x210 मेगावा)	451.81	जून, 1984	जल को उपलब्धता और अन्य निवेशों को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा और अन्वेषण कार्य किए जाने हैं। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से कहा गया है कि सभी निवेश सुनिश्चित हो जाने के बाद संशोधत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
6.	मण्डलगढ़ ताप विद्युत केन्द्र (2x21 मेगावाट)	554.74	अगस्त, 1984	—वही—
7.	सवाई माधोपुर में गैस पर आधारित (4x100 मेगावाट) और बांसवाड़ा	251.11	जनवरी, 1984	भारत सरकार ने राजस्थान में केन्द्रीय क्षेत्र में 375 मेगावाट का गैस पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है और प्रस्तावित स्कीमों के लिए जोर नहीं दिया जा रहा है।
	जल विद्युत			
1.	बायो मुख्य नहर	1.33	फरवरी, 1984	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्कीम को तन-

1	2	3	4	5
	(माहो) (2x0.4)			नीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित कर दिया है, जिसकी योजना आयोग को सिफारिश कर दी गई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्कीम को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित कर दिया है, जिसकी योजना आयोग को सिफारिश कर दी गई है।
2.	इटावा (1x0.5)	1.09	जनवरी, 1984	—वही—
3.	बिरलासपुर (2x0.75+1x0 25 +1x0.35)	2.81	फरवरी, 1983	—वही—
4.	माउंट आबू बहुद्देश्यीय परियोजना (2x5)	111.70 (विद्युत संबंधी (भाग)	सितम्बर, 1983	इस बहुद्देश्यीय परियोजना की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत संबंधी भाग के बारे में अपनी टिप्पणियां राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को भेज दी हैं।
5.	जैसामन्द (1x0.2+ 1x0.25+1x0.1+	—	जून, 1984	इनमें से प्रत्येक स्कीम की लागत 5 करोड़ रुपये से कम है और इन्हें राज्य सरकार को वापस कर दिया गया है, जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजे बिना इन पर निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं।
6.	सुल्ताना (1x0.4+	—	जुलाई, 1984	

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना का कार्यकरण

*153. **श्री सफराज अहमद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना, के औषधालयों के कार्य के समय को बदल कर प्रायः 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक किया गया है और यदि हां, तो क्या यह समय आयुर्वेदिक औषधालयों पर लागू होता है ;

(ख) क्या यह पता लगाने के लिए अचानक कोई जांच की जाती है । कि सभी औषधालयों में डाक्टर तथा अन्य कर्मचारी गण समय पर पहुंचते हैं और समय से अपना कार्य प्रारम्भ कर देते हैं, और यदि हां, तो अचानक जांच कब और किन-किन औषधालयों में की गई ;

(ग) क्या आपताकालीन ड्यूटी पर कर्मचारियों के पास दवाओं का पर्याप्त भंडार नहीं होता और जीवन रक्षक दवाएं भी नहीं होती हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

सिचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । दिल्ली और उसके आस-पास की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की 56 डिस्पेंसरियों में 10 जून, 1985 और 27 जुलाई, 1985 के बीच कुल मिलाकर 84 आकस्मिक निरीक्षण किए गए । निरीक्षण की गई डिस्पेंसरियों की सूची सलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) और (घ) ऐसी खास हिदायतें दे दी गई हैं कि डिस्पेंसरियों में अनिवार्य दवाइयों और जीवन रक्षक औषधालयों का पर्याप्त स्टाक रखा जाए तथा उनमें पर्याप्त इमरजेंसी स्टाक भी रहे । सरकार को किसी खास कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में किए गए निरीक्षण के बारे में सूचना

क्रम संख्या औषधालय का नाम	किये गये आकस्मिक निरीक्षणों की तारीखें ।
1. पश्चिमी पटेल नगर	17-6-1985
2. देव नगर	17-6-1985
3. न्यू राजेन्द्र नगर	28-6-85
4. जी० के० जी०	15-7-85
5. मयूर विहार	15-7-85
6. लक्ष्मी नगर	16-7-85
7. हरी नगर	22-7-85
8. दिल्ली कैंट	25-7-85

1	2	3
9.	कालका जी II	13-7-85
10.	आर० के० पुरम II	13-6-85
11.	सादिक नगर	17-6-85
12.	कालका जी I	17-6-85
13.	कलका जी प्रसूति केन्द्र	17-6-85
14.	एन्ड्र्यूगंज	17-6-85
15.	कालका जी-II	17-6-82
16.	मोती बाग	23-6-85
17.	दक्षिण पुरी	23-6-85
18.	कस्तूरबा नगर	23-6-85
19.	सरोजिनी नगर मार्किट	23-7-85
20.	आर० के० पुरम (होम्यो०)	24-7-85
21.	कन्स्टीट्यूशन हाउस	10-6-85
22.	टेलीग्राफ लेन	11-6-85, 20-6-85, 24-6-85 6-7-85, 27-7-85
23.	लोनी रोड—II	14-6-85, 18-6-86, 26-6-85, 2-7-85, 6-7-85, 18-7-85, 24-7-85
24.	चाणक्यपुरी	10-6-85, 18-6-85, 20-6-85, 5-7-85, 12-7-85, 24-7-64
25.	गोल मार्किट—II	18-6-85, 19-6-85, 21-6-85, 28-6-85,
26.	प्रसीडेंट एस्टेट	22-6-85, 25-6-85
27.	नार्थ एवेन्यू	9-7-85, 15-7-85
28.	पंडारा रोड	13-6-85, 26-6-85, 17-7-85
29.	पहाड़ गंज	27-6-85,
30.	चित्रा गुप्ता रोड	27-6-85, 15-7-75, 17-7-85
31.	गोल मार्किट—I	27-6-85, 15-7-85
32.	पूसा रोड (पौली क्लीनिक एवं डिस्पेंसरी)	10-7-75

1	2	3
33.	गोल मार्किट—II	19-6-85
34.	गाजियाबाद	23-7-85
35.	आर०के पुरम पांच	1-6-85 14-6-85, 15-6-85
36.	नौरोजी नगर	8-7-85
37.	नानक पुरा	11-6-85. (सुबह) 11-6-85, (साय) 13-6-95
38.	कस्तूरबा नगर—II	22-6-85
39.	लक्ष्मीबाई नगर	22-6-85, 11-7-85
40.	लाजपत नगर	19-7-85
41.	मालवीय नगर	19-7-85, 15-6-85, 17-6-85
32.	मोती बाग	13-6-85, 25-6-85, 10-7-85
43.	नानक पुरा	13-6-85, 14-6 85, 15-6-85 18-6-85, 25-6-85 और 2-7-85
44.	दक्षिन पुरी	25-7-85
45.	लाजपत नगर	26-7-85, 16-7-85
46.	एन्ड्यूगंज	26-7-85
47.	सादिकनगर	26-7-85
48.	हौजखास	26-7-85, 8-6-85
49.	जंगपुरा	2-7-85
50.	कस्तूरबा नगर—I	12-7-85, 10-6-85, 5-7-85
51.	आर० कि० पुरमपांच (एलो)	11-6-85, 14-6-85, 15-8-75 24-6-85, 5-7-85, 15-7-85 16-7-85, 18-7-85, 20-7-85
52.	आन० के० पुरम पांच (आयु०)	15-7-85, 16-7-85, 18-7-85 20-7-85
53.	सरोजिनी नगर—I	27-6-85
54.	सरोजिनी नगर—II	1-7-85
55.	सरोजनी नगर मार्किट	3-7-85
56.	दक्षिन पुरी	18-6-85, 24-6-85, 24-7-85 25-7-85.

माल भाड़ा कम्प्यूटरीकरण प्रौद्योगिकी

(अनुवाद)

*154. श्री वासुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलों ने दो दशक पुरानी माल भाड़ा कम्प्यूटरी करण प्रौद्योगिक पसन्द की है। और

(ख) इस प्रकार की पुरानी प्रौद्योगिक जिसे अपनाने में कुछ वर्षों बाद ही बदलकर अधिक आधुनिक प्राणली लानी पड़ेगी, पसन्द करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) भारतीय रेलों ने कैनेडियन नेशनल रेल रोड्स (सी. एन.) की यातायात रिपोर्टिंग एवं कन्ट्रोल प्रणाली (टी. आर. ए. सी. एस.) को अपनी माल यातायात परिचालन सूचना एवं नियंत्रण प्रणाली के केन्द्रीय खण्ड के लिए आधार के रूप में अपनाने तथा उसमें कैनेडियन नेशनल रेल रोड्स के परामर्श स्कंध—कैनेक की परामर्श सहायता से भारतीय रेलों की आदश्यकताओं तथा हालात के अनुपम उपयुक्त आरोधन करने का विनिश्चय किया है यह विनिश्चय सभी तकनीकी पहलुओं पर तथोचित विचार करके तथा रेलों, इलेक्ट्रानिक तथा आणविक ऊर्जा विभागों के एक संयुक्त दल द्वारा चुनीदा उन्नत रेलों पर विकसित की गयी कम्प्यूटर प्राणालियों का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद किया गया था।

यातायात रिपोर्टिंग एवं कन्ट्रोल प्रणाली पूर्णतः प्रोसेसिंग प्रणाली पर आधारित हैं जो 1968 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सदर्भ पैसिफिक रेल रोड्स द्वारा विकसित की गयी थी। तथापि पिछले वर्षों में इस प्रणली में निरन्तर आशोधन किये जाते रहे हैं और प्रौद्योगिक की उन्नति के साथ-साथ उसे आधुनिक बनाया गया है। भारतीय रेलों द्वारा यातायात रिपोर्टिंग एवं कन्ट्रोल प्रणाली का जो रूप प्राप्त किया जायेगा। वह समसामयिक हाई वेयर तथा परिचालन प्रणाली के नवीनतम साफ्ट वेयर पर परिकलित किए जाने के लिए आवश्यक आधुनिकताओं से परिपूर्ण होगा।

पूर्ण परिचालन प्रोसेसिंग प्रणाली (टी० ओ० पी० एस०) मूलतः एक माल यातायात संचलन नियंत्रण प्रणाली है जिसमें माल यातायात सूचना के विश्लेषण के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण तथा पेचीदा तर्कणा शक्ति है ताकि रेल परिचालनों पर कारगर नियंत्रण रखा जा सके और प्रबन्ध विभाग को ऐसे परिचालनों की एक अद्यतन तस्वीर प्रस्तुत की जा सके जिससे उसे आशावादी विनिश्चय अपने में सहायता मिले। पूर्ण परिचालन प्रोसेसिंग प्रणाली (टी० ओ० पी० एस०) यातायात रिपोर्टिंग एवं कन्ट्रोल प्रणाली (टी० आर० ए० सी० एस०) का यह महत्वपूर्ण साफ्ट वेयर इसका मजबूत सूत्र है और इसी में इसकी प्रमाणिकता छिपी है। इस प्रणाली ने कई रेलों पर सुचारू रूप से कार्य किया हैं और अनुकूलता साबित की है। चूंकि माल यातायात का मूल सिद्धान्त सभी रेलों पर समान है और वर्षों से इनमें कोई परिवर्तन ही हुआ है। इसलिए महत्वपूर्ण साफ्ट वेयर की कारगरता में जो पूर्ण परिचालन प्रोसेसिंग प्रणाली (टी० ओ० पी० एस०) की आन्तरिक तुर्कणा शक्ति में निहित है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अतः कैनेडियन नेशनल रेल रोड्स से प्राप्त की जा रही हैं। यातायात रिपोर्टिंग एवं

कन्ट्रोल प्रणाली (टी० आर० ए० सी० एस०) अपने गुण दोषों के साथ एक कुशल एवं परिष्कृत प्रणाली है। अतः इसकी स्थापना के कुछ वर्षों के भीतर इस प्रणाली को और अधिक परिष्कृत प्रणाली से बदलने की आवश्यकता नहीं होगी।

तालचेर विद्युत संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण

*155. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जून, 1985 के "पेट्रियाट" में "गैसेज फ्राम तालचेर प्लाट काज, कैंसर ब्रोकाइटिज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, और

(ख) यदि हां तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है, और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) प्रदूषल 62.5 मेगावाट के यूनिटों के धूल एकत्र करने वाले उपस्कार का कार्य निष्पादन संतोषजनक न होने के कारण हुआ है। तालचेर तार विद्युत केन्द्र के लिए एक नवीनकरण तथा आधुनिकी करण स्कीम तैयार की गई हैं। इस स्कीम के क्रियान्वित हो जाने पर वर्तमान धूल एकत्र करने वाले उरस्कार के स्थान एक कुशल इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर लगा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

नजफगढ़ नाले के गंदे पानी में यमुना में प्रदूषण

156. **श्री मोहम्मद महफूजअली खां** : क्या सिंचाई और विद्युत : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी के जल को प्रदूषण से बचाने वाला नजफगढ़ नाला बांध टूट गया है।

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप हुई हानि कितनी है ;

(ग) क्या नजफगढ़ नालें का समूचा गंदा पानी अब यमुना नदी में गिर रहा है; और यमुना नदी और अधिक प्रदूषित हो रही है ?

(घ) यदि हां, तो इसके उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यमुना जल के बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा और क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं। शुष्क मौसम के जल-निस्सरण के बहाव को यमुना नदी में जाने से रोकने के लिए नजफगढ़ नाले पर बनाए

गए एक अस्थाई मिट्टी बंध को ऊपर तक भरने दिया गया और इस बंध में पूर्व योजना के अनुसार प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप में बनाए गए सेडल भागों में दरार पड़ी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1984 के मानसून के बाद स्थिति खराब नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

यमुना के पानी के बढ़ते हुए प्रदूषण की रोक-थाम के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपाय

अल्पावधिक उपाय

1. चार नालों के बिल्कुल पिछले सिरे पर आक्सीकरण जलाशयों का निर्माण किया गया है।

2. सात नालों के मलिन-जल को सीवर लाईनों में डाल दिया गया है।

3. तीन नालों के अधिकांश मलिन जल को सीवर में डाल दिया गया है।

4. केशोपुर शोधन संजय के बहि:स्राव का उपयोग करने के लिए केशोपुर के निकट नजफगढ़ नाले पर एक अस्थायी बाँध का निर्माण किया गया है।

5. तिमारपुर के निकट हाल ही में निर्मित पंपिंग स्टेशन के निकट नजफगढ़ नाले में एक नियामक (रेगुलेटर) की व्यवस्था की गई है। पानी को इस नियामक की ओर मोड़ने के लिए नजफगढ़ नाले पर पत्थरों के अवरोध का भी निर्माण किया गया है।

दीर्घावधिक उपाय

1. ओखला में 22 मिलियन गैलन प्रतिदिन के सीवेज शोधन संयंत्र को पूरा कर दिया गया है और यह शुरू हो गया है।

2. पश्चिमी दिल्ली में 1800 मिलोमीटर व्यास के सीवर की व्यवस्था की गई है और यह शुरू हो गया हैं।

3. केशोपुर गांव (पश्चिमी दिल्ली) में, 40 मिलियन गैलन प्रतिदिन का सीवेज शोधन संयंत्र निर्माणधीन है।

4. ओखला में 12 मिलियन गैलन प्रति दिन का सीवेज शोधन संयंत्र निर्माणाधीन है।

5. पश्चिमी दिल्ली में 700 × 1805 मिलिमीटर व्यास की सीवर लाईन की व्यवस्था की गई है।

6. तिमारपुर के निकट हाल ही में 20 मिलियन गैलन प्रति दिन के पम्पिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है और यह शुरू हो गया है।

7. मुख्य सीवरों की गाद निकाल कर उनको साफ किया जा रहा है ।

8. उपर्युक्त के अलावा, सीवर तथा सीवेज पम्पिंग स्टेशनों की व्यवस्था करने के बहुत से कार्यों को शुरू किया गया है ।

9. केशोपुर शोधन संयंत्र तथा कोरोनेशन शोधन संयंत्र के बहिस्राव के उपयोग के लिए स्कीमें क्रियान्वयनाधीन हैं ।

10. जल प्रदूषण निवारण के केन्द्रीय बोर्ड के अध्ययन के अनुसार यमुना में करीब 40 प्रतिशत प्रदूषण कम कर दिया गया है । प्रदूषण पर पूरी तरह काबू पाने के लिए समयबद्ध कार्यों को हाथ में लिया जा रहा है तथा प्रदूषण को यथा सम्भव कम करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

स्वास्थ्य पर औसत वार्षिक व्यय

*158. **श्री हरीश रावत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार** कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य पर प्रति वर्ष प्रतिशत व्यक्ति व्यय की जा रही राशि की राष्ट्रीय औसत क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में व्यय की जा रही औसत वार्षिक राशि समूचे देश में न्यूनतम है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार को कितनी मदद देने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना कार्यालय के अनुसार 1982-83 में प्रति 100 व्यक्तियों पर स्वास्थ्य संबंधी वार्षिक खर्च का अखिल भारतीय औसत 3285 रुपये था 1982-83 के ये आंकड़े यह नहीं बताते कि वार्षिक खर्च का औसत सारे देश में उत्तर प्रदेश में सबसे कम है ।

केन्द्रीय क्षेत्र तथा राज्य क्षेत्र की सातवीं पंच वर्षीय योजना के आबंटनों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । वैसे, स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए आबंटनों में सामान्य वृद्धि करने की बात सोची गई है ।

सिंचाई क्षमता के समान वितरण के लिए आदर्श विधि

*158 **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई क्षमता के समान उपयोग और वितरण के लिए कोई प्रभावी विधि विद्यमान नहीं हैं और सिंचाई परियोजनाओं का लाभ केवल पुराने जमींदार और बड़े किसान ही उठा रहे हैं और निर्धन तथा छोटे किसान इससे वंचित हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई नीति बनाई है अथवा कोई आदर्श विधि अपनाई है जिनका राज्य सरकारों द्वारा अनुसरण किया जाए ; और

(ग) यदि ऐसी कोई नीति या आदर्श नीति बनाई गई है, तो कब तक ऐसा किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) :(क) और (ख) किसी भी परियोजना की सिंचाई क्षमता का कमान क्षेत्र में किसानों की विभिन्न श्रेणियों में समान वितरण के संबंध में कोई कानून नहीं है। तथापि विभिन्न राज्यों में सिंचाई से संबंधित जो कानून लागू हैं। उनमें सामान्यतया सिंचाई के लिए जल के विनियमन तथा वितरण हेतु सक्षम व्यवस्था होती है। सिंचाई के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित प्रावधानों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने एक माडल सिंचाई विधेयक तैयार किया था तथा स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त आशोधनों सहित इसे लागू करने के लिए 1976 में राज्यों से सिफारिस की थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलों के विकास के लिए साधन जुटाना

*159. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुधार समिति ने विभिन्न रेल परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जो धन की कमी के कारण रुकी पड़ी हैं। देश में और देश के बाहर से साधन जुटाने की कोई सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। तो सरकार इस बारे में कब तक निर्णय कर लेगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया (क) जी हां, रेल सुधार समिति ने रेलों की निवेश सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने की सिफारिशें की हैं।

(ख) रेल सुधार समिति की रिपोर्ट का भाग 18 संसाधन जुटाने के विषय से सम्बन्धित है इस रिपोर्ट में रेलों सुधार समिति ने रेलों की निवेश सम्बन्धी जरूरतों का विश्लेषण किया है और आन्तरिक तथा बाहरी संसाधन जुटाने के लिए सिफारिशें की हैं।

संसाधन जुटाने के सम्बन्ध मुख्य सिफारिशें तथा उन पर सरकार का निर्णय इस प्रकार है :—

(i) वित्त मन्त्रालय को रेलों के लिए बाड़ों की दो श्रृंखलाएं तथा काले धन का पता लगाने के उद्देश्य से विशेष धारक बाड़ों की अन्य श्रृंखलाएं जारी करके और अधिक संसाधन जुटाने के लिये बाजार में आना चाहिए।

— इन सभी बाड़ों की आय रेलों को उनकी निवेश सम्बन्धी जरूरतों के लिए आबंटित की जानी चाहिए। इन बांड़ों के जरीए प्राप्त की गई और रेलों को उधार दी गयी

राशि को अन्य ऋणों की भांति अविरत ऋण माना जाना चाहिए तथा उस पर सामान्य लाभांश की दायिता होनी चाहिए।

— ये सिफारिशें व्यवहारिक नहीं समझी गयी हैं।

(ii) यात्री किराया और माल भाड़ा दरों पर विशेष अधिकप्रभार लगाकर एक नयी निधि रेलवे विशेष निधि (रे० वि० नि०) का सृजन किया जाना चाहिए। शुरू का सृजन किया जाना चाहिए। शुरू में इस निधि का उपयोग संगणकीकरण, उपनगरीय यातायात और यात्री टर्मिनल क्षमताओं के विकास से सम्बन्धित कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। यह उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद, इस निधि का उपयोग अन्य प्राथमिकता प्राप्त विकास कार्यों के लिए किया जाना चाहिए।

— यह सिफारिश व्यवहारिक नहीं पायी गयी है।

(iii) रेलों को भूमि पर अतिक्रमणों की रोक थाम करने तथा उपलब्ध भूमि का व्यय हार्य और लाभप्रद ढंग से उपयोग करने के लिए एक रेल भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए।

— फिलहाल इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है। तथापि, बेहतर भूमि प्रबन्ध के जरिए अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए रेलवे की...वर्तमान भूमि प्रबन्ध व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(iv) पर्यटन तथा रेल यात्रा को लोक प्रिय बनाने के लिए रेलों को होटल व्यवसाय में प्रवेश करना चाहिए।

— इस सिफारिश को भी फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया है।

(v) अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए यह भी सिफारिश की है कि टिकटों की बिक्री के लिए तन्त्र को युक्तियुक्त और सुदृढ़ बनाया जाए बिना टिकट यात्रा करने वालों पर अधिक जुर्माने किए जाएं टिकट जांच तन्त्र को सुदृढ़ किया जाए तथा माल डिब्बों को तोलने के लिए उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।

— इस सम्बन्ध में सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं तथा उन्हें कार्यान्वित करने लिए पहले ही कायवाही शुरू कर दी गई हैं विदेशी वित्तीय सहायता के संबंध में रेल सुधार समिति ने सिफारिश की है कि ऐसी रेल परियोजनाएं जिनके लिए विदेशी ऋण लिया जाना हो, अत्यधिक लाभप्रद और/अथवा परिचालनिक दृष्टिकोण से अनिवार्य होनी चाहिए ताकि विदेशी सहायता का कारगर ढंग से उपयोग किया जा सके।

इस सिफारिश को नोट कर लिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भलकी और कलगापुर स्टेशनों के बीच नया स्टेशन बनाना

*160. श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दक्षिण मध्य रेल में भलकी और कलगापुर स्टेशनों के बीच एक नया रेल स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव मिला ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) भलकी और कलगापुर स्टेशनों के बीच कि. मी. 135.50 पर एक यात्री हाल्ट स्टेशन खोलने का पहले ही विनिश्चय किया जा चुका है और इस मामले में आगे कार्रवाही की जा रही है ।

कृषि कार्यों में बिजली की खपत की प्रतिशतता

*161. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के 22 राज्यों में बिजली की कुल खपत में से कृषि कार्यों में बिजली की वर्ष कितनी प्रतिशत खपत हुई ;

(ख) क्या इस अनुपात को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तर पर नीति सम्बन्धी कोई निर्णय किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उन्हें किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि के लिए बिजली की खपत की राज्य वार प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) जी नहीं । क्षेत्रवार भार का आबंटन नहीं किया जाता है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान राज्यों में बिजली की कुल खपत की तुलना में कृषि कार्यों के लिए बिजली की खपत को प्रतिशतता

विवरण

क्षेत्र	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1981-82	1982-83*	1983-84*
उत्तरी	हरियाणा	38.65	39.91	40.23
क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश	2.17	2.78	2.99
	जम्मू और कश्मरी	5.65	11.5)	4.8
	पंजाब	36.60	36.20	34.77
	राजस्थान	32.93	32.75	30.25

1	2	3	4	5
	उत्तर प्रदेश	33·36	34·98	34.44
	चण्डीगढ़	0·74	0·60	0·53
	दिल्ली	0·01	—	0.01
	जोड़ : उत्तरी क्षेत्र	29.80	30·66	29·57
पश्चिमी	गुजरात	16·24	16·58	15·37
	मध्य प्रदेश	7·84	9·94	7·87
	महाराष्ट्र	12 58	15·19	15.01
	गोवा, दमन व दीप*	1.17	3·26	2·19
	दादर और नगर हवेली*	5·06	2·93	3.48
	जोड़ : पश्चिमी क्षेत्र	12.71	14.46	13·53
पूर्वी क्षेत्र	बिहार	10·96	13·24	12·56
	उड़ीसा	2.25	2.76	3·15
	पश्चिम बंगाल	1·08	1.20	1·43
	अण्डमान और निकोबार दीव*	—	—	—
	सिक्किम	—	—	—
	जोड़ : पूर्वी क्षेत्र	4.62	5·58	5·07
दक्षिणी	आन्ध्र प्रदेश	16·55	20.90	20.84
क्षेत्र	कर्नाटक	7.10	7.70	8.45
	केरल	3·51	4.11	3.62
	तमिलनाडु	27·18	20·49	26·82
	पाण्डिचेरी*	24·28	26·18	24.80
	लक्ष दीप*	—	—	—
	जोड़ : पूर्वी क्षेत्र	16.63	18.51	17·74
उत्तर-	असम	1.33	1·47	2·30
पूर्वी	मणिपुर	8·57	8·62	13·11
क्षेत्र	मेघालय	0.03	0·03	0.03
	त्रिपुरा	7·96	3·75	15·79
	अरूणा प्रदेश*	—	—	—

1	2	3	4	5
	मिजोरम*	—	—	—
	नागालैण्ड	—	—	—
	जोड़ : उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1.56	1·77	2·93
	जोड़ : अखिल भारत	16.84	18·55	17·73

*अनन्तिम *संघ शासित क्षेत्र

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए राज्यों मे प्राप्त प्रस्ताव

1400. **श्री रेणु पद दास** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982 से 30 मई, 1985 तक विभिन्न राज्यों से नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने, विद्यमान विद्युत संयंत्रों का विस्तार करने तथा उनका नवीनीकरण करने के बारे में सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनका राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ये प्रस्ताव कब प्राप्त हुए और इन्हें कब स्वीकृत किया गया;

(ग) यदि कोई प्रस्ताव रद्द किया गया तो उसके क्या कारण थे और इसे कब रद्द किया गया था;

(घ) सरकार के पास अभी तक बकाया पड़े प्रस्तावों की संख्या कितनी है और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को स्वीकृत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) जनवरी, 1982 से मई 1985 की अवधि के दौरान 116 ताप विद्युत और बृहत/मध्यम जल विद्युत स्कीमों तथा नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 37 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि 34 विद्युत उत्पादन स्कीमों और 32 नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीमों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दे दी है, 23 स्कीमों में आधार भूत कमियां आदि थीं और इनको जल/कोयला/गैस उपलब्धता, कोयला ढुलाई, स्थल सम्बन्धी अन्वेषण कार्य आदि सुनिश्चित करने जैसे आवश्यक निवेशों को सुनिश्चित करने के लिए लौटा दिया गया था।

(घ) 59 विद्युत उत्पादन स्कीमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच के विभिन्न चरणों में हैं। हरियाणा में 1, हिमाचल प्रदेश में 3, जम्मू व कश्मीर में 4, पंजाब में 2, राजस्थान में 3, उत्तर प्रदेश में 6, गुजरात में 3, मध्य प्रदेश में 10, महाराष्ट्र में 7, आन्ध्र

प्रदेश में 3 कर्नाटक में 2, केरल में 2, तमिलनाडु में 6, बिहार में 2, पश्चिम बंगाल में 1, उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम में 3, तथा असम में 1, ब्रेक डाउन की घटना घटी।

(ङ) विद्युत परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन करना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें स्कीम रिपोर्टों के विभिन्न तकनीकी आर्थिक पहलुओं, आर्थिक औचित्य का आकलन और वित्तीय व्यवहार्यता की जांच करना अपेक्षित होता है। आवश्यक निवेशों का लिंकेज सुनिश्चित करना भी अनिवार्य होता है। जबकि परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं फिर भी यह अवधि इस पर निर्भर करती है कि प्रस्तावों को तैयार करने के लिए अपेक्षित सूचना सप्लाई करने के मामले में परियोजना प्राधिकारियों ने उत्तर देने में कितनी तत्परता दिखाई है। कुछ मामलों में संशोधित स्कीम रिपोर्ट तैयार करना अपेक्षित होता है।

विवरण

	विद्युत उत्पादन स्कीमें	नवीकरण स्कीमें
हरियाणा	1	2
हिमाचल प्रदेश	3	—
जम्मू व कश्मीर	4	1
राजस्थान	7	—
पंजाब	3	1
उत्तर प्रदेश	11	3
केन्द्रीय क्षेत्र	6	1
दिल्ली	2	1
गुजरात	9	3
मध्य प्रदेश	16	4
महाराष्ट्र	14	6
आंन्ध्र प्रदेश	4	2
कर्नाटक	4	—
केरल	3	—
तमिलनाडु	9	2
नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	—	1
बिहार	3	3

1	2	3
उड़ीसा	2	1
पश्चिम बंगाल	4	3
दामोदर घाटी निगम	1	3
केन्द्रीय क्षेत्र	3	—
असम	3	—
त्रिपुरा	1	—
उत्तर पूर्वी परिषद	3	—
जोड़	116	37

सरकारी क्षेत्र की जहाजरानी कम्पनी द्वारा छोटे कंटेनर पोत प्राप्त करना

1101. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या देश में तटीय व्यापार को बढ़ाने और निर्यातकों को सहायता देने के उद्देश्य से अन्तर्देशीय तटीय सेवाओं के लिए कंटेनर पोतों की सेवा लेने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं।

(ख) क्या यह सच है कि कंटेनर पोतों की कमी के परिणामस्वरूप अधिकांश निर्यातकों को विलम्बित सेवाओं आदि के कारण हानि उठानी पड़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो अंतर्देशीय तटीय व्यापार के उचित विकास के लिए सरकारी क्षेत्र की कम्पनी द्वारा छोटे कंटेनर पोत प्राप्त करने की दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) यह प्रश्न संभवतः तटवर्ती सेवाओं/व्यापार के बारे में है। तटवर्ती व्यापार में माल कंटेनरों में नहीं ढोया जाता है लेकिन पूर्वी तट पर कलकत्ता/हल्दिया और मद्रास में तथा पश्चिमी तट पर बम्बई और कोचीन में कंटेनर चढ़ाने उतारने की सुविधा स्थापित करने के बारे में भारत सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसमें तटवर्ती सहायक सेवाओं के द्वारा भारतीय पत्तनों से इन मान्यता प्राप्त कंटेनर पत्तनों तक कंटेनरों को ढोने की व्यवस्था शामिल है। भारतीय नौवहन निगम बंगाल की खाड़ी में एवं सहायक सेवा चला रहा है जिसके तहत जलयान कलकत्ता, छलना और चिट्टगांव पर जाते हैं और मद्रास पत्तन को भी कंटेनर भेजते हैं। भारतीय नौवहन निगम बंगलौर और टूटी कोरिन पत्तनों से पारेषण वाले पत्तनों तक कंटेनरों की ढोने की व्यवस्था भी कर रहा है। भारतीय नौवहन निगम अपने लिए सहायक

जलयान प्राप्त करने की भी योजना बना रहा है। इन जहाजों के प्राप्त होने तक यह अपने मौजूदा जहाजों से या किराये पर जहाज लेकर सहायक सेवा चलायेगा।

बिजली के इंजन का उत्पादन

1402. **श्री बैजावाड़ा पापी रेड्डी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में कितने बिजली के इंजन हैं और कितनी रेलगाड़ियां रेलवे-वार और गेज-वार बिजली के इंजनों से चलती हैं;

(ख) क्या रेलवे बिजली के इंजनों के उत्पादन के मामले में आत्म निर्भर हैं;

(ग) यदि नहीं, तो रेलवे के कब तक आत्म निर्भर होने की आशा है; और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में बिजली के इंजनों का कुल उत्पादन कितना हुआ और सातवीं योजना के दौरान कितना उत्पादन होने की आशा है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) 30-6-85 को भारतीय रेलों पर बिजली रेल इंजनों की कुल संख्या 1263 है। इसमें 1118 ब. ला. ए. सी., 125 ब. ला. डी. सी. और 20 मी. ला. ए. सी. बिजली रेल इंजन हैं। जून, 1985 में विभिन्न रेलों पर प्रतिदिन बिजली रेल इंजनों द्वारा खींची जाने वाली मेल, एक्सप्रेस और अन्य सवारी गाड़ियों की औसत संख्या आमान-वार नीचे दी गई है :—

रेलवे	ब०ला०	मी०ला०
मध्य	118	कुछ नहीं
पूर्व	117	कुछ नहीं
उत्तर	135	कुछ नहीं
दक्षिण	46	44
दक्षिण-मध्य	42	कुछ नहीं
दक्षिण-पूर्व	94	कुछ नहीं
पश्चिम	56	कुछ नहीं

इसके अतिरिक्त, विद्युतीकृत खंडों पर माल गाड़ियां भी बिजली रेल इंजनों द्वारा खींची जाती हैं लेकिन ऐसी गाड़ियों के आंकड़े उपलब्ध नही हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) भावी आवश्यकताओं के लिए, सातवीं योजना के पहले चरण में बिजली रेल इंजन बनाने के लिए चितरंजन रेल इंजन कारखाने की उत्पादन क्षमता 60 से बढ़ाकर 80 रेल इंजन प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है। इस दिशा में उपलब्धियां पर्याप्त धन की उपलब्धता

पर निर्भर करेंगी। बिजली रेल इंजनों में आत्म निर्भरता बिजली रेल इंजनों की आवश्यकता से सम्बन्धित है जो विद्युतीकरण की गति और धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

(घ) चितरंजन रेल इंजन कारखाना द्वारा छठी योजनावधि में बिजली रेल इंजनों का कुल उत्पादन 269 रेल इंजन किया गया था और सातवीं योजना के दौरान 350 रेल इंजनों के उत्पादन की आशा है। वास्तविक उत्पादन धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

"डिपार्टमेंटल फ्लेश बट प्लांटस"

1403. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "डिपार्टमेंटल फ्लेश बट प्लांटस" का उत्पादन निर्धारित क्षमता से कम है;

(ख) यदि हां तो उसके कारण हैं;

(ग) क्या क्षमता में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : जी नहीं। विभिन्न संयन्त्रों की आयु को देखते हुए, उनका उत्पादन क्षमता के अनुसार है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) पश्चिम रेलवे के साबरमती और मध्य रेलवे के चाली सगांव स्थित पुराने फ्लैश बट वेल्डिंग सन्यन्त्रों को अभी हाल में बदला गया है। झारसुगुड़ा (दक्षिण पूर्व रेलवे) और आरकोणम (दक्षिण रेलवे) स्थित वर्तमान पुराने सन्यन्त्रों के स्थान पर लगाये जाने वाले नये संयंत्रों की खरीद को अनुमोदित कर दिया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे के लिए भी, जिसके पास अब तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, एक नये फ्लैश बट वेल्डिंग संयन्त्र की व्यवस्था करने का कार्यक्रम बना लिया गया है।

विभिन्न पत्तनन्यास बोर्डों में मजदूर संघों का प्रतिनिधित्व

1404. **श्री पूर्णचंद्र मलिक :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न पत्तन न्यास बोर्डों के सदस्य मजदूर संघों के नाम क्या हैं। उनका पत्तन वार एवं मजदूर संघ वार ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : पोर्ट ट्रस्टों के बोर्डों में जिन ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है उनके नाम नीचे लिखे हैं :—

क्रम सं०	पत्तन के नाम	पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों के नाम
1.	बम्बई	1. ट्रांसपोर्ट एन्ड डाक वर्कर्स यूनियन
		2. बी०वीस्टी० एम्प्लाइज यूनियन

1	2	3
2.	कलकत्ता	1. कलकत्ता पोर्ट श्रमिक यूनियन
		2. नेशनल यूनियन आफ वाटर फ्रंट वर्कर्स
3.	कोचीन	1. कोचीन पोर्ट स्टाफ एसोसिएशन
		2. कोचीन पोर्ट एम्प्लाइज आर्गेनाइजेशन
4.	कांडला	1. कांडला पोर्ट वर्कर्स यूनियन
		2. ट्रांसपोर्ट एन्ड डाक वर्कर्स यूनियन
5.	मद्रास	1. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट एम्प्लाइज यूनियन
		2. मद्रास पोर्ट यूनाइटेड लेवर यूनियन
6.	मुरगांव	1. गोवा पोर्ट एंड डाक एम्प्लाइज यूनियन
		2. मुरगांव पोर्ट एंड रेलवे वर्कर्स यूनियन
7.	न्यू मंगलौर	1. कनारा पोर्ट वर्कर्स यूनियन
		2. न्यू मंगलौर पोर्ट स्टाफ एसोसिएशन
8.	परादीप	1. खाली
		2. खाली
9.	तूतीकोरिन	1. तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट डेमोक्रेटिक स्टाफ यूनियन
		2. तूतीकोरिन पोर्ट मैरियर्स यूनियन
10.	विशाखापत्तनम	1. विशाखापत्तनम पोर्ट एम्प्लाइज यूनियन
		2. विशाखापत्तनम हार्बर एन्ड पोर्ट यूनियन।

पूर्वोत्तर रेलवे के लम्डिंग बदरपुर एमजी सेक्शन को बन्द करना

1405. **श्री बाजूबन रियान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का महत्वपूर्ण लम्डिंग बदरपुर मीटर गेज सेक्शन को इस वर्ष जून के महीने में बन्द कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि त्रिपुरा मिजोरम तथा असम के कछार और करीमगंज जिलों के लिए यह एक मात्र रेलवे लाइन है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सेक्शन पर नियमित जांच द्वारा सतत निगाह रखने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि उस क्षेत्र के लोगों को आगे और किन्हीं कठिनाइयों का सामना न करना पड़े ?

रेल मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : (क) से (घ) इस क्षेत्र में भारी तथा अभूतपूर्व वर्षा के कारण पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लम्डिंग बदरपुर मीटर लाइन खंड पर कि०मी० 128/5-8 पर भू स्खलन हो गया था। दो पुल नं० 433 तथा 434 क्षतिग्रस्त हो गए थे। 5 जून, 1985 को इस खंड पर यातायात ठप्प हो गया था। किनारे की मरम्मत तथा अस्थायी पुलों की व्यवस्था करने लिए तत्काल उपाय किये गए थे। 25 जून, 1985 को इस खंड पर पुनः यातायात चालू हो गया था। इस खंड पर निरन्तर नजर रखी जा रही है। एक दीर्घकालिक निवारक उपाय के रूह में, पुल नं० 433 तथा 434 के स्थान पर संरक्षण को मोड़ा जा रहा है।

[हिन्दी]

बांकाघाट रेल स्टेशन के पास रेल लाइन की ऊंचाई कम करना

1406. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्व रेल के बांकाघाट रेल स्टेशन के लगभग पूर्व में स्थित रेल पुल पर लाइन की ऊंचाई कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए पुल के नीचे की भूमि का धरातल नीचा, करना होगा।

(ग) यदि हां, तो क्या इससे पैदल चलने वालों और वाहनों के लिए कठिनाई पैदा हो जायेगी;

(घ) यदि हां, तो क्या इस कठिनाई को दूर करने हेतु सरकार का विचार वहां पर एक ऊपरी पुल का निर्माण करने का है ;

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : (क) और (ख) फतुआ के निकट बंकाघाट स्टेशन के छोर पर पुल संख्या 83(1x10 फुट) के गर्डर पुराने और संक्षारिक हैं। इन्हें पूर्व प्रबलित सीमेंट कंकरीट की पटिटयों द्वारा बदले जाने का प्रस्ताव है नीचे से गुजरने वाले सड़क यातायात के लिए सीधी निकासी को प्रभावित किये बिना, सड़क धरातल को 1 फुट 4 इंच नीचा करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंदेल स्थित रेलवे संयंत्र और वेल्डिंग मशीन का उपयोग

1407. **श्री अनिल बसु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंदेल स्थित रेलवे संयंत्र की ओवर हालिंग की गई थी परन्तु उसका उपयोग नहीं किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि 1983 में खरीदी गई एक नई रेल वेल्डिंग मशीन का भी उपयोग नहीं किया था;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त संयंत्र और वेल्डिंग मशीन का उपयोग कब किया जाएगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं। ओवर हालिंग करने के पश्चात संयन्त्र का दिसम्बर, 1985 से जनवरी, 1978 तक उपयोग किया गया था।

(ख) जी नहीं। बंडेल के लिए 1983 में कोई नयी पटरी झलाई मशीन नहीं खरीदी गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बंडेल के संयन्त्र की उपयोगी आयु पूरी हो चुकी है और इसको कभी आगे उपयोग किये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

चेंगन्नूर कोट्टरकरा वम्बयम त्रिवेन्द्रम रेल लाइन का सर्वेक्षण

1408. **श्री टी० बशीर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेंगन्नूर कोट्टारकरा वम्बयम त्रिवेन्द्रम नई रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) उक्त नई लाइन का सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) 18.87 लाख रुपये।

(ग) सर्वेक्षण 1986 तक पूरा होने की संभावना है।

दिल्ली में बिजली लगने से मृत्यु

1409. **श्री आर० एम० भोये** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में बिजली लगने के कारण हुई मौतों के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं !

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन मौतों के क्या कारण थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) जी, हां। 1-1-85 तथा 25-7-1985 के बीच डेसू नेट-वर्क पर आठ मौतें हुई हैं; जिनके ब्यौरे कारणों सहित संलग्न विवरण में दिए गए हैं। नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

(ग) विद्युत निरीक्षक (दिल्ली प्रशासन) द्वारा वैधानिक जांच और डेसू द्वारा विभागीय जांच के अतिरिक्त, विद्युत के कारण हुई मौतों के मामलों की बारीकी से जांच करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, डेसू द्वारा सुरक्षा उपाय भी किए जा रहे हैं जिनमें ओवरहैड प्रणाली पर उपयुक्त गार्ड लगाना, कमजोर स्थलों को ठीक करना आदि शामिल है।

विवरण

क्रम सं०	तारीख	नाम	मण्डल क्षेत्र	दुर्घटना का कारण
1.	6.2.85	श्री ईश्वर सिंह	मण्डल-204 जिला-शंकर रोड़, करोल बाग (आनंद पर्वत)	एक पेड़ को छूती हुई नंगी तार के सम्पर्क में आए।
2.	10.6.85	श्रीमती सत्य	जहांगीर पुरी सी-ब्लाक	तूफान के दौरान कन्डक्टर की दुर्घटनावश स्नैपिंग
3.	,,	मनोहर) एक		
4.	,,	राज कुमारी) परि-) वार		
5.	27.6.85	श्री अरविन्द कुमार	मण्डल-811 जिला-जनकपुरी डब्ल्यु जेड-284/256, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली-1	निम्न वोल्टता ओवर हैड कन्डक्टर की स्नैपिग
6.	11.7.85	श्री सतिन्द्र सुपुत्र श्री टीका राम	बवाना टटेसर गांव	निम्न वोल्टमा मुख्य कन्डक्टर की स्नैपिंग
7.	15.7.85	मेजर एस०वी० कपूर	मुनिरका	पोस्टमार्टम की रिपोर्ट

1	2	3	4	5
			मण्डल-701 जिला-रामकृष्ण पुरम	अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।
8.	18.7.85	श्रीमती विमला पत्नी श्री जगदीश प्रसाद	फील नं० 6 के पास झुग्गी, नाव के पुल पर रास्ता, जिला कृष्ण नगर	निम्न वोल्टता मेन की अर्थ-तार की स्नैपिंग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

राज्य क्षेत्र में एक उच्च ताप विद्युत संयंत्र लगाने की उड़ीसा योजना

1410. **श्री जगन्नाथ पटनायक**: क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य क्षेत्र में 200-200 मेगावाट के चार यूनिटों सहित 840 मेगावाट की क्षमता का एक उच्च ताप विद्युत संयंत्र लगाने की अपनी कोई योजना प्रस्तुत की है और इस परियोजना की अनुमानित लागत 850 करोड़ रुपए है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को मालूम है कि इस संयंत्र की संपूर्ण लागत की राज्य योजना व्यय में से व्यवस्था नहीं की जा सकती है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को वित्तीय सहायता देने के लिए अन्यथा विदेशी ऋण की व्यवस्था करने अथवा उधार पर उपकरण दिए जाने का कोई सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू): (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में धनहारपाली में 4x210 मेगावाट प्रतिष्ठापित करने के उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया है। इसकी अनुमानित लागत 887.99 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) साधनों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना के लिए संस्थागत वित्त व्यवस्था और विदेशी ऋण का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा है।

(घ) जब यह परियोजना योजना आयोग द्वारा अनुमोदित कर दी जाएगी उसके बाद ही इसकी वित्त व्यवस्था के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

कलकत्ता में विद्युत आपूर्ति निगम के संयंत्रों का नवीकरण

1411. क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम (सी० ई० एस० सी०) के पुराने एककों-न्यू कोसीपुर और मुलाजोर के नवीकरण का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) (क) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जहाज किराए पर लेने वाली नौवहन कम्पनियों से बकाया राशियों की वसूली

1412. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम अन्य नौवहन कम्पनियों को जहाज किराए पर देती है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नौवहन निगम द्वारा कितना किराया वसूल किया जाता है और जहाज किराए पर लेने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन कम्पनियों की बहुत अधिक राशि जहाज किराए पर लेने वाली नौवहन कम्पनियों की ओर बकाया हैं ; और

(घ) यदि हां तो बकाया राशि को वसूलने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहाज किराए पर देने से पूर्व किराया वसूल किया जाए, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय नौवहन निगम ने संबंधित जहाज किराए पर लेने वालों से बातचीत करने के बाद जहाज किराए पर देने की आवश्यकता और प्रचलित बाजार दर और स्थिति को ध्यान में रखते हुए जहाज के किराए को तय किया है। जिन नौवहन कंपनियों ने भारतीय नौवहन निगम से पहले जहाज किराए पर लिए थे उनके नाम और उनके द्वारा निगम को 30.6.1985 को देय बकाया राशि निम्न प्रकार से हैं :

नौवहन कंपनियों का नाम	30.6.198_ को बकाया राशि (रु० लाखों में)
1. मैसर्स सालगांवकर ब्रदर्स (प्रा०) लि०)	7.66
2. "गोलन्द्रिस शिपिंग कंपनी यू० के०	14.74
3. "शिनवा कीम कायशा, जापान	2.86
4. "जापान लाईंस	6.44

1	2
5. "पी॰ जे॰ होतेकर, हांगकांग	7.26
6. "निपोन शिपिंग कंपनी, जापान	4.86
7. "कैरिजिंग मैक्सीटीना	3.92
8. "कोबेलफ्रात एन॰ वी॰	3.69
9. "मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट ओवरसीज, पं॰ जर्मनी	1.55
10. मैसर्स पूमपुहार शिपिंग कार्पोरेशन, भारत	47.33
11. "चाइना ट्रेड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन चीन	2.91
12. "आहजुई शिपिंग, सिओल, कोरिया	2.88
13. "स्वदेल गैस ऑफ पेरिस	3.49
14. "नथरट्रेन	12.04
15. "फ्लेटा कोलामिया, कोलंबिया	2.66
16. "आइरिस लाइन्स, तेहरान	11.87
17. "सांको शिपिंग कंपनी, जापान	1.94
18. "सेंट्रल गल्फ लाइंस	3.64
	1.39.74

ये बकाया राशि बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि इस क्षेत्र में भारतीय नौवहन निगम को 60 करोड़ रुपए की वार्षिक आय होती है ।

(घ) चार्टर पार्टी की शर्तों के अनुसार भारतीय नौवहन निगम पाक्षिक/मासिक जहाज के किराए को अग्रिम वसूली कर लेता है । हालांकि चार्टरस को यह अधिकार होता है कि मालिकों में बांटने के लिए, डिलीवरी के समय जहाज के बोर्ड पर गिर जाने वाले बंकरों के लिए कार्य निष्पादन दावों, चार्टर पार्टी के करार के खंडों के अर्थनिर्णय के ऊपर होने वाले विवादों, आदि के लिए वे जहाज के किराए में से स्वयं को देय राशि में से इनके लिए राशि से इनके लिए राशि निकाल सकते हैं । अगर दावे सही हैं और वे चार्टर पार्टी की शर्तों से मेल खाते हैं तो इसे चार्टरस से वसूल की जाने वाली राशि में समायोजित किया जा सकता है जब तक यह जांच पूरी हो तब तक इस राशि को वसूल किए जाने वाले जहाजी किराए के रूप में दिखाया जाता है इस बात को देखते हुए कुछ मामलों में इस राशि को कुछ समय के लिए बही खातों में बकाया राशि के रूप में दिखाया जाता है यद्यपि, जहाज के किराए को चार्टर पार्टी की शर्तों के अनुसार अग्रिम ही वसूल लिया जाता है और राशि जो अन्ततः भारतीय नौवहन निगम के प्रति वास्तविक देय राशि पायी जाती है, बही खातों में दिखाई गई बकाया राशि से कम होती है ।

हृदय व गुर्दा प्रतिरोपण के नए यूनिट खोलना

1413. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में हृदय और गुर्दा प्रतिरोपण यूनिटों की संख्या और ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या वे बहुत मंहगे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो रोगियों के लिए अधिक यूनिट खोलने तथा खर्चा कम करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) देश में हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित अस्पतालों में किया जा रहा है :—

(i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।

(ii) क्रिश्चिन मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, वैलोर ।

(iii) स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ ।

(iv) जसलोक अस्पताल, बम्बई ।

(ख) जी, हां । यह मंहगा है ।

(ग) इस समय सरकार द्वारा कोई नई यूनिट खोलने का विचार नहीं है ।

मेट्रो रेलवे कलकत्ता

1414. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वियन में अब तक कितनी प्रगति हुई है और चालू वित्तीय वर्ष में और कितने किलोमीटर क्षेत्र को मेट्रो रेलवे के अन्तर्गत लाए जाने की संभावना है ; और

(ख) शेष परियोजना को पूरा करने की निर्धारित समय सीमा क्या है और उस पर कुल कितना पूंजीगत व्यय होगा ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल):(क) 30 जून, 1985 तक मेट्रो रेलवे कलकत्ता की वास्तविक प्रगति 53 प्रतिशत है । चालू वित्त वर्ष के दौरान इन सेवाओं को भवानीपुर से टालीगंज तक 4-25 कि० मी० आगे और बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

(ख) परियोजना की संशोधित लागत का अनुमान 800 करोड़ रुपए लगाया गया है । पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता होने पर परियोजना के दिसम्बर 1989 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है ।

कलकत्ता पत्तन न्यास बोर्ड में मजदूर संघों का प्रतिनिधित्व

1415. श्री आनन्द पाठक : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता पत्तन और गोदी में काम कर रहे मजदूर संघों के नाम एवं वे किस-किस से संबद्ध हैं;

(ख) कलकत्ता पत्तन और गोदी में काम कर रहे मजदूर संघों के नाम एवं वे किस-किस से संबद्ध हैं ;

(ग) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास बोर्ड में सभी मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है ;

(घ) यदि नहीं तो उनके क्या कारण हैं ; और

(ङ) कलकत्ता पत्तन न्यास बोर्ड में मजदूर संघ के प्रतिनिधियों को किस आधार पर शामिल किया जाता है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) I. कलकत्ता पोर्ट श्रमिक यूनियन (एच० एम० एस०)

II. नेशनल यूनियन आफ वाटरफ्रंट वर्कर्स (आई० एन० टी० यू० सी०)

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) नहीं।

(घ) और (ङ) महापत्तनम न्यास अधिनियम 1963 की धारा 3 के अनुसार पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड में प्रतिनिधि के रूप में दो स्थान पोर्ट में नियुक्त श्रमिकों को दिए जाते हैं। ये स्थान उनकी उपलब्ध जांची गई अद्यतन संख्या के आधार पर पत्तन श्रमिकों की दो सबसे बड़ी यूनियनों को दिए जाते हैं। यदि किसी एक यूनियन की संख्या यूनियनों की कुल जांची गई सदस्यता के 60% या अधिक है तो इसको ये दोनों स्थान दे दिए जाते हैं बशर्ते दूसरी सबसे बड़ी यूनियन की सदस्य संख्या पहली सबसे बड़ी यूनियन की सदस्य संख्या की तुलना में आधे से भी कम है। इसकी जांच श्रम मंत्रालय द्वारा द्विवार्षिक आधार पर की जाती है।

विवरण

क्रम सं०	यूनियन का नाम	मान्यता
1.	कलकत्ता पोर्ट श्रमिक यूनियन	एच० एम० एस०
2.	नेशनल यूनियन आफ वाटर फ्रंट वर्कर्स	आई० एन० टी० यू० सी०
3.	कलकत्ता पोर्ट एंड डाक वर्कर्स यूनियन	ए० आई० टी० यू० सी०

1	2	3
4.	कलकत्ता पोर्ट एंड शोर मजदूर यूनियन	सी० आई० टी० यू०
5.	कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट वर्कर्स यूनियन	आई० एल० सी० इंडियन फेडरेशन आफ लेबर)
6.	कलकत्ता पोर्ट श्रमिक जनता पंचायत	एच० एम० एस०
7.	नेशनल यूनियन आफ वाटर फ्रंट वर्कर्समैन (आई)	आई० एन० टी० यू० सी०
8.	कलकत्ता डाक वर्क्स यूनियन	एच० एम० एस०
9.	कलकत्ता पोर्ट एंड डाक मजदूर संघ	बी० एम० एस०
10.	यूनाइटिड पोर्ट एंड डाक यूनियन	—
11.	कलकत्ता पोर्ट एंड डाक इंडस्ट्रीयल वर्कमैन यूनियन	—
12.	कलकत्ता वर्थिग सर्विस एसोसिएशन	—
13.	वेस्ट बंगाल डाक मजदूर यूनियन	आई० एन० टी० यू० सी०
14.	डाक श्रमिक एसोसिएशन कलकत्ता	सी० आई० टी० यू०
15.	पश्चिम बंगाल डाक एंड पोर्ट मजदूर यूनियन	—
16.	कलकत्ता डाक श्रमिक यूनियन	एच० एम० एस०
17.	वाटरफ्रंट वर्कमैनेसयूनियन	आई० एन० टी० यू०
18.	रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड डाक वर्कर्स यूनियन	—
19.	शिपिंग एम्प्लाइज यूनियन	आई० एन० टी० यू० सी०
20.	डाक क्लेरिकल एंड सुपरवाईजरी स्टाफ एसोसिएशन	—
21.	कलकत्ता पोर्ट एंड डाक श्रमिक यूनियन	—
22.	यूनियन पोर्ट एंड डाक वर्कर्स यूनियन	—

अपेक्षाकृत कम अवधि का डिप्लोमा चिकित्सा पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाना

1416. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश की चिकित्सा शिक्षा अनिवार्यत: शहरोन्मुखी है जो डाक्टर बनने के लिए अत्याधिक खर्चीली और समय साध्य है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आधुनिक चिकित्सा शिक्षा में ऐसे ऐसे उपकरणों की आवश्यकता होती है जो ग्रामीण इलाकों में तत्काल उपलब्ध नहीं हो पाते; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे डिप्लोमा चिकित्सा पाठ्यक्रम को लागू करने पर विचार करेगी जो अपेक्षाकृत कम अवधि का कम खर्चीला हो और जिससे ग्रामीण युवाओं को भी इस शिक्षा का लाभ मिल सके और वे ग्रामीण जनता की सेवा कर सकें ;

सिंचाई विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने जिसे देष में चिकित्सा शिक्षा के एक समान न्यूनतम स्तर बनाये रखने की सांविधिक जिम्मेदारी सौंपी गई है, स्नातकपूर्व पाठ्यचर्या की पुनरीक्षा की है तथा उसमें संशोधन किया है। ताकि देश की जरूरतों को पूरा किया जा सके। परिषद ने प्रशिक्षण अवधि तथा अनिवार्य रोटेरिंग इन्टनसिप के दौरान प्रत्येक चिकित्सा स्नातक के लिए देहाती इलाकों में तैनाती अनिवय कर दी है चिकित्सा शिक्षा को स्थिति के अनुकूल बनाने की योजना 177 में चलाई गई थी जिसका उद्देश्य विभिन्न चिकित्सा कालेजों के देहाती और उप-नगरीय जनता को सीधी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के कार्य में शामिल करना है।

इस योजना के अधीन देश के 106 चिकित्सा कालेजों में से प्रत्येक कालेज को सर्वप्रथम अपने जिले के तीन सामुदायिक ब्लाकों में लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने रोगों की रोकथाम करने तथा उपचार संबंधी सेवाएं देने के लिए पूर्ण जिम्मेदारी लेनी होगी।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

शिक्षा पर प्रति व्यक्ति अधिक व्यय करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन

1417. **श्री के० मोहन दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में शिक्षा पर राज्यवार प्रति व्यक्ति कितना व्यय होता है ;

(ख) क्या उन राज्यों के लिए कोई प्रोत्साहन योजना है जिन्होंने शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय के संबंध में प्रशंसनीय कार्य किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में वर्ष 1983-84 में शिक्षा पर प्रति-व्यक्ति बजट बद्ध व्यय (राजस्व लेखा) का विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रति व्यक्ति बजट बद्ध व्यय (राजस्व लेखा) रु०
1. आन्ध्र प्रदेश	104·55
2. असम	79·58
3. बिहार	56·05
4. गुजरात	94-22
5. हरियाणा	96·31
6. हिमाचल प्रदेश	146·98
7. जम्मू और काश्मीर	132.86
8. कर्नाटक	83·95
9. केरल	127·33
10. मध्य प्रदेश	62·63
11. महाराष्ट्र	103.45
12. मणिपुर	172·61
13. मेघालय	110·54
14. नागालैंड	273·01
15. उड़ीसा	63.76
16. पंजाब	116·61
17. राजस्थान	76·22
18. सिक्किम	184·75
19. तमिल नाडु	92·65
20. त्रिपुरा	151·50
21. उत्तर प्रदेश	52.41
22. पश्चिम बंगाल	84·32
23. अंडमान और निकोबार द्वीप	288.13
24. अरूणाचल प्रदेश	180·12
25. चंडीगढ़	292·15

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रति व्यक्ति बजट बद्ध व्यय (राजस्व लेखा) रु०
26. दादर और नागर हवेली	121·19
27. दिल्ली	158.79
28. गोवा, दमन और दीप	199·47
29. लक्ष्य द्वीप	437·53
30. मिजोरम	220.79
31. पांडिचेरी	179.83

[हिन्दी]

सिंचाई के अधीन क्षेत्र

1418. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) देश में कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि में सिंचाई होती है ;

(ख) क्या ऐसे पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के लिए सिंचाई के निश्चित साधन नहीं हैं जो वर्षा पर निर्भर करते हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय नीति के भाग के रूप में ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में उठाऊ सिंचाई परियोजनाएं लागू करने का है जो वर्षा पर निर्भर करते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 के भूमि उपयोग के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, देश में लगभग 21 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिन क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान की गई हैं उनमें पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों के वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्र भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और इसलिए लिफ्ट सिंचाई स्कीमें जो पहाड़ी इलाकों को लाभ पहुंचाने के लिए हैं भी राज्यों द्वारा उनका विकासात्मक योजना के एक भाग के रूप में शुरू की जाती है।

[अनुवाद]

नारायणा स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय को क्रियाशील औषधालय में बदलना

1419. **श्री गंगा राम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लाभभोगियों की कठिनाईयों को देखते हुये तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रयोजन के लिए औषधालय में पर्याप्त जगह है, नारायणा स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय को क्रियाशील औषधालय में बदलने का है ;

(ख) क्या नारायणा में औषधालय के नये भवन का निर्माण इसलिए किया था कि इसे क्रियागत औषधालय बनाया जायेगा तथा लाभ-रोगियों को भी यह अश्वासन दिया गया था कि भवन के तैयार हो जाने पर इसमें प्रयोगशाला सुविधा आदि की व्यवस्था की जाएगी;

(ग) यदि हां तो औषधालय को कब तक क्रियागत बना दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय पहले डी० डी० ए० फ्लेट में कार्य कर रहा था। यह स्थान औषधालय के लिए अनुपयुक्त और अपर्याप्त था। तैयार किए गए स्टेंडर्ड और भावी विस्तार को देखते हुए एक नए सी० जी० एच० एस० औषधालय भवन का निर्माण किया गया है।

केरल में चलियार नदी के जल का उपयोग

1420. **श्री एम० रामचन्द्रन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार जय सुख लाल हाथी आयोग की सिफारिशों के अनुसार केरल में कालीकट और उसके आस-पास के लोगों को सिंचाई और पेय जल की सुविधा प्रदान करने के लिए चलियार नदी के जल का उपयोग करने में पहल करेगी ; और

(ख) क्या केरल के जल और अपशिष्ट जल प्राधिकरण ने चलियार नदी के जल के बेहतर प्रयोग के लिए कोई प्रस्ताव रखा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) नदी जल के उपयोग के लिए परियोजनाओं का सर्वेक्षण, आयोजना तथा निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केरल सरकार ने एरियाकोड सिंचाई परियोजना (जो बेपोरपुझा परियोजना के नाम से भी जानी जाती है) पर परियोजना रिपोर्ट तकनीकी जांच तथा योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय जल आयोग को अगस्त, 1979 में प्रस्तुत की थी। परियोजना में केरल के मलापुरम तथा कालीकट जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए चलियार नदी के जल के उपयोग की परिकल्पना की गई है जब कि यह स्कीम केन्द्रीय जल आयोग के परीक्षणाधीन थी लेकिन केरल सरकार ने सूचित किया है कि विकसित भूमि के जल मग्न होने को कम करने के लिए वे और अन्वेषण कर रहे हैं तथा अशोधित परियोजना उसके पश्चात् की जाएगी। केरल सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को अभी तक आशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

उत्पादकता बोर्ड का अन्तरिम प्रतिवेदन

1421. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा विद्युत उत्पादन में अड़चनें उत्पन्न करने वाले तत्वों का पता लगाने और 'मेक्रो' तथा उद्यम स्तरों पर उत्पादकता में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाने हेतु स्थापित किए गए उतपादकता बोर्ड का प्रतिवेदन/अन्तरिम प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) केन्द्र द्वारा उन पर क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्वविद्यालयों द्वारा कम्प्यूटर पाठ्यक्रम शुरू किया जाना

1422. **श्री अनादि चरणदास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं, जिन्होंने अभी तक विभिन्न कम्प्यूटर पाठ्यक्रम शुरू नहीं किए हैं; और

(ख) विश्वविद्यालयों को गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए मली केन्द्रीय सहायता/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) निम्नलिखित विश्वविद्यालय इस समय विभिन्न संगणक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं :—

1. रुड़की विश्वविद्यालय	एम. टेक.
2. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	एम. सी. ए.
3. बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय	बी. टेक
4. दिल्ली विश्वविद्यालय	एम. सी.ए.
5. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	एम. सी. ए.
6. कलकत्ता विश्वविद्यालय	एम. टेक.
7. पुणे विश्वविद्यालय	एम. सी. ए. डी. सी. ए.
8. बड़ौदा का एम. एस. विश्वविद्यालय	बी. टेक. एम. सी. ए.
9. आन्ध्र प्रदेश विश्वविद्यालय	एम. टेक. डी. सी. ए.
10. ओसमानिया विश्वविद्यालय	एम. टेक. डी. सी. ए.
11. अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास	बी. टेक. एम. सी. ए. और डी. सी ए.
12. हैदराबाद विश्वविद्यालय	एम. टेक एम. सी. ए. डी. सी. ए.

13. सरदार पटेल विश्व विद्यालय	डी. सी ए.
14. कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय	डी. सी. ए.
15. रांची विश्वविद्यालय	डी. सी. ए.
16. केरल विश्वविद्यालय	डी. सी. ए.
17. उत्कल विश्वविद्यालय	डी. सी. ए.
18. गोहाटी विश्वविद्यालय	डी. सी. ए.
19. गुजरात विश्वविद्यालय	डी. सी. ए.
20. बंगलौर विश्वविद्यालय	डी. सी. ए.
21. पंजाब विश्वविद्यालय	डी. सी. ए.
22. जम्मू विश्वविद्यालय	डी. सी. ए.
23. जोधपुर	डी. सी. ए.
24. उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय	डी. सी.ए.
25. मदुरै विश्कामराज विश्वविद्यालय	डी. सी. ए.
26. नागपुर विश्वविद्यालय	डी. सी. ए.
27. भोपाल विश्वविद्यालय	डी. सी. ए.
28. एस. एन. डी. टी. महिला विश्वविद्यालय	डी. सी. ए.
29. अन्नामलई विश्वविद्यालय	डी. सी. ए.
30. काशी विद्यापीठ	डी. सी. ए.

(ख) संगणक में जनशक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारत सरकार का इलैक्ट्रोनिक विभाग अनावर्ती अनुदान देने के लिए सहमत हो गया है। 5 वर्ष की अवधि के लिए आवर्ती किस्म का खर्च विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वहन किया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान वि० अ० आ० ने विश्वविद्यालयों को कुल 20, 0४, 199 रु० का आवर्ती अनुदान दिया है। इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा दिये गए आवर्ती अनुदान के ब्यौरों का पता लगाया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा पारेषण प्रणाली की देखभाल

1423. श्री जी० एम० बनातवाला :

कुमारी पुष्पा देवी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली विद्युत पारेषण प्रणाली की देख भाल में भेद-भाव के संबंध में दिनांक 15 जुलाई, 1985 के "टाइम्स आफ इंडिया" के प्रथम पृष्ठ पर "डेसू एपेथटिक टू सेफ्टी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, ।:

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उल्लिखित विशेष अवसरों पर क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उक्त पारेषण प्रणाली की देख-भाल में सुधार के लिए क्या उपाय किये गए हैं ।

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) समाचार मद में बताई गई कमियों को दूर करने के लिए डेसू द्वारा कार्य क्षेत्र के कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि खराबियों को दूर करने के लिए एक अभियान चलाएं जिसमें निम्नलिखित शामिल हों :—

1. उपयुक्त फ्यूज के साथ समुचित कट्-आउट का प्रावधान करना ।

2. केनेक्शन पर समुचित इन्शुलेन्शन अन्शुलेशन स्लीव का इस्तेमाल करना जहां पर बसिम और कट आउट । फ्यूज के अभाव में अस्थायी उपाय के रूप में सीधी वार्यरिंग की गई हैं ।

3. लापता जंक्शन बक्सों और कवरा को लगाना ।

4. केवल आर्मर की समुचित सुरक्षा के लिए सभी जंक्शन प्वाईटों पर अर्थ वायर की व्यवस्था करना और सभी बगैर दबी केवलों को समुचित गहराई पर भूमिगत करना ।

इसके अतिरिक्त कार्य के नियमित अनुरक्षण के अलावा बिजली सप्लाई की ओवर हैड प्रणाली के लिए भी समुचित सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है । तथा कमी वाले प्वाईटों को और डेसू द्वारा ध्यान दिया जा रहा है डेसू उपभोक्ताओं की सावधानी के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को दर्शन वाले सार्वजनिक नोटिस भी जारी किए गए हैं ।

ताप बिजली घरों का कार्य निष्पादन

1424. **श्री विमल कान्ति घोष :** क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ताप बिजली घरों का कार्य निष्पादन पिछले कुछ वर्षों ह्रासोन्मुखी प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं उठाने का विचार है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी नहीं । ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात. जो है कि 1979-80 के दौरान लगभग 33.5 % था, 1984-85 के दौरान बढ़कर 50.1 %. हो गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में और सुधार लाने की दृष्टि से अनेक उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत मौजूदा ताप विद्युत केन्द्रों का नवीन तथा आधुनिकीकरण।

(2) पर्याप्त मात्रा में और समुचित गुणवत्ता वाले कोयले की तथा स्वदेशी एवं विदेशी स्रोतों से फुटकर पुर्जों की व्यवस्था करने में राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना।

(3) इंजीनियरों और प्रचालन तथा अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

संभावित सिंचाई साधनों का उपयोग

1425. **श्री मुरलीधर माने** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अब तक केवल 60 प्रतिशत सिंचाई क्षमता का उपयोग किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना अवधि के दौरान सरकार द्वारा देश में विद्यमान सिंचाई क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हाँ, ।

(ख) सातवीं योजना के दौरान नीति यह है कि उन निर्माणाधीन स्कीमों को, जो उन्नत अवस्था में हैं और आंशिक अथवा पूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए सक्षम हैं, पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था की जाए ताकि योजना अवधि के दौरान लाभ प्राप्त हो जाए।

[हिन्दी]

सिपाया हाल्ट स्टेशन पर ठेका प्रणाली समाप्त

1426. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में स..ागुसा और जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच सिपाया हाल्ट स्टेशन है;

(ख) यह सच है कि इस हाल्ट स्टेशन पर टिकटों की बुकिंग और स्टेशन का रख-रखाव उसी गाँव के एक व्यक्ति द्वारा पिछले 11 वर्षों से ठेका प्रणाली पर किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस हाल्ट स्टेशन पर बुकिंग और उसके रख-रखाव के मामाले में इस ठेका प्रणाली को समाप्त करने तथा इस कार्य को रेल विभाग के कर्मचारियों को सौंपने का है ? और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्र (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) सिपाया हाल्ट पर टिकटों की बिक्री कमीशन के आधार पर ठेकेदारों द्वारा की जाती है। टिकटों की बिक्री का ठेका 1-8-1957 को श्री जगन्नाथ प्रसाद को दिया गया था। उनका यह ठेका 21-6-1982 को समाप्त कर दिया गया था और वह श्री दलीप कुमार

को दे दिया गया था, जो उस समय से कार्य कर रहे हैं। हाल्ट स्टेशन का अनुरक्षण रेल प्रसाशन द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) टिकटों की वर्तमान बिक्री प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ठेका प्रणाली के अन्तर्गत भी सिपाया हाल्ट भारी घाटे में चल रहा है। यदि यह कार्य रेल कर्मचारियों द्वारा जायेगा तो घाटा और भी अधिक होगा।

[अनुवाद]

"एस० सी० आई० गिव्स लेवर ए रॉ डील" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1427. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री अजय विश्वास : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जून 1985 की ब्लिट्ज पत्रिका में "एम० सी० आई० गिव्स लेलर एरा डील" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार भारतीय नौवहन निगम, बम्बई के कार्यकरण और उसकी खामियों की जांच करवाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है तथा इस मामले में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चूंकि भारयीय नौवहन निगम लिमिटेड कूती मूल का कोई खास मामले का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए भारतीय नौवहन निगम के कार्य की जांच करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

छटी योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में प्राप्त बिजली लक्ष्य

1428. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1980-85) के दौरान बिजली की संस्थापित क्षमता कितने मेगावाट तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ख) छटी योजना अवधि के दौरान कितने मेगावाट क्षमता प्राप्त की गई, थी ; और

(ग) क्या इस सबंध उपलब्धि लक्ष्य से कम थी ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में छटी योजनावधि के दौरान 1972 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में 1972 मेगावाट नई उत्पादन

क्षमता सृजित की गई। इस प्रकार योजना का लक्ष्य 1070 मेगावाट की क्षमता से पिछड़ गया, इसमें टांडा ताप विद्युत परियोजना (4X110 मेगावाट) और अनपारा "ए" ताप विद्युत परियोजना (3X210 मेगावाट) शामिल हैं। पिछड़ जाने के कारण निम्नानुसार थे :—

यूनिट का नाम	पिछड़े जाने के कारण
अनपारा "ए" ताप विद्युत परियोजना	1. विभिन्न आनुषंगिक उपस्कार के लिए आर्डर देने में विलम्ब। 2. मले द्वारा सप्लाई में विलम्ब। 3. विभिन्न सिविल कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब। 4. निधियों की कमी। 5. टर्बो जेनरेटर की यूनिट-1 के उत्थान कार्य की धीमी गति।
टांडा ताप विद्युत परियोजना	1. निधियों की कमी परियोजना के लिए अनियमित रूप से नकदी उपलब्ध होना। 2. विभिन्न अनुषंगिक उपस्कारों के आर्डरों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब।

मध्य रेलवे के कट्टी बीना सेक्शन पर बम्बई और इलाहाबाद के बीच सीधी एक्सप्रेस गाड़ी

1429. **श्री नन्द लाल चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में बम्बई और इलाहाबाद के बीच बरास्ता कटनी-बीना सैक्शन पर एक सीधी एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की मांग की गई है ;

(ख) क्या बम्बई और इलाहाबाद के लिए उक्त सैक्शन पर कोई एक्सप्रेस गाड़ी चलाने अथवा किसी अन्य गाड़ी को उस रास्ते मोड़ने की कोई योजना विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो बम्बई और इलाहाबाद के बीच बरास्ता कटनी-बीना सैक्सन पर एक्सप्रेस गाड़ी कब तक चलाये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

देश में नौकाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

1430. **श्री एन० डेनिस** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में नौकाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देती है ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय शिपयार्डों को ट्रावलर की गलत की 33 प्रतिशत राशि अधिक सहायता के रूप में मन्जूर की जाती है। आर्थिक सहायता के अतिरिक्त उक्त ट्रावलर खरीदने वाली कम्पनी को 6-75 प्रतिशत प्रति ब्याज दर पर जहाज की लागत के 95 प्रतिशत तक ऋण दिया जाता है। यह ऋण ट्रावलर भेजने की तारीख के बाद 15 वार्षिक किश्तों में लिया जाता है जिसमें एक वर्ष की छूट भी शामिल है ।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के कर्मचारियों की हड़ताल

1431. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के कर्मचारियों ने कुल कितनी हड़तालें कीं तथा इन हड़तालों की अवधि कितनी-कितनी थी तथा हड़तालियों की मुख्य मांगें क्या थीं ;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राष्ट्रीय परियोजना निर्मान निगम द्वारा हाथ में ली गई बहुत सी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और राज्य परियोजनाओं में उक्त निगम के कर्मचारियों की बार-बार और लम्बी हड़तालों के कारण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति नहीं हुई ; और

(ग) यदि हां, तो श्रमिक समस्याओं को स्थायी रूप से हल करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ;

(ख) जी हां, । कुछ परियोजनाओं के कार्य को प्रगति में कार्मिकों के आन्दोलन के कारण बाधा आई थी ।

(ग) कार्मिकों के प्रतिनिधियों के साथ हुई अनेक बैठकों के अनुसरण में कार्मिकों द्वारा उठाई गई सभी मुख्य मांगों पर समझौता होने के पश्चात कार्मिकों की यूनियन के साथ राष्ट्रीय परियोजना निर्माण/ने चार वर्ष की अवधि/निगम के लिए सितम्बर, 1983 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे । तत्पश्चात कार्मिक द्वारा उठाए गए मुद्दों और मांगों पर भी विचार-

विमर्श किया गया और कुछ बैठकों के बाद इनका समाधन किया गया। कार्मिकों द्वारा समय समय पर उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए तथा तत्काल समझौता करने के लिए राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के प्रबंधकों ने विभिन्न स्तरों पर मंच बनाने के लिए कदम उठाए हैं।

विवरण

	वित्तीय वर्ष	हड़तालों की संख्या	अवधि	हड़ताल कर्ताओं द्वारा उठाई गई मुख्य मांगें
(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परियोजना निर्माण नियम के कार्मिकों द्वारा की गई हड़तालों की संख्या एवं अवधि और हड़तालकर्ताओं द्वारा उठाई गई मुख्य मांगें	1982-83	1	11 से 13 जनवरी, 1983	राष्ट्रीय स्तर पर सभी श्रेणियों के वेतन का निर्धारण करना, उप ठेकेदारों की प्रणाली को समाप्त करना, परियोजना भत्ता, सेवाओं को नियमित करना आदि।
	1983-84		15 मार्च, 1984	धूआ भत्ते को बढ़ाकर 40 प्रतिशत करना सप्लाई श्रमिकों को विभागीय कार्मिक बनाना, निकाले गए कार्मिक को बहाल करना।
	1984-85	2	15 अगस्त से 15 नवम्बर 84 (केवल ए० सी० आर० परियोजनाओं में)	मकान किराया भत्ते की दर में वृद्धि, नवम्बर, 80 से भविष्य निधि अंशदान 8 प्रतिशत की दर से कर्मचारी संघ के सदस्यों को विशेष आकस्मिक अवकाश, फालतू श्रमिकों को तैनाती, सप्लाई श्रमिकों को विभागीय कार्मिक बनाना, हड़ताल अवधि के वेतन का भुगतान; विभागीय कर्मचारियों द्वारा मशीनरी का चलाया जाना।

1	2	3	4	5
			24 नबम्बर से 25 जनवरी, 85 (केवल चूखा यूनिट)	चूखा भत्ते को बढ़ाना, सप्लाई श्रमिकों को विभागीय कार्मिक बनाना।

भारत में तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना

1432. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भारत में पाठ्यक्रम के विकास के लिए तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार करने और इसे उद्योगों की आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए 13.20 लाख डालर की एक परियोजना का अनुमोदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की संक्षेप में मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) तकनीकी शिक्षा पाठ्यचर्या विकास के लिए एक परियोजना के दूसरे चरण पर वित्त-मंत्रालय (आर्थिक-कार्य विभाग) और यू० एन० डी० पी०/ यूनेस्को के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना में दो वर्ष और 9 महीने की अवधि में 13, 16, 454 अमेरिकी डालरों की सहायता की व्यवस्था है। परियोजना का तत्काल उद्देश्य, मुख्य रूप से, भोपाल, कलकत्ता, चण्डीगढ़ और मद्रास स्थित चार तकनीकी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सामग्री और सूचना-संसाधनों के विकास, निर्माण और प्रचार के लिए क्षमताओं को स्थापित करके, देश में पालितेक्निक/तकनीकी शैक्षिक पद्धति की सहायता करना है। अनुमोदित परियोजना दस्तावेज की एक प्रति वित्त-मंत्रालय (आर्थिक-कार्य विभाग) द्वारा लोक सभा सचिवालय को भेज दी गई है और यह उनके पास अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

[हिन्दी]

महिलाओं का कल्याण और विकास

1433. **श्री के डी० सुलतान पुरी :** क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (क) देश में महिलाओं के कल्याण और विकास में लगे ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है ; और

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान महिलाओं के संगठनों को अनुदान के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

तेलगू-गंगा परियोजना

1434. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा तेलगू परियोजना कब प्रारम्भ की गई थी ;

(ख) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है ;

(घ) क्या यह सच है कि वित्तीय बाधाओं के कारण परियोजना की प्रगति धीमी हो गयी है ; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार परियोजना को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता देने की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने तेलुगु गंगा परियोजना का निष्पादन 1983-84 के दौरान शुरू किया था।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त परियोजना रिपोर्ट के अनुसार 637 करोड़ रुपए है।

(ग) राज्य सरकार के सातवीं योजना दस्तावेज के मसौदे के अनुसार मार्च 1985 तक 68.42 करोड़ रुपए है।

(घ) भारत सरकार को ऐसी किसी स्थिति की जानकारी नहीं है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली-जयपुर रेल लाइन को दोहरा बनाना

1435. श्री बनवारी लाल बैरवा :

श्री लाल राम केन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल गाड़ियों के आने-जाने में बिलम्ब से बचने के लिए दिल्ली में जयपुर तक की रेल लाइन को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) दिल्ली-जयपुर खण्ड पर गढ़ी हरसरू और खलीलपुर के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। इसका पूरा होना वर्षानुवर्ष धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस समय इस खण्ड पर रेवाड़ी से आगे जयपुर तक दोहरी लाइन बिछाने का अन्य कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा दोषपूर्ण जनरेटरों की आपूर्ति

1436. श्री सत्य गोपाल मिश्र :

श्री अजित कुमार साहा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा कुछ विद्युत परियोजनाओं को दोषपूर्ण टर्बोजनरेटरों की आपूर्ति करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

सिंचाई विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) "भेल" द्वारा सप्लाई किए गए 200/210 मेगावाट जनरेटरों में से कुछ में स्टेटर शीतलन प्रणाली में हाइड्रोजन संबंधी कठिनाई थी, जबकि 110 मेगावाट यूनिटों में से कुछ में जनरेटर की कोएल्स में खराबी थी।

(ख) "भेल" तथा उनके सहयोगियों द्वारा कठिनाइयों की जांच की गई है और दोषों को ठीक करने के लिए चरणबद्ध ढंग से कार्रवाई शुरू की गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में स्वीकृत रेल परियोजनाएं

1437. **श्री राम कुमार राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो वर्ष 1983 से अब तक मंजूर की गई हैं तथा जिनका निर्माण कार्य शुरू किया गया है ; और

(ख) इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में क्या वास्तविक प्रगति हुई है और इन पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में स्वीकृत और 1983 से निर्माण के लिए शुरू की गयी परियोजनाओं (1 करोड़ रुपये से अधिक की लागत) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	निर्माण-कार्य का नाम	प्रत्याशित लागत	निर्माण कार्य क्रम का वर्ष	31-3-85 तक खर्च	1985-86 के लिए परिव्यय	30-6-85 को वास्तविक प्रगति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
नयी लाइनें							
1.	मथुरा-अलवर	24.75	1983-84	1.16	1.32	5.4 प्रतिशत	अधिकांश भाग राजस्थान में।
2.	शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड के रास्ते गुना-इटावा	158.77	1985-86	—	0.01	—	थोड़ा सा भाग उत्तर प्रदेश में।
3.	गाढ़ी-मानकपुर के रास्ते रीवा-सुल्तापुर	200.00	1984-85	—	सांकेतिक	—	आंशिक रूप से मध्यम प्रदेश में। योजना आयोग द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी।
दोहरी लाइन बिछाना							
4.	मथुरा-पलवल खण्ड-तीसरी	10.75	1984-85	0.01	1.00	—	आंशिक रूप से

1	2	3	4	5	6	7	8
	लाइन की व्यवस्था (चरण-1)-भूमि का अधिग्रहण और सिगनल व्यवस्था में सुधार।						हरियाणा में)
	अन्य यातायात सुविधाएं						
5.	ऊंचाहार-ताप बिजली घर की स्थापना के सम्बन्ध में यातायात सुविधाओं का विकास (चरण-1)	1.14	1983-84	0.29	0.79	18 प्रतिशत	
	विद्युतीकरण परियोजनाएं						
6.	टूंडला-आगरा-बयाना खण्ड का विद्युतीकरण (106 कि॰ मी॰)	15.89	1985-86	—	0.031	कुछ नहीं	टूंडला औलेंडा खण्ड (66 कि॰ मी॰) उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
7.	कानपुर-मुगलसराय खण्ड के 4500 टन भार की गाड़ियां चलाने के लिए 6 अतिरिक्त कर्षण सब स्टेशनों की व्यवस्था	12.81	1985-86	—	0.20	—	
	सिगनल और दूर संचार						
8.	मथुरा जं॰-रूठ रिले अन्तर्पाशन की व्यवस्था करके पुराने सिगनल उपस्कर का बदलाव	2.47	1684-85	—	0.70	पी॰ वी॰ सी॰ केबुल, रिले आदि जैसे सामान के प्रापण के लिए कार्र-	

1	2	3	4	5	6	7	8
						वाई कर दी गयी है। ब्यौरे वार अनुमान को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।	
9. खानआलमपुरा-माल डिब्बा मरम्मत लाइन में सुधार और नेमी आवधिक ओवरहालिंग मरम्मत के लिए सुविधाओं की व्यवस्था		1·34	1985-86	—	0·01		
ऊपरी सड़क पुल							
10. मुरादाबाद	रेलवे रेलवे	8·67 0.81	1984-85	0·02	0·09	विस्तृत नक्शों और सड़क मार्ग के विशाखन की योजना बनायी जा रही है।	
11. बांदा	रेलवे राज	0.82 0.77	1984-85	0.15	0.01	राज्य सरकार से पहुंच मांगों के लिए विस्तृत नक्शे और अनुमानों के प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।	
12. गोंडा	रेलवे	0·83	1984-85	0·07	0.06	विस्तृत नक्शों और	

1	2	3	4	5	6	7	8
	राज	0 89				अनुमानों को अन्तिम रूप दे दिया गया है।	
13. मऊ जं०	रेलवे राज	1.014 1·014	1984-85	0 05	0·01	विस्तृत नक्शों और अनुमानों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।	
14· गाजियाबाद	रेलवे राज	0·67 1·68	1985-89	कुछ नहीं	0·01	1985-86 के निर्माण कार्यक्रम में इस कार्य को अभी शामिल किया गा है।	

[अनुवाद]

साहिबाबाद और केन्द्रीय टर्मिनल के बीच नियमित दिल्ली परिवहन निगम सेवा शुरू करना

1438. **श्री केशवराव पारधी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी में भीड़भाड़ करने की सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत साहिबाबाद, गाजियाबाद आदि को नए महानगर प्राधिकरण क्षेत्रों में, सामान्य किराए ढांचे के आधार पर, दिल्ली परिवहन निगम की नियमित बस सेवा चलाए जाने, जैसा कि नोएडा के मामले में किया गया है, क्या कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो साहिबाबाद से केन्द्रीय सचिवालय और इस के आस पास के दफतरों में बड़ी संख्या में आने वाले लोगों के लिए साहिबाबाद (आवासीय क्षेत्र) और केन्द्रीय टर्मिनल के बीच किस समय तक नियमित परिवहन सेवा शुरू कर दी जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

नौवहन और परिवार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस प्रकार के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा जो आवाह और निर्माण मंत्रालय के तहत कार्य करता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को अभी योजना और उसके तहत स्कीम तैयार करनी है। अन्तर्राज्यीय रूटों पर बस किराए संबंधत राज्य परिवहन प्राधिकरणों द्वारा तय किए जाते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपनगरीय क्षेत्रों में यात्री सेवाओं के लिए किराए, शहर की बस सेवाओं-सेवाओं में वसूल किए जा रहे किरायों के आधार पर निर्धारित नहीं किए जा सकते।

दादर सेन्ट्रल और चर्च गेट रेलवे स्टेशनों को रेल मार्ग से जोड़ना

1439. **श्री एस० जी घोलप** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे के दादर सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन से चर्च गेट रेलवे स्टेशन को रेल मार्ग से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रारम्भिक अवस्था पर कुष्ठ रोग के उपचार के कारण रोग मुक्ति के बारे में प्रचार

1440 **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुष्ठ रोग न तो संक्रामक है और न ही वंशानुगत है;

(क) क्या यह सच है कि यदि प्रारम्भिक अवस्था पर इस रोग का इलाज किया जाए तो इस रोग से मुक्ति मिल सकती है;

(ग) यदि हां, तो इस तथ्य का व्यापक प्रचार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) कुष्ठ एक संचारी रोग है। यह आनुवंशिक नहीं हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) राष्ट्री कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन स्वास्थ्य शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। वर्ष 1985-86 के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों के लिए 52.00 लाभ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में विस्तृत मार्ग निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन मार्ग-निर्देशों का आशय रेलवे स्टेशनों, पंचायत कार्यालयों स्कूलों, सामुदायिक हालों, स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप केन्द्रों आदि जैसे स्थानों पर फिल्म पोस्टर, बैनर्स होर्डिंग्स, फोटोग्राफ आदि का प्रदर्शन करके आम जनता को कुष्ठ के संबंध में स्वास्थ्य शिक्षा देना है। लोगों को कुष्ठ रोग और इसके उपचार के बारे जानकारी देने के लिए टेलीवीजन, रेडियो, समाचार पत्र, प्रदर्शनी, कैम्प, और सेमिनार, स्वास्थ्य मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुतली का नाच आदि जैसे आधुनिक दूरसंचार के माध्यमों को भी इस कार्य में लगाना है।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में लगे चिकित्सा तथा-चिकित्सा कार्मिक लोगों के घरों का दौरा करते समय उन्हें रोग का जल्दी पता लगाने के फायदे तथा नियमित उपचार से रोग ठीक हो जाने के बारे में बतलाते हैं।

इन उपायों के परिणाम स्वरूप पता लगाए गए, उपचार किए गए तथा उपचार के बाद डिस्चार्ज किए गए कुष्ठ रोगियों की संख्या हाल ही के वर्षों में बढ़ गई है।

[अनुवाद]

राज्यों में माडल स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव

1441. **श्री सी० माधव रेड्डी** :

श्री बनवारी लाल बेरवा :

श्री सोमनाथ रथ : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक जिले में माडल स्कूल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) ये माडल स्कूल केन्द्रीय सरकार के सीधे नियन्त्रण में होंगे अथवा सम्बद्ध राज्य सरकारों के नियन्त्रण में होंगे ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) से (ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान, देश के प्रत्येक जिले में एक माडल स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है।

शीर्षस्थ अनुसंधान वैज्ञानिकों का एक पूल तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना

1442. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न संकायों में शीर्षस्थ अनुसंधान वैज्ञानिकों या एक पूल तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) विज्ञान और मानविकी में उच्च कोटि का अनुसंधान प्रोन्नत करने और विश्वविद्यालयों के विभागों और केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसंधान वैज्ञानिकों का एक संवर्ग बनाने का निर्णय किया है। इस प्रयोजन के लिए आयोग ने विज्ञान और इंजीनियरी में 100 पदों तथा मानविकी तथा समाज विज्ञान में 100 पदों का सृजन करने का निर्णय किया है। योजना के अन्तर्गत प्रोफेसरों, रीडरों, लेक्चरारों के स्तर पर नियुक्तियां प्रत्येक वर्ग में 10 : 30 : 60 के अनुपात में की जाती हैं। अब तक आयोग ने विज्ञान विषयों में लेक्चरारों के ग्रेड में 28 तथा मानविकी तथा समाज विज्ञानों में 31 अनुसंधान वैज्ञानिक नियुक्त किए हैं। इनके अलावा विज्ञान विषयों में रीडरों के ग्रेड में 17 नियुक्तियां तथा मानविकी तथा समाज विज्ञान में 12 नियुक्तियां की गयी हैं। प्रोफेसरों के ग्रेड में अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है। ये नियुक्तियां ठेके के आधार पर की जाती हैं तथा चुने हुए वैज्ञानिकों को अनुसंधान कार्य के लिए उनकी पसन्द के विश्वविद्यालयों और कालेजों में भेज दिया जाता है।

वर्षा के कारण खराब हुई औषधियां

1443. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में वर्षा के कारण बम्बई में 40 लाख रुपए मूल्य की औषधियां खराब हो गयी थीं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निवारण उपाय न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उस समय, जब वर्षा का पानी गोदाम में घुसना प्रारम्भ हो गया था, तो कुछ औषधियों को बचाने का कोई प्रयास किया गया था ; और

(घ) लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गयी है, तो वह क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) भारी बाढ़ के कारण 23,41,226 रुपये की कीमत की दवाइयां क्षतिग्रस्त हो गयी थीं।

(ख) 1974 में जबकि इस शताब्दी की सबसे भारी वर्षा हुई थी। भायखला क्षेत्र में अभूतपूर्व बाढ़ आने के बावजूद भायकला अस्पताल के तहखाने में बाढ़ का पानी नहीं आया था। जून, 1985 के पहले पखवाड़े में भारी वर्षा होने पर भी भायकला चिकित्सा भण्डार में पानीं नहीं पहुंचा। इसलिए बाढ़ की रोकथाम के लिए कोई उपाय करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(ग) इस बार बाढ़ अचानक आ गयी थी इसलिए यह सम्भव नहीं हुआ क्योंकि दवाइयों को बचाने की कोशिश करने में हमारे कर्मचारी की संख्या को खतरा था। बाद में 1,47,403 रुपए कीमत की दवाईयां बचा ली गयी थीं।

(घ) अधिकारियों के एक दल ने इस मामले की जांच की है। उनकी मालूमात के अनुसार, नुकसान किसी कर्मचारी की किसी लापरवाही के कारण नहीं हुआ है।

दिल्ली की विद्युत आवश्यकता

1444. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए सातवीं योजना परिव्यय तथा अतिरिक्त राशि, यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है; तो क्या है?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) सातवी योजना में दिल्ली में प्रतिष्ठापित करने के लिए 315 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता अनुमोदित की गई है; है ?

(ख) सातवीं योजना को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है और इसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है। तथापि, 315 मेगावाट क्षमता प्रतिष्ठापित करने के जिए अपेक्षित अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है।

सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना

1445. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुवर्ण रेखा अन्तर-राज्य बहुउद्देशीय परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ;

(ख) उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र और उड़ीसा, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा कितनी-कितनी राशि खर्च की जाएगी ;

(ग) उक्त परियोजना के पूरा हो जाने पर उड़ीसा, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में कुल कितने हैक्टेयर भूमि सिंचाई के अन्तर्गत आ जाने की आशा है ; और

(घ) इस अन्तर-राज्य परियोजना को पूरा करने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ; है ; और

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) और (ख) सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनों परियोजना की कुल अनुमानित लागत 480.90 करोड़ रुपए हैं जिसमें बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल का हिस्सा क्रमश: 378.43 करोड़ रुपए 97.57 करोड़ रुपए तथा 4.85 करोड़ रुपए है। केन्द्र इस परियोजना की लागत का कोई हिस्सा वहन नहीं कर रहा है।

(ग) परियोजना के पूरा होने पर, उड़ीसा में 90,000 हैक्टेयर बिहार में 160,000 हैक्टेयर तथा पश्चिम बंगाल में 5,000 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाएगा।

(घ) इस परियोजना पर अब तक 85 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। चांदिल बांध तथा गलुदिह बराज पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। चांदिल बाम नहर, इचा दायां नहर गलुदिह लिंक नहर तथा खरकई बराज दायां नहर पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। खरकई बांध के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य उन्नत अवस्था में है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत शक्ति का उत्पादन

1446. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन उच्च ताप विद्युत स्टेशन का निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) छठी योजना के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा छठी योजना अवधि के अन्त तक वास्तव में कुल कितनी विद्युत पैदा की गई थी ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू): (क) से (ग) मध्य प्रदेश में स्थित कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र की 200-200 मेगावाट की 3 यूनिटें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा सामान्यत: निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चालू कर दी हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय ताप विद्युत

निगम ने छठी योजना के दौरान मध्य प्रदेश में 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य पूरा कर लिया है ।

[हिन्दी]

गांधी न नगर से भिंड तक नहर में पानी की कमी

1447. **श्री कम्मोदी लाल जाटव** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में गांधी नगर से भिंड और मुरैना जिलों तक बनाई गई नहर में उन जिलों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है ; और

(ख) क्या सरकार इन जिलों की सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से चंबल नदी के पानी को इस नहर में लाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कि मध्य प्रदेश में दायां तट चम्बल नहर के अन्तिम हिस्से को जल आपूर्ति का अपना पूरा भाग प्राप्त नहीं हो रहा है ।

(ख) मध्य प्रदेश ने जनवरी, 1980 में केन्द्रीय जल आयोग को एक स्कीम भेजी थी जिसमें भिंड़ जिले में सिंचाई सुविधा की अनुपूर्ति के लिए चम्बल नदी के जल को दायां तट चम्बल नदी के जल को दायां तट चम्बल नहर की एक शाखा में लिफ्ट किए जाने की परिकल्पना थी। केन्द्रीय जल आयोग ने मार्च 1980 में कुछ टिप्पणियां राज्य सरकार के पास उनके स्पष्टीकरण हेतु भेजी थीं । उक्त स्पष्टीकरणों की अभी प्रतीक्षा है ।

[अनुवाद]

हावड़-पंसकुरा तीसरी लाइन को खड़गपुर तक बढ़ाना

1448. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दक्षिण-पूर्व रेल के खड़गपुर-पंसुकुरा सैक्शन में भारी भीड़-भाड़ रहती है ;

(ख) क्या इस भीड़-भाड़ को कम करने हेतु हावड़ा पंसकुरा तीसरी लाइन को खड़गपुर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) 18·31 लाख रुपए की अनुमानित लागत से, पांसकुड़ा और खड़गपुर के बीच

तीसरी लाइन की व्यवस्था करने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद निर्माण के बारे में विनिश्चय किया जाएगा।

नागपुर रेलवे स्टेशन पर माल डिब्बे उपलब्ध कराना

1449. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नागपुर स्थित उद्योगों आदि को वहां पर रेलवे माल डिब्बे उपलब्ध न किए जाने के कारण काफी नुकसान हुआ है ;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि नागपुर रेलवे स्टेशन प्राधिकारियों के पास हजारों इंडेट लम्बित पड़े हैं ; और

(ग) नागपुर रेलवे स्टेशन पर बकाया इन्डेटों को निपटाने हेतु नागपुर स्टेशन पर पर्याप्त माल डिब्बे उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) (क) : जी हां।

(ख) और (ग) न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत कोयले के लदान के लिए भारी संख्या में मांग पत्रों के पंजीकरण के कारण मांग पत्र इकट्ठे हो गए थे। नागपुर में पर्याप्त संख्या में माल डिब्बों की सप्लाई की जा रही है और 20.7.1985 को माल डिब्बों के लिए केवल 21 मांग पत्र बकाया थे।

छठी योजना के दौरान पूरी की गई सिंचाई परियोजनाएं

1450. **श्री गिरिधर गामांगों**
श्री पी० पेंचलैय्या : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान राज्य वार कुल कितनी माध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गई ;

(ख) राज्य-वार कुल कितनी सिंचाई परियोजनाएं सातवीं योजना में पूरी होने के लिए बची रह गई ;

(ग) राज्यों द्वारा परियोजनाओं को पूरा करने में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त शेष परियोजनाओं को पूरा करने और सातवीं योजना में नई परियोजनाएं शामिल करने के लिए राज्यों को क्या सहायता प्रदान का गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री श्री (बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सूचना नीचे दी जा

रही है :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	छठी योजना के दौरान पूरी होने की संभावना		सातवीं योजना में आगे लाए जाने की संभावना	
		बृहत	मध्यम	बृहत	मध्यम
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	—	14	45
2.	असम	—	1	2	11
3.	बिहार	3	26	11	27
4.	गुजरात	4	12	11	82
5.	हरियाणा	2	3	9	2
6.	हिमाचल प्रदेश	—	2	—	1
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	1	16
8.	कर्नाटक	—	7	13	19
9.	केरल	—	—	10	5
10.	मध्य प्रदेश	6	27	20	40
11.	महाराष्ट्र	5	44	42	86
12.	मणिपुर	—	—	4	3
13.	उड़ीसा	2	7	5	25
14.	पंजाब	3	—	3	1
15.	राजस्थान	—	—	6	14
16.	तमिलनाडु	3	63	3	14
17.	त्रिपुरा	—	—	—	3
18.	उत्तर प्रदेश	6	6	23	21
19.	पश्चिम बंगाल	1	1	3	15
	जोड़ (राज्य)	36	159	180	429
	संघ राज्य क्षेत्र				
1.	दिल्ली	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6
2.	गोआ, दमन और दीव	—	—	1	2
3.	पांडिचेरी	—	—	—	1
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	—	—	1	4
	जोड़ (अखिल भारत)	36	159	181	433

(टिप्पणी सूचना वार्षिक योजना विचार-विमर्श 1985-85 पर आधारित)

(ग) और (घ) परियोजनाओं को पूरा होने में विलम्ब के मुख्य कारणों में संसाधनों की कमी, राज्य द्वारा बहुत सी परियोजनाएं हाथ में लेने से संसाधनों का थोड़ा-थोड़ा बंट जाना तथा भूमि अधिग्रहण की समस्याएं शामिल है। राज्यों को उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता में चुनिंदा परियोजना की केन्द्र स्तर पर मानीटरी करना, समय पर दुलर्भ सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना तथा बाह्य ऋणदाता अभिकरणों से क्रेडिट ऋण सहायता उपलब्ध करवाना आदि शामिल है। जो निर्माणाधीन परियोजनाएं निर्माण की उन्नत अवस्था में है उन्हें सातवीं योजना के दौरान उपलब्ध संसाधनों से पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे नई परियोजनाएं शुरू करने का कार्य बाढ़ प्रवण क्षेत्रों तथा आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रो में मध्यम परियोजनाओं तक और लघु सिंचाई स्कीमों तक सीमित रखें।

विश्वभारती विश्वविद्यालय की नई परियोजनाएं

1451. श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वभारती विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नई परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ग) उन्होंने वर्ष 1985-86 के लिए कितना धन मंजूर करने की मांग की है ; और

(घ) सातवीं योजनावधि के दौरान इन नई परियोजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग) जी हां। सातवीं योजना के प्रस्तावों को विस्तृत ब्यौरेवार रूप में तैयार करने तक, विश्वभारती ने वि० अ० आ० को 1985-86 के लिए अपनी आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया है। 1985-86 के दौरान नई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए निधियों की आवश्यकता 70.00 लाख रुपए है तथा छठी योजना में पहले से ही अनुमोदित योजनाओं के लिए 81.00 लाख रुपए है। ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(i) 1985-86 के दौरान शुरू की जाने वाली नई योजनाएं/परियोजनाएं

सामान्य विकास	राशि
(क) 1. भवन	12.15 लाख रुपए
2. उपस्कर	5.00 " "
3. अन्य	17.00 " "
	34.15 " "
(ख) हस्पताल	
1. भवन	3.00 लाख रुपए
2. उपस्कर	1.00 " "
3. अन्य	0.20 " "
	4.20 " "
(ग) स्कूल	
1. भवन	3.30 " "
(घ) परिसर विकास	
1. भवन	5.40 " "
2. अन्य	3.00 " "
	8.40 " "
(ङ) अन्य	
1. भवन	3.45 " "
2. पुस्तक और पत्रिकाएं	6.00 " "
3. उपस्कर	10.00 " "
4. अन्य	0.50 " "
	19.65 " "
कुल योग :	70.00 लाख रुपये

(ii) छठी योजना में अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियों की आवश्यकता 81.00 लाख रुपए।

(iii) उपरोक्त के अलावा, विश्व भारती नें छठी योजना अवधि के दौरान कुछ नई" योजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव किया है । वे निम्नलिखित है :—

(क) एक कला वीथी संग्रायय की स्थापना	111.00 लाख रुपए
(ख) जल आपूर्ति सुधार	5.00 लाख रुपए
(ग) इन्दिरा गांधी एकता केन्द्र की स्थाहना	328.00 लाख रुपए
	444 00 लाख रुपए

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1985-86 के लिए विश्व-भारती के लिए 1.50 करोड़ रुपए का अस्थायी आवंटन निर्धारित किया है ।

काकीनाड़ा तिरूमाला एक्सप्रेस को द्वार पुड़ी पर रोकना

1452. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या रेल मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें द्वारपुड़ी वस्त्र सौदागर संगटन से काकी नाड़ा-तिरूमाला एक्प्रेस को गोदावरी जिले के द्वारपुड़ी पर रोकने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का गाड़ी को उस जगह रोकने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(रेल मंत्री श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) द्वारापुड़ी में गाड़ियों के अतिरिक्त ठहराव के लिए कोई यातायात औचित्य नहीं है ;

जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में चल रही विद्युत परियोजनाओं का पूरा किया जाना

1453. **श्री जनकराज गुप्ता** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पन बिजली परियोजना निगत द्वारा जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्य में कितनी पन बिजली परियोजनाओं के संबंध में निर्माण कार्य शुरू किया गया है; और

(ख) इन परियोजनाओं को बिजली मी आपूर्ति के लिए कब तक पूरा किए जाने की संभावना ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री(श्री अरुण नेहरू): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा निर्माणधीन3 जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण दिए गए हैं ।

विवरण

जम्मू तथा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में रा० ज० वि० निगम द्वारा निर्माणाधीन तीन जल विद्युत स्कीमों के संबंध में ब्यौरे नीचे दिए हैं : —

परियोजना का नाम	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की निर्धारित तारीख
1. सलाल	जम्मू तथा कश्मीर	3X115	यूनिट-1 : जून., 1986
			यूनिट-2 : सित., 1986
			यूनिट-3 : दिस., 1986
2. दुलहस्ती	जम्मू तथा कश्मीर	3X130	यूनिट-1 : जुलाई., 1990
			यूनिट-2 : अक्तू., 1990
			यूनिट 3 : जनवरी, 1991
3. चमेरा	हिमाचल प्रदेश	3X180	यूनिट 1 : जनवरी, 1990
			यूनिट 2 : फरवरी, 1990
			यूनिट 3 : मार्च, 1990

पारादीप पत्तन को वर्ष 1984-85 के दौरान हुआ घाटा

1454. श्री के प्रधानी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पारादीप पत्तन को वर्ष 1984-85 में भारी घाटा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त पत्तन के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) अपरीक्षित वार्षिक लेखा के अनुसार परादीप पोर्ट ट्रस्ट को वर्ष 1984-85 में 1025·75 लाख रुपए का निबल घाटा हुआ है ।

(ख) घाटे के मुख्य कारण हैं :—

(1) अनुरक्षण निकर्षण पर भारी खर्च और

(2) अंतर्राष्ट्रीय मंडी में मंदी के कारण लौह अयस्क ट्रैफिक में गिरावट ।

(ग) दूसरे और तीसरे जनरल कारगो बर्थों के चालू होने के बाद पोर्ट को अधिक

कारगो जहाज मिलने शुरू हो गए हैं। उर्वरक बर्थ के पूरा होने के बाद पत्तन की वित्तीय स्थिति में सुधार होने की आशा है। इस वर्ष के अक्तूबर, 1985 तक चालू हो जाने की आशा है। पोर्ट ट्रस्ट ने आवश्यकतानुसार खर्च में कमी करने के उपाय भी किए हैं।

बड़े पत्तनों संबंधी प्रशासनिक सुधार मामलों की सिफारिशें

1455. **श्री बी० तुलसीराम :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री डी० डी० साठे की अध्यक्षता में बड़े पत्तनों संबंधी प्रशासनिक सुधार समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ;

(ग) सरकार ने कितनी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) उक्त सिफारिशों को कब तक लागू करने की आशा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

बांध सुरक्षा कानून

1456. **डा० जी० विजय रामा राव :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बांध सुरक्षा कानून की तत्काल आवश्यकता के बारे में उपभोक्ता संरक्षण संगठन से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बांध सुरक्षा प्राधिकरण का शीघ्र से शीघ्र गठन किया जाये ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) भारत सरकार को उपभोक्ता शिक्षा तथा अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद से बांधों तथा जलाशयों के पर्यवेक्षण के लिए एक बांध सुरक्षा प्राधिकरण बनाने के संबंध में कानून की आवश्यकता संबंधी एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

रेलों में समानान्तर पार्सल सेवा का संचालन

1457. **श्री मदन पाण्डे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि महत्वपूर्ण नगरों के बीच रेलों की पार्सल सेवा के समानान्तर एक और पार्सल सेवा गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रही है जिससे रेलों को वित्तीय घाटा हो रहा है तथा जिसके फलस्वरूप सरकारी तन्त्र में अविश्वास बढ़ता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस गैर-सरकारी व्यापार को रोकने के लिए रेल प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा अब तक पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में ग्राम विद्युतीकरण

1458. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में ग्राम विद्युतीकर योजनाओं के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ;

(ख) इस समय चल रही जो परियोजनाएं, 1984 के अन्त तक पूरी होनी चाहिए थी, उनकी संख्या क्या है ;

(ग) अगले दो वर्षों के लिए इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(घ) केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए, सातवीं योजना में शामिल करने हेतु राज्यों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 31 मार्च, 1980 तक बिहार राज्य बिजली बोर्ड के लिए कुल 249.03 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है तथा अब तक 163.00 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है ।

(ख) और (ग) बिहार में 701 ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। आगामी दो वर्षों के लिए कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(घ) बिहार की सातवीं योजना के प्रस्तावों में 282 करोड़ रुपये के ग्रामीण विद्युतीकरण के परिव्यय की संकल्पना की गई है, जिसमें 21 करोड़ रुपये राज्य के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, 134 करोड़ रुपये, ग्राम विद्युतीकरण निगम की वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत तथा 127 करोड़ रुपये संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल हैं। सातवीं योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

[अनुवाद]

लाइनर कान्फ्रेंसों के लिए आचार संहिता संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय

1459. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुनियादी ढांचे आदि का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि देश "लाइनर कान्फ्रेंसों" के लिए आचार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का पूरा लाभ उठा सकें ; और

(ख) क्या सरकार का माल भेजने वाले के आचार को विनियमित करने के लिए कोई विधान बनाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री (जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) लाइनर कंफ्रेंसों के लिए आचार संहिता संबंधी संयुक्त राष्ट्र समझौता (अंकटाड संहिता) में दोनों तिजारती देशों के बीच भाड़े और जुटाए गए ट्रैफिक की मात्रा में 40 प्रतिशत की सहभागिता की व्यवस्था है। वर्ष 1983-84 में जनरल कार्गो ट्रैफिक में भारतीय जहाजों का अंश 26.2 प्रतिशत था। भारतीय जहाजों द्वारा ढोए कार्गो का इच्छित 40 प्रतिशत का स्तर बनाए रखने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि जनरल कार्गो में देश का विदेश व्यापार का लगभग 50 प्रतिशत भाग सातवीं योजना के अन्त तक कंटेनरों में भेजे जाने योग्य हो जाएगा। तदनुसार देश चुनींदा पत्तनों पर कंटेनर हैंडलिंग उपकरणों को विकसित करने और देश के निर्यात और आयात सम्बन्धी व्यापार में कंटेनरीकृत ट्रैफिक लाने ले जाने के लिए भारतीय नौवहन निगम द्वारा पूरे सेलुलर कंटेनर जहाज खरीदने का विचार है।

(ख) अंकटाड संहिता को उचित कानूनी तरीके से क्रियान्वित किया जाना है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शिपरों के संगठनों, कन्फ्रेंसों, जहाज मालिकों की गतिविधियों को समन्वित करने और कदाचार तथा गैर कानूनी गतिविधियों की संभावनाओं पर अंकुश लगाने के नियम हैं। सरकार इस बारे में कानून बनाने पर विचार कर रही है।

एजेंटों को लाइसेंस

1460. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ एजेंटों को यात्रियों की ओर से टिकट खरीदने और आरक्षण कराने के लिये लाइसेंस दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश भर में ऐसे कितने एजेंट कार्यरत हैं ; और

(ग) एजेंटों को लाइसेंस देने की शर्तें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, ऐसे एजेंटों को लाइसेंस देने के लिए नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और अभी इन्हें अधिसूचित किया गया है।

सिंचाई क्षमता और उसका उपयोग

1461. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में वर्तमान सिंचाई क्षमता कितनी है और इसके उपयोग की सीमा क्या है ;

(ख) सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने की अवधि क्या है और इस अवधि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) ऐसा अनुमान है कि छठी योजना अवधि के अन्त तक लगभग 68 मिलियन हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की जाएगी जिसमें से लगभग 5 मिलियन हैक्टेयर के अनुपयुक्त होने की संभावना है।

(ख) निर्माणाधीन स्कीमें जो उन्नत अवस्था में हैं तथा जो सातवीं योजना अवधि के दौरान आंशिक अथवा पूर्ण लाभ देने में सक्षम हैं, को पर्याप्त निधियां प्रदान करने वास्ते राज्य सरकारों को मुख्य नीति के रूप में आग्रह किया गया है।

(ग) परियोजना के पूरा करने का समय हर परियोजना के लिए अलग-अलग होता है जो विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है। सामान्यता मध्यम तथा बृहद परियोजनाओं के क्रमश: 5-7 वर्ष तथा 10-15 वर्ष के बीच पूरा हो जाने की आशा की जाती है परन्तु वास्तव में, अधिकांश परियोजनाएं इससे कहीं अधिक समय लेती हैं। निर्माण अवधि को कम करने के लिए अन्य कदमों में से कुछ निम्नवत् हैं :

1. विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के लिए राज्यों को दिशा निर्देश जारी करना।
2. निर्माणाधीन परियोजनाओं के वास्ते पर्याप्त निधियां आवंटित करने के लिए राज्यों को सलाह देना ;
3. राज्य स्तर पर परियोजनाओं की मानीटरी तथा केन्द्रीय स्तर पर चुनिंदा परियोजनाओं को मानीटरी करना ; तथा
4. दुर्लभ सामग्री की समय पर आपूर्ति का प्रबन्ध करने में सहायता प्रदान करना।

रायदूर ताप विद्युत संयंत्र

1462. **श्री डी० के० नायकर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायदूर ताप विद्युत संयंत्र चालू होने के लिए तैयार है ;

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र बिजली का उत्पादन कब शुरू करेगा ;

(ग) क्या किसी कठिनाई के कारण उत्पादन में विलम्ब हो रहा है ; और

(घ) क्या इस संयंत्र से बिजली की वर्तमान सप्लाई काट उसे बेलगाम स्थित अल्यू-मीनियम फैक्टरी को देने का कोई प्रस्ताव है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) रायचूर ताप विद्युत संयंत्र चरण-एक (2x210 मेगावाट) पहला यूनिट तेल द्वारा प्रज्जवलित करके 29-3-1985 को समकालित किया गया था। कोयले द्वारा प्रज्जवलन की तैयारी के कार्य और स्टेटर शीत-लन प्रणाली में संशोधन के कारण यूनिट इस समय बन्द है। कोयले द्वारा प्रज्जवलित करके इस यूनिट को सितम्बर, 1985 के प्रथम सप्ताह से पुनः चालू कर दिया जाएगा। संयंत्र का दूसरा यूनिट इस समय निर्माणाधीन है और इसके चालू वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान चालू हो जाने की आशा है। विभिन्न सिविल कार्यों, विशेष रूप से मुख्य बिजली घर के पूरा होने में विलम्ब, टर्बो जेनरेटरों को उत्थापित करने और आग से क्षतिग्रस्त मदों को प्रति-स्थापित करने में धीमी प्रगति के कारण इस परियोजना को चालू करने में कुछ विलम्ब हुआ है।

(घ) रायचूर ताप विद्युत केन्द्र से उत्पादित विद्युत को राज्य विद्युत ग्रिड को दिया जाएगा विद्युत ग्रिड से राज्य अनेक उद्योगों को विद्युत सप्लाई करता है।

सुपर-ताप विद्युत केन्द्रों के लिए संप्रेषण लाइनों के निर्माण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमन्त्रित करना

1463. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में स्थापित किए जा रहे सुपर ताप विद्युत केन्द्रों के लिए संप्रेषण लाइनों के निर्माण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित करने का है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युत वितरण का कार्य शुरू करने में असाधारण देरी हुई ;

(ग) क्या उन्हें पता है कि उस समय बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो सकती है जब कि विद्युत संप्रेषण के लिए लाइनें नहीं होंगी ;

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान संप्रेषण लाइनें स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ङ) इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) (क) : जब कभी परियोजनाएं आई०

डी० ए० विश्व बैंक सहायता हेतु सम्बद्ध की जाती हैं सुपर ताप विद्युत केन्द्रों से सम्बद्ध पारेषण परियोजनाओं के लिए उपस्कर और सामग्रियां प्राप्त करने के लिए विश्व व्यापी निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं ।

(ख) और (ग) सुपर ताप विद्युत केन्द्रों से सम्बद्ध पारेषण प्रणालियों का निर्माण कार्य समय पर शुरू किया गया है और विद्युत ले जाने के लिए इन्हें चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जा रहा है ।

(घ) और (ङ) सुपर ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत ले जाने के लिए 1985-86 के दौरान 400 के० वी० की 1138 सर्किट किलोमीटर लाइनें चालू किए जाने का कार्यक्रम है । इन लाइनों का समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने की दृष्टि से इनके निर्माण में हुई प्रगति की समुचित मानीटरिंग की जा रही है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों का रख-रखाव

1464· **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की बसों की आम हालत और रख-रखाव काफी असंतोषजनक है क्योंकि बसों को शेड़ से बाहर लाते समय सामान्यतया उनकी सफाई नहीं की जाती सीटें साफ नहीं की जातीं, पकड़ने के डन्डे नहीं पाये जाते हैं और खिड़कियों के शीशे या तो गायब पाये जाते हैं अथवा टूटे या ढ़िले होते हैं जिससे काफी आवाज होती है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली परिवहन निगम की बसों को अच्छी हालत में रखे जाने के बारे में क्या कोई प्रस्ताव हैं, क्योंकि बसों की सर्विसिंग के लिए दिल्ली परिवहन निगम में शनिवार की छुट्टी रहती है ताकि प्रयोक्ताओं को साफ सुथरी सेवा उपलब्ध कराई जा सकें ; और

(ग) क्या दिल्ली परिवहन निगम का दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली निजी बसों के मालिकों को ये अनुदेश जारी करने का प्रस्ताव है कि वे अपनी बसें साफ-सुथरी एवं समस्त पूर्जे आदि सही हालत में रखें ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) दिल्ली परिवहन निगम की बसों का रख रखाव अनुरक्षण और हालत आम तौर पर सन्तोषप्रद रही है सम्बन्धित कर्मचारियों पर कड़ी नजर रखते हुए वाहनों को सही दिशा में बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जिससे यात्रियों को स्वच्छ सेवाएं प्रदान की जा सकें। झाड़ने और सफाई का काम रात्रि शिफ्ट में किया जाता है । बसों की सफाई की फ्रिक्वेंसी में सुधार लाने के लिए उच्च दबाव वाले पानी के "फव्वारे" किस्म की बस सफाई सिस्टम विकसित की गई है और इनको कुछ डिपुओं में लगाया गया है । टूटे फूटे/नयाब पूर्जो को सही करने/बदलने का काम नियमित रूप से किया जाता है रोधक अनुरक्षक कार्यक्रम की प्रक्रिया अपनाते हुए सुधारात्मक कार्रवाही की जाती है ।

(ख) सरकारी कार्यालयों में 5 दिन का सप्ताह शुरू करने और इसके परिणाम स्वरूप

समय सारणी को पुन: व्यवस्थित करने के अनुरक्षण कार्य फिर से समय निर्धारित करने में मदद करने के लिए शनिवार को डिपुओं में काफी बसें उपलब्ध रहती हैं। इससे शनिवार और रविवार को अधिक से अधिक बसों की मरम्मत करना सम्भव हो सकता है और कार्य दिवसों को सामान्य प्रचालन के लिए आधिक बसें उपलब्ध रहती हैं।

(ग) प्राइवेट आपरेटरों के साथ किए गए करार की शर्तों के अनुसार उनको अपनी बसें साफ सुथरी तथा अच्छी दशा में रखनी पड़ती हैं। किसी शर्त का उल्लंघन होने पर प्रचालक पर जुर्माना किया जा सकता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रेल उपक्रम

1465. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में कोई प्रमुख रेल उपक्रम नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश में कोई प्रमुख रेल उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है।

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) भाग (क) का उत्तर देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

हजीरा में एक पोत निर्माण यार्ड की स्थापना

1466. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सूरत के निकट हजीरा में एक पोत निर्माण यार्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सातवीं पंच वर्षीय योजना के लिए जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत विषय पर गठित कार्यदल ने भारत में नए जहाज मरम्मत यार्ड बनाने का प्रस्ताव किया है।

इसके लिए गुजरात में सूरत के निकट हजीरा को सम्भावित स्थल के रूप में सुझाया गया है।

(ख) अभी सातवीं योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

सातवीं योजना के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के निर्धारित लक्ष्य

1467. **श्री मुरली देवरा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि सातवीं योजना के दौरान देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : देश में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के लक्ष्य अलग-अलग निर्धारित नहीं किए जाते हैं ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश द्वारा अनुमोदन के लिए भेजी गई सिंचाई योजना

1468. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को अनुमोदन के लिए भेजी गई राज्य के सिंचाई और विद्युत विभाग की योजनाएं कौन-कौन सी हैं ;

(ख) उनमें से अनुमोदित योजनाओं की संख्या और अनुमोदन के लिए लम्बित योजनाओं की संख्या क्या है और ये कितनी अवधि से लम्बित हैं तथा राज्य को आगे स्पष्टीकरण हेतु वापिस भेजी गई योजनाओं की संख्या क्या है ; और

(ग) प्रत्येक योजना का नाम और केन्द्रीय सरकार द्वारा योजना प्राप्ति, अनुमोदन, अनुमोदन की तारीख और वह तारीख जिससे लम्बित है तथा वह तारीख जब योजना राज्य सरकार के आगे स्पष्टीकरण के लिए भेजी गई क्या-क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी 1983 से अब तक केन्द्रीय जल आयोग की तकनीकी जांच तथा योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए 11 बृहद तथा 4 मध्यम सिंचाई स्कीमें प्रस्तुत की हैं। इनमें से जोधाट नामक एक मध्यम स्कीम योजना आयोग द्वारा पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है । इन स्कीमों के नाम, प्राप्त होने की तारीख तथा स्कीमों की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

मध्य प्रदेश से जनवरी 1983 से अब तक प्राप्त सिंचाई स्कीमों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	स्कीमों का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	योजना आयोग द्वारा स्वीकृति की तारीख	और आगे स्पष्टीकरण हेतु राज्य सरकार को वापस करने की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
क.	**वृहद स्कीमें**				
1.	नर्मदा सागर परियोजना	2. 2. 83	—	—	तकनीकी सलाहकार समिति की 22.3.84 की बैठक में स्वीकृत किया गया था। पर्यावरण पहलु से स्वीकृति अपेक्षित है। नर्मदा सागर बांध की लागत में गुजरात की राज्य सरकार के हिस्से के सम्बन्ध में विशेष सहमति भी अपेक्षित है।
2.	बर्गी बहूप्रयोजनी परियोजना	1.6.83	—	2.1.84 से 31.11.84	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा संयन्त्र आयोजना, वित्त, जल प्रबंन्ध, मिट्टी बांध अभिकल्प तथा भूमिगत जल

1	2	3	4	5	6
					पहलू पर उत्तर/स्पष्टीकरण हेतु राज्य सरकार को टिप्पणियां भेजी गई थीं। यूनिट-दो, जल-विज्ञान, नहर अभिकल्प तथा सिंचाई पहलु की अनुमानित लागत आयोग के परीक्षणाधीन है। हाइडल सिविल अभिकल्प तथा द्वार अभिकल्प पहलू पर आयोग ने स्वीकृति दे दी है।
3.	पेंच व्यपर्तन परियोजना	18.10.83	—	30-6-03 से 30-3-85	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कंक्रीट बांध, सिंचाई, वित्त मिट्टी बांध, पर्यावरण तथा नहर अभिकल्प के सम्बन्ध में टिप्पणियां राज्य सरकार के उत्तर/स्पष्टीकरण हेतु भेजे गए थे।
		जल विज्ञान तथा लागत अनुमान पहलू आयोग के परीक्षणाधीन है। आयोग द्वारा अभिकल्प पहलू को स्वीकृति दे दी है।			
4.	महानदी जलाशय परियोजना	19-10-83	—	9-4-84	सिंचाई, जल-विज्ञान, बाढ़ नियंत्रण, द्वार अभिकल्प वित्तीय पहलु के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा राज्य सरकार को उत्तरों/स्पष्टीकरण हेतु टिप्पणियां भेज दी गई हैं। लागत अनुमान, नहर अभिकल्प, जल प्रबंध आयोग के परीक्षणाधीन हैं।
5.	कोलार परियोजना	21-11-83	—	28-3-84 से	जल विज्ञान संयंत्र आयोजना, वित्तीय, नहर अभिकल्प लागत अनुमान, भूमिगत जल, सिंचाई तथा द्वार अभिकल्प के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा राज्य

1	2	3	4	5	6
					सरकार को उत्तरी/स्पष्टीकरण हेतु टिप्पणियां भेज दी गई थी। फसल डिवी०जल प्रबंध पहलु आयोग के परीक्षणाधीन हैं। मिट्टी बांध अभिकल्प, कंक्रीट तथा पर्यावरणात्मक पहलु पर आयोग ने स्वीकृति दे दी है।
6.	बाण सागर यूनिट-दो नहर	21-12-83		21-6-84 से 22-9-84	लागत अनुमान, भूमिगत जल पहलु के संबं में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा राज्य सरकार को उत्तरों/स्पष्टीकरण हेतु टिप्पणियां भेज दी गई थीं। नहर अभिकल्प, जल-निकास, सिंचाई, वित्तीय पहलु आयोग के परीक्षणाधीन है। संयत्र आयोजना पहलु पर आयोग ने स्वीकृति दे दी है।
7.	औमकोरेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना	13-1-84		7-3-84 से	जल विद्युत सिविल अभिकल्प, पर्यावणर, वित्तीय, नींव अभिकल्प, मिट्टी बांध अभिकल्प, संयंत्र आयोजना, वित्तीय पहलू (विद्युत), पारेषण प्रणाली, सिंचाई और भूमिगत जल के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग ने राज्य सरकारों के उत्तरार्थ/स्पष्टीकरण हेतु टिप्पणियां भेजी थीं। कंक्रीट तथा चिनाई-बांध, जल विज्ञान नहर अभिकल्प, लागत आकलन, जल प्रबन्ध, फसल डिवीजन, राष्ट्रीय

1	2	3	4	5	6
					जल निकास सम्बन्धी पहलुओं पर आयोग में जांच की जा रही है । द्वार अभिकल्प सम्बन्धी पहलू को आयोग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है ।
8.	थानवार टैंक परियोजना	16-1-84	—	5-5-84 से 23-7-84	केन्द्रीय जल आयोग ने जल विज्ञान, सिंचाई और वित्तीय पहलुओं पर राज्य के उत्तरों/स्पष्टीकरणों के लिए राज्य को टिप्पणियां भेजी हैं । लागत अनुमान तथा जल प्रबन्ध संबंधों की आयोग में जांच चल रही है । मिट्टी बांध अभिकल्प, गेट अभिकल्प, नहर, जल-निकास तथा संयंत्र आयोजना पहलुओं को आयोग ने स्वीकृति द दी है ।
9.	वारगी व्यपवर्तन स्कीम	9-3-84	—	9-7-84 से	केन्द्रीय जल आयोग ने गेट अभिकल्प तथा समग्र आयोजना संबंधों पर राज्य के स्पष्टीकरण हेतु टिप्पणियां भेजी हैं । जल विज्ञान, नहर अभिकल्प, जल निकास, लागत अनुमान, सिंचाई, संयंयोजना, वित्तीय पहलू, जल प्रबन्ध आदि पर केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है ।
10.	घाह सिंचाई परियोजना	20-3-84	—	4-5-84 से 7-5-85	केन्द्रीय जल आयोग ने जल विज्ञान, पर्यावरण, मिट्टी बांध, सिंचाई नहर अभिकल्प, कंक्रीट एवं चिनाई बांध, भूमिगत जल सम्बन्धी पहलुओं पर राज्य के उत्तरों/स्पष्टीकरणों हेतु टिप्पणियां भेजी हैं । नींव अभिकल्प, वित्तीय पहलू, लागत अनुमानों,

1	2	3	4	5	6
					जल प्रबन्ध, क्राप डिवीजन पर आयोग में जांच की जा रही है। गेट अभिकल्प, संयंत्र आयोजना, समग्र आयोजना संबंधी पहलुओं को केन्द्रीय जल आयोग ने स्वीकृति दे दी है।
11.	चम्बल अयाकट विकास सोपान-दो	23-3-84	—	30-10-84 से 28-6-85	केन्द्रीय जल आयोग ने जल-निकास, भूमिगत जल, वित्तीय पहलू, नहर अभिकल्प तथा सिंचाई पहलुओं पर राज्य सरकार के उत्तरों/स्पष्टीकरण हेत टिप्पणियां भेजी है। लागत अनुमान, जल प्रबन्ध पहलुओं पर आयोग में जांच चल रही है।
ख.	मध्यम स्कीमें				
1.	बाकी टैंक परियोजना	5-7-83	—	17-7-85	तकनीकी सलाहकार समिति की टिप्पणी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वीयर की लम्बाई में परिवर्तन करने तथा नहर की लम्बाई कम करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरणों की अपेक्षा है।
2.	गोपाट लिफ्ट सिंचाई	30-7-83	—	—	राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त न होने के कारण इस परियोजना को 27-11-84 के पत्र सं० 5/231/83-टी० ई०/7224-28 के तहत् समाप्त कर दिया गया है।
3.	जोवाट सिंचाई परियोजना	22-11-83	2.1.85	—	योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है।
4.	सुतीयापुट सिंचाई परियोजना	4-7-85	—	—	केन्द्रीय जल आयोग में इस पर जांच चल रही है।

[अनुवाद]

गुना-कोटा रेल लाइन पर रेल-पटरी में सुधार

1469. **श्री जुझार सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा में ताप संयंत्र के स्थापित किये जाने के कारण गुना कोटा रेलवे लाइन पर माल यातायात में कई गुन विद्धि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस लाइन पर रेलवे साइडिंग सुविधायें में काफी दूरी है जिसका यात्री गाड़ियों के आवागमन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(ग) क्या सरकार रेल पटरी में सुधार करने और उसके द्वारा भविष्य में इस लाइन पर गाड़ियों की गति सुधारने का है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) जी नहीं

(ग) कोटा-गुना खंडा पर कोटा और बरान के बीच रेलपथ नवीकरण का प्रस्ताव है। 24·70 कि० मी० रेलपथ का नवीकरण पहले ही अनुमोदिद है और अन्य 9 किलोमीटर का नवीकरण भविष्य के कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो। उसके पश्चात इस टुकड़े पर रफ्तार में सुधार करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1985-86 के लिए विद्युत उत्पादन का लक्ष्य

1470. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के लिए विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) इस अवधि के दौरान स्थापित किये जाने वाले ताप विद्युत उत्पादन एककों पन बिजली एककों, गैस टरबाइन उत्पादन एककों और परमाणु विद्युत एककों, की प्रस्तावित संख्या क्या है ?

(ग) इनसे प्रत्येक विद्युत उत्पादन एककों से कुल कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकता है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) वर्ष 1985-86 के लिए विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 17 विलियन यूनिट निर्धारित किया गया है।

(ख) 1985-86 के दौरान 15 ताप विद्युत यूनिटें 28 जल विद्युत यूनिटें 7 गैस टर्बाइन यूनिटें और 1 न्यूक्लीय यूनिट चालू करने का कार्यक्रम है।

(ग) और (घ) इन यूनिटों की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 4459·5 मेगावाट होगी।

कहलगांव सुपर ताप बिजली परियोजना

1471. **श्रीमती मनोरमा सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कहलगांव सुपर ताप बिजली परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या इस परियोजना में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काम हो रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) कहल गांव सुपर ताप विद्युत परियोजना (4X210 मेगावाट) को सरकार ने हाल ही में अनुमोदित कर दिया है।

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विकलांगों के कल्याण संबंधी क्रियाकलापों के समन्वय के लिए अलग संस्थान

1472. **श्री जी० भूपति :** क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेत्रहीनों, बहरों और गूंगों तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों सहित विकलांगों के कल्याण संबधी क्रियाकलापों के समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई अलग संस्थान है ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक अलग निदेशालय बनाया है और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण की देखभाल के लिए कई सहकारी वित्त निगम की स्थापना की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा कदम उठाने का विचार है ;

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्री मती चन्द्रशेखर) : (क) समाज और महिला कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के कार्यकलापों का समन्वय करता है।

(ख) जहां तक आन्ध्र प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए अलग से निदेशालय स्थापित करने का सम्बन्ध है, सूचना एकत्रित की जा रही है। फिर भी, राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक वित्तीय निगम की स्थापना की है।

(ग) पैरा (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन जाने वाली जयन्ती जनता एक्सप्रेस में भोजन की किस्म को सुधारना

1473. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को कोचीन जाने वाली जयन्ती जनता एक्सप्रेस में घटिया किस्म का भोजन दिए जाने के बारे में कोई शिकायत मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी में भोजन की किस्म को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां। पिछले छः महीनों के दौरान घटिया किस्म के भोजन के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) बेहतर किस्म का भोजन सुनिश्चित करने के लिए सामग्री सूची में संशोधन किया गया है और भोजन की किस्म और सेवाओं पर निगरानी रखने के लिए लगातार जांच की जा रही है।

हड़ताली शिक्षकों की वेतन वृद्धि अवरुद्ध होना

1474. **श्री सुधीर राय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कालेजों के 400 चयन ग्रेड शिक्षकों की वेतन वृद्धि अवरुद्ध है हालांकि सरकार और हड़ताली शिक्षकों के बीच यह करार हुआ था कि जिन शिक्षकों की वेतन वृद्धि अवरुद्ध है, उन्हें हर तीसरे वर्ष वेतन वृद्धि दी जाएगी ;

(ख) क्या करार के इस भाग का पालन किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली के कालेजों में लगभग 224 चयन ग्रेड लेक्चरार 1984 या पहले अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच चुके थे। दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ से ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया था, जिसमें गतरोध को दूर करने के लिए वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाएगी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिसिनल एण्ड एरोमेटिक प्लान्ट्स द्वारा मलेरिया के उपचार के लिए एक नई जड़ी-बूटी उपलब्ध कराना

1475. **कुमारी पुष्पा देवी** :
श्री चिन्ता मोहन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिसिनल एण्ड एरोमेटिक प्लान्ट्स ने मलेरिया की रोकथाम के लिए एक नई जड़ी-बूटी उपलब्ध कराई है ;

(ख) यदि हां तो वह नई जड़ी-बूटी क्या है ;

(ग) मलेरिया उन्मूलन हेतु उस जड़ी-बूटी का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार देश में इसका विकास लिए जाने तक इसे देश में परीक्षणों तथा प्रयोग के लिए इसका बड़े पैमाने पर आयात करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वाराणसी में गंगा पर दूसरा सड़क पुल

1476. **श्री श्याम लाल यादव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाराणसी में गंगा पर दूसरा सड़क पुल कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(ख) पुल के निर्माण की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) पुल के निर्माण का काम अभी शुरू नहीं किया गया है। लेकिन इसका ठेका देने के लिए ठेकेदारों की सूची बनाने के काम आदि शुरू कर दिए गए हैं।

पशु उत्पादों की कमी

1477. **श्री आयनल अबेदिन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में पशु उत्पादों की कमी भी उसी की है जिस पर जनसंख्या में कुपोषण व्याप्त है जैसाकि चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरों द्वारा वर्ष से किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है और राज्य-वार जनसंख्या में किस सीमा तक कुपोषण व्याप्त है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सरकार को पशु उत्पादों में कमी के स्वरूप के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से एकत्र की गई सूचना में उत्पादन संबंधी पहलू शामिल नहीं है। परन्तु राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो द्वारा सदैव सर्वेक्षित 10 राज्यों में खपत के आंकड़ों से पता चलता है कि पशु उत्पादों का उपयोग आमतौर पर कम है और प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है।

(ख) राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो द्वारा सर्वेक्षित दस राज्यों में पशु-खाद्यों की खपत तथा लोगों में व्याप्त कुपोषण की स्थिति नीचे दी गई है :—

		कुपोषण की स्थिति	
राज्य	खपत (ग्राम)	मामूली प्रतिशत	गम्भीर कुपोषण प्रतिशत
केरल	39	35.3	4.8
तमिलनाडु	23	35.3	6.5
कर्नाटक	5	36.4	7.7
आंध्र प्रदेश	13	36.7	7.8
महाराष्ट्र	5	42.0	11.3
गुजरात	2	4?.0	9.4
मध्य प्रदेश	नगड्य	40.2	11.5
पश्चिम बंगाल	13	33.2	9.3
उत्तर प्रदेश	5	39.8	6.6
उड़ीसा	12	26.8	6.1

बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए अग्रिम कार्यवाही

1478. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसून मौसम में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए प्रति वर्ष अग्रिम कार्यवाही की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1984-85 के दौरान इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं ; और

(ग) इनको किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बाढ़ का मुकाबला करने/बाढ़ सहायता कार्यों के लिए प्रबंधों की पुनरीक्षा करने तथा भारी क्षति के प्रवण क्षेत्रों में तकलीफों को कम करने के लिए विशेष प्रयास करने के वास्ते पंजाब के राज्यपाल, विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा संघ शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों को अप्रैल, 1984 में अनुरोध किया गया था। बाढ़ सुरक्षा कार्यों के उचित परिरक्षण के लिए राज्यों को पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करने के लिए भी सलाह दी गई थी। केन्द्रीय सिंचाई मंत्री द्वारा भेजे गए सुझावों के उत्तर में गुजरात सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त वायरलेस सेटों को उपलब्ध करने के लिए सहायता के वास्ते भारत सरकार को अनुरोध किया था। वर्ष 1984 के दौरान सेट उपलब्ध नहीं हो सके

लेकिन वर्ष 1985 के दौरान उपलब्ध ब्यौरे दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग के वर्तमान नेटवर्क के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अस्थायी वायरलेस स्टेशन स्थापित करने का अनुरोध किया था किन्तु केन्द्रीय जल आयोग के पास अतिरिक्त उपस्कर न होने के कारण इसका प्रवन्ध नहीं किया जा सका। अन्य राज्यों द्वारा 1984-85 में अपेक्षित प्रबन्धों के लिए कोई अन्य कठिनाईयों के बारे में नहीं बताया गया था।

रेल पटरियों के जोड़ों की थर्मिट वेल्डिंग

1479. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल पटरियों के जोड़ों की थर्मिट वेल्डिंग न केवल महंगी घटिया भी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विधि को काम में लाए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : (क) जी हां।

(ख) सीटू में पटरियों के जोड़ों की झलाई थर्मिट प्रक्रिया द्वारा की जाती है। इसके अलावा, आवश्यकता की तुलना में फ्लैश बट झलाई क्षमता की कुछ कमी है।

फरक्का बांध निर्माण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट

1480. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का बांध निर्माण बोर्ड ने बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य (डिजायन व अनुसंधान) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल गठन किया है ;

(ख) कमी उक्त विशेषज्ञ दल ने बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ग) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) उक्त रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) उक्त रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) फरक्का बराज नियंत्रण बोर्ड ने 26-6-1985 को निदेश दिया था कि केन्द्रीय जल आयोग में सदस्य (अभिकल्प तथा अनुसंधान) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल को नौवहन लॉक द्वारों के प्रतिप्रवाह में तथा पोषक नहर पर 29.50 आर० डी० पर पुल के शेष कार्यों की वर्तमान स्थिति की पुनरीक्षा करनी चाहिए तथा उन कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। विशेषज्ञ दल ने प्रतिप्रवाह नौवहन लॉक के संबंध 12-7-85 को तथा पुल के सम्बन्ध में 22-7-1985 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

विशेषज्ञ दल का यह विचार था कि नौवहन लॉक के शेष कार्यों को सितम्बर, 1985 तक पूरा किया जाना व्यवहार्य है। आर० डी० 29.50 पर पुल के सम्बन्ध में विशेषज्ञ दल ने कहा कि इसे दिसम्बर, 1986 तक पूरा किया जा सकता है। यह रिपोर्ट फरक्का बराज नियंत्रण बोर्ड की स्थायी समिति के समक्ष अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

सरकारी अस्पतालों में नर्सों और रोगियों का अनुपात

1481. श्री मूल चन्द डागा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में नियमानुसार नर्सों और रोगियों के बीच अपेक्षित अनुपात क्या है और उनकी उपलब्ध वास्तविक अनुपात क्या है ;

(ख) क्या देश से केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में नर्सों की कमी है ; और

(ग) नये कर्मचारियों रखने से अस्पतालों में सेवाओं तथा चिकित्सा पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की सिफारिशों के अनुसार नर्स-पलंग अनुपात शिक्षण अस्पतालों के लिए 1 : 3 और गैर-शिक्षण अस्पतालों के लिए 1 : 3 है। केन्द्रीय सरकार के तीन अस्पतालों में नर्स-पलंग अनुपात इस प्रकार हैं :—

1.	सदफदरंजग अस्पताल, नई दिल्ली	1 : 3
2.	श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली	1 : 3·7
3.	डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली।	1 : 4

(ख) जी, हां।

(ग) नए स्टाफ के आने पर अस्पतालों की सेवाएं और उपचार सामान्यतया प्रभावित नहीं होता क्योंकि नर्सिंग स्कूलों में एक सामान्य पाठ्यक्रम अपनाया जाता है। नए भर्ती किए गए व्यक्तियों को जनरल नर्सिंग में लगाया जाता है और धीरे-धीरे जब उन्हें सी० सी० यू० रिकवरी रूम बर्नवार्ड आदि जैसे संवेदनशील विभागों में तैनात किया जाता है तब उन्हें अनुभवी उपचर्या-कार्मिकों के अधीन काम का अनुभव कराया जाता है।

पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं की अवधारणा में संशोधन

1482. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचित किए जाने वाले इलाके के सम्बन्ध में बड़ी, मध्यम

तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं की अवधारण में इन परियोजनाओं की लागत में कोई संशोधन करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां तो इन तीनों प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं में से प्रत्येक में किस-किस प्रकार का और कितना-कितना संशोधन करने की स्वीकृति दी गई है ; और

(ग) क्या ऐसे क्षेत्रों में भूमि की अल्प उपलब्धता को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इलाके के आकार को घटाने संबंधी किसी संशोधन को स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) :(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, तथा प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्रीय केन्द्र

1483. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान काफी संख्या में क्षेत्रीय केन्द्र खोलने की योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्र कब तक खोले जाने की सम्भावना है और इस प्रयोजन हेतु कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सातवीं योजना के प्रस्तावों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के अधीन दो और क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों को खोलने की परिकल्पना है ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने के बाद निर्णय लिया जाएगा ।

सतलुज नदी और अलीखड़ की परियोजनाओं पर आने वाली लागत का बंटवारा

1484. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और भाखड़ा व्यास प्रबन्ध मण्डल ने मंडी जिले में देहाट में सतलुज नदी पर और बिलासपुर में अलीखंड पर परियोजनाओं जिसकी आवश्यकता भाखड़ा बांध के निर्माण के फलस्वरूप गोविंद सागर झील बनाए जाने पर हुई, की लागत के बंटवारे के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर कोई निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया और प्रत्येक मामले में संघ सरकार और भाखड़ा व्यास मण्डल द्वारा लागत का बंटवारा किस सीमा तक किया जाएगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) भारत सरकार (परिवहन मन्त्रालय) द्वारा स्थापित अन्तर्विभागीय ग्रुप द्वारा अनुशासित प्रतिस्थापित/वैकल्पिक

पुलें, भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड के खर्च पर जलाशयों वाले क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बनाई जा चुकी हैं, भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड के अन्य साझेदार राज्य किसी भी नए पुल पर आने वाली लागत को वहन करने के लिए सहमत नहीं हैं। विद्युत विभाग द्वारा भी इन पुलों के निर्माण के लिए कोई विशेष निधि उपलब्ध कराने की सम्भावना नहीं है।

पश्चिम बंगाल को नमक परिवहन के लिए रेकों की आवश्यकता

1485. **श्री पूर्णचन्द मलिक :**
श्री रेणुपद दास :
श्री आनन्द पाठक : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तूतीकोरिन अथवा सौराष्ट्र से नमक ढोने के पश्चिम बंगाल को प्रतिमाह कुल कितने रेकों की आवश्यकता है;

(ख) पिछले 18 महीनों के दौरान जून, 1985 तक पश्चिम बंगाल को प्रतिमाह कुल कितने रेकों का नियतन किया गया है ;

(ग) क्या रेकों की आवश्यकता और नियतन में कोई अन्तर है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : (क) भारत सरकार के नमक आयुक्त द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार पश्चिम बंगाल के लिए प्रतिवर्ष 3.62 लाख मीटरिक टन नमक की जरूरत है, जिसमें से 2.18 लाख मीटरिक टन तटीय नौवहन द्वारा तथा 1.44 लाख मीटरिक टन या 6.5 रेक प्रतिमाह रेल द्वारा भेजने के लिए निर्धारित है ;

(ख) पिछले 18 महीनों के दौरान अर्थात जनवरी, से जून 85 तक रेल द्वारा लगभग 5.23 लाख मीटरिक टन, अर्थात औसतन 15.5 प्रति माह नमक का संचलन किया गया था।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दुर्गापुर परियोजना के 5वें ताप बिजलीघर का पुनरुद्धार

1486. **श्री पूर्णचन्द मलिक :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड ने 75 मेगावाट क्षमता वाले 5वें ताप बिजली घर के पुनरुद्धार की लागत की पूर्ति के लिए जापानी सहायता हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की मदद मांगी थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की मदद कब मांगी थी ;

(ग) क्या सरकार ने मदद के लिए उसके अनुरोध को माना है ;

(घ) यदि हां, तो कब और इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ङ) जापान से आयातित उपस्कर का नवीकरण करने के लिए दुर्गापुर परियोजना लि० ने 28-3-1985 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से सहायता मांगी थी। 20 मेगावाट और उससे अधिक की क्षमता वाली देश में प्रतिष्ठापित मूलतः जापान की 9 यूनिटों की मरम्मत करने के लिए जापान की सहायता की समेकित आवश्यकता का निर्धारण करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण संबंधित आंकड़े प्राप्त कर रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड

1487. **श्री बाजू बन रियान** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड की 12 जून, 1985 को ईटानगर में कोई बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में विभिन्न राज्यों द्वारा क्या सुझाव दिए गए थे ;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) विभिन्न राज्यों द्वारा दिए गए उन सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा कौन-कौन से से कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ रखे गए महत्वपूर्ण सुझावों में ये शामिल हैं (1) केन्द्रीय सरकार को पूर्ण वित्त व्यवस्था में एक स्थायी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र स्थापित करना जिसमें राज्य भार प्रेषण केन्द्र भी शामिल होंगे, (2) केन्द्रीय परियोजनाओं से विभिन्न राज्यों के हिस्सों का औपचारिक आबंटन करना, (3) उद्योगों की स्थापना करके और सिंचाई एवं ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमें तैयार करके क्षेत्र में भार का विकास करना, (4) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का उदार पूर्वक वित्त पोषण किया जाना और ग्राम विद्युतीकरण निगम के ऋणों को अनुदानों में बदलना, (5) क्षेत्र में अगामी विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलन का आयोजन करना, (6) और अन्तर्राज्यीय लाइनों का निर्माण कार्य करना आदि।

(ग) और (घ) बैठक के कार्यवृत्त को, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय बोर्ड ; शिलांग से प्रतिक्षा है और विभिन्न सिफारिशों का अध्ययन करने के पश्चात ही सरकार की प्रतिक्रिया का पता लगेगा।

खोई रासोल में विद्युत संयंत्र के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का प्रस्ताव

1488. **श्री गदाधर साहा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने लगभग एक वर्ष पहले राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा बनाये जा रहे विद्युत संयंत्र को अजय बांध से पर्याप्त जल की सप्लाई के लिए एक प्रस्ताव स्वीकृत किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) बीरभूम में खोई रासोल के निकट विद्युत संयंत्र स्थापित करने के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रस्ताव के बारे में क्या प्रगति हुई ;

(घ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा यह परियोजना अब शुरू की जाएगी ;

(ङ) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (च) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने 1982 में एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में केन्द्रीय क्षेत्र में 840 मेगावाट के एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना की संभावना व्यक्त की गई थी। यह परिकल्पना की गई थी कि परियोजना की पानी की अवश्यकता को अजाय नदी और पश्चिम बंगाल सरकार की संबद्ध स्टोरेज जलाशय स्कीम से पूरा किया जा सकता है। तथापि, अप्रैल, 198 में पश्चिम बंगाल सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रस्ताव की अपेक्षा राज्य क्षेत्र में बीरभूम जिले में बक्रेश्वर में 3X210 मेगावाट का ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया। भारत सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अपने प्रस्ताव पर जोर नहीं दे रहा है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों का पटना में किराए के भवनों में कार्य करना

1489. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के इलाज हेतु पटना में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्यरत है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि चूंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का स्वयं में कोई भवन नहीं है अतः उनका मुख्यालय और औषधालय किराये के भवनों में काम करते हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन भवनों के लिए किराए के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है ;

(घ) क्या सरकार का विचार मुख्यालय और औषधालयों के लिए अपना स्वयं के भवनों का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार द्वारा इन भवनों के किराए पर प्रतिमाह 17.352/रुपये का भुगतान किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) धन की कमी के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय और औषधालय भवनों का निर्माण सम्भव नहीं हो सका है।

[अनुवाद]

शिक्षा पर होने वाले प्रति व्यक्ति खर्च में कमी

1490. **श्री अनिल बसु** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा पर होने वाले प्रति व्यक्ति खर्च में अनेक वर्षों से निरन्तर कमी आयी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान शिक्षा पर वर्षवार प्रति व्यक्ति कितना खर्च हुआ और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इसमें कुछ वर्षों से प्रति व्यक्ति व्यय में निरन्तर कमी होने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) मंत्रालय में उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के लिए स्थिर कीमतों पर शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय (केन्द्रों और राज्यों) के लिए (1960 = 100 आधार) अनुमान निम्नलिखित रूप से लगाये गये हैं :—

1981-82	14.1 रुपये
1982-83	16.5 रुपये
1983-84	16.6 रुपये

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं योजना के दौरान मलेरिया उन्मूलन के लिए उड़ीसा द्वारा मांगी केन्द्रीय सहायता

1491. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मलेरिया उन्मूलन के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है ;

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ धनराशि स्वीकृत की गई थी और यदि हां, तो कितनी और किस-किस प्रकार से इसका उपयोग किया गया था ; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय और चिकित्सा सम्बन्धी सहायता का ब्योरा क्या है ;

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को श्रेणी-2 केन्द्रीय प्रायोजित प्लान योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस पर होने वाला खर्च केन्द्रीय सहायता के स्वीकृत पैटर्न के अनुसार आधा केन्द्र द्वारा और आधा संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। सातवीं पंच वर्षीय योजना के लिए प्लान परिव्यय को अभी तक अन्तिक रूप नहीं दिया गया है परन्तु वर्ष 1985-86 के दौरान स्वीकृत पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सरकार के 50 प्रतिमास हिस्से की केन्द्रीय सहायता जारी रहेगी। छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए अपने 50 प्रतिशत हिस्से में जो केन्द्रीय सहायता दी वह इस प्रकार है :—

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)	— 1320.97 लाख रुपये
राष्ट्रीय मलेकिया उन्मूलन कार्यक्रम (नगरीय)	— 17.18 लाख रुपये
योग :	1338.15 लाख रुपये

छठी योजना-अवधि के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

1492. **श्री चिन्ता मणि जेना :**

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या शिक्षा मन्त्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान अशिक्षित व्यक्तियों की आबादी को शामिल करने के बारे में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) योजना अवधि के दौरान इस कार्यक्रम में शामिल किए गए कुल अशिक्षित व्यक्तियों की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) छठी योजना के दस्तावेज में 1990 तक 15-35 वर्ष के आयु वर्ग में निरक्षरता के उन्मूलन पर परिकल्पना की गई है। छठी योजना अवधि के दौरान विशेष लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया गया था।

(ख) वर्ष 1981 में 15-35 आयु वर्ग के लिए कुल अनुमानित निरक्षरों की संख्या (110 मिलियन) की तुलना में छठी योजना अवधि में (15-35 आयुवर्ग) शामिल किए गए कुल निरक्षर व्यक्तियों की प्रतिशतता 16.7 प्रतिशत है ।

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

भागीरथी द्वारा भूमि कटाव पर प्रीतम सिंह समिति की सिफारिशें

1493. **श्री सैयद मसुदल हुसैन** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भागीरथी द्वारा भूमि कटाव पर प्रीतम सिंह समिति की सिफारिशों की क्या स्थिती है ;

(ख) क्या सरकार इन्हें अभी क्रियान्वित करना चाहती है ;

(ग) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित प्रीतम सिंह समिति (गंगा नदी कटाव समिति) ने फरक्का बराज के अनुप्रवाह तथा प्रतिप्रवाह दोनों में गंगा के दाएं तथा बाएं तटों के लिए विभिन्न कटावरोधी उपायों की सिफारिश की है । फरक्का परियोजना संगठन ने गंगा के किनारे ऐसे तट सुरक्षा निर्माण कार्य पहले ही निष्पादित कर दिए गए हैं क्योंकि ये कार्य परियोजना से कम्पलेक्स सुरक्षा के लिए तत्काल किए जाने आवश्यक थे । परियोजना से जुड़े हुए क्षेत्र के लिए और कटावरोधी उपायों संबंधी एक स्कीम भी परियोजना प्राधिकारियों ने तैयार की है और इसे सातवीं योजना में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है । गंगा की शेष पहुंचों के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ कटावरोधी स्कीमें तैयार की हैं तथा इन्हें सोपानबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है ।

फरक्का बांध निर्माण बोर्ड की बैठक

1494. **श्री सैयद मसुदल हुसैन** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध निर्माण बोर्ड की 38वीं बैठक जून, 1985 में नई दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन-किन योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर चर्चा की गई थी ; और

(ग) उस बैठक में किए गए सुझावों/प्रस्तावों पर अभी तक क्या प्रगति हुई थी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) फरक्का बराज नियन्त्रण बोर्ड ने फरक्का बराज परियोजना के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति तथा शेष कार्यों को पूरा करने के कार्यक्रम की पुनरीक्षा की थी।

(ग) बोर्ड निर्णय किया है कि केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य (डी० एण्ड आर) के नेतृत्व में एक विशेष दल निर्माण स्थल का दौरा करे और प्रतिप्रवाह नौचालन लॉक तथा पोषण नहर पर आर० डी० 2 · ·50 पर पुल के लिए पूरे किए जाने वाले शेष कार्यों की पुनरीक्षा करे तथा उनको तेजी से पूरा करने के लिए सिफारिश करे। विशेष दल ने इन कार्यों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुषंगी स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पताल खोलने का मानदंड

1495· **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आबादी वाले किसी क्षेत्र में प्राथमिक केन्द्र, अनुषंगी स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पताल खोलने के मानदंड क्या हैं ;

(ख) भारत में छठी योजना के अन्त तक कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पताल होंगे और भारत की जनसंख्या के एक डाक्टर औसतन कितने रोगियों को देखता है ; और

(ग) सातवीं योजना में अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मन्त्रालय का क्या प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 30 पलंगों वाले ग्रामीण अस्पताल खोलना राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है। प्रत्येक 30,000 की आबादी (आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में 20,000 की आबादी) के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सहायक केन्द्र तथा प्रत्येक एक लाख की आबादी के लिए 30-30 पलंगों वाला एक ग्रामीण अस्पताल (सामुदाय केन्द्र) खोला जा रहा है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-4-1985 को देश में 7250* प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 30पलंगों वाले 613* ग्रामीण अस्पताल कार्य कर रहे थे। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में डाक्टरों की संख्या तथा उनके द्वारा कवर की जाने वाली औसत आबादी का संलग्न वितरण में दिया गया है।

(ग) सातवीं योजना पर हुई चर्चा के दौरान 12377* अरितक्ति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 30 पलंगों 1553* ग्रामीण अस्पताल खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

---

*आंकड़े अनन्तिम।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में डाक्टरों की संख्या तथा उनके द्वारा कवर की होने वाली औसत आबादी-1983 कार्यरत डाटर

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सरकारी ऐजेन्सी	गैर सरकारी ऐजेन्सी		कुल डा० आबादी अनुपात	यह सूचना किस अवधि की है।
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	4789	+	4289	1 : 13151	31-12-83
2.	असम	1518	+	1518	1 : 11879	1-1-79
3.	बिहार	—	—	13438 x	1 : 4746	1-1-78
4.	गुजरात	2057	4415	6472	1 : 5592	31-12-83
5.	हरियाणा	1044	3756	4800	1 : 2862	30-6-83
6.	हिमाचल प्रदेश	535	+	535	1 : 7514	1-1-79
7.	जम्मू और कश्मीर	800	+	800	1 : 6996	1-1-79
8.	कर्नाटक	—		22462x	1 : 1753	31-12-83
9.	केरल	3959	+	3959	1 : 6735	31-12-83
10.	मध्य प्रदेश	+	+	13125	1 : 4206	30-6-83
11.	महाराष्ट्र			34103x	1 : 1945	31-12-83
12.	मणिपुर	216	12	528	1 : 2884	31-12-83
13.	मेघालय	216	+	226	1 : 6363	31-12-83

1	2	3	4	5	6	7
14.	नागालैण्ड	177	30	207	1 : 4072	31-12-83
15.	उड़ीसा	2682	+	2682	1 : 9377	1-1-78
16.	पंजाब	3286	+	3286	1 : 5389	31-12-83
17.	राजस्थान	3236	+	3236	1 : 11334	31-12-83
18.	सिक्किम	75	3	78	1 : 3115	17-1-79
19.	तमिलनाडु	6463	+	6463	1 : 7677	31-12-82
20.	त्रिपुरा	446	+	446	1 : 4908	31-12-8[illegible]
21.	उत्तर प्रदेश	7243	+	7243	1 : 15880	31-12-82
22.	पश्चिम बंगाल	+	+	26367	1 : 2 81	31-12-83
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	65	+	65	1 : 3231	31-12-83
24.	अरुणाचल प्रदेश	221	+	221	1 : 2841	31-12-81
25.	चण्डीगढ़	344	+	344	1 : 1152	31-12-83
26.	दादार और नगर हवेली	18	5	23	1 : 5000	31-12-83
27.	दिल्ली	+	+	+		
28.	गोवा दमन और द्वीप समूह	528	707	1235	1 : 935	31-12-83
29.	लक्षद्वीप	19	1	20	1 : 2150	31-12-83
30.	मिजोरम	97	9	100	1 : 4981	31-12-83
30.	पाण्डिचेरी	519	+	519	1 : 1229	31-12-83

नोट : +पंजीकृत डाक्टरों की संख्या उपलब्ध नहीं।
अधूरे आंकड़ों के कारण अनुपात (अखिल भारत) नहीं निकाला गया है।

कैंसर अनुसंधान केन्द्र और अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए अमरीका और ब्रिटेन के साथ संयुक्त प्रयास

1496. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कैंसर अनुसंधान केन्द्रों तथा इसी प्रकार के अन्य संगठनों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या अमरीका और ब्रिटेन के साथ अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए कोई संयुक्त प्रयास करने का विचार है, जहां कैंसर पर आधुनिक अनुसंधान किए जा रहे हैं ;

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) देश में मुख्य कैंसर अनुसंधान और उपचार के निम्नलिखित दस क्षेत्रीय केन्द्र हैं :—

1. टाटा मेमोरियल सेंटर, बम्बई
2. गुजरात कैंसर एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद
3. किदवई मेमोरियल आनकोलजी संस्थान, बंगलौर
4. चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता।
5. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, एम० बी० मेडीकल कालेज, कट्टक।
7. कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर
8. कैंसर संस्थान, अड्यार, मद्रास।
9. इन्स्टीट्यूट. रोटरी कैंसर अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली।
10. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, मेडिकल कालेज कैम्पस, त्रिवेन्द्रम

क्रम संख्या 2-9 में उल्लिखत केन्द्र कैंसर अनुसंधान एवं उपचार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं जबकि क्रम संख्या एक में उल्लिखत संस्थान परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत है।

उपर्युक्त 10 संस्थान के अलावा देश में 142 अस्पताल/मेडिकल कालेज हैं जहां कैंसर उपचार की सुविधाएं कैंसर अनुसंधान का कार्य भी कर रही हैं। इन संस्थाओं का एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारत-अमरीका के सहयोग से पहले से ही कुछ कैंसर अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं। जहां तक भावी कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, 8 से 10 अप्रैल 1985 को नई दिल्ली विज्ञान और प्रोद्योगिकी सम्बन्धी भारत-अमरीमा सहयोगी अनुसंधान के लिए जो क्षेत्र चुने गए हैं उनमें "कैंसर" भी एक क्षेत्र है बशर्ते कि भारत सरकार इसका अनुमोदन करे।

2. कैंसर अनुसंधान के बारे में इस समय भारत यू० के बीच कोई कारण नहीं है।

वैसे समुद्रपार विकास एजेन्सी लंदन द्वारा धन की व्यस्था करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा भेजे गए प्रत्येक प्रस्ताव की भारत की ओर से आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद/स्वास्थ्य मंत्रालय तथा यू० के० की ओर से ब्रिटिस काउंन्सिल द्वारा जांच की जाती है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश

1. मेहदी नवज जंग, कैंसर अस्पताल हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
2. एम० जी० एम० अस्पताल, वारंगल, आंध्र प्रदेश
3. केन्द्रीय सरकार अस्पताल काकीनाड़ा, आन्ध्र प्रदेश
4. सामान्य सरकारी अस्पताल, गुन्तुर, आन्ध्र प्रदेश
5. सामान्य सरकारी अस्पताल, आंध्र प्रदेश
6. एस० वी० के० आर० अस्पताल, तिरुपति, आंध्र प्रदेश
7. किंग जार्ज अस्पताल, विशाखापटनम आ० प्र०
8. गांटी अस्पताल, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश

असम

9. असम मेडिकल कालेज, अस्पताल, डिबरू गढ़ आसाम
10. गौहाटी मेडिकल कालेज और अस्पताल, गौहाटी
11. डा० बी० बी० कैंसर इन्स्टीच्यूट गौहाटी

बिहार

12. मेडिकल कालेज अस्पताल पटना
13 मेडिकल कालेज और अस्पताल, दरभंगा
14. मेहरबाई टाट मेमोरियल अस्पताल, जमशेदपुर

गुजरात

15. एम० पी० शाह कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद
16. सिविल अस्पताल, अहमदाबाद (एच० एण्ड पी०)
17. सेठ बादीलाल साबाभाई जेनरल अस्पताल, अहमदाबाद
18. इरविन ग्रुप का अस्पताल, जामनगर
19. श्री सायाजी जेनरल अस्पताल, बारोदा
20. सर टी० अस्पताल भावनगर
21. गवर्नमेंट अस्पताल, राजकोट

22. नाथा लाल परेख कसर अस्पताल, राजकोट

23. लायन्स कैंसर डिटेक्शन सेण्टर सूरत (ट्रिस्ट)

24. सिविल अस्पताल, जानागढ़

हरियाणा

25. मेडिकल कालेज और अस्पताल, रौतक

जम्मू व कश्मीर

26. एस० एम० एच० एस० अस्पताल, श्रीनगर

27. एस० एन० जी० एस० अस्पताल जम्मू

हिमाचल प्रदेश

28. एच० पी० अस्पताल, स्नोडन शिमला

कर्नाटक

29. विक्टोरिया अस्पताल, बंगलौर

30. दार्उरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल, बंगलौर

31. किदवाई मेमोरियल कैंसर रिलीफ रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंगलोर

32. जे० एल० एन० मेडिकल काॅलेज और सिविल अस्पताल बेलगांव

33. मेडिकल कालेज और अस्पताल, बेलारी कर्नाटक

34. के० मेडिकल कालेज और अस्पताल, हुबली, कर्नाटक

35. गवर्नमेंट वेनलोक अस्पताल ‥ंगलौर, कर्नाटक

36. कर्नाटक कैंसर थेरापुट रिसर्च इन्स्टीट्यूट, हुबली

37. कस्तुरबा मेडिकल कालेज, और अस्पताल, मनिपाल, कर्नाटक

36. कृष्णाराजेन्द्र अस्पताल, मैसूर

केरल

39. मेडिकल कालेज अस्पताल, त्रिवेन्द्रम

40. मेडिकल कालेज अस्पताल, कोझीकोड

41. मेडिकल कालेज अस्पताल, कोटायाम

42. जेनरल अस्पताल, इरनाकुलम

मध्य प्रदेश

43. हामिदिया अस्पताल, भोपाल मध्य प्रदेश

44. शासकीया गयारा पंच ट्रस्ट कैंसर अस्पताल, इन्दौर
45. कैंसर अस्पताल और मेडिकल कालेज जबलपुर
46. जे० ए० ग्रुप का अस्पताल ग्वालियर
47. कैंसर अस्पताल और रिसर्च इस्टीच्यूट, ग्वालियर
48. गांधी मेमोरियल कैंसर अस्पताल, रीवा
49. डी० के० अस्पताल, रायपुर
50. कैंसर अस्पताल, रायपुर
51. रतन मासीही चिकित्सालय, रतलम
52. क्रिश्चन अस्पताल, मुंगेली बिलासपुर मध्य प्रदेश

महाराष्ट्र

53. बी० वाई० चेरीटुनल अस्पताल बम्बई
54. टाटा मेमोरियल अस्पताल, पारेल बम्बई-400012
55. महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल,
56. के० ई० एम० अस्पताल, परेल, बम्बई-
57. बम्बई अस्पताल, बम्बई 400020
58. एल० टी० एम० जी० अस्पताल और मेडिकल कालेज, सियान, बम्बई-2259
59. जसलोक अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र पेंडार रोड़, बम्बई 4000026
60. डा० बालाभाई नानवती अस्पताल बिले पामले वेस्ट बम्बई-4000059
61. गोकुल दास तेजपाल अस्पताल बम्बई
62. सेंट जार्ज अस्पाल, बम्बई
63. केन्द्रीय रेलवे अस्पताल, बम्बई
64. मेडिकल कालेज, अस्पताल, नागपुर
65. डोगा मेमोरियल अस्पताल नागपुर
66. माया जनरल अस्पताल, नागपुर
67. संत तुकड़जो अस्पताल, नागपुर
68. सहकारी रुग्णालय, नागपुर
69. ससून जनरल अस्पताल बी० जे० मेडिकल कालेज, पूणे
70. कमान्ड अस्पताल, दक्षिणी कमान्ड, पूणे

71. मिराज मेडिकल कालेज और अस्पताल, मिराज महाराष्ट्र-416410

72. बांनलेस अस्पताल, एम० एमअ जी० मिराज

73. जिला अस्पताल, अमरावती।

74. सल्वेशन आर्मी अस्पताल अहमद नगर।

75. मेडिकल कालेज और अस्पताल औरंगाबाद।

76. एस० आर० टी० आर० मेडिकल कालेज, अंबाजुगई, जिला भीड़।

77. जिला अस्पताल, जलगांव।

78. जनरल अस्पताल, सांगली।

79. डा० वी० एम० मेडिकल कालेज, शोलापुर

80. दनराज गिरिराज अस्पताल, शोलापुर।

81. जिला शासकीय जनरल अस्पताल शोलापुर।

82. श्री सिद्धेश्वर कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र होटजी रोड़ शोलपुर-413003

83. जिला अस्पताल वर्धा।

84. महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, सेवाग्राम वर्धा।

मेघालय

85. खासी हिल्स वेलिश अस्पताल, शिलांग मेघालय।

उड़ीसा

86. कैंसर इंस्टीट्यूट।

87. बी० एस० सी० मेडिकल कालेज और अस्पताल, बुर्ला सम्बलपुर

88. एम० के० जी० जी० मेडिकल कालेज और अस्पताल बरहामपुर, उड़ीसा

पंजाब

89. श्री गुरू तेग बहादुर अस्पताल- अमृतसर

90. राजेन्द्र अस्पताल, पटियाला

91. क्रिश्चिन मेडिकल बी० एन० अस्पताल, लुधियाना

92. दयानन्द मेडिकल कालेज, बी० एन० अस्पताल, लुधियाना

93. सिविल अस्पताल, गुरुदासपुर।

94. सिविल अस्पताल, बटाला पंजाब।

राजस्थान

95. जे० एल० एन० अस्पताल, अजमेर-305001।

96. पी० बी० पुरुषों का अस्पताल, बीकानेर-334001।

97. एस० एम० एस० अस्पताल, जयपुर-342001।

98. एम० जी० अस्पताल, जोधपुर-342001।

99. उमेद अस्पताल, जोधपुर-342001।

100. जनरल अस्पताल, उदयपुर-313001।

101. एसोसिएटेड ग्रुप आफ हास्पिटल उदयपुर-313001

तमिलनाडु

102. कैंसर इंस्ट्रीट्यूट (डब्ल्यू आइ० ए०) अद्‌यार, मद्रास-600020।

103. अन्तरराष्ट्रीय कैंसर केन्द्र, नैयर, कन्याकुमारी,

104. इन्स्ट्रीज्यूट आफ चाइल्ड हैल्थ, एवं हास्पिटल आफ चाइल्ड, बगलौर, मद्रास

105. गवर्नमेंन्ट हास्पिटल फार वोमेंन्स एण्ड चाइल्ड, मद्रास

106. बी० एस० आर० एम० लाइं हास्पिटल मद्रास

107. गवर्नमैंट जनरल हास्पिटल, बर्नाड इन्स्ट्रीज्यूट आफ रेडियोलॉजी

108. गवर्नमैंट रायपथ हास्पिटल मद्रास

109. गवर्नमैंट स्टेनले हास्पिटल, मद्रास

110. कलीपॉक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मद्रास

111. गवर्नमेंट इराकाइम हास्पिटल, मद्रास

112. कुप्पूस्वामी नायढडू मेमोरियल, हास्पिटल, कोयम्बतूर मेडिकल

113. चिंगलपेट/कालेज एवं हास्पिटल चिगलपेट

114. अरिमनार अन्न कैंसर अनुसंधान, रेलवे रोड कांजीपुरम

115. थानजवेर मेडिकल कालेज एण्ड अस्पताल, वल्लूर

116. तिरुनेलवेल्ली मेडिकल कालेज, हास्पिटल, वल्लूर

117. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, एण्ड हास्पिटल, वल्लूर, तमिलनाडु

118. जी०बी० हास्पाटिल, अगरतला, त्रिपुरा

उत्तर प्रदेश

119. सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा

120. कमला नेहरू मेमोरियल एसोसिएटिड हास्पिटल इलाहाबाद।

121. गांधी मैमोरियल एण्ड एसोसिएटिड हास्पिटल, लखनऊ

122. जे० के० इस्ट्रीच्यूट ऑफ नेडियोलाजी एण्ड कैंसर, कानपुर, उ० प्र०

123. श्री सुन्दरपाल अस्पताल, मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च, वाराणसी

124. नोविल हॉस्पिटल, रामनगर, वाराणसी

125. मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कलकत्ता, पश्चिम बंगाल

126. आर० जी० कौर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कलकत्ता

127. निलरटल सरकार मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, कलकत्ता

128. चितरंजन मेडिकल हास्पिटल, कलकत्ता

129. सेठ सूखामल कारनानी मैमोरिल हास्पिटल, कलकत्ता

130. इन्स्ट्रीच्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चण्डीगढ़

131. मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पणजी गोवा दमन एवं द्वीव

132. गौशाला मैमोरियल हास्पिटल एण्ड रिसर्च इन्स्ट्रीच्यूट पणजी

133. अशीले हास्पिटल मनूषा पणजी, गोवा

134. जे० एन० पोस्ट ग्रेजू एट, मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च इंस्ट्रीच्यूट पाण्डिचेरी

135. आल इण्डिया इंस्ट्रीच्यूट आफ मेडिकल साइसेंज, नई दिल्ली

136. सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली

137. डा० राममनोहर लौहिया अस्पताल, नई दिल्ली

138. श्रीमती सुचेता कृपलानी मेडिकल कालेज, एन्ड पास्पिटल, नई दिल्ली।

139. लोक नायक जयप्रकास नारायण हास्पिटल, नई दिल्ली

140. जी० बी० पन्त अस्पताल, नई दिल्ली।

141. होली फैमिली हास्पिटल, नई दिल्ली।

142. एन० आर० सेन्टरल पास्टिल, नई दिल्ली।

हावड़ा बर्दवान तथा गया-मुगलसराय सैक्सनों पर स्वचालित चेतावनी व्यवस्था की स्थापना

1497. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेल के हावड़ा-बर्दवान (कार्ड) तथा गया-मुगलसराय सैक्शनों तथा कलकत्ता में उपनगरीय सैक्शनों पर ई० एम० यू० गाड़ियों हेतु स्वचालित चेतावनी व्यवस्था को आरम्भ करने के लिए कोई समय सीमा-निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हवड़ा बर्दमान कॉर्ड लाइन तथा गया मुगलसराय खंडों पर 1974-1979 के दौरान सहायक चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था करने का काम विभिन्न चरणों में शुरू किया गया था और इसे आयातित उपस्करों से 1980 में पूरा किया गया था। इन खंडों पर कुल मिलाकर 21 रेल इंजनों तथा 12 बिजली गाड़ियों पर केब उपस्कर फिट किए गए थे तथा 189 रेलपथ मेगनटों की व्यवस्था की गयी थी। रेलपथ मेगनटों की अधिक मात्रा में चोरी होने के कारण यह प्रणाली संतोषप्रद साबित नहीं हुई। अतः चोरियों से बचने के लिए अभिकल्प में संशोधन करने और फाइबर ग्लास के खोल वाले रेलपथ मेगनट लगाने का विनिश्चय किया गया था। संशोधित अभिकल्प का विकास हो चुका है।

इस बीच अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ के साथ समन्वय करके मैसर्स इलेक्ट्रोनिक कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) को सहायक चेतावनी प्रणाली का काम सौंप दिया गया था। कुछ वर्षों के प्रयासों के बाद इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) ने स्वदेशी प्रणाली का विकास कर लिया था और उन्हें लोको उपस्करों के लिए आर्डर दे दिया गया था।

2. चूंकि गया-मुगलसराय खंड से अधिकांशतः सभी रेलपथ मेगनट चुरा लिए गए थे, इसलिए यह विनिश्चय किया गया था कि मैसर्स इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ई० सी० आई० एल) से बिजली रेल इंजनों पर फिटमैंट के लिए प्राप्त इंजन उपस्करों को बिजली गाड़ी कैबों में फिट किया जाना चाहिए ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इस प्रणाली को उपनगरीय खंड पर लागू किया जा सके। तदनुसार, मुख्य लाइन तथा हवड़ा-बर्दमान खंड की कॉर्ड लाइन, पर जहां फाइबर के खोल वाले रेलपथ मेननेट स्थापित किए गए हैं, इस प्रणाली की व्यवस्था करने का विनिश्चय किया गया था।

मैसर्स इलोक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) द्वारा बिजली गाड़ी कैबों में फिट किए जाने वाले सहायक चेतावनी प्रणाली उपस्करों में कुछ खामियां पाई गई हैं। फर्म के समक्ष इस मामले को उठाया गया है और उपस्कर में संशोधन के लिए तत्परता से कार्रवाई की जा रही है ताकि सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए इस प्रणाली की क्षमता निर्धारित की जा सके। मैसर्स इलेक्ट्रोनिक्स आफ इंडिया लिमिटेड (ई० सी० आई० एल) द्वारा सप्लाई किए गए उपस्करों की आजमाइश कर लिए जाने तथा इनके सफल और अनुकूल पाए जाने के बाद ही इस कार्य को हवड़ा-बर्दमान मुख्य तथा कॉर्ड लाइन खंडों पर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित करना संभव होगा। इसके बाद इस प्रणाली का अन्य खंडों पर विस्तार किया जायेगा।

ड्राइवरों की प्रतिक्रिया को देखते हुए इस प्रणाली का नाम "स्वचल चेतावनी प्रणाली "की बजाय" सहायक चेतावनी प्रणाली" रखने का विनिश्चय किया गया है।

3. संरक्षा की दृष्टि से इस प्रणाली के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रगति पर निगरानी रखने के लिए बोर्ड कार्यालय में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है।

जल परिवहन में नीदरलैंड के साथ सहयोगी परियोजनाएं

1498. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जल परिवहन के क्षेत्र में नीदरलैण्ड तथा भारत ने कई सहयोगी परियोजनाओं का चयन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस बारे में हाल ही में नीदरलैंड के कभी किसी शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में हुए सोदे का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) निम्नलिखित अन्तर्देशीय जल परिवहन परियोजनाएं विचार करने और नीदरलैंड से सहायता प्राप्त करने के लिए तैयार की गई हैं :—

(1) राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या : 1. गंगा-भागीरथी-हुगली नहीं मार्ग,

(2) सी० आई० डब्लु० टी० सी० लि० के राजाबागान डाकयार्ड का आधुनिकीकरण।

(3) नौचालन के लिए दामोदर घाटी कारपोरेशन कनाल का पुनर्संक्रियण।

(4) केरल में चम्पाकारा कनाल का सुधार।

(5) नर्मदा नदी का सम्भाव्यता अध्ययन।

(ग) और (घ) एक नीदरलैंड प्रतिनिधिमंडल इण्डो-डच परिचालन समिति की तृतीय बैठक में भाग लेने के लिए अक्टूबर 1984 में भारत आया था। इस बैठक में और इसी प्रकार की फरवरी 1985 मे आयोजित संचालन समिति की चतुर्थ बैठक में उक्त परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। इण्डो-डच संचालन समिति के अधीन एक उच्च-स्तरीय मानीटरिंग समिति की एक बैठक 16-5-85 को नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें इन परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।

लिग्नाइट भंडारों पर आधारित एक उच्च ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना

1499. श्री शांति धारीवाल : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार के बाड़मेर में विद्यमान लिग्नाइट के भंडारों

पर आधारित एक उच्च ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर अब तक कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) राजस्थान सरकार ने लिग्नाइट के भण्डारों को खोदने और बाड़मेर जिले में लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र की प्रतिष्ठापना के लिए सातवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में प्रावधान करने का प्रस्ताव गया है।

(ख) और (ग) : लिग्नाइट के भण्डारों की खोज के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जा रही है ताकि लिग्नाइट पर आधारित विद्युत केन्द्र की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जा सके।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में पन बिजली परियोजनाओं का पूरा न होना

1500. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :**

श्री माधव रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य में कुछ प्रमुख पन बिजली परियोजनाओं का काम धनराशियों के अभाव के कारण कई वर्षों से बन्द पड़ा है (हिन्दुस्तान टाइम्स 5-6-1985) ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पन बिजली परियोजनाओं का काम कब से बन्द है ;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मांगी गई राशि की तुलना में उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई ;

(घ) इन परियोजनाओं का पूरा किए जाने में विलम्ब के कारण इन परियोजनाओं के संबंध में अनुमानित लागत वृद्धि क्या है ; और

(ङ) इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए और उन्हें शीघ्र पूरा करने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अनुसार, राज्य में किसी भी जल-विद्युत परियोजना पर कार्य नहीं रोका

गया है परन्तु यह कई कारणों से धीमा रहा है जिनमें निधियों की अपर्याप्त उपलब्धता, चट्टानों की खराब किस्म, भूमि के अधिग्रहण में देरी, पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति में देरी आदि शामिल हैं ।

(ग) प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा ब्लाक अनुदानों रूप के में उनकी पूरी योजना के लिए दी जाती है, न कि किसी विशेष परियोजना अथवा विकास के किसी क्षेत्र के लिए ।

(घ) लागत में वृद्धि, केवल परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारण ही नहीं होती बल्कि उपस्कर एवं सामग्री की कीमतों में वृद्धि, मजदूरी की दरों में वृद्धि, परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आदि के कारण भी कीमतों में वृद्धि होती है। राज्य में निर्माणाधीन जल-विद्युत परियोजनाओं के मूल तथा अद्यतन लागत अनुमान, उनके चालू होने के कार्यक्रम सहित नीचे दिए गए हैं : –

क्र० सं०	परियोजना का नाम तथा क्षमता (मेगावाट)	लागत अनुमान (करोड़ रु० में) मूल	अद्यतन	चालू होने की संभावित तारीख
1.	मनेरी भाली चरण-2 (4x76 मेगावाट)	82·63	212·60	1986-90
2.	टिहरी बांध (4x250 मेगावाट)	197·92	1065·86	1992-93
3.	लखवार व्यासी (2x100 मेगावाट 2x60 मेगावाट)	140·97	276·42	1991-92
4.	विष्णु प्रयाग (4x120 मेगावाट)	184·51	266.64	1993-92

(ङ) जल-विद्युत परियोजनाओं को समय पर चालू करने पर जोर दिया जा रहा है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा विद्युत विभाग द्वारा उनकी प्रगति की मानीटरिंग ध्यानपूर्वक की जा रही है। प्रगति का जायजा लेने तथा क्रियान्वयन में आ रहे व्यवधानों को दूर करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी परियोजना स्थलों का दौरा भी करते हैं ।

[हिन्दी]

राजेन्द्र नगर, यारपुर और चितकोरी में रेल पुल का निर्माण

1501. श्री विजय कुमार यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में यातायात कठिनाईयों को दूर करने के लिए राजेन्द्र नगर, यारपुर और चितकोरी में पक्के रेल उपरि पुलों का निर्माण चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त उपरिपुलों को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ;

(ग) इन उपरिपुलों को समय पर पूरा न किए जाने के कारण क्या हैं ;

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) सरकार का विचार इन पुलों को यातायात के लिए कब तक खोलने का है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) रेलपथों के ऊपर मुख्य पुल का निर्माण रेलवे द्वारा किया जाना है तथा पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। तीनों पुलों के रेलवे के कार्य-भाग को पूरा करने की अनन्तिम लक्ष्य-तिथियां नीचे दी गयी है :—

राजेन्द्र नगर ऊपरी सड़क पुल	31-3-85
यारपुर ऊपरी सड़क पुल	30-6-86
चितकोहरा ऊपरी सड़क पुल	31-1.-89

(ग) और (घ) राजेन्द्र नगर और यारपुर में पीलपायों के निर्माण में कुछ प्रारम्भिक विलम्ब हुआ था क्योंकि केबुलों, डाकतार लाइनों और एच० टी० लाइनों को हटाने की व्यवस्था करनी थी। इसी प्रकार चितकोहरा में सड़क यातायात के दिक्परिवर्तन के लिए निकटवर्ती समपार को चौड़ा करने की व्यवस्था करनी थी। ये प्रारम्भिक कार्य पूरे हो चुके हैं।

(ङ) ऊपरी सड़क पुलों का खोला जाना राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा पहुंच मार्गों के पूरा किए जाने पर निर्भर है।

[अनुवाद]

केरल एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाया जाना

1502. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल एक्सप्रेस जो इस समय त्रिवेन्द्रम और नई दिल्ली के बीच सप्ताह में दो बार चलाई जा रही है, को प्रतिदिन चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवारी डिब्बों, डीजल इंजनों की कमी और मार्गवर्ती खंडों पर रेलपथ क्षमता की तंगी के कारण उस समय इस गाड़ी के फेरे बढ़ाना संभव नहीं होगा।

सातवीं योजना में विद्युत-उत्पादन

1503. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान आरम्भ किए जाने वाले ताप विद्युत संयंत्रों की संख्या क्या है ;

(ख) सातवीं योजना के अन्त तक कुल कितना ताप विद्युत उत्पादन होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या उड़ीसा में भी कोई ताप परियोजना आरम्भ की जानी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। तथापि गैस पर आधारित स्कीमों सहित 59 निर्माणाधीन और स्वीकृत ताप विद्युत स्कीमों तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत 9 स्कीमों को सातवीं योजना के दौरान हाथ में लिए जाने की संभावना है।

(ख) सातवीं योजना के अन्त में ताप विद्युत संयंत्रों से बस बार पर उपलब्ध ऊर्जा 168.605 बिलियन यूनिट होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय क्षेत्र में तलचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक (2x500 मेगावाट) और राज्य क्षेत्र में इब घाटी ताप विद्युत परियोजना (4x210 मेगावाट) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दे दी है, जिनकी अनुमानित लागत क्रमशः 995 करोड़ रुपये और 887.99 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं को सातवीं योजना के दौरान शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

सभी प्रमुख नदियों को जोड़ने की योजना

1504. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रभावी अन्तर्देशीय जल मार्ग प्रणाली विकसित करने की दृष्टि से सभी प्रमुख नदियों को जोड़ने की कोई योजना सरकार के समक्ष है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किया जायेगा ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) प्रमुख नदियों को अन्तर्देशीय जल मार्ग प्रणाली को प्रभावी रूप से विकसित करने के लिए आपस में जोड़ने की कोई योजना नहीं है। तथापि सिंचाई मंत्रालय में एक राष्ट्रीय योजना देश में सिंचाई और बिजली के लिए जल संसाधनों का विकास करने के लिए बनाई जा चुकी है। इस स्कीम के तहत सिंचाई और बिजली संबंधी लाभ के अलावा नदियों के पानी को थोड़ी दूर और आगे ले जाने का भी लाभ होगा। इस प्रकार के लाभ में नौचालन की सुविधा शामिल हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य करने और प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी संस्थापित की है। आगे की कार्रवाई इन सर्वेक्षणों और अनुसंधान की उपलब्धियों पर निर्भर है। यह एजेंसी भारत सरकार के सिंचाई विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।

रेलवे स्टेशनों पर "क्लोजड सर्किट टी० वी०"

1505. **श्री यशवन्त राय गडाख पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि सरकार का विचार अनेक रेलवे स्टेशनों पर 'क्लोजड सर्किट टी० वी०' लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) महानगरों में कुछ स्टेशनों पर पहले से ही निकट सर्किट टेलीविजन स्थापित किये गये हैं। अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अब निकट सर्किट टेलीविजन लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इनका उपयोग गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान, सामाजिक, शैक्षणिक और अन्य संदेशों के संबंध में सूचना प्रदर्शित करने तथा वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए भी किया जायेगा।

दुर्घटना रिकार्ड करने की प्रणाली

1506. **श्री सैयद मसुदल हुसेन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में महानगरीय परिवहन के संबंध मे हुई राष्ट्रीय गोष्ठी में विचार व्यक्त किया गया है कि देश में दुर्घटना रिकार्ड करने की प्रणाली संतोष जनक नहीं है और इसमें सुधार की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दुर्घटना रिकार्ड करने की प्रणाली में सुधार करने के लिए योजनाएं बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से

(घ) हालांकि गोष्ठी को सिफारिशों में दुर्घटना रिकार्ड प्रणाली का विशेश रूप से जिक्र नहीं किया गया है, फिर भी गोष्ठी में भाग लेने वाले कुछ सदस्यों ने दुर्घना सुधार प्रणाली में सुधार की मांग की। गोष्ठी ने सिफारिश की कि परिवहन प्रबंधकों को सड़क एवं ट्रैफिक सुरक्षा के साथ-साथ वाहन जांच विनियमन प्रवर्तन और जन शिक्षा आदि के लिए सशक्त उपाय करने चाहिएं।

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, उपरोक्त पहलुओं के साथ-साथ दुर्घटना रिकार्ड करने वाली प्रणाली में सुधार के लिए कार्रवाई करने के लिए पहले ही लिख चुकी है।

[हिन्दी]

बुक कराए गए माल के कम पाये जानें के संबंध में क्षतिपूर्ति दावे

1507. **श्री शांति धारीवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी रेलों में मंडल-वार, बुक किए गए माल के गन्तव्य स्थान तक पहुंचने पर कम पाए जाने के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान क्षतिपूर्ति के लिए कितने दावे किए गए हैं;

(ख) कितने दावे निपटाए गए हैं और कितने दावे निपटाने हेतु लम्बित हैं, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे मामलों का तेजी से निपटाने हेतु क्या कदम उठाए/सुझाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) बुक किए गयें और गन्तव्य पर कम पाए गये माल के लिए रेलों के पास दर्ज क्षतिपूर्ति दावों की संख्या इस प्रकार के निबटाये गये दावों की संख्या और निबटान के लिए बकाया दावां की संख्या के संबंध में विगत तीन वर्षों के क्षेत्र-वार आंकड़े विवरण-1 के रूप में संग्लन है। मार्च 85 के अन्त में बकाया मामलों का ब्यौरा विवरण-2 के रूप में संग्लन है।

(ग) 1. दावा निबटान कार्यालयों की वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी गयी हैं।

2. अनेक स्टेशनों पर चल दावा कार्यालय गठित किए गए हैं।

3. दावों के निबटान पर क्षेत्रीय रेलों और बोर्ड स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

विवरण-1

रेलें	निम्नांकित वर्ष के दौरान किए गये क्षति शर्तं दावों की संख्या			निम्नांकित वर्ष के दौरान निपटाये गये दावों की संख्या			वित्तीय वर्ष के अंत में निपटाने के लिए बकाया दावों की संख्या		
	1982-83	1983-84	1984-85	1982-83	1983-84	1984-85	1982-83	1983-84	1984-85
मध्य	63898	49521	52421	67738	54759	56849	4810	3999	3113
पूर्व	93049	82374	89506	98059	97468	102557	63089	49979	43413
उत्तर	102836	90385	103769	117184	109857	118503	12000	12334	12289
पूर्वी उत्तर	32116	24931	27783	37140	28174	30615	19 4	1220	1362
पूर्वी उत्तर सीमा	41808	39450	38086	41664	41326	39443	10249	10192	9859
दक्षिण	45300	42568	38790	47788	37223	31815	4386	3860	2945
दक्षिण-मध्य	15986	23637	12211	18837	16290	14222	351	380	323
दक्षिण-पूर्व	74905	54122	50715	72522	62145	54973	11718	7935	6155
पश्चिम	53878	48929	43484	60049	52715	50299	3570	4419	3465
जोड़	5,23,779	4,45,917	4,54,765	5,60,971	5,09,957	509280	113047	94318	84,919

विवरण-2

रेलें	मार्च 85 के अंत में बकाया दावों का ब्यौरा				
	42 दिन से अधिक	1 से 3 मास तक	3 से 6 मास तक	6 से 12 मास तक	1 वर्ष से अधिक
मध्य	1830	1439	609	72	16
पूर्व	22403	14512	13045	4902	3658
उत्तर	4689	4238	1754	883	307
पूर्वी उत्तर	665	488	238	131	52
पूर्वी उत्तर सीमा	6116	3864	1789	1186	1232
दक्षिण	1503	1177	484	267	62
दक्षिण मध्य	205	96	66	27	16
दक्षिण पूर्व	2082	4090	1744	645	36
पश्चिम	2987	640	729	893	903
जोड़	42490	30544	20458	9006	6292

बीकानेर मीटर गेज लाइन पर दुर्घटनाओं का रोकना

1508. **श्री सरफराज अहम्मद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 जून, 1985 के दैनिक "जनसत्ता" में प्रकाशित "बीकानेर मीटर गेज मार्ग पर भी रेल दुर्घटना हो सकती है" शीर्षक लेख की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें पुरानी रेल लाइनों के कारण रेल दुर्घटना होने की संभावना के बारे में कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस रेल लाइन पर दुर्घटना को रोकने के लिए तथा उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां, ।

(ख) रेल पथ का यथेष्ट अनुरक्षण तथा संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। बीकानेर-तालगढ़ के बीच अतिक्रमण को रोकने के लिए भी जिसकी वजह से मिट्टी हट जाती है, प्रचार किया जा रहा है। इसके अलावा हनुमानगढ़-सूरतगढ़ के बीच का खंड पहले ही बड़ी लाइन में बदल दिया गया और सूरतगढ़ से तालगढ़ बीकानेर तक के खंड के आमान परिवर्तन को मंजूरी दे दी गयी है और यह कार्य प्रगति पर है ?

[अनुवाद]

पुरुलिया एक्सप्रेस के इंजन को बदलना

1509. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा और पुरुलिया के बीच प्रतिदिन चलने वाली पुरुलिया एक्सप्रेस पुराने इंजिनों एवं डिब्बों के कारण किसी भी समय रुक सकती है ;

(ख) क्या इस गाड़ी को भी अभी तक वही इंजन खींचता चला आ रहा है जो आरम्भ में इसमें लगाया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस गाड़ी के लिए दूसरे इंजन की व्यवस्था करने का है ताकि यह गाड़ी निर्विघ्न रूप से चलती रहे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी नहीं हावड़ा और पुरुलिया के बीच चल रही पुरुलिया एक्सप्रेस गाड़ी में, विशिष्ट रंग योजना वाला एक विशेष रेक लगती है । इस रेल का कर्षण अपेक्षाकृत नये डीजल रेल इंजन द्वारा किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

मिरथी जिला पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) में केन्द्रीय विद्यालय

1510. **श्री हरीश रावत** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में मिरथी में वर्ष 1985-86 के दौरान एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय (सेण्ट्रल स्कूल) खोलने के प्रस्तावों पर विचार केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा तब किया जाता है जब ये प्रस्ताव उपयुक्त प्रायोजित प्राधिकरण से निर्धारित रूप में प्राप्त हों और भूमि, कक्षाएं आदि-आदि आयोजित करने के लिए अस्थायी आवास जैसी अपेक्षा भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं । उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के मिरथी (डिडिहार) के सम्बंध में ऐसा कोई केन्द्रीय विद्यालय संगठन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

7/8 नैनीताल एक्सप्रेस में ए० सी० श्रेणी के डिब्बे दूसरी श्रेणी के शयनयान

1311. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ और काठगोदाम के बीच चलने वाली रेल सेवा का उपयोग पर्यटकों द्वारा भी किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लखनऊ और काठगोदाम स्टेशनों के बीच चलने वाली 7 अप तथा 8 डाउन नैनीताल एक्सप्रेस गाड़ियों में ए० पी० प्रथम श्रेणी के डिब्बे तथा दूसरी श्रेणी के शयनान जोड़ने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुविधा इन गाड़ियों में कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां, ।

(ख) सम्प्रति, 7 अप 8 डाउन लखनऊ-काठगोदाम नैनीताल एक्सप्रेस गाड़ियां 9 दूसरे दर्जे के 3 टियर शयनयानों के अतिरिक्त एक आधिक वातानुकूल पहले वर्ष दो पहले दर्जे तथा पहले और दूसरे दर्जे के मिले जुले सवारी डिब्बों के साथ पहले ही चल रही है। यदि यातायात की दृष्टि से औचित्य होता है तो ग्रीष्मकालीन भीड़-भाड़ को सम्भालने के लिए पहले एवं दूसरे दर्जे के एक मिले जुले तथा दूसरे दर्जे के शयनयानों की भी व्यवस्था की जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

1512. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति के उद्देश्य क्या हैं और यह कब शुरू की गई थी तथा विगत छठी योजना के दौरान अब तक कितनी धनराशि बितरित की गई है;

(ख) क्या छात्रवृत्ति ऋणों के रूप में छात्रों को वितरित की गई धन राशि वापस ले ली गई है ;

(ग) क्या यह छात्रवृत्ति मुख्यत: शहरी इलाकों के छात्रों को और वह भी केवल सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को मंजूर की गई है अथवा यह गैर-सरकारी कर्मचारियों के को भी दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को दी गई राशि और गैर सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को दी गई राशि का अलग-अलग प्रतिशत क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य पर्याप्त साधनों के बिना प्रतिभाशाली छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

यह योजना 1963-64 में शुरू की गई थी और यह राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। छठी पंच-वर्षीय योजना के दौरान छात्रों को ऋण छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को जारी की गई राशि 1524.85 लाख रुपये थी।

(ख) छात्रों को दिए गए ऋणों की वसूली किस्तों में की जाती है, जब यह देय हो

जाती हैं। जो छात्र शिक्षण व्यवसाय और रक्षा सेवाओं में शामिल होते हैं, उन्हें भुगतान करने से छूट होती है।

(ग) और (घ) प्रतिभा और साधनों के आधार पर सभी पात्र छात्रों के लिए यह छात्रवृत्ति अनुमूल्य है और छात्रों के माता पिता के आवास क्षेत्र या व्यवसाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम का कार्य निष्पादन

1513. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** (**श्री मूलचन्द डागा**) : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जल परिवहन विकसित नहीं है तथा केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन के निगम तटवर्ती व्यापार में घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के घाटे का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण है और इस बात में सरकार के द्वारा कार्यवाही करने के बावजूद भी केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम का विकास न होने के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं ;

(घ) इसके विकास के लिए सरकार की भविष्य की योजना क्या है ;

(ङ) जल परिवहन के अत्याधिक सस्ता होने तथा ऊर्जा व्यय न होते हुए भी इस व्यापार के घाटे मे चलने के क्या कारण हैं ?

(च) क्या हमारे किसी समुद्र तटीय मार्ग पर फायदा हो रहा है ; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (**श्री जियाउर्रहमान अन्सारी**) : (क) तटीय व्यापार केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। पाचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाने के कारण अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास नहीं हो सका है।

(ख) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम सन् 1982-83 1983-84 और 1984-85 में क्रमशः 11-85 करोड़ रु० 13-16 करोड़ रुपये और 12.18 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। (यह आंकड़े लेखा परीक्षित नहीं है)

(ग) और (घ) यह घाटा तटवर्ती व्यापार के परिणाम स्वरूप नहीं है। केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के घाटे का मुख्य कारण अधिक कर्मचारी वाले पुराने और ऐसे जलयान हैं जिन पर खर्च बहुत आता है। छठी पंचवर्षीय योजना ने पुराने जलयानों के स्थान पर नये जलयान खरीदे गये और 5 सेल्फ पापेल्ड कैरियर 3 टग और 9 डम्ब बार्जे मंगाये गए। सातवीं

योजना में इसके जलयानों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने का प्रस्ताव है आशा है कि इसके बाद केन्द्रीय जल परिवहन निगम लिमिटेड के कार्य मे सुधार होगा। अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम ने वर्ष 1980-81 में 114,479 टन और वर्ष 1984-85 में 268,717 टन माल ढोया। इससे वह स्पष्ट होता है कि निगम ने प्रगति की है।

(ङ) अन्तर्देशीय जल परिवहन ऊर्जा की दृष्टि से स्वतः एक कुशल साधन है। अधिक कुशल जलयानों और आधारभूत संसाधनों की व्यवस्था होने से यदि अन्तर्देशीय जल परिवहन की प्रणाली एक बार सुप्रयुक्त होने लगे तब यह परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक सस्ता साधन हो सकता है।

(च) और (छ) चूंकि अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम तटवर्ती व्यापार में अपने जलयान नहीं चलाता है इसलिए यह प्रश्न नहीं होता।

क्षतिपूर्ति के लिए रेल विभाग के विरुद्ध दीवानी न्यायालयों में दायर मुकदमे

1514. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल खो जाने अथवा माल के कम प्राप्त होने के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति हेतु रेल विभाग के विरुद्ध 198?-84 तथा 1984-95 में दीवानी न्यायालयों में कितने मुकदमें दायर किए गए तथा प्रत्येक वर्ष अलग-अलग कितनी डिगरियां दीं गईं ;

(ख) रेल विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी धन राशि का भुगतान किया गया ; और

(ग) न्यायालयों ने वकीलों को कितनी धनराशि का भुगतान किया ;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 1983-84 में माल की अथवा सपुर्दगी के सम्बन्ध में रेलों के विरुद्ध सिविल अदालतों में दायर किये गए क्षतिपूर्ति के दावों से सम्बन्धित मुकदमों की कुल संख्या 32,413 और 19 4-85 में 29,016 थी। की नयी अदालती डिगरियों की संख्या 1983-84 में 10, 201 और 1984-85 में 8,318 थी।

(ख) रेलों द्वारा क्षतिपूर्ण के रूप में भुगतान की गयी कुल राशि 1983-84 में 30.07 करोड़ रुपये और 1981-85 में ?2.85 करोड़ रुपये थी।

(ग) अदालतों में वकीलों को भुगतान की गयी राशि के सम्बन्ध में अलग से सूचना नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों व कुलपतियों/कुलाधिपतियों को नियुक्ति

151?. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों के कुलपतियों/ कुलाधिपतियों को नियुक्ति/चयन के तरीके और उनकी कार्य प्रणाली के तरीके तथा इसके साथ-साथ केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध/प्रणाली के बारे में कोई अध्ययन किया गया है।

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कोई अध्ययन किए जाने तथा कुलपतियों/कुलाधिपतियों को नियुक्ति चयन और कार्य प्रणाली में समानता सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) भारत के राष्ट्रपति सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर हैं इन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों को नियुक्ति या तो विजिटर द्वारा की जाती है या उनका चयन उनके कोर्टों द्वारा किया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को छोड़कर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को नियुक्ति विजिटर द्वारा विशेष रूप से गठित एक चयन समिति द्वारा अनुशासित नामों की नामिका, में से की जाती है । उन नामों की नामिका जिसमें से अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयों का कुलपति नियुक्त किया जाता है। की सिफारिश विश्वविद्यालय के कोर्ट द्वारा की जाती है ।

राज्य सभी विश्वविद्यालयों के लिए सम्बन्धित राज्य का राज्पाल कुलाधिपति होता है जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में विजिटर द्वारा किए जाने वाले कार्य करता है आमतौर पर राज्य विश्वविद्यालयों का केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के अनुरूप कार्यालय नहीं होता है। राज्य विश्वविद्यालयों से कुलपतियों को नियुक्त की प्रणाली पूरे देश में एक समान नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिनियम में संशोधन किए जाते हैं।

(ग) राज्य सरकार, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों और कुलपतियों की नियुक्त की प्रणाली तथा उनके अधिकारों और कार्यों में एक-रूपता लाने के बारे में वांछनीयता की जांच कर रही है। इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

पब्लिक स्कूलों का राष्ट्रीयकरण

1516. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पब्लिक स्कूलों के संबंध में सरकार की नीति क्या है ; और

(ख) क्या पब्लिक स्कूलों के राष्ट्रीकरण का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1998) में अन्य बातों के साथ-साथ वह भी उल्लेख है कि पब्लिक स्कूलों जैसे सभी विशेष स्कूलों के छात्रों को योग्यता के आधार पर दाखिल करना चाहिए तथा निःशुल्क शिक्षा के निर्धारित अनुपात की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सामाजिक वर्गों के अलगादव को रोका जा सके। तथापि, इससे संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) जी, नहीं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए मानदंड

1517. **श्री बनवारी लाल बेरवा** :

श्री लालाराम केन : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के क्या मानदंड हैं ;

(ख) राजस्थान राज्य में जिलावार उच्चतर माध्यमिक स्तर के कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं ; और

(ग) क्या नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) केन्द्रीय विद्यालयों (सैण्ट्रल स्कूल्स) का मुख्य उद्देश्य, केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। ये विद्यालय उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहां पर रक्षा और अर्ध-सैनिक कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी संकेन्द्रित हों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या उच्च शिक्षण की संस्थाएं स्थित हैं। इन स्कूलों के उन स्थानों पर चरणबद्ध रूप में खोला जाता है जहां इनकी मांग होती है और जहां प्रायोजित-प्राधिकरणों द्वारा भूमि आदि के रूप में अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ।

(ख) अलवर	1
भरतपुर	1
बीकानेर	1
जयपुर	2
जोधपुर	2
झुनझुनु	1
कोटा	1
उदयपुर	2
कुल	11

(ग) चालू शैक्षिक वर्ष के दौरान, दो केन्द्रीय विद्यालय एक अजमेर जिले में तथा दूसरा श्री गंगानगर जिले में पहले ही संस्वीकृत कर दिए गए हैं। चालू शैक्षिक वर्ष के दौरान, टौंक जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का एक और प्रस्ताव केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में रुग्ण ताप विद्युत संयंत्र

1518. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के अन्य ताप बिजली एककों का निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उन ताप बिजली एककों की संख्या क्या है जो रुग्ण हैं और जिनकी स्थिति खराब हो गई है तथा जो ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं ; और

(ग) इन दोषों के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं और ? ;

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० और इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा आदि के इंजीनियरों के संयुक्त दलों ने राज्यों में अनेक ताप विद्युत केन्द्रों का दौरा किया है। इन दलों ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित नवीकरण तथा आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत मरम्मत के लिए 161 ताप विद्युत यूनिटों का पता लगाया है। इनका कार्यानिष्पादन असंतोषजनक होने के कारणों में निम्नलिखित शामिल है :—

1. संयंत्र और उपस्कर का अधिक पुराना होना।

2. मूलत परिकल्पित की गई गुणवत्ता से घटिया गुणवत्ता वाले कोयले की सप्लाई।

3. संयंत्र और उपस्कर प्रणालियों की डिजाइन संबंधी कमियां।

[अनुवाद]

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण

1519. **श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा।

(ख) तत्संबंधी विवरण क्या है ; और

(ग) हमारे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण और संचालन के बारे में क्या मार्गदर्शी सिद्धांत हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने तथा इनके भवनों के निर्माण का कार्य राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। फिर भी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्माण कार्यक्रम कार्य की गति तेज करने की सलाह दी गई है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे हेतु निर्माण कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण करते समय पिछड़े आदिवासी पहाड़ी दूर-दराज और अनुसूचित जाती वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की सलाह भी दी गई है। सातवीं योजना के विचार-विमर्श के दौरान 1294 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 9259 सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

छठी योजना के दौरान रेलवे के विकास पर व्यय की गयी धनराशि

1520. **श्री राजकुमार राय :** रेल मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि छठी योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : रेलों के खाते राज्य-वार नहीं बल्कि रेलवे-वार, मंडल-वार और परियोजना-वार रखे जाते हैं। इनमें से अधिकांशतः राज्यों की सीमाओं के पार भी होते हैं। वहरहाल, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में रेलों की विकास परियोजनाओं पर खर्च की गयी राशि लगभग 183 करोड़ रुपये थी।

[अनुवाद]

कलकत्ता पत्तन न्यास को राज सहायता

1521. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता पत्तन प्रबन्ध को राज सहायता दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता पत्तन प्रबन्ध को कितनी राशि की वार्षिक राज सहायता दी गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) हुगली नदी में निकर्षण और हल्दिया की ओर जाने वाली नौवहन चैनेल को गहरा बनाए रखने से प्रत्यक्षत: संबंधित कार्यों/मदों पर व्यय के लिए 90 प्रतिशत धनराशि के भुगतान की संस्वीकृति वर्ष 1984-85 के अन्त तक दी गई थी।

(ख) वर्ष	अदा की गई धनराशि (करोड़ रुपये)
1982-83	15.50
1983-84	30.00
1984-85	21.50

चिकित्सा सेवाओं तथा लोक स्वास्थ्य के लिए भारत और सोवियत संघ द्वारा किया गया करार

1522. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने चिकित्सा सेवाओं और लोक स्वास्थ्य के नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए सोवियत संघ के साथ कोई करार किया है ;

(ख) क्या सरकार अन्य देशों के साथ भी इसी प्रकार के करार करने पर भी विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ ये करार किए जा रहे हैं किए गए हैं और पता लगाए जा रहे नए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) भारत और सोवियत संघ ने पहले से निर्धारित क्षेत्रों में सहयोग के अलावा कुछेक नए क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए फरवरी, 1985 में नई दिल्ली में एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत ने हंगरी, पोलेण्ड और मंगोलिया के साथ पहले ही सहयोग-योजना पर हस्ताक्षर किए हुए हैं तथा फ्रांस, बलगेरिया और चेकोस्लोवाकिया के साथ सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है।

अम्बरनाथ रेलवे स्टेशन पर ऊपरि पुल

1523. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बर नाथ रेलवे स्टेशन पर सड़क यातायात के लिए ऊपरि पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि अम्बरनाथ और उल्हासनगर रेलवे स्टेशन पर कोई सूचक चिन्ह (इंडीकेटर) नहीं है और प्लेटफार्म पर कोई शेड भी नहीं है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) इस कार्य की सामान्य अभिन्यास योजना (ले-आउट प्लान) का अनुमोदन हो गया है। पुल खास पर रेलवे के हिस्से के कार्य-निष्पादन के ठेके को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(ग) अम्बरनाथ तथा उल्हास नगर स्टेशनों पर विशिष्ट स्थानों पर लकड़ी के संकेतक लगा दिए गए हैं। उल्हासनगर स्टेशन पर बिजली संकेतक लगाने के कार्य को मंजूरी दे दी गयी है।

इन दोनों स्टेशनों पर प्लेटफार्मों पर मौजूदा शेड इस प्रकार हैं :

अम्बरनाथ		
द्वीप डाउन प्लेटफार्म		
नं० 1 और 2	=	98 मी०X11 से 7 मी०
अप प्लेटफार्म नं० 3	=	45 मी०X6.80 मी०
उल्हासनगर		
अप प्लेटफार्म	=	154 मी०X6 मी०
डाउन प्लेटफार्म	=	69 मी०X6 मी०

बंगला देश के बांध के कारण पश्चिमी बंगाल क्षेत्रों में बाढ़

1524. **श्री रेणु पद दास** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलादेश सरकार द्वारा कोडला नदी पर जो भारत-बंगलादेश सीमा के साथ बहती है तट-बंध के निर्माण से पश्चिम बंगाल के 24-परगना जिले के बॉन गांव के एक बड़े क्षेत्र में बाढ़ आएगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने यह सूचित किया है कि बंगलादेश प्राधिकरण कोडला नदी पर, जो भारत-बंगलादेश सीमा के साथ बहती है, तटबन्ध का निर्माण कर रहा है और जिससे 24-परगना जिले के बॉन गांव सब-डिवीजन का एक बड़ा कृषि क्षेत्र जल-मग्न हो जाएगा। 24 परगना के जिलाधीश ने उपायुक्त जेसौर (बंगलादेश) को पहले ही अनुरोध करते हुए पत्र लिखा है कि तटबन्ध के निर्माण को बन्द करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। मुख्य इंजीनियर, पश्चिम बंगाल, ने भी, जो संयुक्त नदी आयोग की स्थानीय स्तर की समिति के अध्यक्ष हैं, इस मामले को बंगला-देश से अपने प्रतिपक्षी के साथ उठाया है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तीन जहाजों की सुपुर्दगी में विलम्ब

1525. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० विशाखापत्तनम द्वारा "हैच कवर्स" आदि के दोषपूर्ण डिजाइन और दोषपूर्ण निर्माण के कारण शिपयार्ड संख्या वी० सी० 171014, वी० सी० 171015 और 171015 (एम० वी० स्टेट आफ उड़ीसा) के तीन जहाजों की सुपुर्दगी में विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त प्रत्येक पोत के संबंध में इसके कारण कितना विलम्ब हुआ और सुपुर्दगी में इस विम्लब के कारण कितनी राशि की पूंजी अवरुद्ध हुई ; और

(ग) क्या सरकार ने सुपुर्दगी में विलम्ब के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) शिपयार्ड के तीन जहाजों बी० सी० 171014, 171015 और 171016 में गलत निर्माण अथवा उनमें हैच कावर्स को डिजायन में कोई त्रुटि नहीं रही है। भारतीय कंपनियों से 16 महीने से 35 महीने तक हैच कावर्स और अन्य उपकरणों की प्राप्ति में देरी के कारण ही इन जहाजों की डिलीवरी में देरी हुई है और इसके कारण शिपयार्ड के निर्माण कार्यक्रम में गड़बड़ी हुई है। कुछ मामलों में मालिकों ने काफी देर के बाद अपनी आवश्यकताओं और हैच कावर्स की विशिष्टयों में परिवर्तन किए जिसके कारण इनकी डिलीवरी में देरी हुई।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं होता।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० द्वारा जहाज निर्माण कार्यो का "आफलोडिंग"

1526. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाज निर्माण कार्यो का बड़े पैमाने पर "आफ-लोडिंग" करके हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम द्वारा लागत और जहाज निर्माण चक्र में कोई कमी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार फालतू हुए कर्मचारियों का वर्ग-वार ब्योरा क्या है तथा उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए कौन सा तरीका अपनाए जाने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) विश्व भर के जहाज निर्माण इकाईयां जहाज के निर्माण की लागत को कम करने और कम समय में काम पूरा कराने के लिए सहायक उद्योगों, लघु ओद्योगिक इकाइयों, बेरोजगार प्रशिक्षुओं में काम को वितरित कर देती हैं। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के मामले में भी काम को वितरित से लागत में कमी लाने और कम समय में काम पूरा कराने में मदद मिली है। इस कारण किसी व्यक्ति को फालतू घोषित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० द्वारा कार्य-स्थगन प्राइवेट पार्टियों को ठेका देना

1527. **श्री एस० एम० भट्टम : क्या नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक उद्योगों के विकास और जहाज निर्माण की लागत में कमी करने के प्रयोजन से हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० विशाखापत्तनम द्वारा पहले प्रारम्भ किए कार्यों को त्यागा गया है। प्राइवेट पार्टियों को ठेका दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार त्यागे गए/ठेके पर दिए गए कार्यो की पृथक-पृथक लागत सहित उनका ब्योरा क्या है और यह कार्य किन-किन प्राइवेट फर्मों द्वारा किया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) शिपयार्डों द्वारा कीमत कम करने और जहाज निर्माण में कम समय लगने की दृष्टि से सहायक उद्योगों को निर्माण कार्य सौंपने का काम जहाज निर्माण कार्य कलाप की एक सामान्य प्रक्रिया है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा जितनी कीमत का काम जिन फर्मों को सौंपा गया, उनकी सूची संलग्न विवरण में है।

विवरण

जो काम सौंपे गए हैं, वे हैं ढांचें का निर्माण पाइप का निर्माण और उसे खड़ा करना तथा अन्य छोटे-मोटे कार्य उन पार्टियों के नाम जिनको काम सौंपा गया है और जिन पर काम चल रहा है तथा उनकी कीमत नीचे दी गई है :—

मैसर्स	रुपये
X1. भारत स्टील फवरिकेशन बर्कस	6,82,105
X2. कमफर्ट इंडस्ट्रीज	4,19,652
X3. सोलरपिरामिड्स	4,60,802
X4. श्री वेंकटश्वराइंटर प्राइजज	1, 87,000
X5. अशोक इंडस्ट्रीज	4,38,593
X6. सन राइज इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज	5,15,000
7. कपासी बिल्डर्स (प्रा०) लि०	8,91,000
8. कल्याण चक्रवर्ती इंजीनियरिंग वेंचरे	9,37,000
9. अदित्य कन्सट्रक्शन कारपोरेशन	2,85,000
10. राघ इलेक्ट्रीकल्स	2,50,000
11. ललिता इंजीनियरिंग इंटरप्राइजज	2,59,000
12. ओमेगा इलेक्ट्रीकल्स	4,46,000
13. नवयुग इंजीनियरिंग वर्क्स	6,19,000
14. अन्सा स्ट्रकचरलस	4,17,000
15. मास्टर मैटल प्रॉडक्टस	3,30,000
16. अनिल इंटरप्राइजज	1,86,000
17. इंजीनियर्स गिल्ड	1,06,000
18. श्री निवास जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स	1,67,984
19. स्ट्रक्चरस	2,31,000
X20. वेंकटश्वर मोटर वर्क्स	1,48,700
X21. यूनाइटेड इंजीनियरर्स (इंडिया)	1,45,000
22. भावना इंजीनियरिंग कारपोरेशन	1,81,000
23. विजया आउटफिट इलेक्टोर्स	97,500
24. प्रसना इंजीनियरिंग वर्क्स	75,000
25. प्रफेक्ट इंजीनियरिंग	88,000

1	2
26. विजाग इंजीनियरिंग वर्क्स	69,850
27. विजया दुर्ग इंजीनियरिंग वर्क्स	50,000
28. प्रीति स्टीन फर्नीचर वर्क्स	50,000
29. श्री नाग इंस्ट्रीज	44,000
30. यनिक फबस	44,000
31. भास्कर इंजीनियरिंग वर्क्स	30,000
32. कालीकम्बा इंजीनियरिंग वर्क्स	20,000
33. इंजीनियरिंग कारपोरेशन इंडिया	50,000
34. रिवथी फब्रीकेटर्स	40,000

X मानवता प्राप्त सहायक उद्योगों में जबकि अन्त सभी सरकार के पास पंजीकृत लघु उद्योग यूनिटें हैं।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० के बड़े अधिकारियों द्वारा ठेका उप-ठेका त्यागे गए निर्माण को लेना अथवा उनसे सम्बन्ध होना

1528. **श्री एस० एम० भट्टम** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छुट्टी पर चल रहे केन्द्रीय सरकार के सरकारी उपक्रमों के बड़े अधिकारियों को संबद्ध सरकारी उपक्रमों जिनमें वे नियोजित हैं, के ठेकों उप-ठेकों छोड़ गए कार्यों को हाथ में लेने उनसे संबंध होने के बारे में पात्रता प्रदान करने के संबंध में कोई नीति संबंधी निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० विशाखापत्तनम में भी इस प्रकार की प्रथा विद्यमान है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं।

(ख) 1983 में इस प्रकार का 1 मामला सामने आया था जिसमें संबंधित व्यक्ति ने छुट्टी ली थी और एक सहायक उद्योग स्थापित किया था। बाद में उसने त्याग पत्र दे दिया था।

उच्च ताप बिजली घर की स्थापना

1529. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उच्च ताप बिजली घरों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक उच्च ताप बिजली परियोजना के लिए चालू वर्ष के बजट में कितनी-कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) इन उच्च ताप बिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अथवा विदेशी वित्तीय संस्थाओं से हो रही वार्ताओं में कितनी प्रगति हुई है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) छः निर्माणधीन सुपर ताप विद्युत केन्द्रों के लिए 1985-86 में किया गया प्रावधान निम्नानुसार है ; सिंगरौली 180.65 करोड़ रुपये, कोरबा 215.35 करोड़ रुपये, रामगुण्डम 158.58 करोड़ रुपये फरक्का 142.13 करोड़ रुपये, विंध्याचल 202.84 करोड़ रुपये, और रिहन्द 368.80 करोड़ रुपये कहलगांव, मुराद नगर और तालचेर सुपर ताप विद्युत परियोजाओं के लिए भी क्रमशः 15.73 करोड़ रुपये 15 करोड़ रुपये और 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ग) सिंगरौली, कोरबा, रामगुण्डम, फरक्का, विंध्याचल हिन्द और कहलगांव परियोजनाओं के लिए विदेशी स्रोतों से वित्तीय सहायता के लिए पहले से बातचीत की जा चुकी है। अन्य परियोजनाओं के लिए कोई विदेशी वित्तीय सहायता संबद्ध नहीं की गई है।

उड़ीसा में स्थापित कुष्ठ रोगी पुनर्वास केन्द्र

1530. **श्री जयन्ती पटनायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में स्थापित कुष्ठ रोगी पुनर्वास केन्द्रों की संख्या क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों में, इन पुनर्वास केन्द्रों में कितने कुष्ठ रोगियों को प्रशिक्षण और पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराई गई ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन पुनर्वास केन्द्रों को कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई ;

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य केन्द्रीय सहायता से एक कुष्ठ पुनर्वास संवर्धन इकाई बायरोई कटक में स्थापित का गई है। अब तक लगभग 350 कुष्ठ रोगियों को प्रशिक्षण और पुनर्वास सुविधाएं दी जा चुकी हैं कुष्ठ पुनर्वास संवर्धन इकाई के निर्माण के लिए राज्य सरकार को मार्च, 1985 के अंत तक 14 लाख रुपये की रकम दी जा चुकी है।

मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

1531. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए मध्य प्रदेश में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनुमोदित माध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजना की संख्या क्या है ; और

(ख) उनका क्या ब्यौरा है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अप्रैल 1985 से सातवीं योजना अवधि के शुरू होने से सब तक केन्द्रीय जल आयोग ने मध्य प्रदेश की कोई बृहद अथवा मध्यम सिंचाई परियोजना स्वीकृत नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्क्रैपिंग के लिए पुराने पोतों पर सीमा शुल्क माफ करना

1532. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से यह मांग की गई है कि संकट ग्रस्त शिपिंग उद्योग की आर्थिक स्थिति को सुधारने और जहाज तोड़ने वाले एककों को अपेक्षित व्यापार हासिल करने योग्य बनाने के लिए उन बेकार तथा पुराने हो चुके जहाजों पर सीमा शुल्क माफ किया जाये जो जहाज तोड़ने वाले एककों को भेजे जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) वित्त मन्त्रालय ने जो संबंधित मन्त्रालय हैं, तोड़ने के लिए आयात किए गए जहाजों पर सीमा शुल्क को कम करने/युक्ति संगत बनाने के प्रश्न की जांच की है, किन्तु इसने ऐसे जहाजों पर वसूले जाने वाले सीमा शुल्क में किसी प्रकार की छूट देने का कोई औचित्य नहीं पाया है जिन भारतीय जहाजों को स्क्रैपिंग के लिए बेचा गया है, उन पर वसूले जाने वाले सीमा शुल्क की दर के विषय को वित्त मन्त्रालय द्वारा गठित अध्ययन दल को शिपब्रेकिंग इंडस्ट्री के बारे में मौजूदा नीति की समीक्षा करने के लिए सौंप दिया गया है।

कोचीन टर्मिनल के लिए वैगनों का आबंटन

1533. **श्री टी० बशीर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कोचीन टर्मिनल को वर्ष-वार कितने वैगन आबंटित किए;

(ख) क्या हाल में कोचीन के लिए वैगनों के आबंटन में कोई कमी की गयी थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कोचीन से रेल विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल कितने टन समान की ढुलाई की गई ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान कोचीन बन्दरगाह टर्मिनल को आबंटित किए गए माल डिब्बों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	आबंटित माल डिब्बों की संख्या
1982-83	16,365
1983-84	19,697
1984-85	20,299

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान कोचीन बन्दरगाह टर्मिनल से रेलों द्वारा ढोया गया गया कुल टन भार इस प्रकार है :—

वर्ष	ढोये गए कुल टन भार
1982-83	2,51,000
1983-84	3,04,288
1984-85	3,22,106

राष्ट्रीय राज मार्गों पर रबड़ की सतह बिछाना

1534. **श्री टी० बशीर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर रबड़ की सतह बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 को उस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सड़कों पर रबड़ की सतह डालने के विषय पर विस्तृत अध्ययन किया गया जिसमें इसे पारम्परिक विशिष्टयों की तुलना में लाभप्रद नहीं पाया गया।

खड़गपुर रेलवे नगर की सड़कों की मरम्मत

1535. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मन्त्री खड़गपुर रेलवे नगर की सड़कों की खराब हालत के बारे में 4 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1977 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खड़गपुर रेलवे नगर (दक्षिण पूर्व रेलवे) की सड़कों की मरम्मत के काम को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या खड़गपुर की सड़कों की मरम्मत का काम पूरा हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उपरोक्त काम कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (ग) खड़गपुर रेलवे कालोनी में 16 कि०मी० सड़क की मरम्मत का काम 30-6-85 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था और उसे पूरा कर लिया गया है। शेष भाग में जहां कहीं आवश्यकता थी, मरम्मत कर दी गयी है। आगे काम उपलब्ध धन की सीमा के भीतर रहते हुए वर्षाकाल के बाद किया जायेगा।

दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कदम

1536. **श्री सनत कुमार मन्डल** : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान उपबन्धों से अधिक कठोर और प्रभावी बना कर, विवाहों में होने वाले आडम्बरपूर्ण खर्च पर प्रतिबंध लगाकर तथा बहुमूल्य वस्तुओं में लेन-देन को अपराध घोषित करके विशेषकर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में दहेज प्रथा को पूर्णत: समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : दहेज निषेध अधिनियम, 1961 में 1984 में संशोधन किया गया था ताकि अपराध को दण्डनीय बनाया जाए ;

जुर्माना और जेल की सजा दोनों में वृद्धि की जा सके तथा अधिनियम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसका क्षेत्र बढ़ाया जाए। संशोधित अधिनियम के अंतर्गत नियम विधि मन्त्रालय बना रहा है। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, आचार संहिता में (नियम 13-ए) पहले से ही स्पष्ट व्यवस्था है जिसमें उन्हें दहेज देने या लेने अथवा लेन देन के लिए प्रेरित करने या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करना निषेध है ।

प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बों (कोचेज) को वातानुकूलित—टू टायर कोचों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव

1537. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई गाड़ियों में प्रथम श्रेणी के सभी सवारी डिब्बों को वातानुकूलित टू टायर कोचों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक परिवर्तित किए जाने का विचार है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) उपयुक्त भाग (क) का उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठती ।

बढ़ती हुई दुर्घटनाओं के कारणों के बारे में महानगर परिवहन संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी की रिपोर्ट

1538. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हुए महानगर परिवहन संबंधी राष्ट्रीय गोष्ठी में कुछेक ऐसे कारणों की जानकारी मिली जिनकी वजह से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उसमें दिए गए सुझावों पर कोई कार्यवाही की गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या हैं ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ङ) सेमिनार ने परिवहन प्रबन्ध द्वारा बढ़ी हुई सड़क और यातायात सुरक्षा के साथ-साथ गाड़ियों की जांच, विनियमन, प्रवर्तन और लोक शिक्षा को अपनाने की सिफारिश की है ।

मेट्रोपलोटिन शहरों में सड़क दुर्घटनाओं के लिए मुख्य कारण गाड़ी आबादी में काफी बढ़ोत्तरी गाड़ियों के प्रकार, सड़क पर भीड़-भाड़ गाड़ियों की त्रुटिया, गाड़ी चलाने की बुरी आदतें आदि हैं । सड़क सुरक्षा उपायों को यातायात प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और शिक्षा पर दबाव डालकर दुर्घटनाओं के मामलों को कम करना है । राज्य सरकारों से वरिष्ट अधिकारियों द्वारा अचानक जांच के माध्यम से पर्यवेक्षण के अलावा गाड़ियों के ठीक होने का प्रमाण पत्र और ड्राईविंग लाइसेंसों की मंजूरी से संबंधित नियमों और विनियमों को कड़ाई से लागू के लिए कहा गया है गाड़ी चलाने की क्षमता और आदत में सुधार लाने के लिए विस्तृत प्रशिक्षण हेतु दिल्ली में एक ड्राइवर के प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना की गई है । इसी प्रकार के स्कूलों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है । ड्राईविंग लाइसेंस को साथ रखने और आसानी से पहचान के लिए उस पर फोटो चिपकाने को अनिवार्य बनाने के अलावा, यातायात उपराधों को अधिक दण्डनीय बनाने के लिए जुर्माने की राशि में वृद्धि कर दी गई है । राज्य सरकारों से सुरक्षा के संबंध

में य दृश्यों और प्रदर्शती पद्धति से बच्चों और सड़क प्रयोक्ताओं को शिक्षा देने का भी अनुरोध किया गया है।

आठवें वित्त आयोग के पंचाट के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में पता लगे पिछड़े क्षेत्र

1539. श्री गिरधर गोमांगो : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवें वित्त आयोग के पंचाट के आधार पर स्तर को सुधारने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में पता लगाए गए पिछड़े राज्य और क्षेत्र कौन से हैं ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को यह जानकारी है कि राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में पृथक योजनाओं और योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं की ओर विशेष ध्यान देने और स्तर सुधारने की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो आयोग द्वारा सिफारिश की गई धनराशि में से आदिवासी क्षेत्रों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए इस धन राशि के उपयोग हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) आठवें वित्त आयोग को सौंपे गए विचारार्थ विषयों की धारा 5 (vi) के अनुसार आयोग ने अविकसित क्षेत्रों के स्तर तथा सेवाओं को बढ़ाने के लिए राज्यों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन इस बात को ध्यान में रखकर करना था कि उन्हें अधिक विकसित राज्यों के स्तर तक लाया जा सके । आयोग ने निम्नलिखित बातों से सम्बन्धित योजनाओं को लागू करके स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 89.88 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं :—

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में ग्रामीण भत्तों की मंजूरी ।

(ii) जिन डाक्टरों को सरकारी मकान नहीं मिला है, उन्हें मकान किराया भत्ता देना ।

(iii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत सभी डाक्टरों के लिए स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण ।

(iv) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को व्यवसाय से सम्बन्धित उपकरण सप्लाई करना ।

(ख) और (ग) जी हां, केन्द्र सरकार ने जनजातीय प्रशासन के लिए अनुदान बढ़ाने के हेतु एक कार्य योजना तैयार करने के लिए राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ।

बड़ानाला सिंचाई परियोजना के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराना

1540. श्री गिरिधर गामांगों : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान, उड़ीसा सरकार द्वारा कोरापुट जिले में बड़ा नाला मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए वर्ष-वार कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी ;

(ख) छठी योजना के दौरान उस राज्य को दी गई कुल ऋण सहायता में से इस परियोजना के लिए कितना विश्व बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया ;

(ग) क्या यह परियोजना सातवीं योजना की समाप्ती से पहले पूरी हो जाएगी ; और

(घ) यदि हां, तो सातवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा इसके वित्त पोषण तथा अन्य संबंध मामलों में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार छठी योजना अवधि के दौरान बड़ानाला मध्यम सिंचाई परियोजना पर कुल व्यय लगभग 34 मिलियन रुपए था। वर्षवार व्यय निम्नवत् है :

	(मिलियन रुपए में)
1980-81	0.032
1981-82	3.448
1982-83	9.893
1983-84	2.831
1984-85	17.650

(ख) यह परियोजना 18 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से एक है जो 53 मिलियन अमरीकी डालर की आई० डी० ए० ऋण सहायता के लिए शामिल की गई है, जो 3/83 तक लागू था तत्पश्चात् 105 मिलियन अमरीकी डालर की रिपीटर परियोजना शुरू की गई जो दिसम्बर, 1987 तक लागू है। मई 1985 तक समग्र रूप में ऋण का कुल उपयोग 73.65 मिलियन अमरीकी डालर है ("चरण-एक के अन्तर्ग 49-4 मिलियन डालर तथा चरण-दो के अंतर्गत 24.25 मिलियन डालर") । ये आंकड़े कुल मिलाकर 18 परियोजनाओं से संबंधित हैं। बड़ानाला परियोजना के संबंध में विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) परियोजना की निर्माण-सारिणी में इसको सातवीं योजना अवधि के अंत तक पूरा किए जाने की परिकल्पना है।

(घ) सातवीं योजना के प्रथम वर्ष के, लिए राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 25 मिलियन रुपए आंबटित किए हैं।

छठी योजना के दौरान बिहार में रेल परियोजनाएं

1541. **श्री प्रकाश चंद्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में कितनी नई रेल परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया गया ; और

(ख) इनकी वास्तविक रूप से तथा वित्तीय रूप से अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में शुरू की गयी प्रत्येक एक करोड़ रुपए से अधिक लागत की नयी रेल परियोजनाओं का ब्यौरा और इनकी वास्तविक तथा वित्तीय रूप से हुई प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

छठी योजना के दौरान बिहार में स्वीकृत की गयी (प्रत्येक एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली) रेल परियोजनाएं

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

क्रम० सं०	कार्य का नाम	निर्माण कार्यक्रम ... वर्ष	प्रत्याशित लागत	31-3-85 तक खर्च	1985-86 के लिए परिव्यय	वास्तविक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
दोहरी लाइन बिछाना						
1.	क्यूल-जालपुर-भागलपुर	1980-81	16·80	2·00	2.10	21·/.
अन्य यातायात सुविधाएं						
2.	मुगमा— लूप लाइनों की व्यवस्था	1982-83	1·25	0.41	0.20	32·/.
3.	कुदरा-अतिरिक्त ग्रिड सब-स्टेशन की व्यवस्था	1984-85	1·74	0·10	0·20	5·/·
कारखाने और रोड						
4.	जमालपुर-डीजल रेल इंजनों को आवधिक ओवरहाल के लिए सुविधाओं की व्यवस्था	1979-80	3·73	2·30	1·61	70·/.

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

1	2	3	4	5	6	7·/.
5·	जमालपुर—भाप टर्बाइन और उपकरकों के बदलाव	1981-82	1·21	0·60	0·50	48·/.
6·	बोकरो स्टाल सिटी—एक डीजल शंटर शेड का निर्माण	1981-82	2·67	0.60	0·0001	5·/.
विद्युत सम्बन्धी काम						
7.	टाटानगर —132/25 के० वी० के अतिरिक्त कर्षण सब स्टेशनों की व्यवस्था	1984-85	1·18	0·02	0.07	10·/.
रेलवे विद्युतीकरण के कार्य						
8·	चन्द्रपुर कम्प्लेक्स का विद्युतीकरण	1980-81	33·54	25·74	7·65	51·5·/.
9.	सीतारामपुर-मुगलसराय खण्ड का विद्युतीकरण जिसकाचितरंजन- चौसा (436 मार्ग कि० मी०) भाग बिहार में पड़ता है।	1981-82	86-62	0.0001	0·0001	कुछ नहीं

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

1	2	3	4	5	6	7
सिगनल और दूर संचार						
10.	गोरखपुर-कटिहार खंड-मौजूदा सूक्ष्मतरंग रेडियो उपस्कर का सालिड स्टेट 960 चैनल उपस्कर से बदलाव	1984-85	4.35	0.17	0.05	—
11.	हवड़ा-मुगलसराय खंड पर बेतार के माध्यम से नियंत्रण संचार परिपथन-चरण-1-गया—मुगलसराय।	1982-3	8.05	4.19	1.99	33./.
12.	हवड़ा-मुगलसराय खंड पर बेतार के माध्यम से नियंत्रण संचार परिपथन-चरण-1—प्रधानकांटा-धनबाद गया	1984-85	9.82	0.02	0.25	—
निम्न लिखित के बीच ऊपरी सड़क पुल						
			रेलवे का हिस्सा			
13	पटना जं० और पटना	1982-83	0.59			

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

1	2	3	4	5	6	7
	साहिब-समपार सं० 76 बी० पर		राज्य सरकार का हिस्सा 1.39	0.41	0.15	70·/·
			रेलवे का हिस्सा			
14.	पटना जं० और फुलवारी शरीफसरपार सं० 79 पर का हिस्सा	1982-83	0.70			
			राज्य सरकार 0.61	0·24	0·15	33·/·
			रेलवे का हिस्सा			
15.	मोतीहारी और सेमरा समपार सं०	1982-83	0.41			
			राज्य सरकार का हिस्सा 0·69	0·16	0·03	30·/·

विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय विद्युत परियोजनाएं

1542. **श्री बी०एस० कृष्णा अय्यर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने द्वि-पक्षीय सहायता के लिए कितनी विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) उक्त योजनाएं किन राज्यों में स्थित हैं;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने सहायता की पेशकश की है; और

(घ) क्या कर्नाटक राज्य की किसी विद्युत परियोजना को द्विपक्षीय सहायता के लिए शामिल किया गया है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नहरू) : (क) और (ख) हाल ही में, उत्तर प्रदेश में अनपारा चरण-दो और रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक, मध्य प्रदेश में विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक तथा बिहार में कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक सहित ताप विद्युत परि- योजनाएं पूर्वी गडक नहर (बिहार), लोअर भवानी, वैधाई और पिकारा (तमिलनाडु) और चमेरा (हिमाचल प्रदेश) जैसी जल विद्युत परियोजनाओं को द्विपक्षीय सहायता हेतु अनुमोदित किया गया है ।

(ग) वित्तीय सहायता देने वाले राज्यों में जापान, यू० के०, यू० एस० एस० आर० और कनाडा शामिल हैं ।

(घ) कर्नाटक में काली नदी जल विद्युत परियोजना चरण-एक के लिए अरब आर्थिक विकास हेतु कुवैत निधि से सह-वित्त व्यवस्था उपलब्ध हो सकती है ।

हुबली-शोलापुर मीटर गेज रेल-गाड़ी की गति बढ़ाना

1543. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हुबली और शोलापुर के बीच चलने वाली एक मीटर गेज रेल गाड़ी 200 मील की थोड़ी सी दूरी को तय करने में 12 घंटे का समय लगा देती है; और

(ख) यदि हां, तो इस गाड़ी की गति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया : (क) जी हां ।

(ख) इस खंड पर सवारी गाड़ियों के बहुत अधिक संख्या में ठहराव है । इनकी रफ्तार बढ़ाना तब ही सम्भव है जब इनके ठहरावों की संख्या में कमी की जाए । यदि ऐसा किया जाता है तो इसका भारी विरोध होगा । इसलिए यह वांछनीय नहीं है ।

भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलोर में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम

1544. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रबन्ध संस्थान बंगलौर में इस समय कौन-कौन पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं;

(ख) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए चयन की क्या पद्धति है और कितने लोगों को लिया जाता है;

(ग) क्या कर्नाटक के विद्यार्थियों को कोई प्राथमिकता दी जाती है; और

(घ) क्या केवल बंगलौर शहर के विद्यार्थियों को ही इन पाठ्यक्रमों के लिए चुना जाता है; और

(ङ) क्या राज्य के किसी भी गैर सरकारी प्रतिनिधि को प्रबन्ध बोर्ड में शामिल नहीं किया गया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) और (ख) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर प्रबन्ध में दो वर्ष की अवधि का एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, लगभग चार वर्ष की अवधि का एक शिक्षावृत्ति कार्यक्रम तथा व्यावसायी प्रबन्धकों के लिए कुछ अल्प अवधि प्रबन्ध विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। इस समय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम मे दाखिला क्षमता 120 है तथा शिक्षावृत्ति में 10 से 12 के बीच है। स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में पी० जी० पी० तथा शिक्षा-कार्यक्रमों में प्रवेश अखिल भारतीय आधार पर सामान्य प्रवेश परीक्षा द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) कर्नाटक राज्य से गैर-सरकारी प्रतिनिधियों को शासी बोर्ड में शामिल किया जाता है।

व्यस्त मार्गों पर दिल्ली परिवहन निगम को अतिरिक्त बसें चलाना

1545. **श्री चिंता मोहन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यालयों के समय में परिवर्तन के कारण सरकार का दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए व्यस्त मार्गों पर अतिरिक्त बसें चलाने का विचार है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रायल के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) कार्यालय समय में परिवर्तन होने से सरकारी कार्यालयों तक चलने वाली कुछ बस सेवाओं के समय में समंजन करने की जरूरत पड़ी। अब ऐसा कर दिया गया है। 3-6-85 से परिवहन की अतिनिक्त जरूरत पूरी करने की दृष्टि से नगर में अट्ठाईस अतिरिक्त ट्रिपे और चार नई रूटें चलाई गई हैं।

खुले वैगनों में खाद्यानों की ढलाई

1546. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में कोई शिकायत आई हैं कि खाद्यान्नों को राज्यों को भेजते समय इन्हें खुले वैगनों में भेजा जाता है और वह बरसात के मौसम में प्राय: भीग जाता

है तथा मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो खुले वैगनों में खाद्यान्नों की ढुलाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में उच्च ताप बिजली संयंत्र की स्थापना

1547. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने बिजली संकट के हल के लिए राज्य में सुपर ताप बिजली संयन्त्रों की स्थापना हेतु और अधिक राशि आंवटित करने के बारे में केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो भेजे गए प्रस्तावों एवं मांगी गयी राशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उक्त ताप बिजली संयन्त्रों की स्थापना कब तक कर दिए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) सातवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में तलचेर ताप विद्युत परियोजना (2x500 मेगावाट) स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने राज्य क्षेत्र में इन घाटी ताप विद्युत परियोजना (4x210 मेगावाट) स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है। उड़ीसा सरकार के अनुसार, इस परियोजना के लिए सातवीं योजना में 551 करोड़ रु० की आवश्यकता है जिसमें से सातवीं योजना में 200 करोड़ रु० की व्यवस्था की जाएगी और शेष संस्थागत वित्तीय साधनों आदि से जुटाए जाएंगे। सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। निवेश सम्बन्धी निर्णय ले लिए जाने के बाद ही परियोजनाओं का क्रियान्वयन शुरू किया जा सकता है और चालू करने का कार्यक्रम निर्धारित किया जा सकता है।

सातवीं योजना में सिंचाई प्रणाली के लिए राज्यों के वास्ते नियत की जाने वाली राशि

1548. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों में सिंचाई प्रणाली में सुधार लाने के लिए राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सातवीं योजनावधि के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी राशि के ऋण दिए जायेंगे; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए कितनी ऋण राशि का अनुमोदन किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (ग) सिंचाई प्रणालियों में सुधार की स्कीमों सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त-व्यवस्था तथा उनका कार्यान्वियन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा ऐसी सहायता किसी स्कीम विशेष अथवा विकास के सेक्टर से जुड़ी हुई नहीं होती है। तथापि, कमान क्षेत्रों के समेकित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत बराबरी की भागीदारी की स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार आन्ध्र प्रदेश को सहायता मिलेगी।

अधिक प्रकाश-स्तम्भ कर्मशालाओं की स्थापना

1549. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी प्रकाश स्तम्भ कर्मशालाएं हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या नौवहन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ये कर्मशालाएं देश की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की स्थिति में है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या देश में ऐसी और कर्मशालाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश में ऐसी कोई कर्मशाला स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी : (क) देश में छह दीपघर वर्कशाप हैं जो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, जामनगर, पोर्ट ब्लेयर और कोचीन में स्थित हैं।

(ख) जी।

(ग) से (ङ) देश में कोई नई वर्कशाप स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है आन्ध्र प्रदेश के समुद्री तट पर स्थित दीपघरों के अनुरक्षण का कार्य मद्रास और कलकत्ता स्थित वर्कशापों द्वारा किया जाता है।

तमिलनाडु में केन्द्रीय विद्यालय

1550. **श्री एन० डेनिस** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इस प्रकार के स्कूल किस आधार पर खोले जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार का तमिलनाडु में इस प्रकार के और स्कूल खोलने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों का उद्देश्य मुख्यतया: केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। ये विद्यालय उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहां पर रक्षा और अर्ध-सैनिक कार्मिक सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सकेन्द्रित हों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या उच्च शिक्षण के संस्थान स्थित हैं। इन स्कूलों को उन स्थानों पर चरण बद्ध रूप में खोला जाता है, जहां इन की मांग होती है और जहां प्रायोजित प्राधिकरणों द्वारा भूमि के रूप में अपेक्षित सुविधाएं आदि उपलब्ध कराई जाती हैं।

तमिलनाडु में वर्ष 1984-85 के दौरान 22 केन्द्रीय विद्यालय थे। उनके स्थान नीचे दिये गए हैं :—

अरुवन्कडू

कोयम्बटूर

कल्पाक्कम (2 केन्द्रीय विद्यालय)

कराईकुडी

मद्रास (12 केन्द्रीय विद्यालय)

मदुरै

ओटाकामुन्द

सुलुर

तिरुचिरापल्ली

विल्डिगटन

चालू वित्त वर्ष के दौरान, मद्रास में एक और केन्द्रीय विद्यालय खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कल्पाक्कम में एक दूसरा केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

थाणे-कोशी नगर बरास्ता बथुआ बाजार रेल लाइन

1551. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1972 में थाणे जंक्शन और कोशी नगर के बीच बरास्ता बथुआ बाजार एक रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस कार्य को पूरा न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को त्याग दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह रेल लाईन कब तक पूरी हो जाएगी तथा इस पर रेलगाड़ियां कब तक चलनी शुरू हो जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

बरौनी और नई दिल्ली के बीच एक अतिरिक्त रेल गाड़ी चलाना

1552. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बरौनी से नई दिल्ली आने वाली जयन्ती जनता एक्सप्रेस में यात्रियों की बहुत भीड़ रहती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यात्रियों को अपने स्थान के आरक्षण के लिए दो महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मार्ग पर यात्रियों को राहत देने और एक अतिरिक्त रेल गाड़ी चलाने के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कान्ति ताप विद्युत संयंत्र

1553. **श्री काली प्रसाद पांडेय** :

श्रीमती मनोरमा सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कान्ति में एक ताप बिजली केन्द्र स्थापित किया गया है ;

(ख) क्या इसमें बिजली उत्पादन जो अप्रैल 1985 से आरम्भ होना था, आरम्भ हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो बिजली के उत्पादन विलंब के कारण क्या हैं तथा कब तक बिजली का उत्पादन शुरू होने की संभावना है ; और

(ङ) इस ताप बिजली केन्द्र के किन-किन जिलों को बिजली सप्लाई किए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) कान्ति ताप विद्युत केन्द्र की पहली यूनिट 31 मार्च 1985 को चालू की गयी थी और निरीक्षण कर दिए जाने के बाद कुछ ही दिनों में विद्युत उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है।

(ङ) इस केन्द्र से उत्पादित विद्युत को राज्य विद्युत ग्रिड को दे दिया जाएगा और यह किसी विशेष क्षेत्र/उद्योग के लिए आबंटित नहीं हैं।

जनता द्वारा नशीली दवाओं के सेवन में वृद्धि के कारण

1554. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनता द्वारा नशीली दवाओं के सेवन में हो रही वृद्धि की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या नशीली दवाओं की लत छुडाने वाले क्लीनिकों के लोकप्रिय बनाने का कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि विभिन्न नशीली दवाओं के आदी लोगों का उपचार किया जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) औषधि व्यसन बढ़ जाने का मुख्य कारण औषधियां उपलब्ध होना और खतरा उठाने वाली जनसंख्या में वृद्धि होना है।

(ग) और (घ) औषधि व्यसन के उपचार की सुविधाएं बहुत से मुख्य अस्पतालों तथा चिकित्सा कालेजों में उपलब्ध हैं। इनमें समय-समय पर समुचित परिशोधन किया जाता है।

[हिन्दी]

पुन-पुन सिंचाई परियोजना

1555. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य के गया जिले में पुन-पुन सिंचाई परियोजना के संबंध में केन्द्र द्वारा मागे गए सभी स्पष्टीकरण के उत्तर दे दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या-क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने इस परियोजना के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर अपने उत्तर अभी तक नहीं भेजे हैं। राज्य सरकार को इस संबंध में अनुस्मरण कराया गया है।

समाज कल्याण योजना के लिए बिहार राज्य निधियों का आबंटन उपयोग

1556. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **समाज और महिला कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण योजना के अन्तर्गत 1984-85 में बिहार को कितनी राशि आबंटित की गई ; और

(ख) राज्य सरकार ने वास्तव में कितनी राशि का उपयोग किया ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) 4,34, 15, 724 रुपये

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

कन्टेनर टर्मिनल और जहाजों की मरम्मत करने वाले एककों में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा पूंजी निवेश का प्रस्ताव

1557. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र को देश की बन्दरगाहों पर कन्टेनर टर्मिनल और जहाजों की मरम्मत करने वाले एककों में पूंजी निवेश की अनुमति देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) कंटेनर टर्मिनलों आदि सहित पत्तन सुविधाओं में गैर सरकारी क्षेत्र के पूंजी निवेश की अनुमति देने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है। जहाज मम्मत सुविधाओं के मामलों में, पोर्ट ट्रस्टों को फ्लोटिंग ड्राई डाक्स जैसी जहाज मरम्मत सुविधाओं की स्थापना में, गैर सरकारी पूंजी निवेश के प्रोत्साहन देने की सलाह दी गई है ।

[हिन्दी]

भारत के चिकित्सा प्रतिनिधि का डेनेवर में हुए फेफड़ों संबंधी सम्मेलन में भाग लेना

1558. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय चिकित्सा विशेषज्ञ ने 12 जून, 1985 को

अमरीका के कोलोराडो राज्य में डेनेवर में हुए फेफड़ों संबंधी सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भोपाल गैस दुर्घटना, उसके प्रभावों और इलाज के संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्र करना था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

दैनिक यात्रियों द्वारा दिल्ली नई दिल्ली से चलने वाली मेल एक्सप्रेस गाड़ियों की आरक्षित सीटों पर बैठना

1559. **श्री विष्णु मोदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों से ये शिकायतें मिली हैं कि दैनिक यात्री दिल्ली और नई दिल्ली से चलने वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के डिब्बों में आरक्षित सीटों पर बैठ जाते हैं ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आरक्षित सवारी डिब्बों में चल टिकट परीक्षक/डिब्बा परिचर तैनात करते हैं जिन्हें हिदायतें हैं कि अनधिकृत यात्रियों को प्रवेश न करने दें। मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता से टिकट जांच कर्मचारी बहुधा अचानक जांच करते रहते हैं और जो लोग अनधिकृत रूप से यात्रा करते पाये जाते हैं उनको कानून के अनुसार दंड दिया जाता है। मासिक उपनगरीय टिकट भी आरक्षित डिब्बों में यात्रा के लिए अवैध कर दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आबू पर्वत मार्ग पर हेतामी जल विद्युत बांध परियोजना

1560. **श्री विष्णु मोदी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजस्थान में आबू पर्वत मार्ग पर हेतामी जल विद्युत बांध परियोजना के लिए एक योजना तैयार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना को क्रियान्वित करने के विचार से इसकी कोई रूप रेखा बनायी है ;

(घ) यदि हां, तो कब तक यह क्रियान्वित की जाएगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ङ) माउंट आबू बहु-उद्देशीय परियोजना के नाम से जानी जाने वाली इस स्कीम की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सितम्बर, 1983 को प्राप्त हुई। इस स्कीम में विद्युत उत्पादन के लिए 2X5 मेगावाट के यूनिटों की प्रतिष्ठापना, प्रतिवर्ष 1813 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की संभावना, पर्यटन तथा मत्स्य क्षेत्रों का विकास शामिल हैं। बहुद्देशीय परियोजना होने के कारण, जिसकी संवीक्षा अभी की जानी है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विद्युत उत्पादन भाग पर विचार किए जाने से पहले इस स्कीम को योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत किया जाना होगा। यह स्कीम तकनीकी व्यवहार्यता प्रतिष्ठापित हो जाने पर तथा योजना आयोग की निवेश संबंधी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद, कार्यान्वित की जा सकती है।

[अनुवाद]

मद्रास पत्तन पर फ्लोटिंग ड्राई डाक रिपेयर काम्पलैक्स स्थापित करना

1561. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि परामर्श दाताओं ने मद्रास पत्तन पर एक "फ्लोटिंग ड्राई डाक रिपेयर काम्पलैक्स स्थापित करने की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में प्राप्त हुए प्रस्तावों पर पिछले दो साल से कोई निर्णय नहीं लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने इस बारे में बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए गठित संचालन समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं क्योंकि इन सिफारिशों में नौवहन विकास निधि समिति से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता के संबंध में वस्तु स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया था और इस विषय पर समिति के तकनीकी सदस्यों के बीच काफी मतभेद

था। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट को पट्टे/किराए के लिए योग्य उद्यमियों से नए वाणिज्यिक आमंत्रित करने का अनुरोध किया है।

नेत्र शिविरों का आयोजन

1562. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि राजस्थान में नीम हकीमों द्वारा आयोजित नेत्र-शिविरों में इलाज कराने से 553 व्यक्ति दृष्टिविहीन हो गए हैं ;

(ख) क्या सरकार को देश के अन्य भागों में हो रही इसी प्रकार की घटनाओं की जानकारी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या नीम हकीमों द्वारा देश में किए जा रहे इस खतरनाक कार्य से निपटने के लिए सरकार का केन्द्रीय विधान लाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1981 और 1982 के वर्षों के दौरान नेत्र शिविरों में आपरेशन कराने के बाद जितने व्यक्ति आंखों की रोशनी खो बैठे उनकी संख्या इस प्रकार है :—

(i) राजस्थान राज्य में 18 व्यक्ति अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे।

(ii) मध्य प्रदेश में नीम हकीमों द्वारा आयोजित शिविरों में 22 व्यक्ति अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे।

(iii) हरियाणा में नीम हकीमों के कारण एक आंख प्रतिग्रस्त हो गई थी।

इन राज्यों में अथवा अन्य राज्यों में नीम हकीमों द्वारा लोगों को दृष्टिहीन बनाने का कोई और मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ग) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार नेत्र शिविरों का आयोजन संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पूर्वानुमति से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जाता है और उन्हें नेत्र शिविरों के आयोजन के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को लिखा गया है कि वे बिना अर्हता वाले व्यक्तियों को आंखों के आपरेशन करने से रोकने के लिए अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतें और सभी राजस्व, पुलिस तथा पंचायत तथा स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सतर्क कर दें कि वे ऐसे व्यक्तियों से कारगर ढंग से निपटें। इन मार्ग निर्देशों को देखते हुए, इस समस्या से निपटने के लिए केन्द्रीय कानून बनाना जरूरी नहीं समझा जाता।

जनसंख्या नियंत्रण संबंधी नये कार्यक्रम तैयार करना

1564. श्री बी० बी० देसाई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री के परामर्श से जनसंख्या नियन्त्रण के लिए कोई नया कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी घोषणा शीघ्र किए जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो जनसंख्या नियन्त्रित करने के लिए प्रस्तावित नई योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क), (ख) और (ग) जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आयोजित तथा कार्यान्वित किया जाता है जिसमें मौजूदा सामाजार्थिक परिस्थितियां भी शामिल हैं। इस प्रयोजन के लिए इस कार्यक्रम का लगातार मूल्यांकन किया जाता है, समस्या वाले प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाया जाता है और उचित अनुकूल रास्ता अपनाया जाता है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए है :—

	(लाखों में)
नसबन्दी	55.6
आई० यू० डी०	32.4
प्रचलित गर्भ—निरोधक उपयोग-कर्ता	95.1
खाई जाने वाली गोलियों के उपयोग कर्ता	9.6

दिल्ली परिवहन निगम के बस स्टापों पर शैल्टर

1565. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली/दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम के कितने बस स्टाप हैं और उनमें कितने स्टापों पर शैल्टरों की व्यवस्था की गई है तथा उनमें से कितने बिना छत के/हैं, अथवा टूटी छत के हैं; और

(ख) सभी बस स्टापों पर शैल्टर बनाने और एस्बेस्टास सीमेंट की टूटी हुई गायब हो चुकी चादरों को बदलने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) पूरे शहर में डी०टी०सी० के प्रचालन क्षेत्र में लगभग 5500 बस स्टाप हैं। इनमें से बस क्यू शेल्टर वाले 1528 बस स्टाप दिल्ली नगर निगम के और 137 बस स्टाप नई दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र हैं। बिना छत वाले/टूटी छत वाले बस क्यू शेल्टर की सं०-276 है जो सबके सब दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में हैं।

(ख) वर्तमान बस क्यू शेल्टर वाले स्टाप से संबंधित मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है : वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में लगभग 175 बस क्यू शेल्टर वाले बस स्टाप बनाने की योजना बना रही है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि० नई दिल्ली से मंत्रालय की लेखन सामग्री की खरीद

1566. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 14-7-1981 के कार्यालय ज्ञापन सं० 14/14/80-वेल्फेयर द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों, उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त और/अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य संगठनों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे लेखन सामग्री के लिए बिजली, सफाई के सभी सामान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि० नई दिल्ली से ही खरीदें;

(ख) उनके मन्त्रालय के अधीन आने वाले उन सभी कार्यालयों के क्या नाम हैं जो उक्त आदेश के अन्तर्गत आते हैं;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय के अधीन आने वाले सभी कार्यालय जिसमें दिल्ली परिवहन निगम शामिल है उक्त निर्देशों का पालन कर रहे हैं और ये सभी समान उक्त समिति से खरीद रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त आदेश के पालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) जी हां।

(ख) 1. सीमा सड़क विकास मंडल

2. सभी तोषण निधि प्राधिकरण

3. सम्पर्क अधिकारी, भारतीय नौवहन निगम, दिल्ली में

4. पोत निर्माण और पोत मरम्मत कार्यालय

5. लेखा नियंत्रक

6. परिवहन अनुसंधान प्रभाग

7. नौवहन विकास निधि समिति

8. अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग

9. अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय

10. महानिदेशक, दीपघर एवं दीप पोत

11. सम्पर्क अधिकारी, अंडमान लक्षद्वीप बन्दरगाह कार्य दिल्ली में

12. भारतीय सड़क निर्माण निगम

13. दिल्ली परिवहन निगम।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम के अलावा जिसकी खरीदने की प्रक्रिया अपनी अलग है अन्य सभी कार्यालय उक्त निदेशों का पालन कर रहे हैं।

(घ) दिल्ली परिवहन निगम को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में छोटी रेल लाइनों की बड़ी लाइनों में बदलना

1557. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में छोटी लाइनों, मीटर लाइनों और बड़ी लाइनों की कुल लम्बाई कितनी है; और

(ख) इनमें से छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) मध्य प्रदेश में आमान-वार रेल लाइनों का कुल मार्ग कि०मी० इस प्रकार है :—

आमान	कि० मी०
बड़ी लाइन	4302
मीटर लाइन	497
छोटी लाइन	948

(ख) ग्वालियर-भिंड छोटी लाइन के बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन का कार्य गुना से इटावा तक की बड़ी लाइन परियोजना का एक भाग है। इसे 1985-86 के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है।

मध्य प्रदेश की परिवहन समस्याओं के हल के लिए राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति के सुझाव

1568. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने मध्य प्रदेश की परिवहन समस्याओं के हल के लिए कुछ सुझाव दिए थे;

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (1980) ने सारे देश में परिवहन के विकास के लिए नीति के रूप में मोटे तौर पर सिफारिशें की हैं। इस समिति ने अलग-अलग राज्यों के लिए कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है।

विशिष्ट विषयों पर नीति सम्बन्धी उपायों की सिफारिश करते समय समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं। मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में इन सुझावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) सड़क विकास के लिए अगली बीस वर्षीय योजना के अंग के रूप में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों में वृद्धि करने के सन्दर्भ में निम्नलिखित मार्गों को शामिल करने का सुझाव है जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं :—

1. ग्वालियर-झांसी-खजुराहो-रेवा
2. नागपुर-उबैदुल्लागंज
3. जबलपुर-शहडोल-अंबिकापुर-गुमला
4. रायपुर-वाराणसी
5. रायपुर-बेरहामपुर
6. अहमदाबाद-इन्दौर-देवास-भोपाल
7. जयपुर-कोटा-ब्यौरा

जयपुर-कोटा-ब्यौरा मार्ग छठी योजना में पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है। इस समय मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले किसी भी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई सुझाव नहीं है।

[अनुवाद]

प्रताप नगर छोटा उदयपुर और मुजापुर तलता छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

1569. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रताप नगर छोटा उदयपुर और छुछापुरा-तंखता छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन लाइनों के बदलने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डिग्री स्तर पर कम्प्यूटर विज्ञान

1570. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कार्यक्रमों के स्तर पर जनशक्ति के विकास के लिए डिग्री स्तर पर सम्बद्ध विज्ञान और समाज विषय के साथ कम्प्यूटर विज्ञान विषय शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) विश्वविद्यालयों और कालेजों द्वारा प्रदत्त कला, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों को पुनंगठित करने के लिए वि० अ० आ० ने एक योजना तैयार की है। इस योजना में 3 विषयों में से किसी एक विषय के स्थान पर अनुप्रयोग उन्मुख घटक लागू करके विद्यमान तीन विषय के समूह को फिर से तैयार करने की परिकल्पना की गई है। वि० अ० आ० द्वारा तैयार करके विश्वविद्यालयों को भेजी गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं में यह सुझाव दिया गया है कि भौतिक और गणित से संबंधित पाठ्यक्रमों में उपकरण संचार, इलेक्ट्रानिकी, धातु-विज्ञान और कम्प्युटर विज्ञान, सोलिड स्टेट, साधन आदि जैसे विषय तीसरे अनुप्रयोग उन्मुख घटक के रूप में हो सकते हैं। आयोग पाठ्यक्रमों को पुनंगठित करने के कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए एक लाख रुपये प्रति वर्ष तक की सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। तदनुसार, विश्वविद्यालय कला, सामाजिक विज्ञान, और विज्ञान के डिग्री पाठ्यक्रमों में एक विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं।

केरल में 1984-85 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर खर्च की गयी तथा 1985-86 के लिए आबंटित राशि

1571. **श्री टी० बशीर :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्रों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) केरल में 1984-85 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितनी राशि खर्च की गई और 1985-86 के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है,

(ग) क्या इस राज्य में कोई अन्य नई योजना कार्यान्वित करने के बारे में सरकार विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी : (क) केरल राज्य से होकर दो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। ये हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 इन राष्ट्रीय राजमार्गों में विभिन्न खंडों पर सड़क और पुल निर्माण से सम्बन्धित बीस मुख्य कार्य हो रहे हैं। ये कार्य सड़कों को चौड़ा करने और मजबूत करने, मोड़ों का सुधार करने, बाई पासों और पुलों का निर्माण करने से सम्बन्धित हैं।

(ख) केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्ष 1984-85 में 765.95 लाख रुपये व्यय किये गए। वर्ष 1985-86 में व्यय के लिए 820 लाख रुपये नियत किए गए हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1985-86 के वार्षिक कार्यक्रम में केरल में सड़क और पुल निर्माण से सम्बन्धित 24 कार्यों के लिए 1260 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

6 वर्ष से 11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

1572. **श्री विष्णु मोदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बच्चे अब भी प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां गांवों में अब भी कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं और उन विद्यालयों की संख्या कितनी है जहां केवल एक शिक्षक है;

(ग) क्या 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने प्रत्येक राज्य में प्रत्येक गांव में एक-एक प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया है ;

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धि ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में उन सभी बच्चों के लिए तब तक निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है जब तक वे 14 वर्षों की आयु पूर्ण नहीं कर लेते। प्रारंभिक शिक्षा को सबको सुलभ कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने की वर्तमान लक्षित तिथि 1990 है। अनेक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा के विधान हैं, किन्तु इसमें निहित सामाजिक-आर्थिक पहलुओं की वजह से इस अधिनियमों के पेनल उपबन्धों को लागू करना कठिन है। वर्ष 1978-79 में देश में प्राइमरी सेक्शनों/स्कूलों की कुल संख्या 5.70 लाख थी तथा 9.65 लाख की कुल बस्तियों में से 1.91 लाख ऐसी बस्तियां थीं जिनमें 1 कि० मी० के अन्दर स्कूल था। अतः बहुत से गांवों में एक प्राइमरी स्कूल

से काम चलाया जाता है। वर्ष 1978-79 में रा० शै० अ० प्र० परिषद द्वारा किए गए चौथे शैक्षणिक सर्वेक्षण के अनुसार उन राज्यों के नाम जहां बिना प्राइमरी स्कूलों/सेक्शन की बस्तियां हैं, तथा उन स्कूलों की संख्या जहां केवल एक अध्यापक है, दर्शाने वाला विवरण सलग्न है।

(ग) से (ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिन बस्तियों में प्राथमिक स्कूल अभी तक नहीं हैं, उनमें स्कूली शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि पर्याप्त संधान उपलब्ध हो तथा अलग-अलग बस्तियों में स्कूल खोलना व्यवहारी हो। राज्यवार ब्यौरे अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राइमरी स्कूल/सैक्शनों रहित बस्तियों की संख्या	एकल शिक्षक वाले स्कूल की संख्या
1	2	3	4
		./.	
1.	आन्ध्र प्रदेश	8.16	21644
2.	असम	18.66	6185
3.	बिहार	22.02	17885
4.	गुजरात	5.04	6182
5.	हरियाणा	5.93	951
6.	हिमाचल प्रदेश	62.99	1871
7.	जम्मू और कश्मीर	25.34	5268
8.	कर्नाटक	10.83	16341
9.	केरल	16.65	24
10.	मध्य प्रदेश	22.86	25201
11.	महाराष्ट्र	9.90	17827
12.	मणिपुर	7.18	181
13.	मेघालय	23.88	2296
14.	नागालैंड	1.65	45
15.	उड़ीसा	23.42	14698
16.	पंजाब	2.66	2753
17.	राजस्थान	17.92	11978

1	2	3	4
18.	सिक्किम	57.65	44
19.	तमिलनाडु	18.26	2618
20.	त्रिपुरा	45.58	579
21.	उत्तर प्रदेश	47.02	85ऽ3
22.	पश्चिम बंगाल	14.94	1655
23.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	29.41	37
24.	अरूणाचल प्रदेश	44.10	528
25.	चंडीगढ़	10.58	—
26.	दादर और नागर हवेली	54.57	111
27.	दिल्ली	14.71	4
28.	गोवा, दमन और दीव	43.18	173
29.	लक्षद्वीप	24.12	1
30.	मिजोरम	25.46	74
31.	पांडिचेरी	12.28	92
	अखिल भारतीय	21.47	16493i

[अनुवाद]

दिल्ली परिवहन निगम की सेवाओं, आय और बसों के रखरखाव के संदर्भ में पांच दिन का सप्ताह

1573. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी दफ्तरों में पांच दिन का सप्ताह शुरू किए जाने तथा कार्यालय-समय में परिवर्तन किए जाने से दिल्ली परिवहन निगम की सेवाओं में काफी सुधार हुआ है;

(ख) क्या इस की आय की स्थिति भी बेहतर रही है;

(ग) क्या अब वाहनों की सर्विसिंग बेहतर ढंग से की जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) कार्यालयों के खुलने और बन्द होने के समय में परिवर्तन होने का आशय उन बसों की समय सारणी में परिवर्तन करना था जो उक्त कार्यालयों तक आती-जाती थी। इन बसों की समय सारणी के फेर बदल कर दिया गया है। जहां तक बसों के अनुरक्षण का संबंध है, इनकी समय सारणी में परिवर्तन होने से इस कार्य में सहायता मिली है।

पुरानी व्यवस्था की अपेक्षा जिसके तहत बसें केवल एक दिन के लिए शेड में रह पाती थी शनिवार और रविवार को पूर्वावकाश होने का कारण कम बसें शेड के बाहर जाती हैं। इससे उक्त दिनों में बसों का और अधिक अनुरक्षण करना संभव हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप इन दिनों में चलाने के लिए अधिक बसें मिलने लगी हैं जिन दिनों कार्यालय खुले रहते हैं।

सिंगरौली-रिहंद पारेषण लाइनों के लिए विश्व बैंक ऋण

1574. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के सिंगरौली-रिहंद क्षेत्र में पारेषण लाइनें डालने के लिए कोई ऋण स्वीकृत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिनको इनका लाभ मिलेगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) विश्व बैंक ने मई 1985 में रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना सम्बद्ध पारेषण लाइन के निर्माण के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण स्वीकृत किया है।

(ख) इस पारेषण प्रणाली के पूरा हो जाने से उत्तरी क्षेत्र के संघटकों को लाभ होगा।

केरल के कल्लडा बांध में रिसाव

1575. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केरल में विशाल कल्लडा बांध में इसके उद्घाटन से पूर्व ही भारी रिसाव होने लगा है ? और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में तबाही को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) कल्लाडा बांध में अनुलम्ब जोड़ (वर्टीकल ज्वाइंट) में से कुछ रिसाव तथा इस्पात की निकास पाइप और उसके चारों ओर कंक्रीट के बीच कनटेक्ट जोन में से कुछ रिसन हो रहा है परन्तु यह खतरे की स्थिति नहीं है। राज्य प्राधिकारियों को उपयुक्त निवारक उपाय करने का परामर्श देने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के विशेषज्ञों ने इस परियोजना का दौरा किया है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की सिफारिशें

1576. **श्री अनादि चरण दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है कि प्रत्येक नियोक्ता के लिए साक्षरता संवर्धन को अनिवार्य करने संबन्धी कानून बनाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू कन दिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उड़ीसा के सहायता प्राप्त प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड ने 25-5-1985 को हुई अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की कि नियोक्ताओं को यदि आवश्यक हो तो कानून द्वारा अपने निरक्षर कर्मचारियों को साक्षरता प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करना अपेक्षित है । बोर्ड की सिफारिश सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) उड़ीसा राज्य में जो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है, उनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं ;

(1) 19 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं ।

(2) 1982 में प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक एजेन्सियों की योजना के पुनरुद्धार से स्वैच्छिक एजेन्सियों को 1835 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के संचालन के लिए 36.32 लाख रुपयें का अनुदान संस्वीकृत किया गया है ।

(3) श्रमिक विद्यापीठ और राज्य संसाधन केन्द्र प्रत्येक क्रमश: राउरकेला और अंगुल में कार्य कर रहे हैं ।

(4) सम्बलपुर, उत्कल बरहामपुर विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत 127 कालेजों को 1383 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के लिए 15.84 लाख रुपये का अनुदान संस्वीकृत किया गया है ।

दिल्ली के व्यवसायिक कालेजों के लिये पदोन्नति योजना

1577. **श्री सुधीर राय** क्या : शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय के हड़ताली अध्यापकों को यह आश्वासन दिया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय तथा कालेज के अध्यापकों को पेश की गई पदोन्नति योजना दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग" कालेज आफ आर्टस् जैसे व्यवसायिक कालेजों के अध्यापकों पर भी लागू होगी ;

(ख) क्या मंत्रालय ने इस करार के समर्थन में कोई आदेश जारी किया है ; और

(ग) यदि नहीं, विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) भारत सरकार ने संघ शासित क्षेत्रों में इंजीनियरी और व्यावसायिक कालेजों के शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति के लिए, पदोन्नति के अवसर और पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना अनुमोदित की है। उक्त योजना, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के शिक्षकों के लिए लागू एक ऐसी योजना जो विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार की गई योजना को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी, की रूप-रेखाओं पर तैयार की गई थी। दिल्ली प्रशासन अब योजना को लागू करने के लिए कार्यवाही कर रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल के मालाबार क्षेत्र में यात्री गाड़ियां चलाना

1578. **श्री के० मोहन दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात की जानकारी है कि केरल के मालाबार क्षेत्र में रेल सेवा पर्याप्त नहीं हैं ;

(ख) क्या इस क्षेत्र में और अधिक यात्री गाड़ियां चलाने की सरकार की कोई विशेष योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) केरल का मालाबार क्षेत्र रेलों द्वारा पर्याप्त रूप से सेवित है और पर्याप्त रेल सेवाएं उपलब्ध हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हजरत निजामुद्दीन-कोचीन जयन्ती जनता एक्सप्रेस में अच्छे डिब्बे लगाना

1579. **श्री के० मोहन दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजरत निजामुद्दीन और कोचीन के बीच चलने वाली जयन्ती जनता एक्सप्रेस में लगाये जाने वाले डिब्बे बहुत पुराने और खराब हालत में होते हैं ;

(ख) क्या इस रेल गाड़ी में जब यह प्रथम बार प्रारम्भ की गयी थी तो अच्छे डिब्बे लगाये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो उन डिब्बों को हटाने/वापस लेने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस रेलगाड़ी में पुनः अच्छे डिब्बे लगाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जयंती जनता एक्सप्रेस में कोच्चिन और हजरत निजामुद्दीन के बीच लगाए जा रहे सवारी डिब्बे न तो पुराने हैं और न ही खराब हालत में हैं।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

केरल की सिंचाई परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

1580. श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्र : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-85 वर्षों के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए किन-किन देशों और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने केरल को धन दिया है तथा कितना धन दिया गया है ; और

(ख) किन-किन परियोजनाओं के लिए धन इस्तेमाल किया गया है तथा वह पूरा होने के किस चरण में है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तथा (ख) केरल में कल्लड सिंचाई तथा वृक्षों की खेती के विकास संबंधी परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 80·30 मिलियन डालर की सहायता दी है । वर्ष 1982 से 1985 के वर्षों के दौरान इस सहायता के 30·6 मिलियन डालर का उपयोग हुआ । मार्च 1985 के अन्त तक लगभग 878.4 मिलियन रुपए (प्रत्याशित) का संचयी व्यय हुआ है । निर्धारित कार्यक्रमानुसार, इस परियोजना के मार्च, 1987 तक पूरा होने की संभावना है ।

खराब रेल ट्रैक की प्रतिशतता

1581. श्री भोला नाथ सेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों के अन्तर्गत कुल रेल ट्रैक में प्रतिबंधित गति वाले ट्रैक वर्ष ट्रैक "रेल फ्रेकचर्स" तथा कुल रेल ट्रैक में खराब "ट्रैक" की प्रतिशत्ता वर्ग वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक बढ़ी है ;

(ख) यदि हां तो 1 अप्रैल, 1980 और 31 मार्च 1985 को इस संबंध में क्या स्थिति थी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये ; उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) 1980-81 से 1984-85 की अवधि के दौरान पटरी की टूट-फूट की घटनाओं के तथा नवीकरण किये जाने वाले रेलपथ की लम्बाई में वृद्धि हुई है । लेकिन, गति प्रतिबन्धों के अधीन रेलपथ का लम्बाई में हुई है । तुलना स्थिति नीचे दी गयी है :—

	1-4-80	31-3-85
गतिप्रतिबन्ध (कि० मी० में)	2074	1985 (अनुमानित)

नवीकरण किये जाने वाला रेलपथ (कि० मी० में)	13048	19550
झलाई की खराबियों सहित	3640	8720
पटरी की टूट-फूट	(1979-80)	(1981-85)

(ग) रेलपथ के नवीकरण की गति 1980-81 के 1096 कि० मी० से बढ़कर 1984 85 में 2745 कि० मी० हो गयी है। रेलवे की सातवीं योजना के प्रारूप में 21,000 कि० मी० रेलपथ के नवीकरण का प्रस्ताव है। योजना के आकार को अभी अंतिम रूप दिया जाना है लेकिन 1985-86 में 3000 कि० मी० रेलपथ का नवीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

फालतू कर्मचारियों का प्रशिक्षण और उन्हें खपाना

1582. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल "सुधार समिति" ने पांच वर्षों के लिए भर्ती पर रोक लगाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का विशेष रूप से फालतू कर्मचारियों के प्रशिक्षण और उन्हें खपाने के बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं। उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां,। लेकिन, रेल सुधार सीमति द्वारा उनकी रिपोर्ट के भाग XI में, जो "मितव्ययिता" के बारे में है, की गयी सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया हैं।

(ख) और (ग) फालतू कर्मचारियों के प्रशिक्षण और समाहन के बारे में की गयी सिफारिशों को सरकार ने नोट स्वीकार कर लिया है और सभी क्षेत्रीय रेलों को उनके कार्यान्वयन के लिए इस संबंध में पहले से मोजूद निर्देशों को पुन: दोहरा दिया गया है। सिफारिशों का ब्यौरा रेलवे सुधार समिति की मितव्ययिता के बारे में रिपोर्ट के भाग XI के अध्यन VII में सिफारिशों का ब्यौरा दिया गया है, जिसकी प्रतियां संसद, पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

शुल्क मुक्त चिकित्सा उपकरण मशीनों के आयात की अनुमति

1583. **श्री ई० अय्यापू रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि कई अस्पतालों/मेडिकल कालिजों आदि ने शुल्क मुक्त चिकित्सा उपकरण मशीनों आदि के आयात की अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अस्पतालों आदि के नाम क्या हैं और उनके द्वारा आयात किए जाने वाले प्रस्ताविक उपकरण कौन-कौन से हैं और उनमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां, ।

(ख) अस्पतालों/कालिजों की सूची उनके द्वारा आयात के लिए प्रस्ताविक साज-सामान की सूची विवरण 1 और 2 पर दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1268/85]

(ग) आवेदनों की जांच वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों और इन अनुदेशों में निहित दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है ।

खसरे के टीकों की ऊंची कीमत और जन स्वास्थ्य केन्द्रों तथा औषधालयों में उनकी उपलब्धता

1584. श्री अनादि चरण दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों को खसरे का टीका लगाया जाना प्रभावी सिद्ध हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि इसकी ऊंची कीमत के कारण, यह टीका केवल शहरी तथा अमीर लोगों को ही उपलब्ध है ;

(ग) इसकी कीमत में कमी करने के लिए तथा इसे ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ताकि ग्रामीण जनता जिन्हें इसकी अत्याधिक आवश्यकता है को भी इसका लाभ मिल सके ; और

(घ) उड़ीसा में जन स्वास्थ्य केन्द्रों तथा औषधालयों के माध्यम से यह कब तक उपलब्ध कराया जायेगा ।

सिचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अब तक चुने हुए मेडिकल कालेज खसरा वैक्सीन की व्यवहार्यता और प्रभावकारिता का अध्ययन कर रहे हैं । अभी तक खसरा वैक्सीन भारत में नहीं बनाई जाती है और यह प्राइवेट फर्मों द्वारा आयात की जाती है तथा बेची जाती है खसरा वैक्सीन को अब रोग प्रतिक्षण के विस्तारित कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है तथा यह देहातो इलाकों में मुफ्त दी जायेगी ।

(घ) खसरा वैक्सीन सेवा, उड़ीसा में भी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से चरणवार रूप से उपलब्ध करायी जायेगी ।

हल्दिया में जहाज मरम्मत काम्पलैक्स की स्थापना

1585. श्री भोला नाथ सेन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड और जर्मनी तथा जापान की कुछ फर्मों ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक जहाज मरम्मत काम्प्लेक्स स्थापित करने में रूचि दिखाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) हल्दिया में एक जहाज मरम्मत काम्प्लेक्स स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि० कलकत्ता ने हल्दिया में एक शिपरिपेयर कम्प्लेक्स की स्थापना करने के बारे में वर्ष 1978 में कुछ प्रस्ताव की पहल की थी। यह प्रस्ताव विशाखापत्तनम और पोर्ट ब्लेयर में जहाज मरम्मत सुविधाओं का विकास होने और कलकत्ता व हल्दिया पत्तनों पर जहाजों का आना कम होने के कारण बाद में वापस ले लिया गया। हाल में पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म ने इस बारे में कुछ रुचि दिखाई है।

(ख) अभी तक सरकार के विचार के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भूमिगत रेलवे के निर्माण कार्य के कारण आशुतोष कालेज की इमारत को हुआ नुकसान

1586. **श्री भोला नाथ सेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में एस० पी० मुखर्जी रोड पर भूमिगत रेलवे निर्माण कार्य के कारण आशुतोष कालेज की इमारत को हुए भारी नुकसान के बारे में कलकत्ता उपनगरीय रेल अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, कालेज की इमारत को कितना नुकसान हुआ है ;

(ग) क्या उक्त नुकसान का इमारत और उनमें रहने वालों की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है ;

(घ) उपनगरीय रेल अधिकारियों द्वारा इमारत की मरम्मत और/अथवा कालेज की इमारत को हुए नुकसान के लिए कालेज अधिकारियों को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) कुछ क्षति हुई है जिसकी मेट्रो रेलवे को जानकारी है।

(ख) इस भवन के साथ सड़क पर मेट्रो निर्माण के लिए अपेक्षित गहरी खुदाई के कारण अपरिहार्य-ध्वंसन के फलस्वरूप भवन के कुछ भागों में दरारें पड़ जाने, प्लास्टर हट जाने आदि के रूप में क्षति हुई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) निर्माण कार्य के दौरान जब भी खतरा नजर आया, मेट्रो रेलवे द्वारा समय-समय भवन की मरम्मत करायी गयी थी। हाल में, मेट्रो रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने कालेज के प्रिंसिपल के साथ भवन का निरीक्षण किया है और उखड़े हुए प्लास्टर की और अधिक मरम्मत कराने का आश्वासन दिया है। आशुतोष मुखर्जी मेमोरियल इंस्टीच्यूट द्वारा मेट्रो रेलवे निर्माण कार्य अधिनियम 1978 की धारा 25 के अधीन क्षतिपूर्ति का दावा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है। यह मामला अभी सक्षम प्राधिकारी के पास है, अतः न्यायाधीन है।

शैक्षिक ढांचे के स्वायत्तशासी स्वरूप का ह्रास

1587. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सरकार द्वारा नाम निर्देशन और अन्यथा सिंडिकेटों के प्रतिनिधि स्वरूप में परिवर्तन के कारण देश के शैक्षिक ढाचे के स्वायत्तशासी स्वरूप का ह्रास हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में शैक्षिक स्वतंत्रता के विषय पर चर्चा हुई और यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सहमति हुई थी ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) सरकार का यह विचार है कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की सुरक्षा की जाए। जबकि विश्वविद्यालयों को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, सरकार को उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तथापि जब कभी कुछ राज्य सरकारों द्वारा उनके विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में कोई संशोधन किया जाता है, जो विश्वविद्यालयों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक स्वायत्तता को समाप्त करता है, तो उस समय उसके विरुद्ध प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं।

(ग) मई, 1984 में हुए कुलपतियों के सम्मेलन में विश्वद्यालयों के प्रबन्ध के बारे में अनेक सिफारिशें की गई थीं। इन सिफारिशों को शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में रखा गया था जिसने इन पर ध्यान दिया।

[हिन्दी]

बिहार और पूर्वी राज्यो में कागज तथा कपड़ा प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिए कालेज खोलना

1588. श्री राम स्वरूप राम : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज प्रौद्योगिकी और कपड़ा प्रौद्योगिकी के महत्व को ध्यान में रखते हुए इन विषयों के अध्ययन हेतु बिहार तथा पूर्वी राज्यों में कालिज खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही करेगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) मेसरा, रांची स्थित बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान में पल्प और तेपर प्रौद्योगिकी में एक डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव तथा चौदवार, उड़ीसा स्थित वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के अन्य प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

इस मामले को शीघ्र निपटाने के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

रेलवे में परिवहन के दौरान वस्तुओं की चोरी

1589. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में परिवहन के दौरान प्रति वर्ष कितने मूल्य के माल की चोरी हुई ;

(ख) बीमा एजेंसियों द्वारा इस प्रकार की चोरी से हुई हानि के बदले प्रति वर्ष कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ; और

(ग) चोरी हुआ कितना माल बरामद किया गया तथा रेलवे अधिकारियों द्वारा कितने मामले दर्ज किए गए ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) वर्ष 1984 में परिवहन के दौरान 5,45, 38, 794 रु० मूल्य के माल की चोरी हुई थी।

(ख) इस सम्बन्ध में प्राइवेट पार्टियों को बीमा कम्पनियों द्वारा किए गए भुगतानों के ब्यौरों की यदि कोई हो, जानकारी रेलों को नहीं है।

(ग) वर्ष 1984 के दौरान लगभग 40, 92, 203 रु० के मूल्य के चोरी गए परेषण बरामद किए गए थे और इस सम्बन्ध में 46.073 मामले दर्ज किए गए थे।

निजी क्षेत्र की कंपनियों को विद्युत संयंत्रों के आयात की अनुमति देना

1590. **श्री राम भगत पासवान** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले छः महीनों के दौरान मैसर्स आई० टी० सी० लि० टाटा ग्रुप, मोदी ग्रुप, बिड़ला ग्रुप, ए० सी० सी० को पिछले 6 महीनों में विद्युत संयंत्रों के आयात की अनुमति दी है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उपयुक्त संयंत्रों के लिए जिन कम्पनियों के आवेदन लंबित पड़े हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कामकाजी महिलाओं के स्तर के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट के निष्कर्ष

1591. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या समाज और महिला कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कामकाजी महिलाओं के स्तर के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं ;

(ख) क्या इसने कामकाजी महिलाओं के अनुपात और उनके पारिश्रमिक और उनकी सम्पत्तियों के बीच असमानताओं का पता लगाया है;

(ग) क्या भारत के संबंध में भी यह असमानता सत्य है ; और

(घ) इन असमानताओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) कामकाजी महिलाओं को स्थिति के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के रिपोर्ट के निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

(1) 4 औद्योगिक कामगरों में से एक महिला है और कृषि कार्य तथा नौकरी करने वाले 10 कामगरों में से 4 कामगर महिलाएं हैं।

(2) जहां तक आय (मजदूरी और वेतन) का सम्बन्ध है महिलाएं विकास कार्यों से लाभ तो उठा रही हैं, परन्तु इतना नहीं जितना कि पुरुष उठा रहे हैं।

(3) महिलाओं ने विभिन्न व्यवसाये अपनाने शुरू तो कर दिए हैं, परन्तु वे अभी भी प्रशासन और प्रबन्ध कार्य में बहुत पीछे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) मंत्रालय में सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निम्नलिखित नीतियों का प्रस्ताव किया है :

(1) कृषि ग्रामीण विकास, रोजगार, उद्योग आदि से संबंधित सभी विकास कार्यक्रमों महिलाओं को समाकलित करने के प्रयास किए जाने हैं।

(2) कामकाजी महिलाओं के लिए महिला होस्टलों, शिशु-सदनों और अल्प-आवास गृहों जैसी सहायक सेवाओं का विस्तार किया जाना है।

(3) समान परिश्रमिक अधिनियम की क्रियान्वित के लिए मशीनरी को सुदृढ़ बनाना है।

[हिन्दी]

बिजली घरों को कोयले की सप्लाई

1592. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में यह निर्णय किया गया था कि बिजली घरों में एक महीने की खपत के लिए पर्याप्त कोयले का भण्डार हमेशा रखा जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो रेल विभाग तथा कोयला विभाग अपने आश्वासन के अनुसार किस प्रकार अपना सहयोग देंगे और इसे कब से कार्यान्वित करना शुरू कर दिया जाएगा ; और

(ग) क्या इससे पहले भी बिजली घरों में एक महीने का भण्डार रखने का प्रावधान था और यदि हां, तो वह निर्णय कब किया गया था।

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) सामान्यत: जो विद्युत केन्द्र कोयला खानों से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, उन्हें लगभग एक महीने की खपत के लिए कोयले का स्टाक बनाए रखना चाहिए। हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि भली प्रकार समन्वित उपाय किए जाने चाहिए ताकि विद्युत केन्द्रों में एक महीने की आवश्यकता के बराबर कोयले का स्टाक बनाया जा सके। तदनुसार, ताप विद्युत केन्द्रों को खाली करने और स्टाक करने की क्षमताओं तथा उनके विद्युत उत्पादन कार्यक्रमों, वैगनों की आवश्यकता, जो रेलवे द्वारा चलाए जाएंगे तथा कोयले की मात्रा, जो कोयला खानों द्वारा सप्लाई की जाएगी, के संदर्भ में एक मूल्यांकन किया गया है। परिणामस्वरूप, देश में ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले का कुल स्टाक जून, 1985 के पहले सप्ताह में लगभग 26.7 लाख टन से बढ़कर जुलाई, 1985 के अन्तिम सप्ताह में लगभग 32.2 लाख टन हो गया।

[अनुवाद]

खड़गपुर में लोको शेड में काम करने वाले श्रमिक

1593. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खड़गपुर में लोको शेड में कोयला और जला हुआ कोयला उठाने में कितने श्रमिक लगे हुए है ;

(ख) ये कर्मचारी कब से कार्य कर रहे हैं ;

(ग) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं और उनमें से कितनी महिलाएं हैं ; और

(घ) खड़गपुर शेड में स्टीम इंजनों के धीरे-धीरे समाप्त होने से, क्या सरकार का विचार इन श्रमिकों को कम से कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में रेलवे में खपाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) इस कार्य में लगे श्रमिकों की संख्या 166 है।

(ख) मार्च 1979 से आगे।

(ग) 17 श्रमिक अनुसूचित जाति के हैं, 84 श्रमिक अनुसूचित जन जाति के हैं और कुल संख्या में से 78 महिलाएं हैं।

(घ) यह कार्य ठेकेदार के मजदूरों के माध्यम से किया जा रहा है। इन श्रमिकों को रेलों में समाहित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र

1594. **श्री हरीश रावत :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों को संख्या कितनी है तथा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उन पर कितना व्यय किया गया ;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ नए केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना के दौरान उन पर कितना व्यय किए जाने का अनुमान है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में 35200 (दोनों सामान्य और केवल लड़कियों के लिए) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, जिनमें 8.९ लाख को शामिल करने का अनुतान है, स्वीकृत किए गए हैं। इन केन्द्रों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 6,46,79,051 रु० की राशि स्वीकृत की गई थी।

(ख) और (ग) जी, हां।

1985-86 के दौरान नए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए राज्य सरकार से अपने प्रस्ताव भेजने के लिए तथा पहले खोले गए केन्द्रों को चलाने के लिए अनुरोध किया गया है। उनके प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार को स्वीकृत की जाने वाली राशि निर्धारित की जाएगी। सातवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश को स्वीकृत को जाने वाली राशि अभी तक निर्धारित नहीं की गयी है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जलमार्ग की "हल्दिया-फरक्का स्ट्रैच" की विकास योजना के क्रियान्वयन में प्रगति

1595. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया-इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग की "हल्दिया-फरक्का स्ट्रैच" के लिए विकास योजना के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि इसमें कोई विलंब हुआ है तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) से (ग) गंगा-भागीरथी-हुगली नदी भी मार्ग के हल्दिया-फरक्का खंड पर केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड द्वारा एक साप्ताहिक सेवा चलाई जा रही है। इस जल मार्ग का विकास करने के लिए 189.50 लाख रु० की लागत की एक योजना को 31-3-1983 को मंजूरी दी गई थी और यह कार्यान्वित हो रही है। इस योजना में हल्दिया-नवद्वीप-त्रिवेणी और बरहाम्पुर में टर्मिनल सुविधाओं के साथ जलमार्ग पर आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान करना शामिल है। आशा है कि इस यह वर्ष 1985-86 के अन्त तक पूरी हो जाएगी।

"सिमको" भरतपुर से माल डिब्बों की खरीद

1596. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार सेन्ट्रल इंडिया मशीनरी कम्पनी, भरतपुर से किस दर पर रेल माल डिब्बे खरीदती है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन्हीं माल डिब्बों के लिए सरकार रेल निर्माण एकक "सिमको" से कम मूल्य लेते हैं ;

(ग) इन वैगनों को सरकार रेल वैगन निर्माण एककों से न खरीदने के क्या कारण हैं, जो अपनी पूरी निर्माण क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तथा बन्द होते के कगार पर हैं जबकि "सिमको" को अधिकतम क्रयादेश मिले हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करवाने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) मैसर्स सेन्ट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी भरतपुर इस समय लगभग 68262 रुपये प्रति लाभ डिब्बे की दर से माल डिब्बे (बी ओएक्सएन टाइप) सप्लाई कर रही है।

(ख) जी नहीं। सरकारी रेलवे निर्माण यूनिटें लगभग 102814 रुपये प्रति माल डिब्बे की दर से माल डिब्बे (बी ओएक्सएन टाइप) सप्लाई कर रही है।

(ग) और (घ) माल डिब्बों की वर्षानुवर्ष खरीद का विनिश्चय माल डिब्बे के निर्माण के लिए आवंटित धन के आधार पर किया जाता है तथा सरकारी और निजी क्षेत्रों (सिमको सहित) के बीच, उनकी अपनी-अपनी उत्पादन क्षमता तथा विगत कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए, खरीद का नियमन कर दिया जाता है। इस तथ्य को देखते हुए जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

देखभाल और संरक्षण के मोहताज बच्चों के कल्याण के लिए योजनाएं शुरू करना तथा उड़ीसा को दी गई सहायता

1597. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देखभाल और संरक्षणों के मोहताज बच्चों के कल्याण के लिए योजनाएं शुरू की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ; जिसमें ये योजनाएं शुरू की गई हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा में भी ऐसी योजना शुरू की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त योजना के अधीन उड़ीसा को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई तथा वहां क्या-क्या कल्याणकारी कदम उठाए गए ; और

(ङ) तत्संबंध ब्यौरा क्या है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए योजना सभी 22 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए योजना के अन्तर्गत शामिल किये गए बच्चों की संख्या और प्रदान की गई केन्द्रीय सयायता का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	वर्ष	शामिल किए गए बच्चों की संख्या	स्वीकृत किए गए अनुदान की राशि (केन्द्रीय अंश)
1.	1982-85	760	3,67,429/-रुपए
2.	1983-84	810	4,35,258/-रुपए
3.	1984-83	874	4,84,464/-रुपए

कलकत्ता बन्दरगाह पर माल चढ़ाने-उतारने संबंधी उपकरणों का अभाव

1598. **श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कलकत्ता बन्दरगाह पर माल चढ़ाने-उतारने सबंधी उपकरणों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो कब और किस वर्ष से सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया जा रहा है; और

(ग) क्या कलकत्ता बन्दरगाह पर माल चढ़ाने और उतारने में होने वाले विलंब के लिए जिम्मेवारी निर्धारित की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और(ख) कलकत्ता पोर्ट पर वर्तमान संयंत्रों में से कुछ संयंत्र जैसे व्हार्फ क्रेन, मोबाइल क्रेनों, फोर्टलिफ्टों आदि कम प्रयोग में आती हैं परन्तु यदा कदा जब ढ़ेर सा माल आ जाता है, तब हैवी प्रोजेक्ट कारगो और स्टील स्ट्रक्चरल को हैंडल करने के संयंत्रों के साथ-साथ कंटेनरों की कमी भी पाई गई है।

(ग) देरी कई कारणों से होती है। कलकत्ता पोर्ट पर लोडिंग और अनलोडिंग प्रचालन को जिम्मेदारी, जहाज के बोर्ड पर, शिपिंग कंपनी द्वारा नियुक्त स्टीवर्ग्रेस तथा तट पर कार्य के लिए कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की संयुक्त रूप से होती है। जहाज के बोर्ड पर कार्य की दर तट पर होने वाले कार्य की दर को प्रभावित करती है। यह स्थिति विलोमत भी होती है। आयात कारगो की धीमी गति से क्लीयरिंस तथा निर्यात कारगो को इकट्ठा करने में देरी भी देरी का कारण होते हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए बंगलादेश होते हुए करीम-गंज-कलकत्ता के मार्ग पर अन्तर्देशीय जल पोत चलाना

1597. **श्री बाजुबनरयान :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दो को पूर्वोत्तर रेलों के लुमडिंग-बदरपुर पहाड़ी अनुभाग में लम्बे अरसे से रेल/सड़क/यातायात अवरोध के कारण उत्पन्न गम्भीर स्थिति तथा यात्रियों तथा खाद्यान्नों और आवश्यक वस्तुओं के आवागमन सहित माल यातायात पर इसके द्वारा पड़े प्रभाव से अवगत हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि उस क्षेत्र में केवल मात्र उक्त रेल-सेवा ही है;

(ग) यदि हां, तो पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्यान्नों तथा आवश्यक वस्तुओं की कमी तथा मुनाफाखोरी की स्थिति न बनने देने के लिए सरकार द्वारा वहां इन वस्तुओं के आवागमन बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाये गए/उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार का विचार आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए बंगला-देश होते हुए करीम-गंज-कलकत्ता नदी मार्ग पर अन्तर्देशीय जलपोत चलाने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) और (घ) 3 जून 1985 को लमडिंग-बदरपुर हिल सेक्सन पर भयानक दरारें थीं। उनकी 24-6-85 को मरम्मत कर दी गई और 25-6-85 को पुन: सामान्य यातायात प्रारम्भ हो गया। अब इस सेक्सन पर रेल द्वारा अनिवार्य वस्तुएं ढोने में कोई परेशानी नहीं है। इन दरारों का अवधि में सम्बन्धित मंत्रालयों यथा-पेट्रोलियम मंत्रालय, खाद्य एव आपूर्ति मंत्रालय आदि को अनिवार्य वस्तुएं सड़क द्वारा ले जाने की सलाह दी गई थी। खाद्यान्न और अन्य अनिवार्य वस्तुएं केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम द्वारा कलकत्ता से करीमगंज वाया बंगला-

देश ढोया जा रहा है। लमडिंग बदरपुर हिल सेक्सन में दरार के कारण कलकत्ता, आसाम और कलकत्ता- करीम गंज मार्गों पर प्रचालन करने वाली सी० आई० डब्लू टी० सी० के सम्पूर्ण जलयानों को खाद्यान्न और अन्य अनिवार्य वस्तुएं ढोने के लिए करीम गंज को मोड़ दिया था। सी० आई० डब्लू० टी० सी० कलकत्ता और करीमगंज के बीच, इतने लम्बे शेष मार्ग पर पहले से ही नियमित नदी सेवाओं का प्रचालन कर रहा है।

बामरा रेलवे स्टेशन पर उत्कल एक्सप्रेस में बर्थ-आरक्षण की मांग

1600. **श्री वल्लभ पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बामरा रेलवे स्टेशन पर उत्कल एक्सप्रेस में बर्थ आरक्षण की कोई मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) 77 अप उत्कल एक्सप्रेस में बामरा स्टेशन पर 1-8-1985 से दूसरे दर्जे के शयन-यान में पांच 5 शायिकाओं के कोटे की व्यवस्था की जा रही है।

कलिंग/उत्कल एक्सप्रेस रेलगाड़ी में "पेंट्री कार" की व्यवस्था

1601. **श्री वल्लभ पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों ने कलिंग/उत्कल एक्सप्रेस रेल गाड़ी में पेंट्री कार की व्यवस्था किए जाने की कोई मांग की है। और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) ; (क) जी हां।

(ख) पेन्ट्री कारों की कमी के कारण इस समय उक्त गाड़ियों में पेन्ट्री कार लगाना संभव नहीं है।

लोक सभा 2 बजे म० प० पुनः समवेत हुई

2.00 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में वक्तव्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : राव बीरेन्द्र सिंह जी।

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (बीरेन्द्र सिंह) : महोदय 26 जुलाई, 1985 के चीनी के मूल्यों में वृद्धि के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 85 के अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते

समय, मेरी कतिपय टिप्पणियों पर कुछ सदस्यों ने आपत्ति की थी। उस समय मैंने यह स्पष्ट कहा था। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य किसी भी माननीय सदस्य पर आरोप लगाना नहीं है।

यदि कोई सदस्य अभी भी सन्तुष्ट नहीं है तो मुझे खेद है कि मैंने ऐसा अवसर दिया।

[हिन्दी]

आपको भी परेशान किया, इसके लिए माफी चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को संतुष्ट होना चाहिए। मैं यही चाहता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने सभा की गरिमा बनाये रखने के लिए ही विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया था। अब चूंकि उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है। हमारा उनके प्रति कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आप मित्र हैं।

प्रो० मधु दंडवते : वह अत्यन्त मधुर व्यक्ति हैं।

अध्यक्ष महोदय : उतने ही मीठे हैं जितनी कि दिल्ली में चीनी।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय आयातित चीनी से अधिक मीठे।

राव बीरेन्द्र सिंह : रात्रि भोजन के लिए आपका निमंत्रण मैंने स्वीकार कर लिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : दो दिन लगातार।

राव बीरेन्द्र सिंह : जनता मिठास।

अध्यक्ष महोदय : एक दिन देशी चीनी के मिष्ठान के साथ तथा दूसरे दिन आयातित चीनी के मिष्ठान के साथ ताकि हम अन्तर का पता लगा सकें।

प्रो० मधु दण्डवते : दो दिन लगातार।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कभी छोड़ दिया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय आप निर्णायक के रूप में आ सकते हैं।

1.00 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

1985 के दौरान मूल्यों में हुए उतार-चढ़ाव के चार्ट

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह

की ओर से पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 1985 के दौरान मूल्यों में उतार चढ़ाव को दर्शाने वाली चार तालिकाओं का एक समूह और एक चार्ट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1235/85]

कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (अवकाश) विनियम 1985; तथा 25-7-85 को तारांकित प्रश्न संख्या 57 के उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम संख्या 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 495 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 14 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (अवकाश) विनियम 1985 अनुमोदित किये हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1236/85]

(2) दिल्ली परिवहन निगम को वित्तीय सहायता, उसे हुई हानि और उसकी कार्यनिष्पत्ति के बारे में सर्वश्री अजित कुमार साहा रामाश्रय प्रसाद सिंह के तारांकित प्रश्न सं० 57 के 25 जुलाई, 1985 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1237/85]

वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14 (क) तथा वायु निगम नियम, 1954 के नियम 3 के अंतर्गत अधिसूचनाएं।

पर्यटन और नगर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14 क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 1985, जो 1 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 471 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी।

(दो) वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 1985, 22 जून, को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 604 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी।

(तीन) वायुयान पांचवा संशोधन) नियम, 1985, जो 7 जून, 1985,

को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 485 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1223/85]

(2) वायु निगम नियम, 1954 के नियम 3 के उपनियम (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण :-

(एक) इण्डियन एअरलाइन्स, के वर्ष 1985-86 सम्बन्धी राजस्व तथा व्यय के बजट प्राक्कलनों तथा वर्ष 1984-85 के संशोधित प्राक्कलनों का सारांश।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1224/85]

(दो) इन्डियन एअरलाइन्स, के वर्ष 1985-86 सम्बन्धी वास्तविक आंकड़ों, वर्ष 1984-85 के संशोधन प्राक्कलनों तथा वर्ष 1985-86 के बजट प्राक्कलनों का सारांश।

(3) मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त, के वर्ष 1983-84 के रेल सुरक्षा आयोग के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1225/85]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1985, दिल्ली विक्रय कर (चौथा संशोधन) नियम 1985 तथा दिल्ली विक्रय कर अधिनियम 1962 की धारा 72 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 16 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 582 (अ), में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या 1226/85]

(2) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (चौथा संशोधन) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण), जो 5 जून, 1985 को दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (81)/84-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1227/85]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 433 (अ) से 453 (अ), तक जो 24 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा वित्त विधेयक, 1985 के अधिनियमित हो जाने के पश्चात् भी उपसंगी सीमा-शुल्क से दी गई वर्तमान छूटें जारी रखी गई हैं।

(दो) सा०का०नि० 518 (अ), जो 28 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 16 जनवरी 1985 को अधिसूचना संख्या 10/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि वाणिज्यिक वाहनों और ट्रैक्टरों के संघटकों और ऐसे संघटकों के निर्माण के लिए अपेक्षित माल (मूल कच्ची सामग्री से भिन्न) के संबंध में मूल सीमा-शुल्क की मूल्यानुसार 25 की रियायती दर को 31 दिसम्बर, 1986 तक की और अवधि तक प्रतिशत बढ़ाया जा सके।

(तीन) सा० का० नि० 558 (अ), जो 9 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 44 सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि मूल्यानुसार 15 प्रतिशत मूल सीमा-शुल्क रियायती दर रत्न और जवाहरात उद्योग के लिए मशीनरी तथा उपकरणों की 24 मदों के सम्बन्ध में भी लागू की जा सके।

(चार) सा० का० नि० 559 (अ) और 560 (अ) जो 9 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो ऐसे माल को, जब उसका भारत में आयात चमड़ा उद्योग के उपयोग के लिए किया जाए, उस पर उदग्रहणीय, मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क से तथा सम्पूर्ण अतिरिक्त और उपसंगी शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(पांच) सा० का० नि० 561 (अ), जो 9 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो चमड़ा उद्योग के लिए 10 अतिरिक्त मशीनों को मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(छः) सा० का० नि० (अ), जो 11 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 72/85-सी० शु० और 19

अप्रैल, 1985 की अधिसूचना संख्या 133/85-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत परियोजना सम्बन्धी आयातों के बारे में सीमा-शुल्क में दी गई रियायतों के प्रयोजनों के लिए सम्बन्धित प्रशासी मन्त्रलायों से प्रमाण-पत्रों को पेश करने की अपेक्षा को समाप्त किया जा सके।

(सात) सा० का० नि० 570 (अ), जो 15 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 79-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि वायुचालित विद्युतीय जैनरेटरों और बैटरी चार्जरों को, जब उनका आयात व्यष्टिक एककों की स्थापना करने के लिए किया जाए, सीमा शुल्क से छूट दी जा सके।

(आठ) सा० का० नि० 662, जो 13 जुलाई, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 2 जुलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या 132-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि नेपाल मूलक एक और उत्पाद का उन मदों की सूची में सम्मिलित किया जा सके, जिन्हें भारत-नेपाल व्यापार संधि, 1978 की शर्तों के अनुसार भारत में अधिमानतः लाया जा सकता है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 12.8/85]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 572 (अ), जो 16 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 6 अप्रैल, 1984 की अधिसूचना संख्या 83/84 के० उ० शु० को रद्द किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 573 (अ), जो 16 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 74/85-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि स्विचों, कनेक्टरों, एन्टीना और लाउडस्पीकरों के हिस्से पुर्जों जैसे कतिपय इलैक्ट्रानिकीय संघटकों, के मौजूदा विवरण में संशोधन किया जा सके।

(तीन) सा० का० नि० 574 (अ), जो 16 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो मेलामाइन चढ़े पूर्व-विलेपित पार्टिकल बोर्डों को, उन पर अदायगी-योग्य

उत्पादन शुल्क के उतने भाग से छूट प्रदान करने के बारे में है, जो उसके निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले सादा पार्टिकल बोर्डों के मूल्य पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के बराबर है।

(चार) सा० का० नि० 589 (अ), जो 17 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1983 को अधिसूचना संख्या 68/83-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि ड्रा बार हार्स पावर रेटिंग की बजाए उसकी पावर टेक-आफ हार्स पावर रेटिंग के संदर्भ में ट्रैक्टरों को छूट दी जा सके।

(पांच) सा० का० नि० 592 (अ), जो 18 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1973 की अधिसूचना संख्या 38/73-के उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि प्लास्टिक के स्क्रैप और/अथवा मिथाइल मैथाक्रिलेट मोनोमर से निर्मित एक्रिलिक शीटों, जिन पर समुचित उत्पाद शुल्क/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की अदायगी की जा चुकी हो, के संबंध में उत्पाद-शुल्क से छूट को सीमित किया जा सके।

(छ) सा०का०नि० 596(अ), जो 19 जुलाई 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद संख्या 37-2 के अन्तर्गत आने वाली सिनेमा फिल्मों के प्रिंटों को तथा 1985-86 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका और फ्रांस में आयोजित किए जा रहे भारत महोत्सव में प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, बम्बई के फिल्मोत्सव निदेशालय द्वारा भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की ओर से खरीदे गए प्रिंटों को उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(सात) सा० का० नि० 599 (अ), जो 22 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 12 मई, 1976 की अधिसूचना 164/76-के० उ० शु० तथा 15 अक्तूबर, 1982 की अधिसूचना संख्या 229/82-के उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि कृषि ट्रैक्टर की परिभाषा ड्रा बार हार्स पावर रेटिंग के स्थान पर उसकी पावर टेक के आफ हार्स पावर रेटिंग के संदर्भ में की जा सके।

(आठ) सा० का० नि० 601 (अ), जो 22 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो मखनिया दुग्ध चर्ण और मक्खन को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से उस स्थिति में छूट देने के बारे में हैं जब उसे तरल दूध में पुनः तैयार

करने हेतु उपयोग में लाने के लिए दुग्ध शालाओं को आगे सप्लाई किए जाने के निमित्त भारतीय दुग्ध शाला निगम के लिए निकासी की जाये।

(नौ) सा० का नि० 602 (अ), जो 22 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 24 नवम्बर- 1982 की अधिसूचना संख्या 280/82-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि विभिन्न शैक्षिक प्रयोजनों, जैसे पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं और विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए सप्लाई किये जाने वाले सफेद मुद्रण कागज और लेखन कागज पर ही उत्पाद शुल्क की छूट को सीमित किया जा सके।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 1229/85]

करेंसी नोटों तथा बैंक नोटों के सम्बन्ध में किए गए अपराधों के बारे में अधिसूचना

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री खुर्शीद आलम खां की ओर से प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 की धारा 35 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 349 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 6 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराओं 489-क से 489-ङ तक के अन्तर्गत भारत में "करेंसी नोटों और बैंक नोटों" के संबंध में किए गए अपराधों को उक्त अधिनियम के अर्थ में प्रत्यर्पण अपराध विनिर्दिष्ट किया गया है, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल० टी० 1230/85]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1985 की धारा के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री के० पी० सिंह देव की ओर से अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा (3) की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवम् सेवा-निवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 1985 जो 15 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 559 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1985, जो 29 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 610 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1985, जो 16

जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 637 में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1985, जो 16 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 638 में प्रकाशित हुए थे।

(5) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1985, जो 16 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 639 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1231/85]

दंड प्रक्रिया (पंजाब संशोधन) संशोधनकारी अधिनियम, 1985

दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) पंजाब राज्य विधान मन्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1984 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दंड प्रकिया (पंजाब संशोधन) संशोधनकारी अधिनियम, 1985 (1985 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 2) जो 27 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1232/85]

(2) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) दिल्ली पुलिस (दंड और अपील) संशोधन नियम, 1985, जो 28 मार्च, 1985 को दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 5-8-85 होम (पी) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली पुलिस (प्रकीर्ण मामले) (संशोधन) नियम, 1985, जो 11 अप्रैल, 1985 को दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०5-8-58 होम (पी) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दिल्ली पुलिस (पदोन्नति और स्थायीकरण) (संशोधन) नियम, 1985, जो 25 मार्च, 1985 को दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5-7-85-होम (पी) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1233/85]

केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन

पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : मैं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1234/85]

———

2.05 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महा सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 30 जुलाई, 1985 को हुई अपनी बैठक में पारित पन्डिचेरी विश्वविद्यालय विधेयक, 1985 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

———

पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय विधेयक 1985

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में

[अनुवाद]

महा सचिव : महोदय, मैं पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, विधेयक, 9 5, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं।

———

2.06 म० प०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री एम० थाम्बी दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और विकल्पों सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक रखने के लिए हमारे पास 21 दिन का नोटिस देने का पर्याप्त समय नहीं है। आप भी सहमत हैं कि हम इस पर संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से ही चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन चुका हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : इसलिए कोई तरीका तो निकालना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं कोशिश करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : कोई तरीका तो निकालना होगा जिससे 21 दिन का यह नियम निलम्बित किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : सभा एक लम्बे समय के लिए स्थगित नहीं होने जा रही है।

प्रो० मधु दण्डवते : धन्यवाद महोदय।

2.07 म० प०

कर्मचारियों के लिए स्टाक विकल्प योजना के संबंध में वक्तव्य

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को विदित है, 16 मार्च, 1985 के अपने बजट भाषण में मैंने यह घोषणा की थी कि सरकार कम्पनियों के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए शेयरों के आबंटन की एक स्टाफ विकल्प योजना प्रारम्भ करने की बात पर विचार कर रही है। दो योजनाओं को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है और ये दोनों योजनाएं कम्पनियों के समान्य शेयरों में श्रमिकों को कुछ हिस्सा दिलाने के प्रयोजन से इस दिशा में उठाया जाने वाला अपनी तरह का पहला कदम होगा। पहली योजना के अन्तर्गत स्टाफ जारी करने की प्रक्रिया को कर्मचारी की बचत के साथ जोड़ दिया जाएगा। सम्बद्ध रूपान्तरण 5 वर्ष के बाद पूर्व निर्धारित कीमत के अनुसार किया जा सकेगा जो उनके उचित मूल्य अथवा औसत बाजार मूल्य के 80 प्रतिशत के बराबर, जो भी कम हो, होगा। इस योजना को, कम्पनी तथा कर्मचारियों, दोनों, ही के लिए स्वैच्छिक आधार की योजना के रूप में प्रस्तावित किया गया है। दूसरी योजना में कम्पनियां, सार्वजनिक/अधिकारिक आधार पर जारी किए जाने वाले कुल शेयर में से अपने कर्मचारियों को तरजीही आधार पर आबंटित किए जाने के लिए 5 प्रतिशत शेयर सुरक्षित रखेंगी।

योजना का विवरण मार्ग निर्देशों में दिया गया है, जिन्हें सभा पटल पर रखा जा रहा है।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 1236ए/85

2.08 म० प०

कुदाल जांच आयोग द्वारा जांच पूरी किए जाने और प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए समय बढ़ाए जाने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : इस सदन द्वारा 28 अगस्त 1981 को पारित एक प्रस्ताव के फलस्वरूप दिनांक 17 फरवरी, 1982 को अधिसूचना जारी करके श्री न्यायमूर्ति पी० डी० कुदाल की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की स्थापना की गई थी उस अधिसूचना की प्रतिलिपियां 3 मार्च, 1982 को सदन के सभा पटल पर रखी गई थीं। आयोग को अपनी जांच पूरी करने के बाद 31 जुलाई, 1982 तक या उससे पहले अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करनी थी ।

2. आयोग ने अब तक सरकार को तीन अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं इन रिपोर्टों का अध्ययन किया जा रहा है ।

3. आयोग के अनुरोध पर, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि तीन बार, पहले 31-7-1983 तक, फिर 31-7-1984 तक और उसके बाद 31 जुलाई, 1985 तक बढ़ाई गई थी । जांच आयोग के अध्यक्ष ने रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की अवधि में एक और वर्ष की वृद्धि करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है । सरकार द्वारा अनुरोध पर विचार किया गया है और तदनुसार गांधी शान्ति प्रतिष्ठान और अन्य संगठनों के बारे में कुदाल जांच आयोग की अवधि 31 जुलाई, 1986 तक बढ़ाई जा रही है ।

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस निर्णय का संबंध है इस सभा में हममें से बहुत से सदस्य लगातार यह अनुभव कर रहे हैं कि कुदाल आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य जयप्रकाश नारायण से जुड़े गांधीवादी संस्थाओं को परेशान करना है ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपत्ति रद्द की जाती है कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : : आप अपनी बात कह चुके हैं। ठीक हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपकी सलाह का पालन करूंगा मैं आपके विनिर्णय का पालन करूंगा। महोदय मुझे उपाय बताइए।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्रालय की मांगों के समय आप यह मुद्दा भी उठा सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह मामला आगे आयेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इस समय भी ऐसा कर सकते थे।

(व्यवधान)

———

2.09 म० प०

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक*

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनिम 1985 संशोधन करने वाले विधेयक का पुर स्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण : क्या, बात है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

*दिनांक 1 अगस्त, 1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण संशोधन अध्यादेश के बारे में विवरण

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1985 द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1239-ए/85]

2.10 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) कर्नाटक में हसन में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने और 'इनसेट' नेटवर्क माध्यम से कन्नड़ भाषा में कार्यक्रम प्रसारित करने की आवश्यकता

श्रीमती बसव राजेश्वरी (बेल्लारी) : 1984 में कर्नाटक में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाए गए थे। कन्नड़ में कार्यक्रम प्रसारित करने की आवश्यकता पर लोगों ने विभिन्न उद्घाटन समारोहों में बल दिया था। कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों से प्रसारण करना संभव नहीं है।

भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री ने कर्नाटक सरकार को सूचित किया था कि हसन में, दूरदर्शन ट्रांसमीटरों सहित, दूरदर्शन नेटवर्क की स्थापना के बारे में भावी योजनाओं में स्रोतों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। मैं सरकार से चिकमगलूर, कोटला, मांड्या और मर्का जैसे जिलों में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने का अनुरोध करती हूं।

मैं सुझाव देती हूं कि राज्य के कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को सामग्री उपलब्ध कराने वाले इन सेट नेटवर्क के कार्यक्रम कर्नाटक के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें।

जहां तक हसन का संबंध है, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन हसन स्थित अपनी 'मास्टर कंट्रोल' सुविधा से ट्रांसमिशन सुविधा दे सकता है। मैं अनुरोध करती हूं कि सरकार कन्नड़ भाषा में प्रसारण और दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार के दोनों मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें।

(दो) आन्ध्र प्रदेश में जिन गड़रियों की भेड़ें बाढ़ में बह गई हैं, उनको ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश में 1983 में बाढ़ के कारण लाखों भेड़ें, बाढ़ में मर गई थीं जिससे गडरियों, जो पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं,

का जीविका का साधन समाप्त हो गया है भेड़ पालन के अतिरिक्त उनका जीविका का कोई साधन नहीं हजारों गडरिए गाँवों में बेरोजगार घूम रहे हैं।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बैंकों को विभिन्न व्यक्तियों और समितियों को ऋण प्रदान करने की सलाह दे यह योजना ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरम्भ की जाए। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 20 भेड़ों के एक यूनिट के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता दी जाए और अधिकतम आर्थिक सहायता 2000 रुपये तक हो।

(तीन) **परिचालन प्रयोजनों के लिए डाक और तार विभाग तथा अन्य सरकारी कार्यालयों में भर्ती पर लगाए गए प्रतिबन्ध को हटाने की आवश्यकता**

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, वित्त मंत्रालय द्वारा वर्तमान रिक्तियों को भरने और नए प्रदों के सृजन पर लगे प्रतिबन्ध के जारी रहने के कारण डाक और दूरसंचार जैसी आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने और उनके प्रचालन पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है। 1974 में जब यह प्रतिबन्ध बन्ध लगाया गया था तब वित्त विभाग के 30 अगस्त, 1974 के परिपत्र कार्यालय ज्ञापन संख्या 14(24)-ई (समन्वय)/74 के द्वारा डाक-तार विभाग तथा अन्य कुछ विभागों को इससे छूट दी गई थी।

अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि 1974 की भांति डाक-तार विभाग और अन्य विभागों में परिचालन कार्यों हेतु रिक्तियों को भरने की ओर नए पदों के सृजन की छूट देने के लिए मौजूदा प्रतिबन्ध में संशोधन करे ताकि एक ओर इन सुविधाओं के विस्तार के कारण और दूसरी ओर सेवा निवृत्ति और पदोन्नति के कारण होने वाली रिक्तियों न भरने के कारण कार्य भार में जो वृद्धि हुई है उसकी वजह से इन सेवाओं पर और अधिक विपरीत प्रभाव न पड़े।

[हिन्दी]

(चार) **बिहार के दरभंगा जिले में अशोक पेपर मिल्स का अधिग्रहण करने की आवश्यकता**

श्री राम भगत पासवान (रोसेरा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में हायाघाट अशोक पेपर मिल बन्द हो जाने से करीब 4000 (चार हजार) कर्मचारी भुखमरी की हालत में होंगे। उत्तर बिहार जो हिन्दुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां उद्योग-धंधे, कारखाने नाम मात्र हैं। फिर भी यह पेपर मिल जो आसाम और बिहार सरकार की साझेदारी से चल रही थी वह बन्द हो गई है। इसमें करोड़ों की पूंजी लगी हुई है तथा मिल बन्द होने से मशीनें खराब होती जा रही हैं। उत्तर बिहार की जनता में व्यापक आक्रोश है। अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इसे अविलम्ब अपने हाथ में ले लें।

[अनुवाद]

(पांच) **राजस्थान के अलवर शहर और कुछ अन्य क्षेत्रों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए साहबी नदी के भूमिगत जल पर आधारित एक विशेष पेयजल परियोजना को स्वीकृति देने की आवश्यकता**

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : अध्यक्ष महोदय राजस्थान में पिछले तीन सालों से

बहुत कम वर्षा हुई है। राजस्थान राज्य को पेयजल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। कुओं नल कूपों तथा हैंड पंपों का जल स्तर नीचे चला गया है जिसके कारण पेयजल के इन साधनों से संबंधित कस्बों गावों और बस्तियों आदि को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर भीलवाड़ा, अजमेर और अलवर जैसे शहरों को भी पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में पेयजल के लिए स्थायी साधनों की व्यवस्था करने की तत्काल जरूरत है। कुछ परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है लेकिन राजस्थान राज्य के समक्ष वित्तीय कठिनाइयां होने के कारण उनको शीघ्रता से लागू करने में बाधा आ रही है। राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता देकर टोंक जिले में बीसलपुर बांध परियोजना और इंदिरा गांधी नहर जल पर आधारित पेयजल साधनों की व्यवस्था करने के लिए प्रस्तावित स्थायी योजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

अलवर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। यह औद्योगिक नगर बड़ी तीव्रता से विकास कर रहा है। इस समय इसकी जनसंख्या लगभग 2 लाख है। अलवर नगर में हमेशा पेयजल की कमी रहती है।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह नलकूप लगा करके अलवर जिले में सोढा वास गांव के निकट गहरे "साहवी" नदी के भूमिगत जल पर आधारित एक विशेष पेयजल परियोजना की मंजूरी दे। इस परियोजना से बेहरोड़, बांसुर, मंडावर, किशनगढ़ बास तहसीलों और अलवर शहर के लोगों को पेयजल सप्लाई किया जाएगा।

[हिन्दी]

(छ:) राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जिलों में पीने का पानी और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सातवीं योजना के दौरान पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रांत के रेगिस्तानी बाड़मेर एवं जालोर जिलों में सिंचाई के लिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपने एवार्ड के द्वारा नर्मदा जल की 0.50 मिलियन एकड़ फुट आवंटित किया है।

राजस्थान सरकार ने उन जिलों में जल से भूमि के 99035 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र को सिंचाई करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है परन्तु परियोजना रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है। अतः केन्द्र सरकार राज्य सरकार पर प्रभाव डाले कि परियोजना रिपोर्ट तुरन्त तैयार कर प्रस्तुत करे।

वर्तमान निर्माण कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान सीमा तक गुजरात में मुख्य नहर के सन् 1995-96 तक पूरे हो जाने की संभावना है। राजस्थान सरकार ने इसे जून 1091 तक पूरा किए जाने के वास्ते जोर डाला है।

मेरा उक्त क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते आग्रह पूर्वक निवेदन है कि रेगिस्तानी एवं सीमावर्ती बाड़मेर एवं जालोर जिले जो पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं, वहां सन् 1991

तक नर्मदा का पानी पहुंचाया जावे ताकि हजारों वर्षों से प्यासी जमीन में सिंचाई की जा सके।

उक्त बड़ी योजना के लिए उक्त पिछड़े सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्रों को देखते हुए केन्द्र सरकार भी राज्य सरकार को सातवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष सहायता दे और राज्य सरकार भी सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त प्रावधान करे ताकि युद्ध-स्तर पर कार्य किया जाकर सन 1991 तक बाड़मेर एवं जालोर जिलों में सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी पहुंच सके और उक्त रेगिस्तानी क्षेत्र को हरा भरा किया जा सके उक्त महत्वपूर्ण कार्य के लिए विश्व बैंक से लोन लेकर भी सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्पूर्ण करने का प्रयास किया जाए।

(सात) राजस्थान, विशेषकर कोटा को पर्यावरण प्रदूषण के खतरों से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण कानून पर्याप्त रूप से लागू न होने से राजस्थान के औद्योगिक नगर कोटा में औद्योगिक प्रदूषण की विभीषिका तेजी से फैल रही है। नदी, नाले एवं भूगर्भीय जल स्रोत्रों को दूषित करने के साथ ही वायुमंडल भी अत्यधिक दूषित हो गया है। जिस तरह भोपाल की यूनियन कारबाइड ने हजारों को सदा के लिए सुला दिया, कोटा नगर में भी श्री राम फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स से कई जहरीली गैसों का रिसाव होता है। जिससे आए दिन कई व्यक्ति बेहोश हो जाते हैं। अमोनिया क्लोरीन सल्फरडाई आक्साइड और एसिटीलीन सहित कई जहरीली गैसों के रिसाव में फैक्ट्री के आस पास सुबह शाम वातावरण धुंधलका हो जाता है। जो आदमी की सांस के साथ जाकर कई बीमारियां फैलाता है। इसके कास्टिक सोड प्लान्ट से क्लोरीन गैस रिसन होता रहा है, जिससे मशीनें गल चुकी हैं। जिससे आए दिन श्रमिकों की मृत्यु होती है।

इसी तरह कई अन्य फैक्ट्रियां मल्टीमैटल्स नागपाल फैक्टियों से बिना रोक टोक के रसायन युक्त पानी बस्तियों में बढ़ रहा है। इससे सूर सागर कन्सुवा बस्तियों के व्यक्ति नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रसायन युक्त पानी में अबोध बच्चे खेलते रहते हैं मैं अपने क्षेत्र के दौरे में पाया कि इस तरह कोटा नगर कैमीकल्स के धीमे जहर से धीरे-धीरे गरीबों के लिए नरक बनता जा रहा है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि प्रदूषण नियंत्रण कानून को पर्याप्त रूप से प्रभावी बनाया जाए। सभी कारखाने "ट्रीटमेंट प्लान्ट लगावें। रासायनिक पदार्थों के तथा गैसों के प्रभाव से कहीं भोपाल जैसी विभीषिका की पुनरावृत्ति राजस्थान के कोटा शहर में न हो जाए।

अतः केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करके इस शहर को नर्क के खड्डे में जाने से बचाए।

2.17 म० प०

नई वस्त्र नीति के बारे में चर्चा– (जारी)

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी रंगा (गुंटूर) : महोदय मुझे प्रसन्नता है कि मेरे मित्र प्रो० दंडवते द्वारा उठाए गए इस अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए सभा को यह अवसर प्रदान किया गया है। प्रो० दंडवते ने जिस जोरदार ढंग से सारी स्थिति का विश्लेषण किया है और इसके प्रत्येक पहलू पर विचार किया है। उसकी भी मैं सहायता करता हूं। लेकिन दुर्भाग्य से जैसा कि मैं उन्हें बता चूका हूं मैं उनके निष्कर्षों से सहमत नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : सराहना करना और बात है तथा सहमत होना और।

प्रो० एन० जी० रंगा : इस सदन के समक्ष वस्त्र नीति पहली बार नहीं रखी गई है। 1978 में जब उनके सहयोगी और मेरे मित्र.........

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) आप बिचाव पक्ष के बकील से सहमत हैं और उनके खिलाफ निर्णय देते हैं.........

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही कहा है।

प्रो० एन० जी रंगा : उस समय जब श्री जार्ज फर्नान्डीज ने वस्त्र नीति पेश की थी और उन्होंने हथकरघा बुनकरों के बारे में इसे विशिष्टता, सजीवता और जोरदार ढंग से पेश किया था तब मैंने इन्हें बंधाई दी थी।

अब मुझे मालूम हुआ है कि यह वस्त्र नीति लोगों द्वारा अपनाए जा रहे उसी दृष्टिकोण का केवल एक दूसरा पहलू है। सभी सदस्य, चाहे वे तत्कालीन जनता पार्टी के सदस्य हों चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, यह कहने के इच्छुक हैं कि वे उन्हें हथकरघा बुनकरों से प्यार है। सदन के हर सदस्य के मन में हथकरघा बुनकरों के प्रति इतने प्यार को देखते हुए सोचना पड़ता है कि कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं है कि ये हथकरघा बुनकरों मतदाताओं की अधिक संख्या है और चुनावों में महत्व रखते हैं ? अतः वे उनके लिए व्यवस्था करना चाहते हैं। सभी कहते हैं "जी हां, हम उनका ध्यान रखेंगे" लेकिन इन सब का असर क्या होता है ?

मैं सदन का उस समय उठाए गए दो-तीन मुद्दों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस समय उन्होंने कहा था कि कम संगठित तथा विकेन्द्रीकृत हथकरघा क्षेत्र खादी तथा रेशम उत्पादन उपयुक्त कीमतों परवाना मिलने संबंधी दिक्कतें विपणन समस्याएं तथा विद्युत हथकरघा से प्रतियोगिता इसके कुछ कारण रहे हैं। उस समय उन्होंने ऐसा कहा था। और अब हम ऐसा कह रहे हैं।

वे हथकरघा बुनकरों की रक्षा करना चाहते थे। हम भी उनकी रक्षा करना चाहते हैं। फिर भेद कहां रह गया ? केवल एक बात है कि उस समय उन्होंने संगठित वस्त्र उद्योग अर्थात मिल मालिकों पर कुछ प्रतिबंध लगाने का वादा किया था। क्या उन्होंने प्रतिबंध

लगाए क्या हमने ऐसा किया ? क्या यह सच नहीं है कि अभी तक मिल मालिक अपनी मर्जी से चल रहे हैं और जो कुछ वे उत्पादन कर रहे हैं उसका हिसाब नहीं रख रहे हैं ? केवल एक अंतर आया है अर्थात वस्त्र मिल मालिकों ने हमें मालूम नहीं उन्होंने ऐसा कैसे किया उन्होंने सरकारी मशीनरी की आंखों में कैसे धूल झोंकी हमें नहीं मालूम सौ से अधिक मिलों को रूग्ण बना दिया है। उनका कहना है कि कामगारों का शोषण किया जा रहा था। जो कुछ हो रहा है उसके गवाह वही कामगार हों। उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने तो कोई शोर नहीं मचाया। उन्होंने देश को चेतावनी नहीं दी। वे सभी सौ से अधिक मिले रूग्ण हो गईं। कुछ लोगों ने पैसा बनाया। लेकिन उस समय भी और अभी भी विपक्ष और सत्तारूढ़दल की आंखें मुंदी हुई हैं। हथकरघा बुनकरों को उनके हाल पर उसी तरह छोड़ दिया गया जिसे हमारे सामाजिक जीवन के अन्य असहाय क्षेत्रों के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है उन्होंने उस समय कहा था कि वे एक-एक समन्वित वस्त्र नीति तैयार करेंगे।

उन्होंने ऐसा ही कहा था। हम भी यही कह रहे हैं। उस समय और अब भी उन्होंने कपास-उत्पादकों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया है। वे भी इसके अंग हैं। इसकी शुरू बात कपास-उत्पादकों से होती है उनका शोषण किया गया है और किया जा रहा है। हथकरघा बुनकरों का शोषण किया जा रहा है। अब तीन वर्ग के लोगों को ही सुरक्षा प्रदान की गई है। ये हैं तथाकथित असंगठित विद्युत करघे जिनके पीछे बड़े विद्युतकरघा मालिक जरूर हैं, बड़े विद्युत करघे तथा औद्योगिक कामगार। इनको संरक्षण किया गया है।

मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने हमेशा की तरह अपने वाकपटु ढंग से औद्योगिक मजदूरों की वकालात कर रहे थे। क्या इस परिवर्तन से क्या उन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा ? उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है और आगे भी प्रदान की जाती रहेगी। इसके लिए डर की कोई बात नहीं है तत्कालीन तथा वर्तमान सरकार पर उनके द्वारा दबाव डाले जाने के कारण ही सरकार ने रूग्ण मिलों का प्रबंध कार्य अपने हाथ में लिया है। औद्योगिक मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए करोड़ों रुपये बहाये गये हैं। मिल मालिकों ने तो अपने को पहले ही बचा लिया। और अपनी-अपनी जेबें भर ली हैं। औद्योगिक मजदूरों को संरक्षण इसलिए प्रदान किया गया था, क्योंकि वे रोजगार हो रहे थे। एक ओर तो हथकरघा बुनकरों और दूसरी ओर कपास-उत्पादक ही ऐसे लोग हैं जो हमेशा नुकसान उठाते रहे हैं...

(व्यवधान)

मेरे मित्रों की यही बहुत बड़ी भूल है। प्रो० मधु दंण्डवते और इन्द्रजीत गुप्ता आप दोनों विपक्ष के प्रमुख सदस्य हैं। आप जो कुछ कहते रहे हैं चाहे कितना ही अच्छा क्यों न कहा हो, लेकिन आपने कपास-उत्पादकों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। और जहां तक हथकरघा बुनकरों का संबंध है हमारी तरह ही केवल आंसू ही बहाए हैं। वे लोग इस बारे में क्या सोचेंगे पिछले तीस-पेंतीस साल से इस दिशा में काम कर रहे मेरे एक मित्र के पूछने पर मैंने उन्हें बताया था कि मद्रास में अखिल भारतीय हथकरघा बुनकर सम्मेलन में उपस्थित था। मैंने विजयवाड़ा में विशेष आंध्र राज्य हथकरघा बुनकर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इन दोनों ही जगहों पर उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि मिल मालिकों

तथा विद्युतकरघों के साथ क्या किया जायेगा। यही काफी नहीं है आखिर ऐसा क्यों ? क्योंकि हम लगातार शिकायत करते रहे हैं कि इस संगठित मिल उद्योग तथा असंगठित विद्युत करघों की खातिर हथकरघा बुनकरों के हित बलिदान होते रहे हैं और हो रहे हैं।

अब आशा की एक ही किरण बची है। मालूम नहीं, इससे हथकरघा बुनकरों के पारिवारिक जीवन को कितनी देर तक रोशनी मिलनी रहेगी। जनता के उत्पादन का कार्य जिसे मिल उद्योग पर बोझ और जिम्मेवारी की तरह सौंप दिया गया था, अब हथकरघा बुनकरों को दिया जा रहा है। अब सुनिये हथकरघा बुनकरों का क्या कहना है ? उनका कहना है ठीक है हम इस काम की जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं लेकिन क्या आप रूई की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे।

सर्वप्रथम सभी कपड़ा उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिए जायें। इसके बाद धागे की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी। उसके बाद धान का उपयुक्त मूल्य इस तरह निर्धारित किया जाएगा कि समुचित मजदूरों—एवं रोजगार करने वाले व्यक्तियों के मामले में मुझे मजदूरी शब्द इस्तेमाल करने से एलर्जी है– यह तो आय है। और इसे समुचित होना चाहिए। कुछ राज्यों में बात को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम पारित किए गए हैं कि न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। मद्रास में आंध्र में ऐसा अधिनियम है। लेकिन आंध्र में यह शिकायत मिली है कि हथकरघा बुनकरों शीर्ष समितियों के अधिनियम से भी उपलब्ध कार्यान्वित न्यूनतम मजदूरी नहीं किया जा रहा है। उन्हें यह न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है। बुनकरों को रोजगार चाहिए अतः उन्हें अपना बुना हुआ माल, न्यूनतम मजदूरी से भी कम कीमतों पर, सरकारी समितियों को देना पड़ता है।

अगर औद्योगिक मजदूरों को रोजगार से हटा दिया जाए तो वे नियमित मजदूरी चाहेंगे इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मैं तो इसके पक्ष में हूं। लेकिन हथकरघा बुनकरों का क्या होगा। ऐसा क्या है कि उन्हें समुचित वेतना तो छोड़िए, न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। अन्य राज्यों की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे लागू नहीं किया जा रहा है जहां हथकरघा बुनकरों की काफी संख्या हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि बुनकरों को उपयुक्त ले ले। लाभ ही नहीं, बल्कि बुनकरों की सहकारी समितियों द्वारा बुनाई कापी पर किए जाने वाले खर्चों को सरकार उठाए। इसके बाद सभी कपड़ा आप ले लें। मालूम नहीं, इन सभी जिम्मेवारियों को पूरा करने के बाद क्या सरकार समुचित जनता कपड़े जिम्मेदारी ले लेगी। बुनकरों की जिम्मेदारी कपड़ा तैयार करने को होनी चाहिए और कुछ नहीं। उनकी शाखा बढ़ायी जानी चाहिए। महोदय शब्द तो शब्द हैं। लेकिन कई बार बहुत सारे शब्द मिलकर बोझा बन सकते हैं।

इस तरह से वस्त्र नीतियों पर काम हो रहा है। वस्त्र नीति पर तीन वक्तव्य दिए गए हैं लेकिन वह हथकरघा बुनकरों पर बोझ है। अतः वे चिंता नहीं करते। उन इन असंगठित विद्युतकरघों का इन पंजीकृत कर दिया जाएगा।

मेरे माननीय मित्र दंण्डवते इस बात को लेकर इतना चिंतित क्यों है कि उनका अभी तक पंजीकृत क्यों नहीं किया गया है। अब उनको पंजीकृत किया जाएगा। अब उनका वैधीकरण कर दिया जाएगा। बजाय इसके कि एक एक अवैध बच्चा समाज की सभी असुविधाओं का सामना करें, बेहतर होगा कि उसे वैध बच्चा करार दिया जाय।

प्रो० मधु दण्डवते : बच्चा कोई अवैध नहीं होता। केवल मां-बाप अवैध होते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय वहां ऐसा हो रहा है। वे सभी विद्युत करघा जो क्षेत्र असंगठित और अब संगठित क्षेत्र हैं।

संगठित करघों को इस तरह मुनाफा कमाने और अपनी कृत्रिम रूग्णता का भार सरकार पर और राष्ट्र पर नहीं डालने दिया जाएगा। अब से उन्हें अपनी देखभाल स्वयं करनी होगी। जिस ढंग से उनसे करों की अदायगी अपेक्षित है वैसा वह अब तक नहीं कर रहे हैं। अतः हम उनकी चिंता क्यों करें। चिंता हमें हथकरघा बुनकरों और कपास उत्पादकों की करनी चाहिए। कपास उप्पादकों का क्या होगा। हथकरघा बुनकर भी चिंतित हैं। दंडवते जी को चिंता है। अगर देश में इस तरह बेहिसाब कृत्रिम धागे का आयात किया जाता रहा तो कपास की मांग शायद कम हो जाए। मुझे कोई भय नहीं है इस सम्बन्ध में कई बातों पर विचार करना है।...

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : हम आपसे सहमत हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। आजकल देश में एक अजीब सी बात हो रही है। अक्सर हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता। देश के गरीब तबके के लोगों में, मेरा अभिप्राय बहुत ज्यादा गरीब लोगों से नहीं हैं, गरीब लोगों निम्न मध्यवर्गीय लोगों में ऐसी कमीजों को पहनना अधिक पसन्द किया जा रहा है जैसी आप में से कुछ लोग पहनते हैं और पहन कर अच्छे भी लगते हैं क्योंकि उनकी सिलाई बहुत अच्छी होती है......

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : धन्यवाद।

प्रो एन० जी० रंगा : क्योंकि वह ज्यादा देर चलती है और उन्हें धोने और सुखाने में भी महिलाओं को परेशानी नहीं होती। वे ऐसी कमीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस वर्ग मांग पूरी करनी होगी। यद्यपि इन कमीजों की कीमत अधिक हैं शुरू में पूंजी अधिक लगती है लेकिन वह ज्यादा देर चलती है इसलिए वे इन्हें पसन्द करते हैं। इसके विपरीत। विदेशों में, धनी देशों में हमारे हथकरघा वस्त्रों की मांग बहुत बढ़ रही है। लगातार बढ़ती कीमतों के बावजूद भी लोग उन्हें खरीद सकते हैं क्योंकि वे उन्हें खरीदने की स्थिति में हैं और वे उनकी खूबसूरती से प्रभावित हैं। इसलिए चाहे यहां की कमीजें उनकी कमीजों की तुलना में कम भी चलें तो भी वे यहां की कमीजों को ज्यादा पन्सद करते हैं इसलिए हमें विदेशों मे अपनी वस्तुओं की मांग बढ़ानी और बात खोजनी होगी।

मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे। देश में यद्यपि 30 प्रतिशत या 40 प्रतिशत लोग गरीबी के स्वर से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं फिर भी यदि आंकड़े देखें तो

पता चलेगा कि महंगे कपड़े खरीदने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसलिए हथकरघा वस्त्रों की मांग भी कम नहीं होगी। क्या मांग भी कम नहीं होने वाली। इसके विपरीत मांग बढ़ने की ही आशा है। ऐसा मुझसे मध्यवर्गीय लोगों को देखकर महसूस होता है क्योंकि वे भी पश्चिम के लोगों के समान विलासितपूर्ण जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। अतः हम चिंता क्यों करें।

अगर चिंता है तो वह इस बात की कि क्या सरकार अपनी नीतियों का निस्ठा और दृढ़ता से क्रियान्वयन करना चाहती है और क्या वह क्रियान्वयन में सक्षम है ? मैं यह मानकर चलता हूं कि सरकार इसे करना चाहती है। जनता सरकार के शासन काल में भी था, क्योंकि उनमें से अधिकांश मेरी तरह गांधीवादी थे और आज हमारी जनता गांधीवादी है—हम सब हथकरघा वस्त्रों में विश्वास रखते हैं......

प्रो मधु दंडवते : सिर्फ हमारे गांधी भिन्न थे।

प्रो एन० जी० रंगा : लेकिन नौकर शाही इसके आड़े आती है और इससे हमें सहयोग नही मिलता और इसीलिए कल ही शायद परसों—मेरे सहयोगी दंडवते जी ने एक सुझाव दिया था और मैं उनसे सहमत हूं। यदि सम्भव हो तो वस्त्र आयुक्त का कार्यालय दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त केन्द्र में भी हथकरघा आयुक्त बनाया जाना चाहिए जिसके पास उतने ही अधिकार हों तथा सभी राज्यों में भी आयुक्त नियुक्त किए जाने चाहिए......

श्री चंद्रशेखर सिंह : हमने हथकरघा विकास आयुक्त की नियुक्ति की हुई है।

प्रो० एन० जी० रंगा : लेकिन इसे वस्त्र आयुक्त के अधीन नहीं रखा जाना चाहिए।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : वह स्वतन्त्रत हैं। वह दिल्ली में नियुक्त है।

प्रो० एन० जी० रंगा : यदि वह स्वतन्त्र है, तो उस पर मन्त्री महोदय का नियन्त्रण होना चाहिए।

सब को पता था कि वस्त्र आयुक्त कौन है और पूरे भारत में ऐसा कहा गया है कि वस्त्र आयुक्त के बम्बई में नियुक्त होने के कारण तथा उसके कार्य के स्वरूप को देखते हुए उस पर वस्त्र कम्पनियों के मालिकों का अधिक प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी और उसे प्रभावित किया जा रहा है। अतः उन्हें दिल्ली लाया जाना चाहिए तथा इन लोगों पर किसी प्रभावी मंत्री का नियन्त्रण होना चाहिए। हम हमेशा ही इसके लिए पृथक मन्त्री बनाये जाने की बात कहते रहे हैं। भगवान का शुक्र है, अब पृथक मन्त्री बनाए गए है। सौभाग्य से, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे मित्र यहीं हमारे बीच बैठने थे, वह मुख्य मन्त्री थे और बड़े दृढ निश्चयी थे। उनका हथकरघा उद्योग और इसके उज्जवल भविष्य पर विश्वास था। अतः मैं चाहता हूं मेरे माननीय मित्र वस्त्र मन्त्री......

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप पृथक हथकरघा मन्त्री बनाये जाने के लिए कह रहे हैं ?

प्रो० एन० जी० रंगा : किसी दिन ऐसा भी हो सकता है, अभी नहीं क्योंकि हमें यह

देखना चाहिए कि यह नीति कैसी रहती है। हमने सात वर्ष तक हथकरघा बुनकरों संबंधी जार्ज फर्नांडीस और मोरारजी भाई की नीति की परख की है और मैंने इसकी प्रशंसा की है। अत: हमें उन्हें कुछ समय देना चाहिए। यदि आप दोनों नीतियों की आपस में तुलना करें तो इस वक्तव्य से ही पता चलता है कि इसमें कुछ खास फर्क नहीं है। कुछ एक बातों को छोड़कर यह नीति भी कुछ न करने की ही है। अत: मैं अपने मित्र, माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि हथकरघा बुनकरों की सहकारी समितियों को पर्याप्त ऋण दिया जाए। कृषि विकास बैंक की भांति एक अखिल भारतीय पुनर्वृत्ति वित्तीय हथकरघा सहकारी बैंक भी बनाया जाए। उनके लिए अलग बैंक बनाया जाना चाहिए और इसके लिए पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए।

दूसरे, सरकार को बिक्री प्रबन्ध अपने हाथ में लेना होगा और उसे दोनों तरह से विदेशों को इसका निर्यात करके तथा अपने देश में प्रसार करके—इस दिशा में आगे प्रगति को सुनिश्चित करना चाहिए। तीसरे, प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से छपाई, आकार क्रम से छंटाई, बुनाई आदि के आधुनिक तकनीकों का बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इन दिशाओं तथा अन्य कई दिशाओं में भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं केवल वस्त्र मन्त्री से ही नही अपितु प्रधानमन्त्री जी से भी इस ओर विशेष ध्यान देने की मांग करता हूं। उन दोनों के साथ-साथ मिलकर काम करना चाहिए और प्रधानमन्त्री को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें हथकरघा बुनकरों के भाग्य के निर्णय का काम योजना आयोग पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए। जहां तक हथकरघा बुनकरों अथवा अपने रोजगार में लगे लोगों का संबंध है मैं नहीं समझता कि योजना आयोग को उनसे कोई हमदर्दी है।

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी (कुरनूल) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा बल्कि माननीय मन्त्री जी से केवल स्पष्टीकरण चाहूंगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय को कांग्रेस दल का चिन्ह नहीं दिखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह भगवान का चिन्ह है। इसलिए मैंने आपको लिखा था।

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी : हथकरघा में हाथ का प्रमुख स्थान है।

अध्यक्ष महोदय : बिना हाथ के 'करघा' नहीं होता।

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी : महोदय, हथकरघा (वस्तुओं या आरक्षण) उत्पादन अधिनियम 1985 के पारित होने के समय दुर्भाग्यवश वर्तमान वस्त्र मन्त्री सदन में नहीं थे लेकिन उनसे पहले के मन्त्री उपस्थित थे जिन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया था। अधिकांश सदस्यों की यह मांग थी कि सरकार को एक कार्यक्रम के साथ आगे आना चाहिए जिसमें हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची शामिल की जाये। परन्तु तब मन्त्री जी ने, जो विधेयक के प्रभारी थे, जवाब दिया कि वस्त्र नीति विचाराधीन है और इसे अभी भी अन्तिम रूप देते समय वे उन वस्तुओं को निश्चित करने तथा उनका चयन करेंगे जिनका हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन किया जाना है। अब वस्त्र नीति को अन्तिम रूप दे दिया है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या आपने उन मदों का चयन किया है जो हथकरघा उद्योग द्वारा उत्पादित किए जाने के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षित हैं? यह मेरा पहला प्रश्न है।

इसके बाद महोदय, आपने नीति सम्बन्धी विवरण में केवल यह बताया है कि कन्ट्रोल कपड़े को हथकरघा क्षेत्र को दे दिया जाएगा।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : एक समिति का गठन किया गया है और कार्यक्रम को तैयार करने के लिए इसकी बैठक तुरन्त हो रही है।

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी : यह उन वस्तुओं के लिए है जिन्हें उनके द्वारा उत्पादन करने के लिए आरक्षित करना है। इसके बाद उन्होंने यह बताया है कि वर्तमान योजना के अन्त तक हथकरघा क्षेत्र द्वारा कन्ट्रोल कपड़े के उत्पादन में लिया जाएगा। क्या मैं इस तरीके को जान सकता हू जिसके द्वारा आप चाहते हैं कि हथकरघा क्षेत्र द्वारा कन्ट्रोल कपड़े का उत्पादन किया जाना चाहिए ? क्या आप उन्हें कोटा देने जा रहे हैं या आप इन्हें राज्य-वार या सहकारी संस्था-वार या किस्म-वार या सांविधिक तरीके से आबंटन कर रहे हैं ? आप कौन सी प्रणाली अपनाने जा रहे है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : राज्य-वार।

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी : इसके बाद, महोदय, जब विधेयक चर्चा के लिए आया तो हमने अनुरोध किया था कि एक समिति गठित की जानी चाहिए। एक समिति या बोर्ड को गठित किया जाना चाहिए। वास्तव में मुझे याद है कि प्रो० रंगा ने बार्ड के गठन के लिए एक संशोधन पेश किया था। परन्तु उस समय संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन हमने अनुरोध किया था कि कम से कम इसकी नियमों में व्यवस्था होनी चाहिए। अब, क्या नियमों को बना लिया गया है ? या नियमों को अब बनाया जा रहा है और अन्तिम रूप कब दिया जा रहा है ?

आप इस अधिनियम को प्रभावी करने कब जा रहे हैं ? आप इस अधिनियम को कब कार्यरूप देने जा रहे हैं और कब इसको लागू कर रहे हैं ?

इसके बाद, कन्ट्रोल के कपड़े के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इसमें 2 रुपए प्रति मीटर की दर से राज सहायता दी जाती है। अब हथकरघा मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी या निर्वाह मजदूरी को भी देने के लिए यह राजे-सहायता पर्याप्त नहीं होगी। क्या आप हथकरघा क्षेत्र के लिए राज सहायता में वृद्धि करने जा रहे हैं ? अब, अब आप कन्ट्रोल कपड़े के लिए मिलों को या उन अन्य क्षेत्रों के जिनको आपने इसका उत्पादन सौंपा है, प्रति मीटर कितनी राज सहायता दे रहे हैं ? क्या आप वही राज सहायता बनाए रखने जा रहे हैं या जब आप इसको हथकरघा क्षेत्र को देने जा रहे हैं तब क्या आप राज सहायता में वृद्धि करेंगे। मेरी अपनी राज्य सरकार का यह मूल्यांकन है कि 2 रुपए प्रति मीटर की इस राशि से हथकरघा मजदूरों की मजदूरी कम हो जाएगी और यदि कन्ट्रोल कपड़े का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र को स्थानांतरित किया जाता है तो राज सहायता में वास्तव में वृद्धि की जाएगी।

इसके बाद, आपने बताया है कि हथकरघा मजदूरों को आवास सुविधाएं और कार्य स्थल की व्यवस्था की जाएगी। क्या योजना के ब्यौरे तैयार कर लिए गए हैं ? इसमें धन कौन लगा रहा है ? इस योजना को राज सहायता कौन देने जा रहा है ? क्या यह आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार और आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा दी जानी है।

श्री चंद्र शेखर सिंह : हमने पहले से ही इसे राज्य सरकारों को बता दिया है।

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी : हम हथकरघा बुनकरों की सुविधा के लिये कार्य स्थान तथा आवास योजना के बारे में कुछ और विस्तृत आंकड़े चाहते हैं।

हथकरघा कपड़े की बिक्री के बारे में आपने उदारता के साथ यह बताया है कि हथकरघा क्षेत्र को बहुत सहायता दी जाएगी। यदि उत्पादन के दो वर्षो के भीतर हथकरघा कपड़ा नहीं बेचा जाता है तो व्यावहारिक रूप से इसकी कीमत खत्म हो जाती है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हथकरघा के पूरे स्टाक को खरीदने और उपभोक्ताओं को बहुत रियायती दरों पर बेचने की जिम्मेदारी भी है। प्रत्येक वर्ष हम राज सहायता के रूप में लगभग 30 करोड़ रुपए की रकम दे रहे हैं। इससे दो क्षेत्रों के लाभ हो रहा है जिसमें से पहला हथकरघा बुनकर और दूसरा गरीबी रेखा में नीचे रहने वाले उपभोक्ता हैं। क्या आप इस नीति को अपनाओर अन्य राज्यों को भी ऐसा करने के लिए कहेंगे तथा यह देखेंगे कि वर्ष के अन्त में या कम से कम दो वर्ष के अन्त में हथकरघा के दूर स्टाक की थोक बिक्री हो।

विपणन के बारे में, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी विज्ञापन के मामले 3 हथकरघा क्षेत्र को छूट देंगे। अब विपणन और विज्ञापन साथ-साथ चलते हैं। आजकल विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप आकाशवाणी और दूरदर्शन हथकरघा क्षेत्र को उसके माल का विज्ञापन देने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत की छूट देंगे ?

विद्युत करघा क्षेत्र के बारे में कोई भी इसकी प्रक्रिया नहीं जानता है जिसके अन्तर्गत विद्युत करघे पंजीकृत किए जाएं। इसकी आधारभूत सुविधाएं क्या हैं और इनको कहां पंजीकृत कराना होता है ? वह कौन सा व्यक्ति है। वह कौन सा अधिकारी है तथा किसके समक्ष नए विद्युत करघों का पंजीकरण करना होता है ? क्या आप कोई कोटा दे रहे हैं या किसी भी तरह कोई कोटा है ? क्या इन विद्युत करघों के पंजीकरण के लिए कोई सीमा है ?

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हम कुछ और नहीं चाहते हैं।

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी : अब, वे कहते हैं कि इसके लिए कोई सीमा नहीं होगी जहां तक विद्युत करघों का संबंध है, क्या उसके लिए जिला-वार या राज्य-वार कोई सीमा है या कोई सीमा नहीं है या यह असीमित है।

जहां तक ऊनी कपड़ों का संबंध है हम पांच किस्म की उन आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैन्ड आदि से आयात कर रहे हैं। पहली सामान्य शिकायत यह है कि इसमें सीमा शुल्क लगता है। तैयारी उत्पाद ऊनी वस्त्र बाहर बेचे जा रहे हैं और यह विदेशी मुद्रा भी कमा रहा है। उत्पादन के तुरन्त बाद उत्पाद शुल्क भी लगाया जाता है। यह विशेषकर आस्ट्रेलिया से आयातित ऊन की अच्छी किस्म के मामले में होता है। क्या आप इन दोनों करों को जोड़ कर एक बार कर लगाने पर विचार करेंगे, ताकि दोहरे कर से बचा जा सके।

सरकारी उपक्रमों पर 'डाइजेस्ट आफ न्यूज एंड न्यूज' में जिसने लोक सभा सचिवालय द्वारा सप्लाई किया गया है, यह दिखाया गया है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने बहुत अच्छा कार्य

किया है और यह मालूम हुआ है कि हरियाणा के स्कूली बच्चों की पोशाक के लिए इसे 73 लाख रुपए के क्रयादेश और हंगरी, आदि से निर्यात आदेश भी प्राप्त हुआ है। सरकारी उपक्रमों पर इस डाइजेस्ट आफन्यूज एन्ड न्यूज' में हमें एक बहुत साफ तस्वीर बताई गई है।

जहां तक मिल क्षेत्र का संबंध है, मैं भी सहमत हूं कि इसको आधुनीकृत किया जाना चाहिए ताकि यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना कर सके। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है कि हमें आयात नहीं करना चाहिए। आपने अपनी नीति सम्बन्धी विवरण के पृष्ठ 51 में यही कहा है:

> "वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण पर राष्ट्रीय स्तर की एक स्थायी सलाहकार समिति गठित की जाएगी जिसमें प्रबन्ध और श्रमिक के प्रतिनिधियों के साथ उपयुक्त तकनीकी विशेषज्ञों तथा वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा"

मुझे खुशी है कि श्रमिकों को उनके हितों की रक्षा करने की दृष्टि से प्रतिनिधित्व मिलेगा। मुझे आशा है कि डा० दत्ता सामंत इसमें होंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या उसके बाद वहां शांति होगी ?

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी : इसके बाद नीति में यह भी कहा गया है :

> "देशी वस्त्र मशीनरी निर्माणकार रहे उद्योग की लागत कम करने, प्रौद्योगिकी अध्ययन करने का तथा मशीनरी की किस्म में सुधार लाने को प्रोत्साहन दिया जाएगा"।

इस देशी वस्त्र मशीनरी का निर्माण कर रहा उद्योग कौन-सा है जिसका आपने पता लगाया है ? क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम इसको एक दीर्घ कालीन नीति के रूप में लेगा ?

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, वस्त्र नीति जिसकी घोषणा 6 जून 1985 को की गई थी अब लागू किया जा रहा है इसमें एक नया दृष्टिकोण है। अभी तक दृष्टिकोण यह रहा है कि वस्त्र नीति की विभिन्न श्रेणियों को वोट दिया गया था। विद्युत करघा और हथकरघा को अलग-अलग समझा जाता था और रेशा उपयोग, अर्थात सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा तथा रेशमी कपड़ा, आदि को अलग-अलग समझा जाता था। हम पहली बार इस नीति में कपड़ा उद्योग के बारे में एक अधिक समेकित दृष्टिकोण अपना रहे हैं। अब इस नीति में कई अच्छी और प्रमुख विशेषताएं हैं। परन्तु उनमें से अधिकांश धन की उपलब्धता और नीति के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। निःसंदेह सरकार ने संगठित मिलों के गैर-अर्थक्षम यूनिटों और आधुनिकीकरण के बारे में अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर दिया है।

अब मैं कहता हूं कि बहुत सी चीजें धन की उपलब्धता और कार्यान्वयन पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए हथकरघा उद्योग को ही लो इस नीति में आधुनिकीकरण और दूसरे एक कार्य स्थल व आवास योजना का भी सुझाव दिया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस बारे में उल्लेख है और हथकरघा उद्योग के लिए विकास सम्बन्धी उपायों में हथकरघा बुनकरों के लिए 50,1000 आवास व कार्य-स्थल के कार्यक्रम की व्यवस्था है इसमें

कोई संदेह नहीं है कि अपर्याप्त व्यवस्था है और यदि इसे कार्यान्वित किया जाता है तो और धन की व्यवस्था की जाएगी।

जहां तक कंट्रोल के कपड़े और जनता कपड़े के उत्पादन की जिम्मेदारी का सम्बन्ध है मेरा यह निवेदन है कि यह भी इस नीति के पूरी तरह से कार्यान्वन पर निर्भर करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे हथकरघा बुनकरों को अधिक रोजगार मिलेगा किन्तु अगर इसे ठीक ढंग से और सफलता-पूर्वक ढंग से अमल में नहीं लाया गया तो इसके परिणाम वांछित नहीं होंगे। मई 85 में 12 अनुसंधान कर्त्ता आरती कौल द्वारा हाल के किए गए अध्ययन से पता चलता है कि जिला औद्योगिक केन्द्र का हथकरघा संघ ने विकास परियोजना के प्रोजेक्ट निदेशक को भी इस नीति के बारे में पता नहीं है वह यह नहीं जानते कि उत्पाद आरक्षण के बारे में नीति क्या है। अतः यदि यह स्थिति है तो इस नीति को लागू करना कठिन है।

इसके बाद अपने आधुनिकीकरण के बारे में बताया है। इसके लिए भी जब तक पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक हम हथकरघा उद्योग को आधुनिक नहीं बना सकते यहां हमें उन कुशल कारीगरों को भी भूलना चाहिए जो कि कुछ अच्छी किस्म के हथकरघा कपड़े तैयार करने में विशेष रूप से कुशल हैं। इन उद्योगों का आधुनिकीकरण करते समय इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए है।

जब हम विद्युत करघों पर आते हैं तो जिस मुख्य बात पर में टिप्पणी करना चाहता हूं वह अनिवार्य पंजीकरण है। अभी तक इस उद्योग में अव्यवस्था है और इस अनिवार्य पंजीकरण से हम इन कुछ बातों पर नियंत्रण कर सकते हैं। यहां मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जब हम पंजीकरण अनिवार्य कर रहे हैं तो उन श्रमिकों की सेवा शर्तों को ओर ध्यान देना होगा।

आपने यह भी बताया है कि श्रमिकों के कल्याण की व्यवस्था में सुधार करना इस नीति का एक उद्देश्य हैं लेकिन मैं सुझाव देना चाहता हूं कि श्रमिकों के कल्याण और उनकी सेवा की शर्तों में सुधार लाने के लिए कोई विधान लाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र मथाडी, हमाल तथा अन्य श्रमिक (रोजगार और कल्याण विनियम) अधिनियम के आधार पर कोई विधान पेश करना होगा ताकि मजदूरी ढांचे पर नियंत्रण रखने और बुनकरों के मालिकों को मजदूरों की सप्लाई करने के लिए एक बोर्ड स्थापित किया जा सके। इसके बाद जहां तक इन बुनकरों का संबंध है इनकी कल्याणकारी क्रियाकलाप और कल्याणकारी उपायों को इस प्रकार के अधिनियम के माध्यम से निमंत्रित किया जा सकता है अतः जहां तक विद्युतीकरण उद्योग का संबंध है इस तरह के बोर्डों का गठन किया जाना चाहिए।

अब मैं मिल क्षेत्र की बात करता हूं जहां तक मिलों के बारे में नीति का सम्बन्ध है मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करता हूं आपने यहां इन यूनिटों के व्यवहारिक दृष्टि से तीन भागों में बांटा है। आपने कहा है कि जो यूनिटें अर्थक्षम हैं उन पर विशेष तरीके से विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए इस प्रकार की यूनिटों के लिए एक पुनः स्थापित योजना का जिसमें बहुत सी चीजों का सम्मिलित किया गया है प्रस्ताव किया गया है।

अब इसमें भी, जब तक कि पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की जाएगी

मेरे विचार में इसे सफलतापूर्वक लागू करना संभव नहीं होगा। इसमें भी हमने सुझाव दिया है कि श्रमिकों के संबंध में मजदूर संघों से सलाह-मशवरा किया जाए। अब सलाह-मशवरे में मजदूर संघों की ओर से स्वीकृति होनी चाहिए। जहां तक इस उद्योग का संबंध है उसके कुछ हिस्सों में लगे श्रमिकों के बारे में सलाह-मशवरे का अर्थ है बातचीत अत: हमें इस उद्योग के कुछ हिस्सों के श्रमिकों के संबंध में मजदूर संघों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। इसके बाद आपने यह भी सुझाव दिया है कि मुआवजा कोश की छंटनी किए गए श्रमिकों के लिए बनाया जाएगा। अब, आसान शर्तों पर ऋण दिए जायेंगे परन्तु यह भी सरकार के पास उपलब्ध धन-राशि पर निर्भर करता है। अब जहां तक उन इकाइयों का संबंध है जो संभवत अर्थ क्षमता है परन्तु जो अकुशल प्रबन्ध या कुप्रबन्ध के कारण रुग्ण हो जाती हैं इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और वर्तमान प्रबन्ध को बदला जाए।

मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं परन्तु इसके लिए भी एक समुचित तंत्र होना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु, मेरे विचार में एक दूसरा विधान बनाना होगा जिसके द्वारा सरकार ऐसे एककों का अधिग्रहण कर सके।

अन्तत:, मेरे विचार में प्रबन्धकों को बदलने के लिए अलग से एक विधान बनाने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। अब जो बहुत अधिक चिंता का विषय है वह उन एककों के बारे में है जिन्हें अर्थक्षम होने की कोई आशा नहीं है। यहां, जैसा कि मैंने कहा है, नीति को काफी परख लिया गया है क्योंकि अब तक हम ऐसे यूनिटों का अधिग्रहण करते रहे हैं और उनका आगे भी राष्ट्रीयकरण करते रहे हैं।

मैं महसूस करता हूं कि उसी नीति को जारी रखा जाना चाहिए क्योंकि जब एक बार ऐसा संकेत मालिकों को दे दिया जाता है कि जब वे यह कहें कि इसे किसी तरह से चलाया नहीं जा सकता है तो उन्हें बात करने की अनुमति दे दी जाएगी तो मेरे विचार में ये एकक अर्थक्षम नहीं हैं यह बताने की प्रवृत्ति बढ़ जायेगी तथा हमें इन्हें बन्द करने की अनुमति दीजिए और उससे, जहां तक बड़े शहरों का सम्बन्ध है, बहुत बेरोजगारी फैलेगी।

यह फैसला कौन करेगा कि ये अर्थक्षम नहीं है ? अगर यह भी नौकरशाहों के हाथ में हैं तो नौकरशाह भी इन मिल मालिकों के साथ मिल जाएंगे और वे केवल यही बतायेंगे कि कुछ एकक अनार्थिक नहीं हैं और उन्हें बन्द करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अत: ऐसी बातों को ध्यान में रखना होगा और इस ओर अधिक ध्यान देना होगा मेरे विचार से सही नीति यह होनी चाहिए कि इन सभी एककों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तथा उनका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया जाए क्योंकि हमारे ऊपर कुछ सामाजिक दायित्व भी है। हम इसे वाणिज्यिक दृष्टिकोण यह नहीं समझ सकते कि इसमें घाटा है और इसलिए हम इन एककों में और धन नहीं लगा सकते। नि:स्सन्देह रोजगार की समस्या है।

अत: अगर बहुत बेरोजगारी है तो उपभोक्ताओं के लिए इतना सारा कपड़ा उत्पादन में करने का क्या लाभ है ? इन लोगों के पास खरीदने की शक्ति नहीं होगी और अगर शहरों में बेरोजगारी हैं तो इससे देश में बहुत सी आर्थिक समस्याएं पैदा हो जाएंगी और इसलिए मैं यह समझता हूं कि नीति की समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह खतरनाक परिणामों से परिपूर्ण है। यही मेरा निवेदन है।

2.58 म० प०

मूल्यों में भारी वृद्धि के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत मूल्य वृद्धि के बारे में चर्चा आरंभ करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, जब मैं नियम 193 के अन्तर्गत देश में बढ़ते हुए मूल्यों पर चर्चा उठाने के लिए खड़ा होता हूं............

अध्यक्ष महोदय : स्वयं को उठाकर ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं मूल्यों के साथ-साथ उठता हूं ; जब मूल्य गिरेंगे तो मैं भी गिर जाऊंगा।

वित्त तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मूल्य वृद्धि के साथ-साथ उनकी भी वृद्धि हो रही है।

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री महोदय, इसका श्रेय आपको जाता है। महोदय, शुरू में ही मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे देश में बढ़ती हुई कीमतें निरन्तर खतरा बनी हुई हैं। परन्तु फिर भी हम से कुछ लोग इस खास विषय पर चर्चा के लिए क्यों आग्रह करते हैं। वास्तव में इसका कारण यह है कि मैं बढ़ती हुई कीमतों की सभी बातों पर विचार नहीं करना चाहूंगा परन्तु जहां तक अर्थ व्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव का संबंध है विशेष रूप से मैं 1985-86 के बजट के प्रभाव तथा उसके बाद की वित्त नीति पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा।

3.00 म० प०

अतः मैं केवल उस पहलू पर अर्थात् 1985-86 के बजट के प्रस्तुत करने के बाद अपने आपको केन्द्रीय रखूंगा। हमारी सरकार अकसर यह भ्रम पैदा करती रहती है कि मूल्यों के वृद्धि बहुत अधिक नहीं हुई है।

इस चर्चा के सिर्फ दो दिन पहले ही, हमें वित्त मंत्री के हाथ का लिखा हुआ प्रेम पत्र प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह खुला हुआ था ?

प्रो० मधु दंडवते : हां, यह खुला है।

श्री वाई० एस० महाजन : (जलगांव) : इतने सारे प्रेम पत्र ?

प्रो० मधु दंडवते : एक सामूहिक प्रेम भी हो सकता है। इस विशेष पत्र में, वित्त मंत्रालय एक ऐसा मामला बनाने की कोशिश कर रहा है कि जहां तक पहली तिमाही का संबंध है, अब तक मूल्य वृद्धि 3.5 प्रतिशत है। वह जानबूझकर थोड़े से समय को ले रहे हैं। यहां

पर मंत्री जी ने चालाकी से काम लिया है। जब कभी भी वह यह दर्शाना चाहते हैं कि मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है......

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चालाकी को पकड़ लेते हैं तो वह चालाकी कहां रह गयी ?

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह बताना चाहूंगा कि सरकार अत्यधिक मूल्य वृद्धि को छिपाने के लिए अंक-प्रति-अंक मुद्रा स्फीति का सहारा लेती है। सरकार अंक-प्रति-अंक मुद्रा स्फीति के संबंध में आंकड़े देना पसन्द करती है। इसके अलावा, वह एक छोटे से समय, 2 या 3 मास, के समय को चुनती है और इस वर्ष 2 या 3 मास के समय को लेकर देश के सामने इन तीन मास की मुद्रा स्फीति दर की तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश करती है, और पिछले वर्ष के तीन मास तथा उससे पूर्व समय के तीन मास के साथ तुलना करने की कोशिश करती है और आंकड़ों के जादू से देश को यह दर्शाने की कोशिश करती है कि वर्तमान वृद्धि बहुत अधिक नहीं है। चाहें उनके पेट में दर्द हो रहा हो, चाहे उनका जीवन कष्टमयी चल रहा हो, परन्तु मंत्रालय की सिर्फ अंक-प्रति-अंक मुद्रा स्फीति करने की चालाकी पढ़ने वालों को मानसिक राहत देती है अर्थात् वास्तविकता में चाहे वे भारी मून्यवृद्धि का सामना कर रहे हो परन्तु संभवतः आंकड़ों की दृष्टि से वे सन्तुष्ट हो जाते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एक मुद्रास्फीति है। वह अंक-प्रति अंक है। दूसरा चार्ट थोक मूल्य सूचांकाक का है, अर्थात् आधार अर्थात् 1 अप्रैल से प्रथम तिमाही के अन्त तक। वह अंक-प्रति-अंक नहीं है। वह निश्चित अवधि का है......वह अंक-प्रति-अंक नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने यह नहीं कहा कि यह विशेष चार्ट ऐसा है। अक्सर जब अब कुछ बताना चाहते हैं तो वह अंक-प्रति-अंक होता है। यह दूसरा मुद्दा है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं।

इस विषय पर में पूरी तरह से तैयार होकर आया हूं। मैंने यह समय स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ने 3 मास का समय चुना है और बातें बनाने की कोशिश की हैं। सरकार इन तीन महीनों की मुद्रास्फीति दर की तुलना गत तीन महीनों की मुद्रास्फीति से करती हैं। और इस तरह से इसे तैयार करती है—

इस सदन में वित्त मंत्री से पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर के आधार पर मैं अपनी बात को अतीत का एक उदाहरण देकर सिद्ध करुंगा। अगर आप लम्बी अवधि को लेकर औसत मुद्रास्फीति दर निकालें तो आपको स्थिति इससे भिन्न मिलेगी।

मैंने इसी सदन में एक वित्त मंत्री से एक प्रश्न पूछा था। मुझे उनका नाम याद नहीं है, क्योंकि ये अकसर बदलते रहते हैं। परन्तु मुझे याद है कि मैंने वित्त मंत्री से तीन लम्बी अवधि के सम्बन्धों तथा उन अवधि की औसतन मुद्रास्फीति दर के संबंध में एक प्रश्न पूछा था।

मेरा प्रश्न था। क्या माननीय मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे। 1973-74 से 1974-

75 तक की अवधि की औसत मुद्रास्फीति दर क्या थी। दूसरा प्रश्न था। 1977-78 से 1978-79 तक की अवधि के दौरान औसत मुद्रास्फीति दर क्या थी। और अन्त में चूंकि प्रश्न अक्तूबर के अंत में पूछा गया था, इसलिए 1978-80 के दौरान अक्तूबर 1980 तक की अवधि के दौरान कम थी। आप यह जानकर स्तब्ध रह जायेंगे कि उनका उत्तर क्या था। मंत्री महोदय ने बताया कि 1973-74 से 1974-75 तक मुद्रास्फीति दर 22.5 प्रतिशत थी। इसके बाद 197.-1978 से 1978-79 तक, जब इतफाक से हम सत्ता में थे यह 2.5 प्रतिशत थी।

(व्यवधान)

सत्ता से हटने के बाद मैं कैसे जवाब दे सकता हूं ? ये प्रश्न बाद में पूछे गये थे। 1977-78 और 1978-79 में, कांग्रेस आई० के वित्त मंत्री ने उत्तर दिया था कि मुद्रास्फीति दर 2.5 प्रतिशत थी। और उसके बाद 1979-80 में बहुत बाद मे एक प्रश्न पूछा गया था, 1979-80 में अप्रैल से अक्तूबर तक यह 18 5 प्रतिशत थी। अब आप यह समझ सकते हैं कि सिर्फ दो मास, या तीन मास या चार मास लेने की बजाय अगर आप एक लम्बी अवधि लें जिसमें लोग कष्ट उठाते हैं, पता लगाने की कोशिश करें और यह कि औसतन मुद्रास्फीति दर क्या है तो आपको मालूम होगा कि एक अवधि में यह 2.25 प्रतिशत है, दूसरी अवधि में 2.5 प्रतिशत तथा तीसरी अवधि में 18.5 प्रतिशत है। मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता। सदन के ध्यान में मैं जो बात लाना चाहता हूं वह यह है कि वह आंकड़ों के जल से जाल से सावधान रहें, इस तथ्य के प्रति सतर्क रहें कि चाहे आप अंक-प्रति-अंक मुद्रास्फीति या अल्प अवधि की मुद्रास्फीति से चलें और इसकी तुलना उस मुद्रास्फीति से करें जो लम्बी अवधि की है तो आपको हमेशा भिन्न तस्वीर प्राप्त होगी और इसलिए सही तस्वीर केवल तभी मिल सकती है जब आप एक या दो वर्ष की अवधि में, जिसमें लोग कष्ट सहते हैं, स्थिति का ठीक से पता लगायें तो वास्तव में वही सही पहलू है। ऐसे भ्रम, मैं उन्हें दृष्टिभ्रम कह सकता हूं, अपने को धोखा दे सकते हैं परन्तु ये मूल्यों में स्थिरता नहीं ला सकते, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी लाने की बात तो दूर रही।

जहां तक बजट प्रस्तावों का संबंध है, जब से हमारे मंत्री महोदय ने अपना अन्तिम बजट (1985-86) प्रस्तुत किया है इससे पहले कि मैं देश की मुद्रास्फीति की स्थिति पर इस बजट का सही असर क्या हुआ है उसका विश्लेषण करूं, नये बजट में जो वित्त द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किए गए तीन महत्वपूर्ण नीति परिवर्तनों सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं।

(1) नए बजट में निवेश सम्बन्धी प्रणाली और प्रस्तावों से यह पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र की बजाय गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर झुकाव हो गया है।

(2) जहां तक खर्च और बचत के बीच चयन का प्रश्न है। बजट में दिये गए प्रोत्साहन प्रभावहीन है। सारे प्रोत्साहन या तो खर्च के पक्ष में हो सकते हैं या फिर बजट के पक्ष में हों परन्तु जहां तक इन पहलुओं का संबंध है। इसे प्रभावहीन बनाए रखने का प्रयास किया गया है।

(3) इसमें शक नहीं है कि कुछ वित्तीय रियायतें दी जा रही हैं, और इन वित्तीय रियायतों का उद्देश्य कोल धन लेन देन को सफेद धन की अर्थ व्यवस्था में अन्तरित करना है। अब, बजट के ये तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनको देश के वर्तमान मूल्य ढांचे पर बजट (1985-86) के प्रभाव के बारे में विचार करते समय ध्यान में रखना होगा।

जहां तक कृषि का संबंध है, डीजल तथा उर्वरक के मूल्यों में परिवर्तन होने से वास्तव में कृषि आदानों का मूल्य बढ़ गया है। इससे कृषि लागत बढ़ गई है और इसके परिणामस्वरूप हमें जितनी कृषि विकास दर की आशा थी वह हम नहीं प्राप्त कर सकेंगे, हालांकि हमारे देश के किसान सक्षम हैं, उनमें अधिक उत्पादन करने की इच्छा है, उनमें विभिन्न फसलें देश में पैदा करने की इच्छा है। महंगी प्रौद्योगिकी जिसकी कृषि में उपयोग करने की आवश्यकता होती है, के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि किसानों में कृषि विकास दर को बढ़ाने की क्षमता तथा योग्यता के अनुरूप हमारी कृषि विकास दर पर्याप्त नहीं रही है और इससे भी मूल्य ढांचे की पूरी तस्वीर बिगड़ जाती है। मेरे विचार से और मैं संक्षेप में इनमें से प्रत्येक का विश्लेषण करूंगा।

(1) बजट में लगाये गए करों से कभी-कभी ऐसा होता है कि पूर्ति और मांग से होने वाली मूल्य वृद्धि को ये कानूनी मोहर लगा देते हैं क्योंकि जो विशेष घोषणायें की गई हैं उनसे हम देखते हैं कि कुछ मूल्य वृद्धि होती हैं।

ऐसा सदा ठीक हो, यह बात नहीं है। मैं आपका मुद्दा स्पष्ट करूंगा। कभी-कभी बजट में कुछ करों की घोषणा की जाती है किन्तु उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। किन्तु करों को लागू करने से पूर्व देश में कुछ ऐसी मनोवृत्ति बन जाती है जिसके परिणाम स्वरूप मूल्यों के ढांचे पर कुछ प्रभाव पड़ता है। अर्थशास्त्री इसे घोषणा का असर कहते हैं। जब आप कोई घोषणा करते हैं। तभी कुछ न कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यह एक पहलू है।

दूसरा पहलू है करों में वृद्धि तथा नियन्त्रित मूल्यों विशेषकर अन्तवर्ती वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने के कारण वस्तुओं का बढ़ जाना। उदाहरण के तौर पर रेल, बिजली, सीमेंट, इन सभी अन्तवर्ती मदों के मूल्यों में प्रशासन की ओर से वृद्धि की जाती है आप देखेंगे कि इनमें वृद्धि किए जाने से इसकी प्रभाव आवश्यक होता है और मूल्य और बढ़ जाते हैं तथा इस प्रकार हुई और अधिक मूल्य वृद्धि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा बजट प्रस्तावों में घाटे की जो वित्त व्यवस्था होती है, उसका भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।

और अन्त में मुद्रास्फीतिकारी दबाव है जो देश में प्रचलित बेहिसाब कालेधन के कारण अर्थ व्यवस्था पर पड़ता है। ये चार पहलू है, जिनपर ध्यान दिया जाना चाहिये।

महोदय, जहां तक घोषणा का असर तथा मूल्य बढ़ाये जाने को प्रभाव का संबंध है, उन्हें एक साथ लिया जा सकता है और उसका प्रभाव हमें स्पष्ट दिखाई देता है। आप कृषि विशेषज्ञ होने के नाते इस विशेष पहलू के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर दूध में मूल्य वृद्धि को लीजिए। गैर-सरकारी तरीके से सप्लाई किए गए दूध में

मोटे तौर पर बजट में 10 प्र० श० मूल्य वृद्धि की जाती है। इस प्रकार से मोटे तौर पर बजट की अवधि के दौरान उसके मूल्य में 10 प्र० श० की वृद्धि हो जाती है। परिवहन व्यय बढ़ जाने से वस्तुओं के मूल्य और व्यय में यह आम वृद्धि है। यही पता लेना है। जो लोग गैर-सरकारी रूप से दूध बेचते हैं, वे मूल्य बढ़ा देंगे। किन्तु यदि सरकार द्वारा सप्लाई किए जा रहे दूध के मूल्य भी बढ़ दिए जाते हैं, तो उन्हें इस बात का कोई अंस नही होता है कि उनको दूध की मांग पर कोई प्रभाव पड़ेगा और वे उस बढ़े हुए मूल्य पर अपना दूध बेच सकेंगे।

अत: जब गैर-सरकारी दूध विक्रेता देखते हैं कि सरकारी दूध के दाम बढ़ गए हैं, तक गैर-सरकारी तौर पर सप्लाई किए जाने वाले दूध का मूल्य बढ़ाने में वे लोग जरा भी नहीं हिचकते क्योंकि वे लोग यह महसूस करते हैं कि कोई प्रतिबन्ध नहीं होगी और चूंकि सरकार द्वारा सप्लाई किए जाने वाले दूध के दाम पहले ही बढ़ गए हैं तो वे लोग अपने दूध का मूल्य भी बढ़ा सकते हैं।

इसके बाद वस्तुओं के मूल्य बढ़ने का मामला आता है। उदाहरण के तौर पर बिजली, कोयला, सीमेंट, इस्पात, ईंधन उत्पाद, आदि वस्तुयें ली जा सकती हैं। इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अंतवर्ती वस्तुओं में मूल्य वृद्धि होने के अतिरिक्त उपभोक्ता उत्पादों जैसे सब्जी, तेल, शीतल पेय, सिगरेट, जिन पर कर लगाया जाता है और कर भी अधिक मात्रा में लगाया जाता है, के मूल्य बढ़ जाने से मूल्य सूचकांक पुन: बढ़ जाता है और इस कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह उस क्षेत्र में आ जाता है जिससे कुल मूल्य सूचकांक बढ़ जाता है और इसीलिए भी मूल्य बढ़ जाते हैं।

इसके अलावा एक पहलू और है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। महोदय, पिछले दिन प्रश्न काल के दौरान राव बीरेन्द्र सिंह ने उन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देने की चेष्टा की थी जो दोनों तरफ के सदस्यों द्वारा पूछे गए थे। अधिकांश रूप से लोग उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं थे और हमने देखा कि इस देश में चीनी नीति में मूल रूप से कुछ न कुछ गड़बड़ी है और इसे पर पूर्णतया बदलने की आवश्यकता है।

महोदय, अतीत में हमें बताया जाता था और विशेष रूप से माननीय वित्त मंत्री ने हमें बताया था कि बजट में घाटा दिखाए जाने के बावजूद, मुद्रा स्फीतिकारी दबाव पड़ने की संभावना नहीं है और आपको यह कह कर "कि मूल्यों में भारी वृद्धि होने वाली है, देश में भय फैलाने की जरूरत नहीं है।" किन्तु, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री राव बीरेन्द्र सिंह ने स्थिति स्पष्ट की थी।

मैं 13 अप्रैल, 1985 के वाद-विवाद का उल्लेख का रहा हूं। इसी सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते समय रायज वीरेन्द्र सिंह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था।

मैं इस बात को निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं कि बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद से मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है और इसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है"

13 अप्रैल, 1985 को उन्होंने यह कहा था। भारी मात्रा में चीनी आयात किए जाने के बावजूद चीनी का मूल्य बढ़ा है। यह एक मुद्दा है। किस प्रकार का आयात किया जा रहा है ? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस सभा को बतायें-आप किन-किन देशों से चीनी का आयात कर रहे हैं ? आयातित चीनी किस दर पर मिल रही है ? और वह आयातित चीनी इस देश के उपभोक्ताओं को, खुले बाजार में कब बेची है और उसे खुले बाजार में किस मूल्य पर बेचा जा रहा है ? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आयातित चीनी विदेशों से 160 रुपए प्रति क्विटल की दर से खरीदी जा रही है और इस देश में खुले बाजार में वही चीनी 800 रुपये से 900 रुपये तक प्रति क्विटल बेची जा रही है। चीनी के आयातित मूल्य से और इस देश में वास्तविक उपभोक्तओं को जिस मूल्य में बेचा जा रहा है उसमें यह अन्तर है। शोषण का इससे बुरा कोई और उदाहरण नहीं हो सकता है। यदि कोई गैर-सरकारी व्यापारी चीनी 160 रुपए प्रति क्विटल खरीदकर खुले बाजार में 800 रुपये या 900 रुपए प्रति क्विटल बेचता तो हम उस विशेष विक्रेता को काला-बाजारी कहते, किन्तु हम उस सरकार को किस नाम से पुकार सकते हैं। जो 160 रुपए प्रतिक्विटल की दर से चीनी खरीदती है और उसे 800 रुपए या 900 रुपए प्रति क्विटल बेच रही है ? मेरा अंग्रेजी शब्द ज्ञान बहुत कमजोर है। काले-बाजार के अतिरिक्त मुझे इसके लिए और कोई अन्य नाम नहीं सूझता। किन्तु हो सकता है कि काले से अच्छा कोई शब्द और भी हो सकता है। मेरे विचार से काले से भी अधिक सुन्दर कुछ और भी हो सकता है। यदि काले से कुछ और अधिक सुन्दर हो सकता है तो मैं यह नहीं जान रहा हूं कि कितना सुन्दर है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह संसदीय है।

प्रो० मधु दंडवते : काला शब्द संसदीय है, सुन्दर शब्द संसदीय है किन्तु यह शब्द संसदीय है।

पिछले दिनों खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि विभिन्न कारणों से तथा प्रतिक्रम स्थिति के कारण देश में चीनी का उत्पादन बहुत अधिक गिर गया है। चीनी की उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है। भाग्यवश, इसमें अनेक सहकारी सदस्य हैं जो चीनी के क्षेत्र आश्चर्य जनक कार्य कर रही हैं। वे आपको यह बता सकती हैं कि यदि चीनी औद्योगिक में सुधार करना है तथा उसे युक्तिसंगत बनाना है और यदि चीनी का उत्पादन बढ़ाना है तथा चीनी की किस्म सुधारनी है तो ऐसी स्थिति में देश में कौन सा औद्योगिकी परिवर्तन किया जाना होगा। दुर्भाग्यवश देश में चीनी के उत्पादन में सारी गिरावट आई है जिसके परिणाम स्वरूप उसके मूल्य स्थिति बिगड़ गयी है। लगभग सभी आर्थिक पत्रिकाओं में यह कहा गया है कि देश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ने का एक कारण यह भी है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित करने वाली वस्तुओं में चीनी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मद और घटक है जिसके परिणाम स्वरूप मूल्य बढ़ रहे हैं। इसलिए, जब तक आप समग्र चीनी नीति निर्धारित नहीं कर पाते हैं, तब तक कोई लाभ होने वाला नहीं है।

पांचवी लोक सभा में इसी सभा में इसी स्थान पर बैठे हुए, मैंने चीनी उद्योग पर भार्गव आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा आरम्भ की थी। इस पर पर्याप्त वाद-विवाद किया

गया था। दुर्भाग्यवश वाद-विवाद पूर्ण होने से पूर्व ही सभा भंग हो गई थी। यह मेरा, भार्गव आयोग का चीनी उद्योग का और उपभोक्ताओं का दुर्भाग्य था। मेरे विचार में इस आयोग ने बहुत सारी सिफारिशें की थीं और उनको पढ़ा जाना चाहिए।

एक रोचक सिफारिश यह थी कि चीनी उद्योग में अनिश्चितता प्राय: बनी रहती है। चीनी उद्योग को स्वयं यह पता नहीं होता कि इस उद्योग की क्या स्थिति है। मेरा विचार है कि यदि आप इसका राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं तो आप तत्काल इसका राष्ट्रीयकरण कर लें। यदि आप इसको सहकारी आधार पर चलाना चाहते हैं, तो वही कीजिये किन्तु चीनी उत्पादकों को सिर पर लटकी तलवार की तरह यह कह कर राष्ट्रीयकरण करने की धमकी यह दीजिए कि यदि आप ठीक व्यवहार नहीं करेंगे और यदि आप हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे तो, ऐसी स्थिति में सिर पर लटकी तलवार किसी समय भी गिर सकती है। इस लिए राष्ट्रीयकरण की तलवार लटकी रहती है किन्तु वास्तव में राष्ट्रीयकरण नहीं होता है। या तो राष्ट्रीयकरण कीजिये अथवा उद्योग का वह दीजिये कि आप उन्हें 10 या 15 साल तक उद्योग चलाने की अनुमति दे रहे हैं जिससे कि जो इस उद्योग को चला रहे हैं तो उसे सही ढंग से चलायेंगे और उद्योग सुचारु रूप पर्याप्त से चल सकेगा और हम चीनी का उत्पादन कर सकेंगे।

घाटे की अर्थ व्यवस्था के बारे में, मैं तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। भारत में स्वतंत्र होने के समय से मेरे विचार से वित्त मंत्री सदा से घाटे के बजट बनाते रहे हैं जिसकी अधिकतम घाटे की राशि 3349 करोड़ रुपये की रही है। यह तो एक रिकार्ड है। वास्तविकता क्या होगी, पता नहीं ? कुछ ही सैकड़ों में आंकड़े दे देता हूं। हर बार बजट में एक विशेष प्रकार का घाटा दर्शाया जाता है। वास्तविक स्थिति की बात क्या कहीं जाये संशोधित अनुमान में भी घाटा बढ़ गया है। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं।

वर्ष	घाटा	(करोड़ रुपये में संशोधित)
1979-80	1,382	2,700
1980-81	1,417	1,810
1981-82	1,539	1,700
1982-83	1,365	1,935
1983-84	1,556	1,695
	लगभग	4,000

अब अनुमनित घाटा ही 3,349 करोड़ रुपये का है। यदि यह घाटा 7,000 करोड़ रुपये या 8,000 करोड़ घाटे रुपए से भी अधिक हो जायें तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा वह अनुपूरक बजट तथा अनुपूरक मांग रखने वाले हैं। यदि उसे जोड़ा जाये, तो 6,000 करोड़

रुपये या 7,000 करोड़ रुपये से अधिक तो वे पहले ही हो चुका है। मुझे नहीं पता कि इस समय हमारी स्थिति क्या होगी और माननीय वित्त मंत्री की स्थिति क्या होगी किन्तु इस समय देश की क्या स्थिति होगी जब वित्त वर्ष समाप्त होगा अतः यही सब हो रहा है।

राज्यों की औवर ड्राफ्ट की राशि बढ़ गयी है और उन्हें ओवर ड्राफ्ट की राशि अदा करनी है। वित्त वर्ष से पूर्व, उन्हें अपनी योजना गत परिव्यय मिल जाना है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता को नुकसान होता है, संशाधन जुटाने में कठिनाई होती है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य स्तर पर भी घाटा बढ़ जाता है। केन्द्र और राज्य संबंधों को पुनः गठित करने की आवश्यकता है ये लोग आश्चर्यजनक चालें चल रहे हैं। पहले, राज्यों को आय-कर प्राप्त हो जाता था जिसका भुगतान कम्पनियां किया करती थीं। आय-कर कानून के अनुसार राज्यों को एक हिस्सा मिला करता था। किन्तु उन लोगों ने आयकर अधिनियम में संशोधन करने के लिए जल्द बाजी दिखायी और अब कम्पनी के कर को भी निगम कर माना जा रहा है। कम्पनियों पर लगाये जाने वाला सारा कर उन्होंने केन्द्र को दे दिया है और इस प्रकार राज्यों को परेशानी में डाल दिया है। इसके साथ ही सरकार का कहना है कि भविष्य में ओवर ड्राफ्ट की अनुमति नहीं दी जायगी इसलिए केन्द्र राज्य सबंध में परिवर्तन करना होगा।

बाजार से ऋण लेने का एक मात्र अधिकार केन्द्र को प्राप्त है। यदि राज्य उत्पादकता और संसाधन बढ़ाने हेतु और कुछ उपाय करने के लिए बाजार ऋण लेना चाहते हैं तो उन्हें उसकी अनुमति नहीं दी जाती है। इन समूची बातों में परिवर्तन करना होगा।

सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध को बेहतर बना करके अधिक बजट जुटाने के लिए इस क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाना होगा। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उन्हीं लोगों को चलाना होगा जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को चलाने के लिए बचनबद्ध हैं तथा जल्दी इनको चलाने की भावना है।

महोदय, घाटे की अर्थ व्यवस्था के बारे में वित्त मंत्री का क्या उत्तर है ? उन्होंने जो कुछ कहा है वह यह कि मुझे विश्वास है कि इस सारे घाटे को पूरा किया जायेगा क्योंकि हम एक अच्छे मानसून की आशा कर रहे हैं। अतः उनके अनुसार बजट प्रस्ताव तो हुआ है अर्थात मानसून पर आधारित है न किसी और बात पर। इस मानसून जुआ अर्थात मानसून के आधार पर उनका उत्तर है कि घाटा पूरा हो जायेगा।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी रंगा : कोई नई बात नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : कोई नई बात क्यों नहीं है ? अतीत में ऐसा हुआ है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहीं से उदाहरण उद्धृत किया है। मुझे नहीं पता कि घाटे की अर्थ व्यवस्था के बारे में उन्होंने कौन-सा उदाहरण उद्धृत किया है।

प्रो० मधु दंडवते : रवैर मानसून शब्द उन्होंने तथा मैंने उद्धृत किया है। मैंने दोनों

उद्धरणों को दिया है और मिलकर के "मानसून जुआ" बन गया है। जहां तक काले-धन के प्रभाव का संबंध है—

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।

प्रो० मधु दंडवते : जी हां, मैं समाप्त ही कर रहा हूं किन्तु महोदय समाप्त करने में मुझे कुछ और समय लगेगा ।

जहां तक काले धन के प्रभाव का संबंध है, काले धन से हमारी अर्थ व्यवस्था पर मुद्रा स्फीतिकारी दबाब पड़ रहा है।

हरेक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है और हमारे वित्त मंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं तथा इसलिए उन्होंने समिति से कहा है अर्थात लोक वित्त और नीति संस्थान काले धन की अर्थ व्यवस्था संबंधी समस्या पर गहराई से विचार करें तथा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। भाग्यवश इसने सिफारिशें प्रस्तुत कर दी इस विशेष संस्थान के अध्ययन का क्या निष्कर्ष निकला है ? वह आश्चर्य जनक है कि 1970-76 के दौरान काला धन 11·870 करोड़ रुपये था, 1980-81 के दौरान 23,678 करोड़ रुपए और अब 1983-84 में यह 39,787 करोड़ रुपये हो गया है अर्थात लगभग 37000 करोड़ रुपये। मुझे नहीं पता, ऐसा समय भी आ सकता है जब कि काले-धन की अर्थ व्यवस्था के लिए एक पृथक पंचवर्षीय योजना जाननी पड़ सकती है। दो मन्त्री होंगे एक काले-धन आयोजना सम्बन्धी प्रभारी मन्त्री तथा दूसरे वैध निधि सम्बन्धी प्रभारी मन्त्री हमारे सामने ऐसी स्थिति आ गई है। काला धन बहुत ही अधिक सीमा तक बढ़ गया है।

महोदय विशेष धारक बांड जारी किए गए हैं।

प्रो० पो० जे० कुरियन इडुक्की : मेरा सुझाव है कि काले धन सम्बन्धी प्रभारी मन्त्री जनता पार्टी से होना चाहिए।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : आपने इसे बढ़ावा दिया है। आप ही इस पर नियंत्रण करें।

प्रो० मधु दंडवते : जब विशेष धारक बांड जारी किए गए थे उस समय मैं पहला व्यक्ति था जिसने यह आवाज उठाई थी कि वित्त मन्त्री द्वारा काले धन का पता लगाने तथा उसे श्वेत धन में बदलने वाले धारक बांड जारी करने का प्रभाव लिया गया था। वित्त मन्त्री महोदय मैं आपको इस बात का एहसास कराना चाहता हूं कि विशेष धारक बांड एक नई केरेंसी बन जायेंगे जो कि मुनाफे पर बेचे जायेंगे अब इससे श्वेत धन को फिर से काले धन में बदला जायेगा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ऐसा हो रहा है तथा मैं उन्हें बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने विशेष धारक बांड न करने का सही निर्णय किया है।

मुझे याद है कि एक बार उन्होंने इस प्रकार के बांड जारी किए गये थे। बांडों से पहले कौन से बांड जारी किये गए थे ? उनका नाम मुझे याद नहीं है। उसके बाद विशेष धारक बांड आए।

अध्यक्ष महोदय : अनियत दिन वाले प्रस्ताव की तरह नाम रहित बांड।

प्रो० मधु दंडवते : नाम तो मुझे याद नहीं है। वह पहली तरह ये बांड जारी किए थे। दूसरे विशेष धारक बांड थे। जब श्री चव्हाण भाषण देते थे और एक कांग्रेसी सदस्य मेरे पास बैठे थे तब कहा था पहले वर्ष हमने ये बांड जारी किए हैं और उन कांग्रेसी सदस्यों ने कहा कि अगले वर्ष जेम्स, बांड जारी किए जायेंगे। जैसा कि मुझे याद है उन्होंने यही कहा था परन्तु ये विशेष धारक बांड जेम्स बांड से भी बदतर साबित हुए हैं। यह काले धन के स्रोत बन गए हैं। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने राज्य सभा में इस बात की घोषणा की है कि भविष्य में इन्हें जारी नहीं किया जाएगा।

महोदय, काले धन के बहुत से स्रोत हैं। मैं सोने, जेवरात, ज़मीन जायदाद तथा वायदे बाजार के व्यवसाय का उल्लेख नहीं करना चाहता। अब मैं इसके उपचारात्मक उपाय के भाग को लेता हूं। जहां तक उपचारात्मक उपाय करेंसी का विमुद्रीकरण करने जैसे ठोस कदम उठाने का हौसला होना चाहिए। अन्यथा आप काले धन को कम नहीं कर पायेंगे। 1946 में इसकी चेष्टा की गई थी। ऐसा इसलिए था कि आपने 1000 रुपये से अधिक की करेंसी का विमुद्रीकरण किया था। 100 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण नहीं किया गया। मैं अब एक ठोस उदाहरण दूंगा। अक्तूबर, 1944 में बेल्जियम जैसे छोटे से देश ने विमुद्रीकरण किया परिणाम क्या निकला ? अक्तूबर 1944 को उन्होंने 500 फ्रैंक से 5000 का विमुद्रीकरण फ्रैंक मूल्य तक की करेंसी का विमुद्रीकरण किया। अक्तूबर से दिसम्बर विषय तक धन का कुल परियालन 15-16 करोड़ फ्रैंक से घटकर 5-6 करोड़ फ्रैंक तक रह गया। उस प्रकार से करेंसी मुद्रा का परिचालन कम किया गया तथा काला धन समाप्त हुआ। जो कुछ बेल्जियम में हुआ। उसका परीक्षण भारत जा सकता है।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि यदि मूल्यों पर नियन्त्रण करना है और मुद्रा स्थिति के दबाव को रोकता है तो समेकित आर्थिक नीति की आवश्यकता होगी। आपको अनुत्पादक खर्चों पर नियन्त्रण करना होगा, योग्य प्रबन्ध द्वारा सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में बचत को बढ़ावा देना होगा। विवरण प्रणाली को सुनियोजित बनाना होगा, जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी को रोकना होगा, चीनी, सब्जियों, मांस, साधारण किस्म की गेहूं के निर्यात पर रोक लगानी होगी। महोदय, मुझे उम्मीद है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे यद्यपि आप दृढ़ शाकाहारी हैं। तीसरे, औद्योगिक तथा कृषि उत्पादनों की लागत कम करनी चाहिए। देश में कम लागत वाली प्रौद्योगिकी से कृषि को उद्योग बनाना होगा। औद्योगिक कामगारों और किसानों के बेहतर प्रोत्साहन देने के लिए कृषि उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में समानता लानी होगी। देश में काले धन पर रोक लगायी जाये तथा काले धन वालों तथा राजनीतिज्ञों के बीच मिली भगत समाप्त की जानी चाहिए। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप देश की परिस्थितियों को बदल सकते हैं। अन्यथा आप किसी नगर अथवा गांव में चले जाएं आप देखेंगे कि मूल्यों में वृद्धि हो रही है।

मैं एक अच्छे उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। कुछ वर्ष पूर्व मैंने हरीन्द्र नाथ भट्टोपाध्याय के गीत पढ़े थे। एक ग्रामीण बालक पर जो गांवों में दही बेचता था, उन्होंने एक रोचक गीत बनाया था। दही बेचने वाला वह ग्रामीण बालक गांव-गांव जाकर दही

बेचता था तथा गीत गाता था :

"आप चाहें नगर में जाएं चाहें गांव में आप देखेंगे मूल्य बढ़ रहे हैं मानव घटते जा रहे हैं ।

जो कुछ हरिन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय ने कहा था वह आज देश का मित्र हैं। मुझे उम्मीद तथा विश्वास है कि इस गीत को सदा के लिए दफना दिया जाएगा तथा मूल्यों में न केवल स्थिरता लायी जाएगी अपितु वह कम भी किए जायेंगे ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं एक जानकारी चाहता हूं ताकि मैं उत्तर दे सकूं ।

प्रो० दण्डवते ने अपनी बड़ी सुन्दरता से इस उक्ति के साथ सकाप्त की है कि मूल्य बढ़ रहे तथा लोग घट रहे हैं उन्होंने केवल तीन वर्ष 1977-1979 को छोड़ा है, जब कि उनका कहना है कि मूल्य बढ़े नहीं, उन्होंने बताया कि मूल्यों में केवल 2.5 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। क्या मैं जान सकता हूं कि उनके तर्क का आधार क्या है ।

प्रो० मधु दंडवते : सभा में पूछे गए प्रश्न ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि यही आधार है, तो वह उन्हीं आंकड़ों पर निर्भर कर जिस पर कि मैं कर रहा हूं । इसमें कोई अन्तर नहीं है । दोनों एक ही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, एक बात और है । आप कुछ भूल जाते हैं । कि वर्ष 1979-80 के आंकड़े 18.5 प्रतिशत में थे ।

प्रो० मधु दंडवते : पिछले दो वर्ष की अवधि में बिन्दुवार मुद्रा स्थिति हुई ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : 1979-80 के दौरान हमने तीन सरकारें देखीं ।

अध्यक्ष महोदय : यह सही है ।

अब श्री महाजन ।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : महोदय, चालू वित्त वर्ष अर्थात् मार्च के अन्त में इनके अन्त तक मूल्य सूचकांक में 3.5 प्रतिशत वृद्धि हुई। पिछले वर्ष उसी अवधि में 4.9 प्रतिशत वृद्धि तथा 1983 84 के दौरान 5.6 प्रतिशत वृद्धि हुई थी । अत: इस वर्ष स्थिति की दर तुलनात्मक दृष्टि से कम हैं । परन्तु हमें दु:ख इसलिए है क्योंकि यह मूल्य वृद्धि पिछले वर्षों के दौरान वृद्धि के कारण है । मार्च 1965 को समाप्त हुई छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982-83 का वर्ष ऐसा था जबकि मूल्यों तुलनात्मक दृष्टि से स्थिर रही । योजना के पहले दो वर्षों के दौरान भू-मुद्रा स्फीति की दर बहुत अधिक थी, तथा पिछले दो वर्षों से और और अधिक बढ़ने लगी थी ।

कुछ और बातें हैं जो अधिक चिन्ता का कारण हैं । वे हैं, खुले बाजार में चीनी फलों तथा सब्जियों के मूल्यों में अचानक वृद्धि हुई चालू वित्त वर्ष के प्रथम तीन महीनों में दोहरे मूल्य के थोक मूल्य सूचकांक में 70 प्रतिशत वृद्धि हुई है । फलों, सब्जियों के मूल्य में वृद्धि

सामयिक है। ये मूल्य पहले चार महिने हैं। फिर सितम्बर से दिसम्बर के दौरान घटते हैं। यदि इन सामयिक पहलुओं को न लिया जाए तो मुद्रा स्फीति की दर आंकी गई दर से बहुत कम रह जाती है चीनी के मामले में इसमें कोई सन्देह नहीं कि चीनी की मूल्य वृद्धि का कारण कुप्रशासन है। मूल रूप से हमारी मांग और पूर्ति की स्थिति दृढ़ है। चीनी के 62 लाख टन उत्पादन तथा पिछले भागी दार और तथा 10 लाख टन चीनी आयात से बेहतर प्रबन्ध द्वारा मूल्य वृद्धि रोकी जा सकती थी।

महोदय, यह बात विदित है राज्यों को 75000 टन चीनी के आबंटन में से राज्यों द्वारा जून मास के केवल 7500 टन चीनी उठाई गई। जुलाई में कुछ सुधार हुआ, परन्तु बहुत कम आबंटित चीनी से बहुत कम उठाई गई। अगस्त के लिए तोली चीनी के कोटे में 50000 टन अतिरिक्त आबंटन से तथा राज्यों द्वारा अपने आबंटन कोटे को उठाए जाने के ऐसे कोई कारण नहीं हैं कि स्थिति में सुधार न आए।

3.34 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

इनके उपायों के अलावा सरकार को जमाखोरों मुनाफाखोरों के विरुद्ध अनिवार्य वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। इस संदर्भ में मैं श्री पालकी वाला को उदाहरण देता हूं कि जिन्होंने कहा है कि व्यवसायी एवं व्यापारिक समुदाय अपनी आत्मों के प्रति सच्चे नहीं हो भविष्य में ऐसी आकस्मिकताओं से बचने के लिए चीनी नीति की पुनरीक्षा की जानी चाहिए। चीनी की मांग तेजी से बढ़ रही हैं। खपत में प्रतिवर्ष लगभग 14 प्रतिशत वृद्धि हो रही है। 1982-83 में उत्पादन 82 लाख टन तक पहुंच गया था। वर्ष 1983-85 में यह घटकर 59 लाख टन और चालू वर्ष 1985-86 में 6.2 लाख टन था। यह स्पष्ट है कि हमारा उत्पादन खपत से बहुत कम है।

क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि यह इस उद्योग के स्थान के बारे में अपनाई गई। गलत नीतियों के कारण है। महाराष्ट्र सहकारी समितियों 50-60 आवेदन पत्र लाइसेंस के लिए आए थे। आवेदन महाराष्ट्र भारत के बहुत से राज्यों की तुलना में सस्ती दर पर चीनी का उत्पादन कर सकता है परन्तु संतुलित क्षेत्रीय विकास के नाम पर हम इन आवेदनों को स्वीकार करने से इन्कार करते रहे हैं तथा उन क्षेत्रों में चीनी मिलें स्थापित कर रहे हैं जहां इनके लिए परिस्थितिया अनुकूल नहीं हैं। महाराष्ट्र में बहुत सस्ती चीनी उत्पादन हो सकता है अत: चीनी उद्योग ठीक स्थान चयन नीति की पुरनीक्षा की जानी चाहिए।

मूल्य वृद्धि के लिए दूसरे कारण बजट सम्बन्धी पहलू हैं। पेट्रोल चीनी आदि के नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि तथा रसायनों पर उत्पाद-शुल्क जैसी बजट लेवी का प्रभाव बहुत था इसे मार्च-अप्रैल, 85 तक लगभग खपा लिया गया था। परन्तु पेट्रोल की मूल्य वृद्धि का प्रभाव व्यापाक रहा है। रेल भाड़े की दर में वृद्धि भी उस वर्ग की है, वेहाय रेलवे की वित्तीय स्थिति के कारण यह वृद्धि अनिवार्य है। रुपए की तुलना में डालर के मूल्य में वृद्धि से यह मूल्य वृद्धि आवश्यक हुई है। पेट्रोल के आयात के कारण हुए आयात की 1000 करोड़ रुपए अधिक देने पड़े हैं।

अत: सरकार को पेट्रोल के मूल्य बढ़ाकर उपभोक्ता से वसूल करना पड़ा। इस बात से इन्कार करना कठिन है कि इन सभी वस्तुओं की मूल्य वृद्धि का अनिवार्य प्रभाव पड़ता है परन्तु उसका आकलन करना असंभव है

अन्ततः दो बातें ऐसी हैं जो स्थायी महत्व की हैं। एक जमाखोरी मुनाफाखोरी और चोरबाजारी जिससे काला धन पैदा होता है और दूसरे धन का अधिक परिचालन होता है दोनों को अर्थ-व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ता है तो जो हमारी प्राथमिकताओं को अस्तव्यस्त करता है और मूल्य वृद्धि को बढ़ावा देता है। सार्वजनिक वित्त संस्थान की सिफारिशों के अन्तर्गत सरकार काले धन के प्रश्न पर विचार कर रही है चूंकि सरकार काले धन के मामले पर विचार कर रही है तथा इस पर सभा में शीघ्र चर्चा की जाने वाली है इसीलिए मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा।

जहां तक नकदी पर नियंत्रण का प्रश्न है मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री इस बारे में कुछ कर सकते हैं। पूर्ति प्रबन्ध के व्यवस्था से निपटना कठिन है लाखों कामगार और किसान उस पर निर्भर करते हैं। वित्त मंत्री उन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल सकते, परन्तु धन पर नियन्त्रण करना उनके वश में है।

अत: मांग प्रबन्ध पर वह नियन्त्रण कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देश में धन की उपलब्धता प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।

धन विनिमय का साधन है। और माल के बदले विनिमय करते हैं। पिछले 5 वर्षों में धन की उपलब्धता 15 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि माल तथा सेवाओं की उपलब्धता में 5 प्रतिशत की ही वृद्धि रही हैं। जब माल और सेवाओं की तुलना में धन की उपलब्धता बढ़ती है तो स्पष्ट है मूल्य बढ़ते हैं महोदय मैं मुद्रा स्फिति से नरमी से निपटाना नहीं चाहता धन की मात्रा पर हमें बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए।

हमें प्रो० फरीद मैन के ... न सम्बन्धी सिद्धान्तों जिन्हें अमरीका द्वारा स्वीकार किया गया था, पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यद्यपि हमें मात्रा के सिद्धान्त पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए परन्तु हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि इस सिद्धान्त मे पर्याप्त सचाई है। देश में धन की उपलब्धता का मूल्य स्तर पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है।

मैं आपको भारत में बढ़ती हुई धन मात्रा के बारे में बताना चाहता हूं। रिजर्व बैंक ने धन की मात्रा के बारे में चार उपाय तैयार किए हैं। वे है लक्ष्य एम1, एम-2, एम-3, तथा एम-4, तथा एम-4 का सम्बन्ध देश में उपलब्ध कुल धन से है। आइए हम इस पर विचार करें कि पिछले 5 वर्ष के दौरान कैसे वृद्धि हुई है। 1980-81 में कुल वित्तीय संसाधन 51,451 करोड़ के थे। 1981-82 में यह 62,448 करोड़ रुपए रह गए। 1982-83 में यह 72868 करोड़ हो गए। 1983-84 में 85899 करोड़ थे और 1984-85 में 9 429 करोड़ रुपए हो गए। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान धन के संसाधन दुगने हो गए परन्तु माल तथा सेवाओं की उपलब्धता में केवल 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई पूरी अवधि के लिए यह 40 प्रतिशत है। चूंकि धन की उपलब्धता में बढोतरी जारी रही अत: यह स्पष्ट है कि मूल्य बढ़ेंगे मूल्य वृद्धि आंशिक रूप से काले धन के कारण भी हुई।

इस समय मैं काले धन पर नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इस पर शीघ्र चर्चा होगी। उन्होंने स्वयं मैं वित्त मन्त्री महोदय को याद दिलाता हूं कि मूल्य स्थिर रखना हमारी सरकार की नीति का एक मुख्य पहलू 19 मई, को बताया है कि चोर बाजारी मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध दृढ कार्यवाही की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि वह इस नीति पर चलेंगे। यदि वे ऐसा करते हैं तो पूरी सभा तथा पूरे देश का समर्थन उन्हें प्राप्त होगा मुद्रास्फीति एक भयंकर बुराई है जैसे कि दो विश्व युद्धों के दौरान 1919-39 में बेरोजगारी भयंकर समस्या थी। दूसरे विश्व युद्धों के अंत से मुद्रा विश्व की मुख्य आर्थिक समस्या बन गई। मुद्रा स्फीति हमारी प्राथमिकताओं को भंग करती है और आयोजना को असंभव बनाती हैं क्योंकि यदि कोई परियोजना 3000 करोड़ रुपए की है तो जब तक हम उसे सटपत्र कर पाते वह 6000 करोड़ की हो जाती है। वित्त मंत्री परियोजना को पूरा करने के लिए धन नहीं जुटा पाते। इससे आयोजना असंभव बन जाती है तथा आकलन करना असंभव हो जाता है तथा इससे अर्थ व्यवस्था को विनष्ट कर देता है। स्वयं लेनिन ने कहा था "कि यदि आप किसी अर्था-व्यवस्था को विनष्ट करना चाहते हैं तो उसकी केरंसी बिगाड़ दीजिए मुद्रा स्फीति हालात पैदा हो जायेंगे अर्थ-व्यवस्था का प्रबन्ध असंभव हो जायेगा। मुद्रास्फीति केवल भारत की नहीं पूरे की देश बुराई है।

मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि अपने दिए गए वचन के अनुसार चोर-बाजारी करने वालों के जमाखोरों तथा देश के वित्तीय हितों के विरुद्ध कार्य करने वालों के विरुद्ध दृढ़ कार्यवाही करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, कीमतों में जो वृद्धि हो रही है, उसके कारण हम सभी चिंतित हैं। जुलाई के महीने में विशेष रूप से वृद्धि हुई है। शक्कर में जो वृद्धि हुई है उसके बारे में केन्द्र सरकार ने कुछ कदम भी उठाए है और दस लाख टन शक्कर बाहर से आयात भी की है। उस शक्कर का जिस प्रकार वितरण हुआ है और जिस प्रकार से राज्य सरकारों ने उस शक्कर को बहुत ही धीमी गति से उठाया है, उससे भी शक्कर के दामों पर नियंत्रण करने में कठिनाई आई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकारें किस प्रकार फुर्ती से कार्य कर रही है। और राज्य सरकारें उसको उठा रही हैं या नहीं उठा रही हैं। क्यों कि पहले जिस प्रकार की सूचना मिली थी और यहां पर फूड एण्ड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर सहाव ने जवाब दिया था, उस समय स्थिति बहुत ही खराब थी।

राज्य सरकारों ने 75 हजार टन के स्थान पर केवल 7500 टन शक्कर ही उठाई। अब स्थिति में कुछ सुधार हुआ है लेकिन हमें देखना है कि क्या इससे शक्कर के भावों में कोई कमी आई है, यदि हां, तो वह कितनी कमी आई है : मैं समझता हूं कि अभी भी शुगर के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है। मेरी जानकारी के अनुसार जिन व्यापारियों, ट्रेडर्स या शक्कर के व्यवसाय में लगे लोगों के पास सामर्थ्य हैं, उन्होंने पहले से ज्यादा शक्कर स्टाक करनी शुरू कर दी है और राज्य सरकारें उनके विरुद्ध अभी तक कोई कदम नहीं उठा पाई हैं।

मैं यहां राजस्थान सरकार के बारे में कहना चाहता हूं कि उन ट्रेडर्स के विरुद्ध, जिन्होंने शुगर होर्ड कर रखी हैं । अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं। चूंकि होर्डिंग के विरुद्ध कदम उठाना राज्य सरकारों का काम है, इसलिए अब हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि राज्य सरकारें इस मामले में अपने दायित्व को कहां तक निबाहती है। क्योंकि केन्द्र के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वह राज्य सरकारों को ऐसे कदम उठाने के लिए बाध्य कर सके, या किसी प्रकार का नियन्त्रण कर सके। वह तो मात्र एडवाइज कर सकती है, सलाह दे सकती है। उसके निर्देशों का पालन करना राज्य सरकारों का काम है।

इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कीमतों में जिस तरह से वृद्धि होती जा रही है, उस पर नियन्त्रण रखने के लिए राज्य सरकारें पूरी तरह से सख्त कदम उठायें।

शुगर के साथ साथ पिछले दिनों जिन प्रमुख चीजों की कीमतों में वृद्धि हुई है उनमें विशेष तौर से दालें, वेजिटेबल और फ्रूटस शामिल हैं। फ्रूटस और वेजिटेबल की कमतों में तो इतनी वृद्धि हुई है जितनी वृद्धि पहले कभी नहीं हुई थी। किसी आइटम में 20 प्रतिशत की, किसी हम में 25 प्रतिशत की और किसी में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि आंकी गई है। हमेशा, जब भी देखते हैं तो आलू की कीमतों में ज्यादा वृद्धि होती है, प्याज की कीमतों की ज्यादा वृद्धि होती है, लेकिन इस बार स्थिति उलटी है। आलू और प्याज के दामों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है जब कि टमाटर की कीमतें और फ्रूटस में आम की किमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं।

अब आम 7 या 8 रुपये प्रति किलो की दर से कम पर नहीं मिलता है। पहले इसके इतने दाम नहीं थे। कोई भी वेजिटेबल ले लीजिए, 5 रु०, 6 रु० या 7 रु० किलो से कम नहीं है। दालें भी कोई 6 रुपये किलो से कम दर पर नहीं मिलती। ये कुछ ऐसी चीजें हैं — फ्रूटस वेजिटेबल और दाल — जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं, जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं और इनके कारण गरीब आदमी का बजट भी बढ़ गया है।

मैंने मोटा कैलकुलेशन किया है, मालूम किया है कि यदि किसी परिवार की मासिक आमदनी पहले 1500 रुपये थी तो जिस प्रकार से पिछले दिनों कीमतों में वृद्धि हुई है, बजट आने के बाद, उसको अब अपने जीवन-यापन के लिए कम से कम 150 प्रति माह अधिक व्यय करने होंगे। यह वृद्धि जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं में, प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुओं में हुई है।

अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि जिन वस्तुओं के दामों में ज्यादा वृद्धि आंकी गई है, वे चीजें ऐसी नहीं हैं जिनको ज्यादा दिनों तक स्टोक कर के रखा जा सके, बल्कि वे पैरिशेबल चीजें हैं जो दो तीन दिन से ज्यादा नहीं रखी जा सकती, जल्दी खराब हो जाती हैं, सड़-गल जाती हैं।

दूसरा प्रश्न हमारे सामने यह उठता है कि जब उपभोक्ता इतनी मंहगाई में चीजें खरीदता है तो उनकी लौबी स्ट्रांग क्यों नहीं होनी चाहिए। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है।

दूसरी और हमारे सामने समस्या यह है कि यदि कन्ज्यूमर की लौबी को स्ट्रांग किया गया तो वह स्थिति भी हितकर नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी और उस हालत में संघर्ष पैदा हो

सकता है जो आगे चल कर हिंसा का रूप धारण कर सकता है। इसलिए कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए बहुत सोच-समझ कर कदम उठाने की आवश्यकता है। हमें देखना होगा कि वैजिटेब्लस के दामों में जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है उसके पीछे इनकी प्रोडक्शन कम होने का कारण तो नहीं है। यदि इनकी प्रोडक्शन कम हुई है तो उसको बढ़ाने की अवश्यकता है। प्रोडक्शन बढ़ा कर हम इनकी कीमतों पर नियन्त्रण कर सकते हैं। बजट के बाद, कीमतों में जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है.........

कीमतों में सब से ज्यादा वृद्धि बजट के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से और डीजल की कीमतें बढ़ने से, फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ने से, पैस्टीसाइड्स की कीमतें बढ़ने और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की कीमतें बढ़ने से हुई है। जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूज की कीमतें बढ़ती हैं तो दूसरी चीजों की कीमतें भी बढनी शुरू हो जाती हैं। यही इस वक्त स्थिति हैं। एग्रीकल्चर की कीमतें बढ़ीं, तो दूसरी सभी चीजों की कीमतें बढ़नी शुरू हो गयी हैं। दूसरी तरफ जो कीमतें किसानों को मिलनी चाहिए वे कीमतें भी किसानों को मिलती नहीं हैं। इसलिए सबसे आवश्यक और जरूरी है कि इस देश में कीमतें बढ़ने से रोका जाए। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज आयल और गैस के प्रोडक्शन की है।

हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आयल और गैस का होना चाहिए। इसके लिए सबसे ज्यादा एक्सप्लोरेशन और सर्वे करना चाहिए और सारी शक्ति लगा कर हम यह कोशिश करें कि सातवीं योजना में पेट्रोल के बारे में गैस के बारे में हम आत्म निर्भर हो जाएं। जब हम इन चीजों में आत्म निर्भरता की कोशिश करते हैं तब जा कर कीमतों पर नियन्त्रण हो सकता है अन्यथा नहीं। क्यों कि सबसे बड़ा कारण कीमतें बढ़ने में पेट्रोल और गैस का रहा है। इन दोनों को हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हमको इस क्षेत्र में आत्म निर्भर होना पड़ेगा और इस मामले में हमको बहुत सोचना पड़ेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इंकम टैक्स न देने वालों और इंडस्ट्रियेलिस्ट्स के लिए जो पनिश्मेंट है, उसको स्ट्रिन्जेंट बनाना चाहिए। यद्यपि हमने इन्कम टैक्स ऐक्ट में सजा के प्राविजंस किए हैं और सजा को स्ट्रिंजेण्ट किया है, लेकिन फिर भी यह कम है। आज तक किसी इंडस्ट्रीयलिस्ट को जेल नहीं हुई है। जो ब्लैक मार्किटियर्स हैं, जो होर्डर्स हैं, उनके खिलाफ जिहाद बोलने की आवश्यकता है और उनके खिलाफ बहुत ही सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। राज्य सरकारें इसके सम्बन्ध में सख्त कदम उठाएं तब जाकर इस पर कुछ रोक लग सकती है।

जो बेनामी ट्रांजैक्शन होते हैं, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्सन्स चलते हैं, उनके अगेंस्ट हमने कोई स्टिप्स नहीं उठाए हैं। ये स्पेकुलेटिव ट्रेड्स चलते हैं, ये ही असली कीमतों में वृद्धि के लिए जम्मेदार होते हैं। शेयर्स की सेल परचेज की कीमतें बढ़ गई हैं और बहुत ज्यादा पैसा शेयर्स में लग रहा है। एक तो ब्लैक मार्किटिंग का पैसा और बेनामी इक्विटी शेयर्स का पैसा है, तो इसके लिए भी सोचने की आवश्यकता है। ये जो शेयर्स की सेल परचेज हो रही है, इसके संबन्ध में ठोस कदम उठा करके इसको सख्ती से रोकना चाहिए।

कीमतों में वृद्धि के लिए डैफिसिट फायनेंसिंग भी उसी तरह जिम्मेदार हैं जिस तरह से अन्य फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। इसलिए यह डैफिसिट फायनेंसिंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें ठोस कदम उठाने चाहिएं और यह डैफिसिट फायनेंस न हो, इसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाषण को समाप्ति की ओर ले जाते हुए, यह कहना चाहता हूं कि कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए स्ट्रांग स्टैप्स उठाने की सख्त जरूरत है। क्योंकि ये बढ़ती हुई कीमतें सारी जनता को प्रभावित करती हैं, देश के सारे किसानों को प्रभावित करती हैं और इसमे गरीबों का जीवन मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने की तुरन्त आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री आनन्द गजपति राजू (नोविली) : अध्यक्ष महोदय, मैं हाल ही में मूल्यों में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि और सरकार द्वारा इस स्थिति को न रोक पाने संबंधी कुछ तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं वित्त संबंधी आंकड़ों संस्थागत आंकड़ों, कुछ अन्तर्राष्ट्रीय तथ्यों का भी विश्लेषण करना चाहूंगा और सरकार द्वारा अपनाई गई नीति पर भी अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। कुछ माह पूर्व पेश किए गए बजट में निश्चय ही कुछ परिवर्तन किए गए थे। लेकिन ये परिवर्तन केवल सच ही थे। क्योंकि अब हमारे सामने 3.872 करोड़ रुपए की अभूतपूर्व अनुपूरक मांगें लाई गई हैं। अगले वर्ष के अन्त तक निश्चित रूप से यह राशि 6 या 7 करोड़ रुपए हो जाएगी जिसका अर्थ मुद्रा सप्लाई में पर्याप्त वृद्धि इस अर्थ व्यवस्था में घाटा तथा अर्थव्यवस्था में और वृद्धि स्फीति इसके अतिरिक्त गैर योजना खर्च पर भी सावधानी पूर्वक ध्यान देना होगा जोकि इस समय 2516 करोड़ रुपय है जोकि काफी बड़ी राशि है। इसके अलावा चिन्ता की बात यह है कि आज के अनुमानों के अनुसार 3282 करोड़ रुपए का घाटा ऐसा है जो पूरा नहीं होगा। इतना अधिक न पूरा किया गया घाटे से और समिति मात्रा में वस्तुओं और धन की अधिक मात्रा से निश्चय ही मूल्यों में भारी वृद्धि होगी। मूल्यों-वृद्धि की वजय से शायद लेकिन अमरीकी देशों की तरह, यहां भी एक वर्ष में मुद्रा स्फीति दो अंकों में पहुंच जाएगी। इस स्थिति पर हमें चिन्ता करनी चाहिए और इसे रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। लेकिन इससे भी दुःख की बात यह है कि भविष्य में आधारभूत ढांचे की शायद अनदेखी की जाएगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में तेल के लिए परिव्यय में कमी की गई इसे 16,000 करोड़ रुपए से कम करके 10,800 करोड़ रुपए कर दिया गया। बिजली के लिए परिव्यय को 67,500 करोड़ से कम करके 35,000 करोड़ रुपए कर दिया है; इस्पात के लिए परिव्यय 14,000 करोड़ रुपए से कम करके 8,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है संचार के लिए परिव्यय 12,800 करोड़ रुपए से कम करके 64,00 करोड़ कर दिया गया है; इसी प्रकार रेलवे को उसकी आवश्यकताओं से काफी कम राशि दिए जाने की सम्भाना है अतः जब आप सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे होने वाली परियोजनाओं की संख्या को इस दृष्टि से देखें कि अधिक पैसे से कम वस्तुएं खरीदी जा सकेंगी तो निश्चय ही मुद्रा स्फीति का विश्लेषन करने पर तो पायेंगे कि इस मुद्रा स्थिति का मुकाबला करना ही होगा। इसके अलावा, मूल्य

वृद्धि में अन्य चिन्ताजनक प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था में बहुत कम खपत का होना है बहुत सारे लोगों की क्रय शक्ति ही नहीं है कि अर्थ व्यवस्था में भाग ले सकें।

/.00 म० प०

अतः वे महसूस करेंगे कि मूल्य वृद्धि बहुत अधिक और सुझाव के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और इसके अंतर्गत अधिक वस्तुएं लाई जानी चाहिए और ज्यादा मात्रा में दी जानी चाहिए और इसमें ज्यादा उपभोक्ता वस्तुओं को सम्मानित किया जाए जिनकी गरीब व्यक्ति के बजट में प्रमुखता होती है क्योंकि वृद्धि के बारे में बात करना आसान है लेकिन जब यह महसूस किया जाता है कि किसी व्यक्ति की स्थिति और दयनीय न हो जाए, तभी इसका कोई लाभ होता है।

मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रीय कारणों की अनदेखी न करते हुए हम आंतरिक कारणों को पूरा दोष नहीं देना चाहते। निर्यात में कमी, व्यापार में बढ़ती हुई बाधाएं जो अल्प विकसित देशों या हमारे जैसे विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा कोई प्रोत्साहन न देना के कारण भी ऐसी स्थिति पैदा होती है। मूल्यों वृद्धि में इनका भी योगदान है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सरकार एक उद्देश्य निर्धारित करें। बजट में सतही परिवर्तनों से कोई लाभ नहीं होगा। पहले सरकार आश्रय-मूल्यों और प्रशासनिक मूल्यों में तालमेल बैठाने में रुचि रखती थी ताकि मूल्यों में कमी लाई जा सके जहां कहीं आवश्यक हो राजसहायता दी जाए और यह भी सुनिश्चित बनाया जा सके कि मूल्य आम आदमी की पहुंच के भीतर हो। अतः उद्देश्य निर्धारित करने की तत्काल आवश्यकता है। मांग अधिक सामान तैयार करने और आधुनिकतम उद्योगों में निवेश करने से मूल्यों में कमी नहीं आएगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं वाले उद्योग में निवेश करना चाहिए ताकि उन वस्तुओं को आम व्यक्ति इस्तेमाल कर सके और लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति आस्था ही हमें मूल्य वृद्धि के भार से मुक्त करा सकते हैं पुनः सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जांच कर इसे और मजबूत बनना चाहिए।

अतः इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि मन्त्री महोदय मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह इस समय चर्चा चल रही है। इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दामों की वृद्धि लगातार होते रहने के कारण इस प्रकार की व्यवस्था सारे देश में उत्पन्न हो रही है कि हम यहां से कहते हैं। आंकड़े हमें इस प्रकार के दिए जाते हैं कि हम कहते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ रही है लेकिन जब खरीददार के लिए जाता है तो उसके पाकेट से जब दाम निकलते हैं तो वह कहता है कि इसको सही माने या जो हमारी पाकेट से निकल रहा है उस को सही मानें? ऐसी सूरत में यह एक अत्यन्त आवश्यक स्थिति पैदा हो गई है जिस पर समूचे सदन की ओर सरकार को इस महंगाई के सम्बन्ध में अत्यन्त कठोर कदम उठाने के लिए निश्चय करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारी अर्थ-व्यवस्था को ये ब्लैक मार्केटियर्स उलट देंगे और सारा देश एक ऐसी अव्यवस्था का शिकार

हो जाएगा जो हमारे संभाले नहीं संभलेगी । मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार महंगाई के आंकड़ों के जंगल में अगर हम फंसे रहे और हमने वास्तविकता में इसका मुकाबिला नहीं किया तो हम जनता के सामने जब पांच वर्षों के बाद जाएंगे तब हमारा क्या हाल होगा, यह तो पता नहीं लेकिन इस वक्त ही हम देहातों में जाए तो हम क्या कहेंगे और वह वहां हम से हर चीज के दामों के बारे में आम जनता आम शिकायत करती है । जब सदन में इस पर बहस करते हैं तो इस प्रकार की फिकरेबाजी हम लोगों के ऊपर भी की जाती है । जिस समय चीनी के दामों में बढ़ोत्तरी की बात कही जाए या और चीजों के दामों में बढ़ोत्तरी की बात कही जाए तो उस समय हमें शगर लाबी और टाइकून्स का काज प्लीड करने वाला कहा जाए इस प्रकार की प्रगति को रोका जाना चाहिए । बजाय इस के कि दामों की बढ़ती हुई प्रगति के बारे में हम हठधर्मी करते रहें और यह कहें कि दाम नहीं बढ़ रहे हैं ।

हमारे लिए यह मुनासिब होगा कि उस प्रवृति को रोकने के लिए कठोर कदम उठाएं और जिस हद तक कम हैं उसको हम स्वीकार करें । इस कमी की तरफ यदि हम इस प्रकार से हठधर्मी का रुख बनाए रखेंगे तो जनता को कष्ट मिलेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा तथा सरकार की जो अर्थ-व्यवस्था है उसको ब्लैक-मार्केटीयर्स और होर्डर्स उलट-पलट देंगे । और इस से जो हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं उसके बजाए वह बीसियों साल पीछे चला जाएगा ।

और अधिक न कहते हुए केवल इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि दामों में वृद्धि है उस पर रोक लगाने के लिए जितना भी सम्भव हो कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए ।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार (क्विलोन) . श्रीमान यह सही ही है कि आज सभा में मूल्य वृद्धि की प्रमुख समस्या जिसका आम जनता पर लगातार प्रतिकूल प्रभाव पड़ा रहा है जोकि योजना निष्पादन को कमजोर कर रही है और जो सरकार की गतिविधियों का सबसे कमजोर क्षेत्र है और जो शायद सरकार के गले में फांस बनी हुई है पर विचार कर रहे हैं ।

भारतीय अर्थ व्यवस्था को जिसमें मुद्रा स्फीति भी शामिल है, विश्व अर्थ व्यवस्था में उभरती प्रवृतियों से नहीं देखा जा सकता । यह सही है कि पिछले दशकों में भारत में मुद्रा स्फीति की औसतन दर काफी तेजी से बढ़ रही है । 1950 में दशक में वार्षिक वृद्धि 2.6 प्रतिशत, 1980 के दशक में 5.8 प्रतिशत, 1970 के दशक में 7.4 प्रतिशत और पिछले पांच वर्षों के दौरान 11.1 प्रतिशत थी । सरकार इस बात से कुछ संतोष प्राप्त कर सकती है विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने देश की अर्थव्यवस्था प्रबंध और मुद्रा स्फीति प्रबन्ध की सराहना की है उन्होंने हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आवश्यक वस्तुओं के मामलों में दोहरी मूल्य नीति की सराहना की है, एशिया और अफ्रीका के कई देशों से तुलना करने पर हमारी स्थिति अच्छी है, जबकि लेटिन अमरीका के कुछ देशों में तीन मुद्रा अंकों तक मुद्रा स्फीति पहुंच गई है ।

सरकार ने माना है कि इस वर्ष रेल-भाड़े में वृद्धि संचालित मूल्यों और बजट करों के प्रभाव की वजह से कई वस्तुओं के दामों में वृद्धि होगी । विपक्ष द्वारा मात्र मासिक मुद्रास्फीति

को 12 द्वारा गुणा करके और तिमाही मुद्रास्फिति को द्वारा गुणा करके वार्षिक मुद्रास्फीति निकालना और फिर यह कहना कि मुद्रस्फीति की वार्षिक दर में काफी वृद्धि हुई है गलत है। पिछले 12 वर्षों के आंकड़े से स्पष्ट पता चलता है कि 4.20 प्रतिशत की मौसमी वृद्धि हुई है और अगर आपको अर्थ व्यवस्था में मुद्रा स्फीति की अंतर्निहित दर का पता लगाना है तो मैं तिमाही मुद्रा स्फीति की दर से कम करना होगा।

पिछले आठ वर्षों के दौरान जहां तक थोक मूल्य सूचकांक का संबंध है, इसमें मात्र 3.4 प्रतिशत हो वृद्धि हुई है जो कि सबसे कम है लेकिन चिन्ता का विषय यह है कि आम उपभोक्ता की घरेलू वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हो रही है। पिछले छह माह के दौरान चीनी के थोक मूल्य सूचकांक में 377 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि फलों और सब्जियों के थोक मूल्यों सूचकांक में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं मध्य-जून से मध्य जुलाई तक के आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। खाद्य वस्तुओं का अलग-अलग मूल्य सूचकांक 318 से 324.5 हो गया है, खाद्यान का सूचकांक 254 से 267, का 251 से 267 दालों का 433 से 449 हो गया है; जबकि सब से अधिक वृद्धि चीनी में हुई जहां सूचकांक 389 से 423 हो गया है, हालांकि थोक मूल्य सूचकांक नियंत्रण में रहा है पिछले वर्ष की तरह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मात्र 16 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। लेकिन पिछले कुछ माह में राजधानी दिल्ली में महंगाई में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

श्रीमान चीनी की खपत और सप्लाई 20 लाख आयात टन का अन्तर है दस लाख टन चीनी का आयात किया जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में चीनी की खपत और सप्लाई चक्रीय परिवर्तन एक चिरस्थाई समस्या है, मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस वर्ष कमी की स्थिति का पहले से पता क्यों नहीं लगा लिया गया और इसके लिए अन्तिम उपाय क्यों किए गए ? आप नई चीनी मिलें क्यों नहीं लगने देते ? आप खुले बाजार में बिक्री के लिए गन्ने के लिए कोटे में वृद्धि क्यों कर रहे हैं ? पहले यह 65 प्रतिशत लेवी के लिए और 35 प्रतिशत खुली बिक्री के लिए था। अब 50 प्रतिशत से अधिक खुली बिक्री के लिए है उपभोक्ताओं तक आयातित चीनी पहुंचा पाने में संचार तन्त्र के संगठन में क्या मुश्किल है ? आप उपभोक्ताओं को सीधे ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा नियंत्रित मूल्य पर आयातित चीनी उपलब्ध कराने के बजाए उसकी निलामी क्यों कर रहे हैं? हाल ही में आपने एक पत्रकार सम्मेलन में आरोप लगा था कि व्यापारी और चीनी उद्योगपति स्थिति का लाभ उठाकर मुनाफा कमा रहे हैं। आपने उनके विरुद्ध क्या कारंवाही की है ? क्या यह मात्र खोखली धमकियां ही हैं ?

खाद्यान का 30, लाख टन सुरक्षित भण्डार है जिसमें इस मौसम में खरीदा गया 200 लाख टन खाद्यान भी सम्मिलित हैं फिर भी खाद्यान्न मूल्य सूचकांक में इतनी वृद्धि क्यों ? सीमेन्ट, औद्योगिक रसायनी, परिवहन उपकरणों, आदि जैसी औद्योगिक सामन्ती की लागत में पिछले तीन महीनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है मैं आंकड़े उद्धृत नहीं करना चाहता।

कांग्रेस (इ) दल के चुनाव घोषणा पत्र में इसकी मूल्य नीति में छः स्वतः सिद्ध सिद्धान्त दिए गए हैं जिन्हें क्रियान्वित किया जाना है। ये हैं मुद्रा प्रसार नियन्त्रण उत्पादन

और उत्पादकता में वृद्धि आयात के लिए ठोस व्यापारिक व्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ता आन्दोलन और व्यापारियों, खोरों और काला बाजारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही इस संद्धान्तिक ढांचे और कार्यक्रमों को सख्ती से लागू किया जाना है।

महोदय, अर्थ व्यवस्था में मुद्रा का सकल भण्डार, जिसे अर्थ शास्त्री एम-3 कहते हैं प्रति-वर्ष 17 प्रतिशत बढ़ जाता है। उत्पादन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए ताकि अधिकतम उत्पादन किया जा सके।

मैं संकल्प के प्रस्तावक का ध्यान संगठित कर्मचारियों के प्रति इस सरकार के दृष्टि-कोण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 1980 में सरकार में न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्म-चारियों का वेतन 333 रुपए प्रतिमाह था जो कि अब 600 रुपए है। यह अस्सी प्रतिशत की वृद्धि है। सार्वजनिक क्षेत्र का वेतन बिल जो 1972 में 5000 करोड़ रुपए था 1982 में बढ़कर 23,000 करोड़ रुपए हो गया है जो चार गुणा से अधिक वृद्धि है मैं इस पर जोर देकर कहता हूं कि वृद्धि उत्पादन या उत्पादकता में हुई वृद्धि के अनुपात में नहीं है। अतः यह मुद्रास्फीतिकारी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के आकलन मूल्य को सावधानी पूर्वक नियन्त्रित करना होगा। बुनियादी सुविधाओं के चार अवयवों कोयला, इस्पात, बिजली और रेलवे में मूल्य वृद्धि में परस्पर होड़ लगी है। मेरे विचार में कोयला विभाग ने अभी और वृद्धि की मांग की है सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं का प्रभावी ढंग से मूल्य नियन्त्रण आवश्यक है। निसन्देह मूल्य निर्धा-रण अपरिहार्य है क्योंकि अन्यथा निजी क्षेत्र के पक्ष में आर्थिक सहायता का अंश निहित रहता है और निजी क्षेत्र सस्ते आदान के बावजूद मूल्य कम करने के लिए बाध्य नहीं है और इससे राष्ट्र पर अनावश्यक बोझ रहता है। सार्वजनिक क्षेत्र के मूल्य-निर्धारण तथा उसकी अकुशलता और क्षमता उपयोग की असमर्थता की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मुद्रा स्फिति से लड़ने का तथा परजीवी बिचौ-लियों को, जो जनता को नियन्त्रित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने में बाधक हैं, बीच से हटाने के हमारे प्रयासों का सार्वजनिक कारगर हथियार है। महोदय, हम प्रति चार सौ से पांच सौ परिवारों के पीछे उचित मूल्य की एक खुदरा दुकान खोलने के लिए वचनबद्ध हैं इस समय दो लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं और हमें संभवतः दो लाख और दुकानों की आवश्यकता है परन्तु हमारे देश के अधिकांश भाग में और दूर दराज के क्षेत्रों में वास्तव में इस समय कोई उचित मूल्य की दुकान नहीं है सिवाय केरल को छोड़कर जो इस क्षेत्र में आदर्श उपस्थित कर रहा है। हमें दृढ़ राजनीतिक संकल्प और प्रशासनीय कुशलता से सार्व-जनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिकाधिक आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर दो और दोहरी मूल्य नीति का क्षेत्र बढ़ाकर व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उच्चतम प्राथ-मिकता देनी होगी।

थोक व्यापार को विनियमित करना होगा। यदि हम थोक व्यापार को अपने मनो-नुकूल ढंग से नहीं चला सकते हैं तो हमें राज्य द्वारा वस्तुओं का व्यापार करने में नहीं हिच-

किचाना चाहिए। उस आशय की सरकार की घोषणा का ही मूल्य स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

हम उपभोक्ता आन्दोलन की ईात करते रहते हैं परन्तु हमने अब तक एक भी आरम्भ नहीं किया है महोदय कृषि का जहां तक संबंध है कृषकों ने हितों का ध्यान रखने के लिए कृषि मूल्य और लागत संबंधी एक आयोग है। उद्योग के लिए औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों हैं। परन्तु देश में थोक और खुदरा व्यापारियों की गतिविधियों और उनके लाभ, लागत और नैतिकता का ध्यान रखने के लिए कोई अभिकरण नहीं है । मैं इस उद्देश्य हेतु एक उच्च स्तरीय निकाय की स्थापना का सुझाव देता हूं। महोदय मुझें ज्ञात है कि अब वित्त मंत्रालय मूल्यों पर निगाह रख रही है परन्तु देश को और आर्थिक आश्वस्त करने के लिए परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य लाने के लिए देश की आम जनता हितों की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त मूल्य प्रबन्ध बोर्ड स्थापित करने का सुझाव देता हूं। महोदय मुद्रा स्फीति नियन्त्रण वित्तीय केंद्रीय मूल्य निर्धारण और वास्तविक नियन्त्रण मांग और पूर्ति के प्रभावी प्रबन्ध के फलस्वरूप होता है। कुशल अर्थव्यवस्था हेतु इन उपायों का सन्तुलित ढंग से इस्तेमाल करना होगा। पिछले तीन महीनों में हुई भारी मूल्य वृद्धि को सरकार को एक गम्भीर खतरनाक संकेत समझना चाहिए यद्यपि इसमें अनावश्यक चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

अतीत में हम कई बार इस मोर्चे पर सफल हुए हैं— उदाहरण के लिए अगस्त 1974 में जब मुद्रास्फीती सर्वाधिक 5 प्रतिशत तक पहुंच गयी थी तब हमने मुद्रास्फीति विरोधी कड़े उपायों द्वारा 1974 से 1976 के बीच मूल्य में स्थिरता ला दी थी। महोदय सतर्क और प्रबुद्ध मूल्यों नियन्त्रण से हम इस वर्ष मुद्रास्फिति 7 प्रतिशत से नीचे रखने में सफल होंगे। यह सरकार के आर्थिक मंत्रालयों का आवश्य कर्त्तव्य है कि वे इसे प्राप्त करें। हमारे महान नेता श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्र-निर्माण के जो नए कार्य हैं उनको कायम रखने और प्रोत्साहन देने तथा सामाजिक न्याय के साथ इस देश में तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए यह एक जरूरी शर्त है धन्यवाद।

***श्री आबेदीन** (जंगीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय हम एक ऐसे अत्यन्त गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो करोड़ों लोगों के जीवन को तबाह कर रहा है।

महोदय मुद्रास्फीति और मंहगाई भारतीय आर्थिक नीति की दो स्थायी विशेषताएं हैं। यद्यपि माननीय मंत्री महोदय आंकड़ों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि मुद्रा स्फीति में कमी आई हैं परन्तु उपभोक्ता जनता का अनुभव कुछ और ही है।

महोदय यह मुद्रास्फीति और मंहगाई क्यों ? मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मुख्य कारण हैं घाटे का बजट प्रति वर्ष नए और सदा बढ़ते रहने वाले अप्रत्यक्ष जीवन की दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं पर कर लगाना।

दूसरी ओर धनी लोगों को प्रत्यक्ष करों से बचने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

---

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मुद्रास्फीति और मंहगाई का मुख्य कारण सरकार की नीति है। क्या आप विश्व में ऐसा एक भी देश बता सकते हैं जिसमें पूंजीवादी और जमींदारी प्रथा प्रचलित हो और मंहगाई न हो ? हमारे देश में भी पूंजीवादी प्रणाली के अपरिहार्य परिणामों के कारण मूल्य बढ़ रहे हैं। मंहगाई को रोकने के लिए कुछ उपाय करना बहुत जरूरी है परन्तु मुझे आशंका है कि क्या सरकार ये कदम उठा सकेंगे।

महोदय, मुद्रास्फीति और मंहगाई को रोकने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि कालाधन समाप्त किया जाए। अप्रत्यक्ष कर भी नहीं लगाए जाने चाहिए। प्रत्यक्ष करों की चोरी रोकने के लिए यह आवश्यक है। परन्तु हम जानते हैं। कि इन कदमों को उठाने के सम्बन्ध में सरकार के समक्ष कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां है। अतः मंहगाई प्रतिवर्ष बढ़ रही है और हम इस पर सभा में रस्मी तौर पर चर्चा कर रहे हैं।

माननीय मंत्री जी कहा है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष मुद्रा-स्फीति की दर कम रही है इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक शक्तिशाली और स्वास्थ्य व्यक्ति एक ऐसा प्रहार सह सकता है जो कि रूग्ण अथवा मरणासन्न व्यक्ति-व्यक्ति के लिए सहना असम्भव है। हमारे देश के करोड़ों लोगों की क्रय शक्ति नहीं रही है एक ऐसे व्यक्ति के लिए मंहगाई में थोड़ी सी वृद्धि जो पहले ही अपनी क्रय शक्ति गवा चुका है उसकी क्षमता से परे है और एक घातक प्रहार की भांति है गरीबी सेवा से नीचे रहने वाले करोड़ों लोगों के भूखों मरने की नौबत आ गई है।

परन्तु माननीय मंत्री महोदय कहते है कि वह मंहगाई को रोकने में सफल रहे हैं। सरकार को इससे आत्म सन्तोष हो सकता है परन्तु हमें उन लोगों का ध्यान है जो मरणासन्न हैं। अतः मंहगाई को रोकने हेतु इसमें काले धन की समप्ति अप्रत्यक्ष करों की समाप्ति जैसे दीर्घकालीन उपाय करने होंगे परन्तु इसके साथ-साथ हमें दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं सस्ती और उचित मूल्य की दुकानों से जनता को उपलब्ध करनी होंगी हम एक लम्बे समय से यह मांग कर रहे हैं कि सरकार की दैनिक आवश्यकता की 14 जरूरी वस्तुओं को व्यापार अपने हाथ में लेना चाहिए। ये वस्तुएं देश में सभी लोगों को उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से एक समान निर्धारित मूल्यों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

मंहगाई इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि लोग न केवल गरीबी रेखा से नीचे खिसे-सकते जा रहे हैं अपितु वे इतने नीचे पहुंच गए हैं कि उनको बचाने के लिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। उन्हें बचाने का यही बुनियानी कदम है। आज लोग बिल्कुल असहाय अनुभव कर रहे हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री इसकी जिम्मेवारी भी लेने को तैयार हैं या नहीं। यह सच है कि इन चौदह वस्तुओं को जनता को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने हेतु और इनका व्यापार स्वयं करने सरकार को बहुत बडी आर्थिक सहायता प्रदान करनी होगी। परन्तु विश्व के कई पूंजी वादी देश जैसा कि जपान किसानों से 850 रुपये प्रति क्विटल की दर से चावल खरीदता है और जनता को राशन की दुकानों के माध्यम से 650 रुपये प्रति क्विटल के हिसाब से उपलब्ध कराता है। इस प्रकार वह प्रति क्विटल

200 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करता है। भारत में हम देखते हैं एक ओर तो कीमतें बढ़ रही हैं और दूसरी ओर गांवों के निर्धन किसानों को अपने उत्पादक का उचित और लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है इससे स्थिति और भी बहतर हो रही है। मैं पुनः मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि खाद्यान्न और साबुन और कपड़े आदि के जैसी आवश्यक वस्तुओं देश में सभी लोगों को सस्ते और निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएं।

यदि काला बाजारियों, जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है तो मंहगाई को रोका जा सकता है अन्यथा हम कुछ समय बाद फिर इसी समस्या पर चर्चा कर रहे होंगे।

सरकार पुनः आंकड़ों के माध्यम से अपना बचाव करेगी और कहेगी कि मूल्य वृद्धि इतनी चिन्ता जनक नहीं है।

मंहगाई को रोकने के लिए मेरे द्वारा उल्लिखित दीर्घ कालीन और तात्कालिक दोनों उपाय शीघ्र ही लागू किए जाने चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री सलीम आई शेरवानी (बदायूं) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ वस्तुओं के मूल्य में हुई वृद्धि के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए में यह कहना चाहता हूं कि कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जो नियन्त्रण से बाहर होते हैं, उदाहरण के लिए पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि जैसा कि मेरे मित्र ने पहले कहा था कि पिछले वर्ष सरकार ने कच्चे तेल की जितनी मात्रा आयात की थी उतनी ही मात्रा में इसका आयात करने के लिए सरकार को 1000 करोड़ रुपये अधिक खर्च करने पड़े।

अब मैं एक ऐसी वस्तु का नाम लेता हूं जिसके मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है और कई-कई माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपनी चिन्ता भी व्यक्त की है—कि यह वस्तु है चीनी भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है परन्तु चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश नहीं है। इसका कारण यह है कि यद्यपि हमारे यहां गन्ने का सार्वधिक उत्पादन होता है परन्तु अच्छे मौसम में केवल चालीस प्रतिशत और कमी वाले मौसम में केवल तीस प्रतिशत गन्ना चीनी कारखानों में पहुंचाता है इसका कारण यह है कि खांडसारी और गुड़ निर्माता गन्ने का तत्काल भुगतान कर देते हैं और इसलिए किसान उन्हें कभी-कभी तो चीनी कारखानों द्वारा दी जाने वाली कीमतों से 40-50 प्रतिशत कम दाम पर भी गन्ना देने के लिए तैयार रहता है।

यदि सरकार गन्ना नीति की पुनरीक्षा करें और केन्द्र द्वारा सुझाए गए मूल्यों चले तो कम्पनियां कीमतें देने की बेहतर स्थिति में होंगी और किसान भी खुश होंगे और किसान क्योंकि वे अपना 60 या 70 या 80 प्रतिशत गन्ना चीनी कारखानों को बेच सकेंगे।

यह दीर्घकालिक नीति है। मैं सरकार से सम्पूर्ण गन्ना नीति कर पर विचार करने की अनुरोध करता हूं।

जहां तक तत्काल हल का संबंध हैं, जैसा कि प्रो० दण्डवते ने कहा है कि आयातित

चीनी जो यहां 2.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पहुंचती है 7 से 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब बेची जा रही है। यदि इसी चीनी को लेवी चीनी की कुछ को खुली चीनी के रूप में बेचा जाए तो खुली चीनी की पूर्ति में सुधार होगा। इसके साथ ही खुली चीनी के मूल्यों में कमी आएगी और खुली चीनी के रूप में लेवी चीनी बेचे जाने के कारण जो घाटा होगा, उसे आयातित चीनी के द्वारा पूरा किया जा सकेगा। सरकार को फिर भी लाभ होगा, भले ही थोड़ा कम हो।

चूंकि मैं सभा में पहली बार बोला हूं, इसलिए मुझे सुनने के लिए मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने ज्वलंत समस्या उठाई है।

[हिन्दी]

प्रो० श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (छित्ताड़गढ़) : माननी उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि 1985-86 के बजट के बाद निश्चित तौर पर मूल्यों में काफी अधिक वृद्धि हुई है। यदि हम एक गृहिणी के बारे में सोचें तो उन सब वस्तुओं-गैस से ले कर, दूध शक्कर तक जिनका कि वह स्पर्श करती है सब में मूल्य वृद्धि दिखाई देती है। आज हर चीज के भाव बढ़े हुए हैं। एक गरीब आदमी का दाल-भात तक खाना मुश्किल हो गया है और मध्यवर्गीय परिवार की स्थिति तो बहुत ही शोचनीय हैं।

यह सही है कि एक विकासशील देश की अर्थव्यवस्था में मुद्राफीति एक आवश्यक चीज होती है और यह होगी ही। किन्तु हम केवल यही मान कर बैठ जाएं और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए विशेष प्रकार के कदम नहीं उठाए तो यह हमारे देश के लोगों के लिए बहुत शोचनीय बात होगी। क्योंकि हमें जनहित के अलावा अपनी योजनाओं के लिए भी अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाये रखना है। इसलिए मुद्रस्फीति पर नियंत्रण रखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हमारे यहां मुद्रास्फीति पर नियंत्रण नहीं हुआ तो जो हम योजनाएं बना रहे हैं और उन पर जो व्यय करने के बारे में सोच रहे हैं वह सारा व्यय बालू में एक महल खड़ा करने के समान होगा। उसको मुद्रास्फीति का झोका बहा कर ले जाएगा। इस पर ध्यान रखना जरूरी है।

गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग जीवनयापन करने वाले हैं उनकी हालत तो बहुत ही दयनीय है। मध्यवर्गीय परिवार की स्थिति भी शोचनीय है। आप कल्पना कीजिए उस गृहिणी की जिसके परिवार में केवल आठ सौ रुपये प्रतिमाह की आमदनी है, उसमें वह किस प्रकार से अपने परिवार का खर्चा वहन करती होगी किस प्रकार से उसका बजट असंतुलित हो गया है।

आपने बहुत सारे आंकड़े दिये हैं। आपने जो भी आंकड़े दिये हैं उनके आधार पर हम वास्तविकता पर नहीं पहुंच सकते। क्योंकि थोक मूल्यों में और खुदरा मूल्यों में बहुत अधिक अन्तर होता है। आप थोक मूल्य की बात करते हैं। थोक मूल्य में यदि जरा-सी कमी होती है तो उसका असर उपभोक्ता या खरीदार तक बहुत कम पहुंच पाता है। परन्तु जब इसमें वृद्धि होती है तो उसका असर एकदम से होता है, अनुपात से अधिक होता है और

परिणाम यह होता है कि उपभोक्ता को चीज बहुत अधिक मंहगी पड़ती है। जो आकड़े आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं वे थोक मूल्यों के हैं और खुदरा मूल्यों में और थोक मूल्यों में अंतर होता हैं। खुदरा मूल्य बहुत भिन्न होते हैं, उन खुदरा मूल्यों को वही जान सकता है जो वहां जाकर खरीदता है, वहीं जाकर उसका अध्ययन किया जा सकता है। आज गृहणी की जो स्थिति हुई है, उसके बारे में सोचना चाहिए।

चीनी के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप उसका आयात कर रहे हैं परंतु उसके भाव दिन-प्रतिदिन बढ़ते आ रहे हैं और 8-9 रुपए तक उसके भाव पहुंच गए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा मान्यवर कि चीनी उद्योग अंग्रेजों के जमाने से सरंक्षण पा रहा है, परतु मांग-पूर्ति का जो संतुलन है वह 75 सालों में क्यों नहीं कर पाया मुझे यह बात समझ में नहीं आती। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो चीनी का मूल्य है, उसकी तुलना में हमारे देश में चीनी का मूल्य बहुत ज्यादा है। पिछले महीने के कुछ आंकड़े आपको बताना चाहती हूं।

बंबई में चीनी का थोक मूल्य 509 रुपए प्रति क्विंटल था जबकि लंदन में 167 रुपए प्रति क्विंटल था। इतना अधिक जो अंतर है इसको मिटाने का प्रबंध करें। मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि इस समय जो आप 150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से चीनी खरीद रहे हैं, उसका एक बफर स्टाक कायम करना चाहिए ताकि जब भी इस प्रकार की चीनी की आश्यकता हो तो मूल्यों को नियंत्रित किया जा सके।

मान्यवर मैं एक निवेदन और भी करना चाहूंगी कि जो नए उद्यमी हैं, जो चीनी उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको लाइसेंस देने में आप क्यों कंजूसी करते हैं। इनको को आपरेटिव सेक्टर में या अन्य जगह पर उद्योग लगाने दीजिए ताकि इस प्रकार की जो कंडीशन चीनी उद्योग की है, उसकी व्यवस्था ठीक हो सके और मूल्यों को सुधारा जा सके इसी प्रकार से तिलहन और दालों की जो व्यवस्था है, वह भी बहुत शोचनीय है। आज एक गृहणी जब बाजार में दाल खरीदने के लिए जाती है तो 10 रुपए प्रति किलो तक उनको दाल मिलती है। तुअर की दाल का मूल्य10 रुपए हो गया है, जाकर देखिए। इस प्रकार स्थिति की है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार के मूल्यों को नियंत्रण में लाना होगा। तिलहन का आप आयात कर रहे हैं और दालों के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सबसिडी और अच्छा खाद बीज उपलब्ध कराना चाहिए तभी जाकर इसमें सुधार होगा। कृत्रिम रूप से स्टाक करके भी व्यापारी कालाबाजारी करते हैं। कंज्यूमर्स को ठीक प्रकार से उचित मूल्यों पर चीजें मिल सकें, इसके लिए जिस प्रकार दिल्ली में सुपर-बाजार की व्यवस्था है, इसी प्रकार की व्यवस्था अन्य शहरों के लिए भी की जानी चाहिए। गांवों में जो नियंत्रित मूल्य की दूकानें हैं, वे कभी खुलती ही नहीं हैं। हमने अपने क्षेत्र में देखा है, वहां पर इन दूकानों से लोगों को कभी चीनी, कपड़ा वगैरह उपलब्ध नहीं होता है।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगी कि काला धन जो है, वह इस समय बहुत अधिक हो गया है और अजगर की तरह फैल रहा है। उसको नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रकार के कदम आपको उठाने होंगे। मुद्रास्फीति किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था के लिए

शोचनीय बात है इसको हमें रोकना होगा, तभी जाकर के हम अपने देश की अर्थ व्यवस्था को संतुलित कर सकते हैं। हमारे देश की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी समुचित तौर पर चलाना होगा, इसके लिए हमें मुद्रास्फीति और मूल्य नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होगा।

मैं आशा करती हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी बहुत ही योग्य और समझदार व्यक्ति हैं, उन्होंने जिस समझदारी से इस बार बजट पेश किया है, उसी प्रकार से आने वाले महीनों में वे विशेष प्रकार के प्रयत्न करेंगे और मुद्रास्फीति को और मूल्य वृद्धि को रोकेंगे, ताकि सामान्य व्यक्ति जिसकी कमर टूटी हुई है, उसको राहत मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

4.35 म० प०

श्री ललित माकन, संसद सदस्य के दुःखद निधन के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय सदन को कल दिल्ली में एक गोलीकाण्ड के बारे में सूचित किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप संसद सदस्य, श्री ललित माकन, उनकी पत्नि श्रीमती गीतांजली माकन तथा एक मुलाकाती श्री बालकृष्ण खन्ना का दुर्भाग्य वश निधन हो गया।

मैं, सदन को इस दुखद घटना के और ब्यौरों के बारे में सूचित करना चाहूंगा। 31-7-1985 को लगभग 10.28 बजे पुलिस कन्ट्रोल रूम में एक अज्ञात व्यक्ति से एल—106, कीर्ति नगर में गोली चलने की एक घटना के बारे के टेलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई। पुलिस कन्ट्रोल रूम का वाहन निदेश दिए जाने पर 10.36 बजे घटना स्थल पर पहुंचा। इस बीच एक व्यक्ति श्री रोशन लाल ने भी पुलिस को 10.32 बजे इस घटना के बारे में सूचित किया था।

स्थानीय पुलिस को भी इस घटना के बारे में सूचित किया गया था और वह मौके पर तुरन्त पहुंच गयी। इस बीच घायल व्यक्तियों को तुरन्त डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया।

संक्षेप में, घटना के तथ्य इस प्रकार हैं, 31-7-1985 को लगभग 1000 बजे जब श्री ललित माकन अपने घर (एल-106, कीर्ति नगर) से बाहर अपनी कार में बैठने के लिए आ गये थे तो दरवाजे के बाहर खड़े दो व्यक्तियों ने उन पर गोली चलाना आरम्भ कर दिया। इस बीच उनकी पत्नी जो ए० बी०-15 तिलक मार्ग पर स्थित अपने नये निवास स्थान के लिए कुछ घरेलू वस्तुएं लेने के लिए गयी थी मुख्य द्वार पर पहुंच गयी। हमलावरों ने उन पर भी गोलीं चलाई। श्री बाल कृष्ण खन्ना नामक एक अन्य व्यक्ति, जो ललित माकन से मिलने आये थे, भी गोली लगने से जख्मी हो गये उनके एक साथी श्री सुरेश मलिक को भी हमलावर ने घायल कर दिया।

अपराध करने के बाद वे दो हमलावर एक स्कूटर नं० डी० ई० एच० —8546, बजाज सुपर (हलका हरा), जिसका इंजन एक तीसरे साथी द्वारा चलता रखा गया था, की ओर भागे

ये सभी तीन व्यक्ति इस स्कूटर पर बैठकर भाग गये। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27/54/59 के अधीन थाना मोती नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 315 दिनांक 31-7-1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

जांच-पड़ताल के दौरान घटनास्थल से 16 खाली कारतूस (चले हुए) पाये गये। केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला का एक दल घटना स्थल पर गया था और उसने इसकी जाँच की। घटना स्थल और चले हुए कारतूसों की जांच से यह मालूम होता है। 303 मौसर और 9 एम० एम० पिस्तौल हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। छः चश्मदीद गवाहों से पूछताछ की गई है। स्कूटर (डी० ई० एच० 8546) के मालिक, जिससे स्कूटर पहले दिन की शाम को छीना गया था, से भी हमलावरों का हुलिआ पता करने के लिए पूछताछ की गई है।

अस्पताल पहुंचने पर श्री ललित माकन को मृत घोषित कर दिया गया। श्रीमती माकन और श्री बाल कृष्ण खन्ना की जख्मी होने के कारण बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गयी। अखिल भारतीय अयुर्विज्ञान संस्थान में शव परीक्षाएं की गई।

श्री ललित माकन अपने सरकारी आवास ए० बी० - 15 तिलक मार्ग में चले गए थे जहां उनकी सुरक्षा के लिए एक हैड-कान्स्टेबल और 4 कान्स्टेबल तैनात किए गए थे। वे कभी-कभी अपने निर्वाचकों और कार्यकर्त्ताओं से मिलने कीर्ति नगर स्थित अपने पुराने निवास आया करते थे।

घटना के तुरन्त बाद, सावधान रहने का संकेत दिया गया और रेलवे स्टेशनों, बस स्टैण्डों, सीमा निगरानी चौकियों और एयर पोर्ट पर आने जाने वाले सभी यात्रियों की जांच की जा रही है। एहेतियात के रूप में, पुलिस आयुक्त ने दिल्ली में दण्ड प्र० सं० की धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस आयुक्त ने, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की है।

मामले में आगे जांच की जा रही है और अपराधियों को पकड़ने के सभी सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जब तक जांच पूरी न हो जाये, वे संयम से काम लें और जनता से अनुरोध करूंगा कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा) : मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने लोग गिरफ्तार किए गए है। मन्त्री महोदय कम से कम कुछ तो सभा को बता ही सकते हैं क्या कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जांच-पड़ताल चल रही है वह इससे अधिक कुछ नहीं बता सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : गृह मन्त्री महोदय क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या कोई व्यक्ति पकड़ा गया है ? आप हमें जांच का ब्यौरा बेशक मत दीजिए।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन (बाडागरा) : गिरफ्तारी के बारे में समाचार पत्रों में छपा है, क्या आप उससे इंकार करते हैं ?

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : क्या कोई ऐसी बात है कि जब तक जांच-पड़ताल पूरी नहीं हो जाती पुलिस कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकती है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री महालिंगम बोलेंगे ।

———

4.41 म० प०

मूल्यों में भारी वृद्धि के बारे में चर्चा— (जारी)

[अनुवाद]

***श्री एम० महालिंगम** (नागापट्टिनम) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम् की ओर से, मैं अवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर चर्चा में भाग लेना और कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

सरकार ने स्वीकार किया है कि 1985-86 के केन्द्रीय बजट के बाद थोक मूल्य सूचकांक में 3.9 प्रतिशत की और मुद्रास्फीति में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ता स्वीकृत किए जाने से यह पता चलता है कि आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों में वृद्धि हुई है । दो दिन पूर्व ही मैंने एक समाचार पढ़ा था कि सरकार कर्मचारियों को मंगाई भत्ते की एक और किस्त देने पर विचार कर रही है । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि के बारे में कोई और प्रमाण दिये जाने की अवश्यकता नहीं है । संसद के गत सत्र के दौरान, हमारे मन्त्री राव बीरेन्द्र सिंह जी ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हुई भारी वृद्धि की बात स्वीकार की थी । यह बताने के लिए कि किस प्रकार देश भर में कीमतों में वृद्धि हुयी है मैं देश की एक प्रमुख पत्रिका 6 कामर्स के 1 जन के अंक में छपे एक लेख में दिए गये कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहूंगा :

असम 4 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक

गुजरात 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक

हिमाचल प्रदेश 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक

केरल 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक

पंजाब और हरियाणा 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक

राजस्थान 10 प्रतिशत

उत्तर-प्रदेश 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक

1985-86 के केन्द्रीय बजट में पेट्रोल के दामों में वृद्धि और आवश्यक वस्तुओं के भाड़ की दर में भारी वृद्धि के कारण ही गत तीन महीनों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में यह

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

वृद्धि हुई है। जब ऐसी स्थिति है तो सरकार को यह कहकर लोगों को शान्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि गत दो महीनों में कीमतों में हुई वृद्धि तुलनात्मक रूप से 1983-84 और 1984-85 की तुलनात्मक अवधि से कम हैं। इससे लोगों में निराशा की भावना बढ़ती है।

हम थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करते हैं। ये सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वस्तुओं की कीमतों के आधार पर तैयार किये जाते हैं ऐसा लगता है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति के बारे में कोई रुचि नहीं लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में तो उचित दर की दुकानें सुपर बजार, आदि हैं जिनसे आम आदमी को आवश्यक वस्तुएं उचित दामों पर मिल जाती हैं। मन्त्री महोदम तो यह भी कहेंगे कि नये 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन हमारी सार्वजनिक वितरण-प्रणाली को सुदृढ़ करने को महत्व दिया गया है। नागरिक पूर्ति विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार हमारे देश में 3,05,000 उचित दर की दुकाने हैं। परन्तु प्रतिवेदन में हमारे 5.5 लाख गांवों में उचित दर की दुकानों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। आमतौर से कह सकते हैं कि लगभग सभी उचित दर की दूकानें महानगरों और अन्य शहरी क्षेत्रों में ही स्थित हैं। मुझे कहना चाहिए कि तमिलनाडु तो एक अपवाह है। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उचित दर की दुकाने गांवों में भी खोली जाएं। हमारे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 16,000 उचित दर की दुकाने हैं।

में यह मानता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार तो विद्यमान है, परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है। हमारे देश में लगभग 15,681 ऐसे उपभोक्ता सहकारी भण्डार हैं जिनकी सदस्य संख्या 54.78 लाख है। हमें 45 करोड़ की जनसंख्या वाले 5.5 लाख गाँवों का भी ध्यान रखना चाहिए। मन्त्री महोदय को यह दलील नहीं देनी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी भण्डार हैं। तो वास्तव में ऊंट के मुंह में जीरा जैसे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे और भी भण्डार खोले जाने चाहिए।

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि देश केवल तभी प्रगति करेगा जब कि गांवों की (मूलभूत) प्राथमिक आवश्यताओं को पूरा किया जा सकेगा। परन्तु सरकार गावों के हितों की उपेक्षा कर रही है। इस दृटिकोण को बदला जाना चाहिए। हमारे ग्रामिणों की प्रमुख आवश्यकताओं को जानना चाहिए, विशेष कर आवश्यक वस्तुएं उचित दामों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

जब कि आवश्यक वस्तुओं की कीमते बढ़ रही हैं, यह वास्तव में एक विडम्बना है कि खाद्यन्नों के उत्पादको को लाभकारी कीमतें नहीं मिल पाती हैं।

4.44 म० प०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)

इस स्थिति का प्राथमिक कारण है बिचौलियों, मुनाफाखोरों और काला-बजारियों की भूमि का। में चाहता हूं कि उन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए जो कि जनता की तंगहाली से कायदा उठाने भी नहीं हिचकिचाते हैं।

भारतीय खाद्य निगम की खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ाने में योगदान करता है। भारतीय खाद्य निगम के वसूली के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए भारतीय खाद्य निगम को दी गई 800 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता को खाद्यानों के बिक्री मूल्य में जोड़ दिया गया है। भारतीय खाद्य निगम के प्रशासनिक खर्चों अत्यधिक बढ़ रहा हैं। भाण्डागार का किराया तथा भाड़ा, आदि खद्यान्नों के बिक्री मूल्य को ही अंग बन जाते हैं। मेरा सुझाव है कि भारतीय खाद्य निगस के फिजूल में भारी कटौती की जानी चहिए। जो असामजिक तत्व उचित दर की दुकानों सुपर बाजार आदि के कार्यकरण में बाधा पहुंचा रहे हैं उनको प्रभावी ढंग से से समाप्त कर दिया है। उदाहरण स्वरूप, अभी हालही में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महा संघ, नई दिल्ली में कदाचार के बारे में एक लेख छपा था। इससे कई करोड़ रुपये की हानि हुई है। इस प्रकार की सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त रहना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को दंड दिया जाना चाहिए। जो लोग खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमा खोरी, कालाबाजारी करने वाले लोगों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। इसी के साथ ही साथ, सरकार को देश भर में उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन को सशक्त करना चाहिए। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण हमारे देश की आम जनता घोर गरीबी के स्तर पर पहुंच गई है। यही समय हैं जब कि सरकार आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को कम करने के लिए प्रभावी और जोरदार कदम उठाए।

इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय मैं तो सोचता हूं कि सारी बहस वित्त मंत्री जी के साथ-साथ या राव बीरेन्द्र सिंह जी के सामने होनी चाहिए थी क्यों कि दाम बढ़े हैं और कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं चाहे आप आंकड़ों से पेट नहीं भरत।

सभापति महोदय अभी में एक मित्र के घर पर गया था। उनके यहां मैं और मेरा एक और मित्र। जिन सज्जन के यहां मैं गया उन्होंने कहा कि इनके लिए एक प्लेट नमकीन और एक प्लेट मीठा लाना और दूर व्यक्ति के लिए प्लेट डाटा और एक प्लेट ग्राफ यानी एक प्लेट आंकड़े और एक प्लेट ग्राफ लाना। क्योंकि दूसरा व्यक्ति उन आकड़ों से यह साबित करना चाहता था कि इस देश में मेंहगाई नहीं बढ़ा है। तो सभापति महोदय, में यह कहना चाहता हूं कि यह बहस बेकार है कि मेंहगाई बढ़ी है या नहीं, इसमें कोई तथ्य नहीं है क्यों कि मेंहगाई बढ़ी है और बेतहाशा में मेंहगाई बढ़ी है, इसमें कोई शंक या दो राय नहीं हैं। जिस व्यक्ति की अमदनी 15 सौ रुपए महीने थी, आज से चार महीने पहले और अब उसे ऑन एण्ड एवरेज डेढ़ सौ या सौ रुपए महीना ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। खेल चीनी की बात नहीं कह रहा हूं क्यों कि चीनी की कीमत एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई है और चीजें ले लीजिए जैसे बासमती चावल दस रुपए किलो से पंद्रह रुपए किलो हो गया है, बिजली के रेट्स बढे हैं। कोई चीज ले लीजिए। आप किसी भी वस्तु पर हाथ रख दीजिए, मैं कहूंगा कि उसके दाम बढ़ गए हैं।

महोदय, में वित्त मंत्री महोदय से और सिविल सप्लाई मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी दिन वे मेरे साथ बाजार चलें, में उन्हें दिखा दूंगा कि चीजों के दाम किस प्रकार से और कितने ज्यादा बढ़े हैं। आम आदमी आज इतना परेशान हो गया है कि उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कि क्या होने वाला है श्रीमन्, ये जो दाम बढ़े हैं, ये बजिटरी डेफिसिट से नहीं बढ़े हैं क्योंकि तीन महीनों में इस कारण इतनी प्राइसेस नहीं बढ़ सकती है, बल्कि मुझे तो लगता है कि ब्लेक मार्किटियर्स और होर्डर्स पर आपका कण्ट्रोल नहीं है, इस कारण ये कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ी हैं। जब तक आप लोगों में यह भावना नहीं आएगी कि आप सचमुच में ब्लेक मार्किटियर्स और होर्डर्स पर कोई सख्त कार्यवाही करने जा रहे हैं, तब तक ये दाम घटने से रहे।

अभी आपने कुछ लोगों के यहां रेल की, उसमें जो चीजें निकलीं वह टी० वी० पर दिखाई। लोगों में प्रसन्नता हुई कि सरकार कुछ कर रही है। मेरा एक निवेदन है, इस देश को होर्डर्स और ब्लैक-मार्केटियर्स खा रहे हैं, जहां जहां ये लोग पकड़े जाते हैं, क्या आप उनके चेहरे टी० वी० पर दिखायेंगे ? आप में अगर हिम्मत हो तो दिखायें।

इस सिचुएशन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिये। यह मामूली बात नहीं है।

जब यहां प्राइस राइज पर डिस्कशन हो रहा है, हमारे एक मित्र अभी यहां अभी यहा बैठे हुए कह रहे थे कि महंगाई नहीं मिटेगी, हम मिट जायेंगे मंहगाई कम नहीं होगी हम कम हो जायेंगे हमारा कद छोटा हो जायेगा।

मैं यह कहता हूं कि जैसे स्वीमिंग पूल में कोई व्यक्ति डूब रहा है और हम कह रहे हैं कि हम स्वीमिंग पूल से पानी निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत तेजी से स्वीमिंग पूल में पानी आ रहा है, वह व्यक्ति समझ ही नहीं पायेगा कि वह क्यों डूब रहा है।

इस देश की अर्थ-व्यवस्था को काला-धन खा रहा है। कालाधन इतने जोर का हो गया है कि आम आदमी समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे। इसके साथ जो पैरेलल इकनामी देश में चल रही है, वह देश को बर्बाद कर रही है। जब तक आप इस भयानक स्थिति को नहीं समझेंगे आप प्राइस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो जनता पर आपकी साख नहीं होगी और यह बहुत डेंजरस स्थिति है।

मेरी कांस्टीटुएन्सी का एक आदमी आया। उसने कहा कि पाकिस्तान के एटम बम से हम बाद में मरेंगे, यह मंहगाई हमें पहले मार देगी। वह हर महीने अपने घर 200,250 रुपये भेजा करता था, अब 50 रुपये भी नहीं भेज सकता है। मैं कहता हूं कि इस समस्या को सीरियसली लीजिये। इस पर फिर से डिबेट हो और राव बीरेन्द्र सिंह जी को बुलाया जाये और उनको करने दिया जाये कि वे किस तरह से प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं। कहीं ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है कि सस्ता सामान लोगों को पहुंचता हो। केवल भाषण से पेट नहीं भरेगा, इस समस्या को फेस करना पड़ता है। हम चाहेंगे कि वित्त मंत्री जी राव बीरेन्द्र सिंह जी बुलायें और हमें कन्विन्स करें कि चीजों के दाम घट रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस (एरनाकुलम) : महोदय मैं कीमतों में वृद्धि का नियन्त्रत करने और रोकने हेतु उठाए जाने वाले कुछेक उपायों का सुझाव देता हूं। में कीमतों में वृद्धि के कारणों का उल्लेख नहीं करूंगा।

महोदय, प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली होनी चाहिए। केवल केरल जैसे कुछ ही राज्यों में काटना सार्वजनिक वितरण प्रणाली काम कर रही है। एक हजार घरों के पीछे राशन की एक दुकान होनी चाहिए जो कि खाद्यान्न, कपड़े, मिट्टी का तेल और खाने के जैसी आवश्यक वस्तुएं वितरित करेगी।

कीमतों में वृद्धि को नियन्त्रित करने हेतु एक अन्य आन्दोलन हैं सहकारी क्षेत्र। प्रत्येक गांव में एक उपभोक्ता सहकारी समिति होनी चाहिए जो कि चीनी से लेकर नमक तक सभी चीजों का वितरण करे। यहां तक की दूरदर्शन सेट की न लाभ न हानि के आधार पर वितरित किए जाने च हिए। महोदय जब कभी भी मजदूरी में कोई वृद्धि होती है या महगाई भत्ते अथवा बोनस में बढ़ोतरी होती है तो वास्तव में यह कामगारों तक नहीं पहुंच पाती है। यदि एक या दो मंहगाई भत्ते की किस्तें और दी जाती हैं और मान लो कि आप बोनस देने जा रहे हैं तो क्या पता है क्या होता अगले दिन ही बाजार में मूल्य बढ़ जायेंगे। इसमें चीनी, कपड़ा या और भी मद हो सकती है। मेरे बहुत से पुराने सदस्यों ने बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब कभी भी कोई मंहगाई भत्ता बढ़ता था वह नगद नहीं दिया जाता था। इसकी बजाय उपभोक्ता वस्तुओं पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। उदाहरण स्वरूप, यदि प्रति मीटर कपड़े की लागत 10 रुपए होती थी तो मंहगाई भत्ता देने की बजाय सरकार आर्थिक सहायता देकर कपड़े की कीमत 2 या 3 रुपए घटा देती थी। मेरे विचार से इस तरीके को आजकल भी अपनाया जा सकता है।

मैं जिस एक मुद्दे पर बल देना चाहूंगा वह है कपड़े की कीमतें। जब आप एक साड़ी की दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार ही आपको कीमत बताता है। वास्तव में उपभोक्ता को तो कीमत पता ही नहीं होती है। मेरा सुझाव यह है कि कपड़े के प्रत्येक मीटर पर खुदरा कीमत अंकित की जानी चाहिए। कपड़ा एक ऐसा मुख्य पद है जिसमें लोगों को ठगा जाता है। मैं जानता हूं कि राशन की कुछ दुकनों पर साधारण कपड़ा वितरित किया जाता है परन्तु बढ़िया किस्म की साड़ियां और सूट के कपड़े आपको बाजार से ही मिलेंगे। यदि आप वहां जाते हैं तो आप को असली कीमत का तो पता ही नहीं होता है। दुकानदार कहता है कि यह कीमत है और आप इसे खरीदिए। कपड़े के प्रत्येक मीटर पर आपको खुदरा कीमत अंकित करनी चाहिए।

हम कीमतों में वृद्धि की बात कर रहे हैं। गुणवत्ता की क्या स्थिति है? यदि आप एक किलो चावल खरीदें तो निश्चय ही उसमें 100 कंकड़ होंगे। यदि आप चीनी खरीदते हैं तो चीनी के साथ कुछ मिलावटी चीजें भी होंगी मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि बहुत से राज्यों में ऐसे समान्तर उद्योग है जो मिलावट के सामान की सप्लाई करते हैं अतः मिलावट को रोकने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

हम कीमतों में वृद्धि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसी वस्तु की कीमत और कृषि

उत्पाद की कीमत के बीच कोई सम्बन्ध होना चाहिए । केरल में गत वर्ष जब सूखा पड़ा था तो नारियल का उत्पादन कम हुआ था और इसीलिए कीमतें 3,000 रुपए से लेकर 3,500 रुपए तक पहुंच गई। इस वर्ष में 1200 रुपए तक आ गई है। नारियल उत्पादों का कहना है कि उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। उपभोक्ता का कहना है कि पिछले वर्ष नारियल की कीमत बढ़ गई थी। इस वर्ष कीमत कम हो गयी है। अतः कोई ऐसा उपाय किया जाना चाहिए जिससे कि यह निर्धारित किया जा सके कि कृषि उत्पादों की अधिकतम कीमत क्या होनी चाहिए। यदि कृषि उत्पाद की किसी विशेष स्तर से नीचे जा रही है तो फिर सरकार सरकारी अभिकरण को हस्तक्षेप करना चाहिए और सारी की सारी वस्तु खरीद लेनी चाहिए सभी आवश्यक कृषि उत्पादों के लिए इसे सख्ती से लागू करना पड़ेगा।

जहां तक सब्जियों और फलों की कीमतों की बात है प्रत्येक वर्ष कमी के मौसम में कीमतें बढ़ जाती हैं। मेरे विचार से कृषि मन्त्रालय कुछ व्यवस्था कर सकती है पहले प्रत्येक घर मे, छोटी सी जगह में सब्जी उगायी जाती थी । अब तो केरल में भी हम जानते हैं कि सभी सब्जियां तमिलनाडु से आती हैं। अतः सब्जियों की कीमत में ढुलाई का खर्च और अन्य खर्चे जोड़ दिए जाते हैं। इसीलिए कृषि मंत्रालय को अधिक सब्जियों और फलों के उत्पादन हेतु कोई योजना तैयार करनी चाहिए। उन्हें इस मामले पर भी विचार करना चाहिए कि प्रत्येक राज्य में किस प्रकार सब्जियां उगाई जाएं और इस दिशा मे प्रयास किए जाने चाहिए।

5.70 म० प०

श्री वी० एन० कृष्णअय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, इस सभा को प्रो० मधु दंडवते का अभारी होना चाहिए कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण मामला उठाया है। यह आज की एक ज्वलन्त समस्या है यह कोई दलीय प्रश्न नहीं है। अभी-अभी हमने दोनों ओर के सदस्यों की बातें सुनी है और सदस्य भी दलगत भावना से हटकर बिल्कुल सच ही बोले हैं।

प्रत्येक देश यह गौर से देख रहा है कि हम इस बारे में क्या करने जा रहे हैं। वे आशा करते हैं कि यह सभा देश का सर्वोपरि संस्था होने के नाते कुछ करेगी। इस देश के लोगों को राहत चाहिए आंकड़ों की बाजीगरी नहीं। मैं वित्त महोदय से एका एक बहुत ही प्रिय पत्र को पाकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। यह तो एक नवीन विचार है। मुझे वास्तव में ही बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करने वाले इन अधिकारियों पर विश्वास कैसे कर लिया। ये सही आंकड़े नहीं हैं।

बजट चर्चा के दौरान जब हम विभिन्न मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा कर रहे थे तो तो मैंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए थे।

मैं समय के अभाव के कारण उन आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र बंगलौर में अप्रैल के महीने से प्रत्येक मध्यम वर्गीय परिवार का औसत 1001-रुपए प्रतिमास बढ़ गयी है। यह सब केन्द्रीय बजट के आने के बाद हुआ। केन्द्रीय बजट और रेलवे बजट के आने के बाद से कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। उसके बाद राज्य सरकारों ने कुछ और कर लगाए और इन सबको मिलाकर करों का बहुत भारी भार हो जाता है। इसके परि-

णाम स्वरूप न केवल संगठित क्षेत्र के सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों को बल्कि गरीब लोगों को भी जिनके पास कमाई के साधन नहीं हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को कष्ट उठाने पड़े है उनके लिए जीवनयापन दूभर हो गया है। हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों और रेल भाड़ा की दरों से काफी वृद्धि हुई है लगभग सभी बिजली बोर्डों में विद्युत और पानी की दरों में वृद्धि कर दी। दुग्ध डेयरियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं और परिवहन निगमों ने भी लगभग 25 से 30% तक की वृद्धि कर दी है। क्या आप अभी भी नहीं देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति और मंहगाई बढ़ी है ? क्या आपको इस बारे में अभी भी सन्देह है ? वित्त मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिए हैं उन पर मुझे वास्तव में ही अचंभा है।

एक अन्य मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं यह है कि माननीय वित्त महोदय ने अपने बजट भाषा में प्रधान मंत्री ने सत्ता में आने के बाद ही राष्ट्र को यह आश्वासन दिया था कि वे काले धन को समाप्त करने हम सबने इस पर विश्वास किया—छः महीने व्यतीत हो गए हैं। कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। हम जानते हैं कि इस सामानांतर अर्थव्यवस्था के बारे में कैसे अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। काले धन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकार को इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। प्रो० मधु दण्डवते ने भी यह सुझाव दिया था।

मेरा सुझाव है कि इस समस्या का एक ही निदान है और वह है कि पूरे देश में गरीब लोगों का पता लगाया जाए तथा इन्हें आवश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर दी जाए। ऐसा ही कर्नाटक ने तथा अब आंध्र प्रदेश ने किया है। गरीब लोगों का नियंत्रित मूल्य का कपड़ा तथा अन्य वस्तुएं मिलती हैं। यही एक उपाय है। यह कार्य राज्य सरकार अपने बल पर नहीं कर सकती। राज्य सरकारें इसमें बड़ी कठिनाइ अनुभव कर रही है। मैं जानता हूं कि यह राव बीरेन्द्र सिंह जी का विषय हैं परन्तु जब तक आप धन न दें कार्य नहीं हो सकता। अतः मेरा सुझाव है कि पूरे देश में केन्द्र से सहायता प्राप्त उपभोक्ता सहकारी समितियों का जाल बिछाया जाना चाहिए तथा उन्हें रियायती मूल्य का अनाज मिलना चाहिए। मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण पाने का यही एकमात्र उपाय है। यह महत्वपूर्ण विषय है। इस समस्या के समाधान के लिए हमें मिलकर कार्य करना है। यह राष्ट्रीय समस्या है। हमें इसका समाधान करना चाहिए। ऐसे नाजुक अवसर पर हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : सभापति महोदय, श्रीमान, मूल्य वृद्धि विश्वव्यापी समस्या है। विकासशील देशों में औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1985 की पहली तिमाही में 5,.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इससे पहले तिमाही में 51.2 प्रतिशत थी तथा 1984 की पहली तिमाही में यह वृद्धि 43.5 प्रतिशत थी। पश्चिमी गोलार्ध में पहली तिमाही में मुद्रास्फिति की दर 169.5 प्रतिशत थी जबकि उसके पहले की तिमाही में 154.3 प्रतिशत थी तथा 1984 की उसी तिमाही में 132.9 प्रतिशत थी बेशक यूरोप की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत रही है।

भारत में मूल्य वृद्धि उतनी नहीं हुई जितनी कि इससे पहले के वर्षों में इस समय तक हुई थी। कहा जा सकता है कि आंकड़ों की जादूगिरी पर हमें निर्भर नहीं करना चाहिए। परन्तु दशकों से उसी स्रोत से आंकड़े मिलते हैं।

नि:सन्देश शब्दों से कार्य नहीं चलेगा। सभा में हमने चर्चा की है कि उत्पादकों को गेहूं का लाभदायक मूल्य नहीं मिलता। अतः गेहूं और चावल के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई। तथ्य यह है कि चीनी की बिक्री सस्ते मूल्य दुकानों पर नहीं होती। वितरण प्रणाली के दोष दूर किए जाने चाहिए जिससे गांवों और नगरों में रहने वाले व्यक्तियों को चीनी नियंत्रित मूल्य पर मिल सके।

एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि राज्य आवंटित चीनी को उठा नहीं रहे हैं। राज्यों से अभिप्राय है राज्यों द्वारा नियुक्त थोक व्यापारी। परन्तु राज्यों के थोक विक्रेताओं की शिकायत है कि भारतीय खाद्य निगम समय पर चीनी की सप्लाई नहीं करना, उनका कहना है कि उन्हें एक दी गई तारीख तक चीनी उठाने को कहा जाता है परन्तु उन्हें सूचना उस तारीख तक मिल नहीं पाती तथा जब उन्हें सूचना मिलती है और जब वे वहां जाते हैं तो चीनी उपलब्ध नहीं करायी जाती। विभिन्न राज्यों में चूंकि विक्रेताओं का दूसरा आरोप है कि चीनी की बोरियों का तोल नहीं किया जाता, भारतीय खाद्य निगम द्वारा उन्हें बिना तोले चीनी उठाने को कहा जाता है।

मैं मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं कि व्यगत कोटे का क्या बनता है। मान लीजिए एक विशेष कोटा किसी राज्य को दिया गया है—राज्य से अभिप्राय है राज्य द्वारा नियुक्त चूंकि व्यापारी मान लीजिए कि किसी महीने में चीनी का कोटा किसी कारण से उठाया नहीं जाता। तब उस व्यगत कोटे का क्या बनता है ? क्या इसकी चेष्टा बाजारी होती है अथवा यह अगले महीने जारी कर दिया जाता है। इस बात पर विचार होना चाहिए।

दूसरे राज्य द्वारा नियुक्त थोक विक्रेता या तो स्वतंत्र व्यक्ति हैं। या सहकारी संस्थाएं। आप जानते हैं कि प्राथमिक, स्तर पर तथा राज्य स्तर पर सहकारी समितियों, उपभोक्त सहकारी समितियों विपणन सहकारी समितियों, जनता सहकारी समितियों, तथा खुदरा विक्रेताओं को भी सरकार द्वारा आसान शर्तों पर ऋण दिए जाते हैं। जब थोक विक्रेता माल नहीं उठाते तो उप-विक्रेता भी नहीं उठाते। हमें सहकारी समितियों पर अधिक निर्भर रहना पडता है।

सहकारी समितियों में लोगों द्वारा निर्वाचित निदेशक होते हैं। इन निदेशकों का भी उत्तर दायित्व होता है। इन्हें देखना होता है कि थोक विक्रेता माल क्यों नहीं उठाते अथवा उन्हें समय पर माल क्यों नहीं उपलब्ध कराया जाता। खुदरा व्यापारी या तो सहकारी समितियों के सदस्य हैं या निजी व्यक्तिगत आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए सरकार प्राथमिक समितियों को आंशिक अनुदान और मकान किराए के लिए अनुदान देती है। उस प्रणाली का क्या बना ? अतः सहकारी समितियों, प्राथमिक समितियों, से लेकर राज्य स्तर तक की समितियों को संशक्त बनाया जाना चाहिए, ताकि वे कोटा उठा सकें।

फिर जिन व्यक्तियों कर थोक विक्रेता अथवा उप-विक्रेता अथवा खुदरा विक्रेता

नियुक्त किया जाता है वे लोग माल को उपभोक्ता के पास पहुंचाने के स्थान पर उसे काले बाजार में पहुंचा देते हैं।

इस मामले में एक कठिनाई यह है कि इन विक्रेताओं को गांवों में चीनी पहुंचाने के लिए दी जा रही परिवहन कम की राशि वास्तविक कम से बहुत कम है। अतः वे चीनी को गांवों में ले जाने के स्थान पर नगरों में ही बेच देते हैं। फिर जैसा कि वित्त मंत्री चाहते हैं हमें रोग का पता ही नहीं लगाना है अपितु उसकी औषधि की निर्यातित करनी है। यदि हमें रोग के कारण पता हो तो हम उसका निदान कर सकते हैं। इस रोग का कारण अकुशल वितरण प्रणाली है। गांवों में मूल्य वृद्धि का यह एक कारण है। संसद सदस्य भी नागरिक समितियों के जिला स्तर पर तथा उप-खण्डीय स्तर पर सदस्य हैं। लोग पूछ सकते हैं। कि हमारे प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं,। हमें वहां पर लोगों की शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए और यह देखे कि जिला कालेक्टर लएवा पूर्ति विभाग के कार्यकर्त्ता इस पर ध्यान दें रहे हैं कि नहीं और उनसे पूछ कि को उठाया क्यों नहीं जाता। भारतीय खाद्य निगम कोटा क्यों नहीं देता, व्यक्तगत कोटे का क्या बनता है। केन्द्र अर्थात् भारतीय खाद्य निगम से लेकर खुदरा विक्रेताओं तक यह बातें पूछनी चाहिए। यदि ये व्यक्तगत सभी कोटे अगले महीने दे दिए जाते हैं तो मैं समझता हूं कोई कठिनाई नहीं होगी। सरकार राज्य सरकारों से कह सकती है कि जिला नागरिक समितियों की बैठकें उस समय हों जब संसद कास्त्र न चल रहा हो ताकि सदस्य लोग उसमें भाग ले सकें। पहले संसद सदस्य पंचायत समितियों के सदस्य होते थे। अब कुछ समितियों को छोड़कर वे इनके सदस्य नही हैं विक्रेताओं की नियुक्ति कौन करता है। पंचायत समिति के चेयरमैन अथवा सरपंच। जब वे विक्रेताओं की नियुक्ति करते हैं तब क्या उनका यह कर्त्तव्य नहीं है कि वे इसका पता लगाएं कि विक्रेता जनता हो आवश्यक वस्तुएं कैसे सप्लाई करते हैं। उन्हें इसका पर्यवेक्षण करना है। पूर्ति समिति में कोई संसद सदस्य अथवा विधान सभा सदस्य नहीं है। अतः यह कार्य पंचायत समिति के चेयरमैन अथवा दो अथवा तीन सरपंचों पर छोड़ दिया जाता है। वे जैसा चाहें कर सकते हैं। जिसकी भी नियुक्ति कर दें वह अंतिम है। समिति द्वारा विक्रेताओं की नियुक्ति अंतिम है। अतः मेरा सुझाव है कि स्थानीय पूर्ति समिति में विधान सभा सदस्य तथा संसद सदस्य नियुक्त किए जाए। जहां तक मुद्रास्फीति का प्रश्न है, सरकार को उस बारे में अधिक कार्यवाही करनी चाहिए। महोदय यह समस्या दशकों से चली आ रही है। हम उसमें सहसा किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करते। वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने बताया है कि इस वर्ष कर विभाग 1000 करोड़ रुपए की अधिक वसूली करेगा निश्चय ही यह बहुत अच्छा विचार है। फिर मैं सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसे लिमिटड चेरबर आफ कामर्स ने सरकार से अपील की है कि काले धन के बारे में स्विस बैंक से भारतीय दृष्टिकोण के खातों की जानकारी देने को कहा जाए, जिन्होंने कि करोड़ रूपस का काला धन रखा हुआ है। वे यह नहीं बता रहें और भारत सरकार को अन्य सरकारों के साथ मिलकर स्विस बैंक पर उन व्यक्तियों के नाम प्रकट करने के लिए आग्रह करना चाहिए।

सभापति महोदय : इतना सरल नहीं है।

श्री सोमनाथ रथ : बताया गया है कि 20000 से 40000 करोड़ रु० का काला धन विदेशों में है जिसका मुद्रास्फीति बढ़ाने जमा खोरी के लिए उपयोग किया जा रहा है। इस बुराई को पूरी तरह दूरी करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्टसगंज) सभापति महोदय, मैं शुरू से ही इस बहस में जो माननीय सदस्य भागते रहे हैं, उनके भाषणों को सुन रहा हूं। सबसे पहले मधु दण्डवते जी ने बहस शुरू आत की। मैं तो यह उम्मीद लगाए हुआ था कि वे कुछ सुझाव देंगे लेकिन सुझाव देने की बजाए उन्होंने सारे बजट का एनेलीसिस किया और जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला लेकिन वे भूल गये कि ऐसा शासन इस देश में कभी नहीं आया जबकि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन 10 परसेन्ट से मानस 1,4 परसेन्ट हो गया और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 17 परसेन्ट नीचे आ गया। प्याज का भाव कहां चला गया था, यह आम जनता जानती है और नमक के भाव आसमान छूने लगे थे और खेत में गन्ना जलाना पड़ा। इसके अलावा घरों में आलू सड़ गया।

मैं मधु दंडवते जी का आदर करता हूं लेकिन जो हकीकत है, वह सामने लानी चाहिए मैं कोई आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं। वित्त मंत्री महोदय ने भी कहा है कि मंहगाई बढ़ी है हमारे साथियों ने इसके लिए चिन्ता प्रकट की है। सदन में माननीय सदस्य और देश में लोग कहते है कि मंहगाई बढी है लेकिन उन कारणों की चर्चा करनी चाहिए, जिन से मंहगाई बढ़ी है। पहले तो आप चीनी को ही ले लें। चाहे आन्ध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ही, चाहे वैस्ट बंगाल की गवर्नमेंट हो, चाहे केरल की गगवर्नमेंट हो और चाहे कर्नाटक की गवर्नमेंट हो, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। उस रोज उस बारे में खाद्य मंत्री जी बता रहे थे। आप बिहार को ही लि लें। वहां पर हमारी सरकार है। पिछले दो महीनों में उन्होंने चीनी का एक टन कोटा भी नहीं उठाया। पिछले महीने 10 हजार टन और इस महीने 8 हजार टन चीनी का एलौटमेंट हुआ था लेकिन उन्होंने एक टन चीनी का कोटा नहीं उठाया। इसी तरह से वैस्ट बंगाल ने नहीं उठाया। आन्ध्र प्रदेश ने पिछले महीने ?00 टन चीनी का कोटा उठाया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी नहीं उठाए। इस बार 8 हजार टन कोटा उठाया जबकि 16 हजार टन था। तो आप को बुनियादी चीजों को देखना पड़ेगा।

इसी तरह रेपसीड आयात की बात है। उसको बाहर से मंगा रहे हैं और केन्द्रीय सरकार बार-बार कह रही है कि इसका कोटा आप उठाएं। जब चीजों की उपलब्धता नहीं होती है तो निश्चित तौर पर मंहगाई बढ़ती है और ट्रेडर्स, ब्लैक मार्केटियर्स, होर्डर्स स्मगलर्स, इन सब को पता रहता है कि सरकार कोटा नहीं उठा रही हैं, तो वे चीजों की कमी पैदा कर देते हैं और मंहगाई बढ़ती है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत हमें इस बात की है कि स्टेट-सेन्टर सम्बन्धी जो बात आप उठाते हो, आज समय की मांग है कि सेन्टर को आप पावर दें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और वह अपने अधिकारी रख सके और दखल-

न्दाजी कर सकें। आज सेन्टर का कोई अधिकारी फेयर प्राइस शोप चैक नहीं कर सकता और वह किसी दुकान पर नहीं जा सकता। यह बुनियादी बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की खाद्य विवरण में शक्ति प्रदान की जाए और इस के लिए संविधान में संशोधन करना चाहिए। इस साल चीनी का उत्पादन केवल 62 लाख टन हुआ है और इस को देखते हुए सरकार ने 10 लाख टन चीनी बाहर से मंगाने का निर्णय कर लिया है। आज देश में गेहूं का स्टाक है और चावल का स्टाक है लेकिन एक में यह कहना चाहता हूं कि कुछ सरकारें सेन्ट्रल गवर्नमेंट से माल लेकर मुनाफा कमा रही हैं। गेहूं का भाव 172 रुपये प्रति क्वींटल है लेकिन वह उत्तर प्रदेश में 205 रुप प्रति क्वींटल बेचा जा रहा है और नार्थ ईस्टन स्टेट्स में एक क्वींटल पर 48, 48 रुपये लाभ ले कर यह वेचा जा रहा है। कई प्रदेशीय सरकार इन वस्तुओं पर टैक्स लगा रही है जब कि केन्द्रीय सरकार सब्सी डी पर उन को ये वस्तुएं दे रही है।

इसलिए उस सदन के माननीय सदस्यों को यह देखना पड़े कि महंगाई करने के जो बुनियादी कारण हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। उन कारणों को देखना पड़ेगा। आज सेन्टर स्टेट के सम्बन्धों में परिवर्तन करना आवश्यक है, जिससे केन्द्रीय सरकार जहां एक ओर वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करे, वहीं पर उस के वितरण की व्यवस्था भी ठीक करे और इसके लिए आज सेन्टर को कुछ पावर लेनी पड़ेगी।

जहां तक इसमें और तत्परता लाने की बात है, हमारे माननीय प्रधान मन्त्री जी ने एक 12 सूत्री कार्यक्रम विभिन्न राज्यों को भेजा था। सेन्ट्रल गवर्नमेंट को केवल डाइरेक्टिव भेजने का अधिकार है। इन्होंने डाइरेक्विट भेज दिया कि कहां कहां पर उन्हें फेअर प्राइस शाप्स खोलनी हैं। दो हजार की जनसंख्या पर दुकान खोलने का इन्होंने डाइरेक्टिव भेजा था लेकिन किसी भी स्टेट सरकार ने उन दुकानों को नहीं खोला। जिसका नतीजा यह हो रहा है कि जो होर्डस हैं उनको अपनी कारगुजारी करने का मौका मिल रहा है।

मैं अपने मधु दंडवते जो से कहना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकारें इस पब्लिक डिस्ट्रि ब्यूशन सिस्टम को ठीक-ठाक रख सकती तो यह मंहगाई नहीं बढ़ती। हमारी केन्द्रीय सरकार जो कुछ कर सकती है वह कर रही है। आपने अभी देखा होगा कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने इनकम टेक्स अधिकारियों की बैठक की और उसमें टेक्सी की वसुली करने में सख्ती करने को कहा। यह बैंठक उन्होंने बड़े-बड़े शहरों में की और उनके लिए वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया। इसी तरह से जो हमारे कस्टक अधिकारी हैं उन पर भी सख्ती हो रही है। उनके मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए हमारे वित्त मन्त्री जी ने उनके लिए ईनाम की घोषणा की है। ये सारी बातें हमारी सरकार के बस की बात हैं जिनको कि केन्द्रीय सरकार ने करने का प्रयास किया है। जो हमारी सरकार कार्यवाही कर रही है, उसको भी आप देखिए और जो कमियां हैं उनको आप बताइये।

वित्त मन्त्री जी ने स्वयं माना है कि यह मंहगाई उनका भी कंसर्न है, इस सदन के सदस्यों का भी कंसर्न है और बाहर के लोगों का भी कंसर्न है। लेकिन हमें इस मंहगाई के मूलभूत कारण ढूंढ़ने होंगे। हमारी जो बेसिक चीजें हैं, जैसे पेट्रोलियम है, सीमेंट है, स्टील है

इनके कुछ भाव बढ़े हैं जिनका असर दूसरी चीजों पर भी हुआ है। यह वास्तव में चिंता का विषय है। लेकिन इससे भी अधिक चिंता का विषय है होर्डस की कारगुजारियां और राज्यों द्वारा राशन की दुकानों को न बढ़ाना।

माननीय वित्त मन्त्री जी अपने ही ए० आई० सी० सी० की जो बैठक हुई थी, उसमें कहा था कि हम राम की हर सुबह पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं न कोई स्कूल बनवाया, न कोई पंचायत घर खोला, न कोई सड़क बनवाई। फिर भी उनका नाम बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि दुष्टों का संहार किया था। आज जो हमारे देश में ब्लेक मार्किटियस है, होर्डस हैं और जो राज्य सरकारें आपकी बात को नहीं मान रही हैं, उनका भी आप संहार कीजिए।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, पिछला बजट आने के बाद थोक कीमत सूचकांक तथा उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। आम आदमी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली घरेलू वस्तुओं की संख्या 200 के लगभग है जिसमें खाद्यान्न, मिर्च, चीनी, तेल सब्जियां आदि शामिल हैं। मेरे ख्याल से सरकारी तौर पर इनकी कीमतों में 10 से 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है। हमारे यहां पर काफी खाद्यान्न पैदा किया जाता है अर्थात् 153 मिलियन टन से थोड़ा ही कम। इसके अलावा काफी गेहू खरीदा भी जाता है। पर इसके बावजूद सभी खाद्यान्न मदों तथा घरेलू मदों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। हो सकता है मंत्री जी ने इस चार्ट में आंकड़े देने में ईमानदारी बरती हो लेकिन इसे हम जनता को नहीं दिखा सकते। कोई भी व्यक्ति जब कुछ खरीदने जाता है तो उसे लगता है कि कीमतें जरूर बढ़ गई हैं। मुद्रा-स्फीति की दर 8.9 प्रतिशत है। हो सकता है बम्बई में यहां दर अधिक हो क्योंकि वहां खरीददार अधिक हैं।

महोदय, यह शहरों और कस्बों में 10 से 20 प्रतिशत है। अगर आप गांव चले जाए तो वहां मुद्रास्फीति की दर दुगनी पाएंगे। छोटे दुकानदार कमी का ज्यादा फायदा उठाते हैं। अतः देश का गरीब आदमी निश्चय ही तकलीफ सह रहा है। दिवाली तथा दशहरे का त्यौहार आ रहा है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह तत्काल उपाय करें। अगर उपाय नहीं किए गए तो औसत उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें इतनी अधिक बढ़ जाएंगी कि आम आदमी खासकर गांवों में रहने वाले गरीब लोग परेशान हो जाएंगे। महोदय, मेरे वशिष्ठ सहयोगी प्रो० मधु दंडवते घाटे की अर्थव्यवस्था के बारे में पहले ही बोल चुके हैं। उस समय मैंने सदन में इस प्रश्न को बार-बार दोहराया था। हमारे मंत्री जी ईमानदार हो सकते हैं और सोचते होंगे कि उद्योग पत्तियों और व्यापारियों को अधिक रियायते देने से अधिक उत्पादन होगा। लेकिन अपने भाषणों में मैंने बार-बार यहीं बात पूछी है कि क्या उद्योगपति तथा व्यापारी ऐसा करेंगे ? मेरे ख्याल से हमारा यह अनुभव रहा है कि हमारे मंत्री जी ने इनको जो भी दायित्व सौंपे हैं उन्हें निभाने में ये लोग असफल रहे हैं। वे परम्परागत रूप से जमाखोरी तथा काला बाजारी कर रहे हैं। मंत्री जी ने मुद्रास्फीति का आंकड़ा 3.5 प्रतिशत दिया है जिसमें से 60 प्रतिशत कालाबाजारी तथा जमाखोरी के कारण हैं। इसके लिए यहीं लोग जिम्मेवार

हैं। मुझे खुशी है कि मेरे बहुत से कांग्रेजी मित्रों ने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए कुछ सजा कुछ प्रतिबंधों की व्यवस्था की जानी चाहिए। हम कपड़ा मिल मालिकों को भी रियायत दे रहे हैं। लेकिन इससे उनके रवैये में फर्क नहीं आएगा और काला धन बढ़ता ही जाएगा। उन्हें जो रियायतें दी गई हैं उसका इस्तेमाल उन्होंने उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि कालाबाजारी करने के लिए किया है। अतः अनिवार्य वस्तु अधिनियम का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में लगभग 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि होने के बावजूद क्या आपने इस देश में एक भी जमाखोर या काला बाजार करने वाले को पकड़ा है ? मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताई जाए। इन लोगों के लिए क्या आपने कभी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, को इस्तेमाल किया ? मेरे ख्याल से उन्हें मनचाहा करने की छूट दी हुई है। मेरे कामगारों ने जब-जब हड़ताल की हर बार 10-20 छोटे नेता इस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के कारण जेल में डाल दिए गए। कपड़ा-मिलों की हड़ताल में भाग लेने वाले मेरे 40 कामगार इस अधिनियम के अन्तर्गत जेल में हैं जबकि करोड़ों रुपए कमाने वाले, सरकार और जनता को धोखा देने वाले तथा जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों को कोई नहीं पकड़ता। इसके लिए आप केवल काला बाजार करने वालों को दोष नहीं दे सकते। सरकार भी इसके लिए जिम्मेवार है। आपने रेल-भाड़ा बढ़ा दिया है। की कीमतें बढ़ा दी है। इससे आपको लगभग 15,000 करोड़ रुपए मिलेंगे।

वित्त और वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : डा० दत्ता सामंत मामले की सही पैरवी कर रहे हैं।

डा० दत्ता सामंत : मेरे ख्याल से सरकार ने पेट्रोलियम की कीमतों अथवा रेल-किराए में थोड़ी वृद्धि की है। लेकिन इन्हें बढ़ा कर तिगुना चौगुना कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : वे ठीक कह रहे हैं। जमाखोरों के लिए सरकार अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार है। अन्य बातों के लिए, वह प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार है।

डा० दत्ता सामंत : एक और बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा वह है प्रशासनिक नीतियां। जहां तक चीन के वितरण का संबंध है, मेरे विचार से सरकार के पास कोई नीति नहीं है और अगर नीति है भी उसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। जहां तक इस्पात का संबंध है आयात की अनुमति दी गई थी और दोबारा उसमें मंदी आई। इस्पात की कीमतें बढ़ गई हैं। सीमेंट की कीमतें बढ़ रही हैं। मेरे विचार से चीनी जोकि 8 रु० किलो बिक रही है के मामले में भी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। तेल कागज तथा अल्मूनियम जिसे आम आदमी इस्तेमाल करता है की कीमतों में भी काफी वृद्धि हुई है। बिजली की दरों में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

आपने फलों और सब्जियों के निर्यात की अनुमति दे दी है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ऐसा करने से इनके उत्पादक अर्थात् किसान को लाभ नहीं हुआ है बल्कि केवल बिचौलियों को ही लाभ हुआ है। इन सबके लिए सरकार जिम्मेवार है।

मैं दो तीन सुझाव दूंगा और बात समाप्त करूंगा। हमें अनिवासी भारतीयों का कुछ-

गुजार होना चाहिए जो इस देश मे पैसा भेज रहे हैं। इस पैसे का हिसाब नहीं रखा जा रहा है। मेरे विचार से लगभग 6000 करोड़ रुपया देश में इस माध्यम से आ रहा है। हमारे लिए यह बढ़िया रिजर्व हो सकता है। श्री रीगन का धन्यवाद् पिछले एक साल में डालर की कीमतें बढ़ी हैं और अमरीका को किए जाने वाले निर्यात में लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जहां तक मेरे सुझावों का संबंध है, देश में उपभोक्ताओं द्वारा विरोध को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मैं बम्बई का एक उदाहरण देता हूं। टेलीविजन में दिखाए जाने वाले धारावाहिक कार्यक्रम 'रजनी' में दिखाया जाता है कि आटो-रिक्शा, टैक्सी चालकों तथा, गैस, डीलर द्वारा एक आम महिला का कैसे शोषण किया जाता है। इन लोगों का कहना है कि इस कार्यक्रम के कारण उपरोक्ता साझेदार होते जा रहे हैं। उपभोक्ता विरोध आन्दोलन को इस तरह प्रचार करने के लिए टेलीविजन और रेडियो का अधिकाधिक इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाए ?

*श्री जी० एस० बसवराज (टुमकुर) : सभापति महोदय, प्रो० मधु दंडवते सहित अनेक माननीय सदस्यों ने अनिवार्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं यह बात दोहराना चाहूंगा कि कीमतों में यह वृद्धि होती रहेगी। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी अर्थात् गरीब किसानों की सहायता के लिए अगर राज्य सरकारों और केन्द्र सरने पहल नहीं की तो स्थिति और बहतर हो जाएगी । राज्य तथा केन्द्र सरकार का प्रथम कर्त्तव्य यही है कि वह किसानों के उद्धार के लिए यथा सम्भव प्रयास करे।

चीनी की कीमतों के बारे में शोर मचाया जा रहा है। 1982-83 के दौरान देश में बहुत अधिक चीनी हुई थी लेकिन उसके खरीददार नहीं थे। किसी ने भी चीनी के लिए उचित मूल्य की पेशकश नहीं की। देश भर के किसानों में विक्षोभ फैल गया। उनमें से कुछ ने तो अपनी खड़ी फसलें भी जला डाली । उस समय गन्ना उत्पादकों की इतनी बुरी स्थिति थी।

किसानों ने गन्ना बोना छोड़ दिया 1983-84 में चीनी की हो गई और उसकी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी। अगर आप गन्ने का समर्थन मूल्य दे तो देश में मनचाही मात्रा में गन्ने का उत्पादन करवा सकते हैं। हमारे किसानों में इतनी क्षयता है। अगर गन्ने में कीमतें 352 रुपए प्रतिटन से कम रही गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया गया तो चीनी मिले एक-एक करके बंद हो जाएंगी। संभवत: चीनी की कीमतें भी बढ़ेंगी। कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए बढ़िया समवेत मूल्य ही एक उपाय हैं अत: खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री श्री राव बीरेन्द्र सिंह से मेरा अनुरोध है कि वह इस मामले पर गंभीरता से विचार करके गन्ना उत्पादों की सहायता करें।

सब्जियों, फलों, दालों आदी कीमतों से भी किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। उसे एक किलो सब्जी पर 2 रुपए कमाई भी नहीं होती। निवेश सामग्री की कीमतें बढ़ती जा रही है लेकिन उसे अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है 1960 में हल की नोक की कीमत दो रुपए थी लेकिन आज यह 25 रुपए की दर से बिक रहा है । खाद तथा निवेश की अन्य मदें मंहगी हो गई में। लेकिन किसान द्वारा पैदा की जाने वाली वस्तुओं की

*कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कीमतें वही की वहीं हैं । जिससे देश का किसान विक्षुब्ध तथा निराश है मुझे विश्वास है कि अगर किसानों को उचित मूल्य प्रोत्साहन दिया जाए तो वे इतना अधिक कृषि उत्पाद पैदा कर सकते हैं कि उसका निर्यात भी किया जा सके ।

प्रो० दंडवते चीनी की की मत की बात कर रहे थे । चीनी की कीमत 8 रुपए प्रति किलो हो सकती है लेकिन चीनी अनिवार्य वस्तु नहीं है प्रो० दंडवते खाद्य, तेलों, रागी, ज्वार गेंहू, चावल और तरह की अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों पर विचार क्यों नहीं करते । देश भर में ये वस्तुएं काफी कम कीमत पर बेची जाती हैं । मैं किसान हूं । कृषि का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है इसके अलावा मैं ए० पी० एम० सी० का 1 साल तक चैयरमैन भी रह चुका हूं । मैं किसानों की दशा से भली-भांति वाफिक हूं मैं दंडवते जी को सूचित करना चाहता हूं कि गोश्त कीमतें इसलिए ज्यादातर शाकाहारियों ने मांसाहारी भोजन खाना शुरू कर दिया है । मैं इस बात से इन्कार करता हूं कि मुद्रास्फीति हैं । देश में मुद्रास्फीति नहीं है । एक सरकारी कर्मचारी जिसे 1960 में 500 रुपए मिलते थे अब 3000 रु० पा रहा है दूसरी ओर किसान को उवर्रक की एक बोरी के लिए 160 रु० देने पड़ रहे हैं जबकि 1960 में वह वह उसके 65 रुपए ही देता था । किसान को अपने कपड़ों परिवहन दवाइयों आदि पर अधिक खर्च करना पड़ता है लेकिन अपने उत्पाद का उसे उचित मूल्य नहीं मिलता इस पर तत्काल रोक लगायी जानी चाहिए । किसानों को उनका उचित हक मिलना चाहिए । उन्हें अपने उत्पाद का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए ।

बिचौलियों तथा व्यवसाही वर्ग ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रहा है । दुर्भाग्य से सरकारी क्षेत्र में ठीक से काम नहीं हो रहा । अतः सरकार को और अधिक उचित दर की दुकानें खोलनी चाहिए तथा उन्हें और सुचारू रूप से चलाना चाहिए । कृषि वस्तुओं के समर्थन मुल्य अग्रिम तौर पर निर्धारित कर दिए जाने चाहिए । साथ ही साथ सरकार को उन काले बाजारियों और जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाही करनी चाहिए जो देश के धन का एक बड़ा हिस्सा हड़प कर रहे हैं ।

हमारे वित्त मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यहां उपस्थित है । आशा हैं वह और राव बीरेन्द्र सिंह जी इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठा कर इस देश के गरीब किसानों की सहायता करेंगे । मुझे विश्वास है कि अगर यह कदम उठाया गया तो उपभोक्ताओं पर फायदा होगा और कीमतें स्थिर होंगी ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : इस समय जबकि आप मूल्य वृद्धि की चर्चा कर रहे उड़ीसा के एक भाग में भुखमरी फैली हुई है । लोग भूख के कारण मर रहे हैं । मातायें अपने बच्चे बेच रही हैं । लोग अपने घरों से भाग रहे हैं ; और ऐसे समय में हम लोग प्रसन्न हैं कि हमारी सरकार विदेशों को गेहूं निर्यात कर रही है, जबकि हमारे देश के एक भाग में भुखमरी फैली हुई है ।

कल और परसों मैं जगह-जगह गया था मुझे दिल्ली बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश में कहीं भी डबल रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला सभी दुकानों से डबल रोटी गायब हो गई है । जब स्थिति यह है ; तब हमारे मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कुछ आंकड़े और कुछ

रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं। इस रेखाचित्र से यह प्रतीत होता है कि समाचार पत्र तथा लोग जितना कहते हैं ; मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति उतनी अधिक नहीं है इसे देखकर एक कहानी याद आती है। बंगला देश के ढाका नगर में वहां के लोगों को गांड़ी वाले कहा जाता है। वे हंसोड़ होते हैं। एक व्यक्ति कलकत्ता से ढाका गया और उसने एक गाड़ी वाले से कहा लक्ष्मी बाजार चलने को कहा। गाड़ी वाला बोला जी हां मैं आपको ले चलूंगा उस बाबू ने पूछा" तुम कितने पैसे लोगे गाड़ी वाला, "मैं पांच रुपए लूंगा।" तब वह बाबू बोला, "मैं इतने रुपये नहीं दे सकता हूं। मैं तुम्हें केवल एक रुपया दूंगा।" तब वह गाड़ी वाला बोला – "बाबू जी अहिस्ता बोलिए क्योंकि यदि घोड़े ने सुन लिया तो वह हंसने लगेगा।" इसलिए इन आंकड़ों को देखकर पूरा राष्ट्र मजाक उड़ाएगा और मेरे साथ सारी सभा इस बात को कहेगी कि मूल्य, दैनिक मूल्य तेजी के साथ बढ़ रहे हैं।

मन्त्री मन्डल में तीन शेर हैं शेर अर्थात् सिंह। एक है ; श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ; विश्वनाथ महोदय के प्रताप। दूसरे हैं; राव बीरेन्द्र सिंह। वह भी सिंह हैं। इनके अतिरिक्त एक और है बाबा बूटा सिंह। हमारे तीन शेर हैं और वे लोग आंकड़े दे रहे हैं। वे लोग गर्जना कर रहे हैं वास्तव में मूल्य बढ़ रहे हैं किन्तु वे गर्जना कर रहे हैं — "सब झूट है, दूर हटो।"

(व्यवधान)

दिनांक 26-7-1985 के **"टाइम्स आफ इंडिया"** में एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ है जिसमें कहा गया है :—

"पांच सदस्यों का परिवार, जो परिवार चला रहा था ....**(व्यवधान)**"

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : चौबे जी, यह वही तंत्र है, जिस पर प्रो० दंडवते निर्भर कर रहे हैं और उनके द्वारा दिए गए आंकड़े उसी अवधि से सम्बन्धित हैं।

श्री नारायण चौबे : महोदय दो काले मिलकर एक सफेद नहीं बन सकता है।

प्रो० मधु दंडवते : दो काले कौन-कौन हैं ?

श्री नारायण चौबे : मुझे नहीं मालूम। दोनों बुर्जुआ सरकार थी चाहे वह कांग्रेस की थी अथवा किसी और सरकार, मैं कह नहीं सकता।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : कम से कम आपको यह तो विचार करना चाहिए कि उनका रंग मुझ से अधिक गोरा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मान गए।

श्री नारायण चौबे : इस समाचार में कहा गया है :—"पांच सदस्यों का जो परिवार 15,00 रुपए में गुजारा किया करता था मार्च 1985 से बढ़ी कीमतों के कारण अब उसे 150- रुपए और चाहिए।

सभापति महोदय : श्री चौबे, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री नारायण चौबे : मैं यह बार उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। किन्तु, महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली की नागरिक परिषद ने थोक मूल्य का सर्वेक्षण किया है। उस में थोक मूल्य में निम्नलिखित वृद्धि का उल्लेख किया है।

1 जुलाई और 19 जुलाई के थोक मूल्य नीचे दिए जा रहे हैं:—

	1 जुलाई	19 जुलाई
चना	480 रुपए प्र० क्विंटल	520 रुपए प्र० क्विंटल
चीनी	5:0 " प्र० क्विंटल	750 " प्र० क्विंटल
सरसों का तेल	160 " प्रतिटिन	190 "

यहां तक की कलकत्ता में भी जो भारत का सबसे सस्ता महानगर है कीमतें बढ़ गई गई हैं। ऐसी स्थिति में भी माननीय वित्त मंत्री को इन बातों की चिन्ता नहीं है और उसका यही कहना है कीमतें उतनी नहीं बढ़ी हैं।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र पाटिल) : भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किए गए मूल्य की तुलना में कलकत्ता में गेहूं का खुदरा मूल्य क्या है?

श्री नारायण चौबे : गेहूं का खुदरा मूल्य? एक रू० 85 पै० है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उचित दर की दुकानें उसे 2 रु० किलो बेच रही है।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री नारायण चौबे : आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए।

सभापति महोदय : आपको अधिक समय दे चुका हूं।

एक माननीय सदस्य : कम से कम कलकत्ता में तो हमें किसी भी राशन की दुकान पर गेहूं नहीं मिल रहा। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : और अधिक समय कृपया न लें। यह कैसे संभव है? मैं आपको अधिक समय दे चुका हूं। मैं आपको दुगुणा समय दे चुका हूं।

श्री नारायण चौबे : महोदय एक मिनट और।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री नारायण चौबे : मैं उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जो कांग्रेस में रहते हुए भी सरकार की नीति के विरुद्ध लड़ रहे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। **(व्यवधान)**

मैं सरकार को एक सुझाव देता हूं मुझे आशा है कि यह इस पर ध्यान देंगे। माननीय वित्त मंत्री काले धन पर रोक लगायें। वह थोक बजार में अवश्य प्रवेश करें और वहां गैर सरकारी व्यापारियों का एकाधिकार समाप्त करें। वह चौदह आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा कराने का प्रबंध करें। वह कठोर उपाय करें। अन्य लोगों के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। किन्तु खेतिहर मजदूर इस समय सबसे ज्यादा परेशान है। आप कम कीमतों पर उन्हें योजना अवश्य उपलब्ध करायें।

सभापति महोदय : अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री नारायण चौबे : सूचना बढ़ गए हैं...

सभापति महोदय : मैं दूसरे सदस्य को आमन्त्रित कर रहा हूं।

श्री नारायण चौबे : लोग चुप नही रहेंगे। लोग इस नीति का विरोध करेंगे।

सभापति महोदय : श्रीमती बसवराजेश्वरी

***श्रीमती बसवराजेश्वर** (बेल्लारी) : सभापति महोदय ; विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि के बारे में पहले ही अनेक सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। इस लिए मैं विस्तार में न जाकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे मैं ही कहूंगी।

सब्जी, दालों चीनी फलों, और कुछ अन्य वस्तुओं के मूल्य उत्तरोतर बढ़ रहे हैं किन्तु ज्वार, रागी, चावल, गेहूं आदि के मूल्यों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। किन्तु सीमेंट, लोहा, पेट्रोल, खाद्य, लकड़ी जैसी वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं। वर्तमान स्थिति में किसानों पर कड़ा प्रहार हुआ है।

बढ़ती हुई कीमतों की वर्तमान स्थिति का मुकाबला करने के दो साधन हैं एक अस्थायी उपाय दूसरा है स्थाई उपाय ढूंढ निकालना।

पहले उपाय के अन्तर्गत पूर्ति मांग की बेहतर व्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृढ़ बनाना तथा जमाखोरी को रोकना चाहते हैं। चीनी की कमी थी सरकार ने उसका आयात किया है। इसी प्रकार वस्तुओं की सप्लाई से सम्बन्धित समस्या से निपटने के लिए सरकार विभिन्न उपाय कर रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ कमियाँ हैं। सहकारी क्षेत्र ढंग से काम नहीं कर रहा है वस्तुओं का दुरुपयोग हो रहा है सरकार को कुछ उचित प्रबंध करना होगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठीक करना होगा।

हमारे समाज में जमाखोरी सबसे ज्यादा खतरनाक है। उन जमाखोरों का पता लगाना होगा उन्हें दंड देना होगा। देश भर में मिलावट का बोल बाला है। मिट्टी के तेल में पानी मिलाया जाता है चावल में छोटे-छोटे कंकड़ मिलाये जाते हैं। दालों और चीनी में भी मिलावट होती है यहां तक कि दवाईयों तथा जीवन रक्षक औषधियों को भी मिलावट करने से छोड़ा नहीं गया है।

*कन्नड़ भाषा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अब, मैं स्थायी उपायों के बारे में कहूंगी। आज किसानों की रुची गन्ना बोने में नहीं है गन्ने का लाभकारी मूल्य नहीं दिया जा रहा है। और चीनी की कमी होना स्वभाविक है चीनी मिल मालिक किसानों को ठग रहे हैं। यदि यही स्थिति रही तो तो चीनी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इस स्थिति से निपटाने का एक मात्र उपाय पर्याप्त और लाभकारी मूल्य दिया जाना है। किसानों को हर प्रकार का प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए। तिलहन, दाल, सब्जी फल आदि पैदा करने वाले किसानों को अवश्य ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्हें रियायती मूल्यों पर खाद्य मिलनी चाहिए।

इसके सम्बन्ध में अनेक राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से सातवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न परियोजनायों की स्वीकृति देने का अनुरोध किया है। केन्द्र को इन परियोनाओं के लिए तत्काल स्वीकृति दे देनी चाहिए। राज्यों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। उपरोक्त प्रकार से राज्यों की सहायता प्रदान करने के बाद तद-नुसार केन्द्र सरकार राज्यों को अधिक से अधिक तिलहन और दालें उत्पन्न करने के लिए कह सकता है तब हम तिलहन, दालें, अनाज फल जैसी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं न केवल अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्राप्त कर सकते हैं ; बल्कि उन्हें निर्यात भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम उनका आयात नहीं करेंगे और आयात पर खर्च होने वाली मूल्यवान विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं के बारे में केन्द्र को सारे देश के लिए योजना बनानी होगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों की अपनी-अपनी भौगोलिक स्थिति तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने के लिए कहना होगा।

राज्य सरकार आंकड़े एकत्र कर सकती हैं और विस्तृत योजना तैयार कर सकती हैं। केन्द्र सरकार को लाभकारी मूल्य पहले से ही घोषित कर देने चाहिए। उदाहरण के तौर पर जापान में इस प्रकार की कुछ वस्तुओं के खरीद मूल्य निर्धारित कर दिए जाते हैं इसके अलावा उनकी वितरण प्रणाली भी अच्छी है इन वस्तुओं की खरीद और वितरण प्रणाली को हम लोग भी सुव्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा किया गया ; तो मुझे विश्वास है कि किसानों उपभोक्ताओं और पूरे देश को लाभ होगा मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय इस मामले में अपेक्षित कार्यवाही करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देती हूं, महोदय और इन शब्दों के साथ मैंअपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : एक बात हमें चाहिए कि केन्द्र के मन्त्री जब बात करें तो कहें कि भाव नहीं बढ़े या कह दे कि स्टेट एथारिटिज ठीक काम नहीं कर रही है। या उसके साथ कह दे कि ब्लेक मार्किटिर्स, प्राफिटियर्स और होर्डर्स का काम बहुत बढ़ गया है मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार का कोई डर नहीं रहा हो यह कसूर किस का है ? सब से बड़ी बात आज यह है कि सारे सरकारी अधिकारी मुनाफाखोरों से मिले हुए हैं। यह अनहोली एलायेंश कब तक चलेगी ? जब सारे सरकारी अधिकारी मुनाफाखोरों और जमाखोरों से मिले हुए हैं तो आप का एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट क्या करेगा।

एक माननीय सदस्य : सारे में से 20 प्रतिशत घटा दीजिए।

श्री मूल चन्द डागा : आप एक भी नाम बताइए। आज अगर देश के अन्दर देखें तो क्या हो रहा है ? कल की जो घटना हुई है उस को देखें पुलिस का खर्चा बढ़ गया है। लेकिन देश में असामाजिक तत्व बढ़ गए हैं और आज भी प्रशासन का खर्चा बढ़ता जा रहा है। इन्स-पेक्टर मौजूद है, सप्लाई आफिसर मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर मौजूद हैं । लेकिन भाव बढ़ गए हैं सारे लोग एक बात कहते हैं कि स्टेट लेवल पर कमेटी बनेगी । मैं ईमानदारी से पूछूं आज कि कौन-कौन या कौन-कौन एम० पी० उस स्टेट कमेटी के मेम्बर हो कर गए और उन्होंने इस काम को देखा कहते हैं ताल्लुका लेवल पर कमेटी बनेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बनेगी । ये कमेटियां कहां हैं ? केवल कागजों पर हैं ? एक बात बताइए कि इंश्यू प्राइस और ऐडमिनिस्ट्रेटिव जो आप का खर्चा होता है वह कितना होता है? आप कहते हैं इतने भाव बढ़े मैं कहता हूं कि दूसरे दराज के इलाकों में या ग्रामीण इलाकों में मिट्टी का तेल क्या उस भाव पर आप मिलता है जिस भाव पर आप ईश्यू करते हैं ? ईमानदारी से कहिए कि जो भाव आप कहते हैं और जो यहां बताते हैं वह ईश्यू प्राइस पर कितने में मिलता है तो कहते हैं कि ईश्यू प्राइस प्लस ऐडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा।

यह बताइए कि इसको तय कौन करता है ? हम जो शासन करने वाले हैं, हमने अपना खर्चा बढ़ा दिया तो वे करते हैं कि ये लोग तो शहनशाहों की तरह से रहते हैं, ये कौन से दूध के घुले हुए हैं। पहले वो 900 करोड़ का खर्चा होता था वह अतः 70 हजार करोड़ तक पहुंच गया है । तमाम गाड़ियों का खर्चा है, बड़े-बड़े बंगलों का खर्चा है जिनों हम लोग रहते हैं। मुनाफाखोरों ने देख लिया कि ये लोग भी आराम में रहते हैं। यह जो कुछ भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, भ्रष्ट सेठों, भ्रष्ट कर्मचारियों का गठबन्धन है उसकी वजह से इस देश की गरीबी जनता परेशान हो रही है असली बात यह है कि हमारे चरित्र का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। (**व्यवधान**) चौबे जी, जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा। (**व्यवधान**)

राव बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि हम व्हीट और राइस देंगे, जनता कपड़ा देंगे लेकिन वह कहीं नहीं मिलता है (**व्यवधान**) आप घंटी बजायेंगे तो बीस करोड़ लोगों की घंटी बज जाएगी हमारी घंटी नहीं बजेगी। हमारे लिए तो सारी सुविधायें हैं ही। आप यह कन्ट्रोल की चीजें 20 करोड़ लोगों के लिए उपलब्ध कर दीजिए जोकि बहुत गरीब लोग हैं। आखिर आप यह कन्ट्रोल की बात सोचते हैं वह किसके लिए सोचते हैं ? यह जो कीमतें बढ़ती हैं उनका असर किसके ऊपर पड़ता है ? क्या उन पर पड़ता है जोकि बड़े-बड़े बंगलों में रहते हैं, बसन्त विहार में रहते हैं या दूसरे बड़े-बड़े नगरों में रहते हैं उन पर पड़ता है ? या उन लोगों पर इसका असर पड़ता है जोकि गांवों में रहते हैं, जो गरीब मजदूर हैं ? यहां पर राजस्थान के मजदूर मजदूरी करने के लिए आए थे लेकिन उनको राशन कार्ड नहीं मिलता है। हजारों-लाखों मजदूर आते हैं उनकी हालत तो आप देखिए आप घंटी क्यों बजाते हैं, यह बहस किसलिए है हमारे मंत्री जी बड़ा अच्छा ग्राफ बनाना जाहते है, उनकी बात को हम मान लेंगे लेकिन सवाल यह है कि बीससूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब लोगों को जीवन के लिए आवश्यक चीजें मिल जायें आप कहते हैं कापो न मिलेंगी, टूथपेस्ट मिलेंगी लेकिन मैं कहता हूं आप गेहूं ही दे दो, कन्ट्रोल का कपड़ा ही दे दो। मिलों ने जनता क्लाथ नहीं बनाया तो अपने एन टी सी को बनाने के लिए कहा और अब पावरलूम वालों से कहते हैं कि तुम बनाओ। हालात यह है कि कहीं कपड़ा

नहीं होता है, कहीं गेहूं नहीं होता। गांवों में मिट्टी का तेल नहीं मिलता है। हमारे वित्त मन्त्री जी सारी बातें जानते हैं फिर भी कभी-कभी दो-बार गांवों में जाकर देख ले क्या हालत है, फिर बजट बनायें। हमारे यहां तो एन्फोर्समेन्ट आफिसर का महीना बंधा हुआ है। हालिडेज इन्सपेक्टर का बंधा हुआ है, माप-तौल वाले का बंधा हुआ है, हमारे यहां तो यह सिस्टम चालू है लेकिन उसको भी आप रोक नहीं सकते हैं।

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह : डागा जी आपने यहां के लिए क्यों कहते हैं कि बंधा हुआ है ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया उन्हें अधिक समय दें। बहुत कम कांग्रेसी ऐसी बात कह सकते हैं ;

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : दो मिनट में कैसे खत्म होगा नहीं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप समाप्त नहीं कर रहे हैं ; तो आप कल बोल सकते हैं। कृपया दो मिनट में समाप्त कर दीजिए।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : दो मिनट में कैसे होगा।

6.00 म० प०

हमारे यहां तीन प्रकार के कन्ज्यूमर्स हैं—एक वह जो अच्छा कमाते है स्किील्ड लेबर हैं या बड़ा अच्छा कमाने वाले हैं, दूसरे वे जो सरकारी कार्यक्रम एन आर ई पी, आर एल जी ई पी के तहत काम करके जिन्दगी व्यतीत करते हैं और तीसरे वे उपभोक्ता जो हमलोग चाह हैं। इन तीनों प्रकार के कन्ज्यूमर्स में दो तरह के कन्ज्यूमर्स पर असर नहीं है। असर है उन पते जिनका सरकार द्वारा पेट पालन किया जाता है। बीस सूत्री कार्यक्रम जो कि राष्ट्र का कार्यक्रम है, के तहत मोबाइल वैन के माध्यम से हम उन लोगों को अनाज, सस्ता कपड़ा, साबुन आदि चीजें पहुंचायेंगे। क्या हमने यह ऐलान किया है और वह ऐलान हम पूरा कर पाए हैं ? सवाल यह है कि उनको ये चीजें नहीं मिल रही हैं। हमारे युवा प्रधान मंत्री अभी आदिवासी इलाकों का दौरा करने गये थे, उन्होंने वहां पर देखा कि वहां एक दुकान आज ही खोली गई है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्राइस राइज का मापदंड दिल्ली में नहीं है, गांवों में किस भाव पर चीजें मिलती हैं, इस मापदंड के बारे में सोचना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि मापदंड ठीक नहीं है। इसके लिए आपके प्रशासन को सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे, खर्चा घटना होगा, ब्लैकमार्केटिंग कम करनी होगी। जब इस प्रकार का काम हिम्मत के साथ किया

जाएगा और बेइमान लोगों को जेल में बन्द किया जाएगा, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं ।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

6.04 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

सीमाशुल्क अधिनिनम 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अधीन अधिसूचनायें

वित्त और वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): की जनार्दनपुजारी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कण)

(एक) अधिसूचना संख्या 240/85— सी० शु० जो 1 अगस्त 1985 को भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो निम्न फास्फोरस कच्चे लोहे को, जिसमें फास्फोरस की अंतर्वस्तु का वजन 0·1 प्रतिशत से अधिक नहीं हो मूल सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देने के बारे में है, जो मूल्यानुसार 10 प्रतिशत से अधिक हो ।

(दो) अधिसूचना संख्या 241/85 सी० शु० तथा 242/85-सी० शु० जो 1 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो मृततपित मैगनीशिया, जिसमें सिलीशिया की अंतर्वस्तु का वजन 4 प्रतिशत से कम हो, मूल सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देने के बारे में है, जो मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से अधिक हो ।

(तीन) अधिसूचना संख्या 243/85 सी० शु० और 244/85-सी० शु० जो 1 अगस्त 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 8 जून, 1983 की अधिसूचना संख्या 161/83-सी० शु० तथा 14 जून, 1984 की अधिसूचना संख्या 180/84-सी० शु० कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि शुल्क रियायत के लाभ को फोटो पालीमेर प्लेटों तथा पोलीमेर प्लेट के संबंध में प्रक्रिया करने वाले उपरणों तथा सम्पूर्ण उद्योग के लिए उत्पादन शुल्क का लाभ दिया जा सके तथा अधिसूचनाओं की वैधता को 31 जुलाई 1988 तक निश्चित किया जा सके।

(ग्रथालय में रखी गई देखिए में संख्या (एल० टी० 1241/85)

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अतर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण) :—

(एक) अधिसूचना संख्या 177/85—के० उ० शु०, जो 1 अगस्त 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 63/85—के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि रेफ्रिजेरेटिंग और एयरकंडीशनिंग उपकरणों और मशीनों के विनिर्दिष्ट पुर्जों पर उदग्रहणीय मूल उत्पादन शुल्क को मूल्यानुसार 80 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 110 प्रतिशत किया जा सके।

(दो) अधिसूचना सं० 180/85—के० उ० शु०, जो 1 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 17 जून, 1966 की अधिसूचना संख्या 101/66— के० उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, जिससे केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ की मद 15 क क के अन्तर्गत कार्बनिक सतह सक्रिय एजेंटों को, जिन्हें विद्युत अथवा भाप की सहायता के बिना निर्मित किया जाता है, को उपलब्ध उत्पादन शुल्क की छूट को वापस लिया जा सके।

(ग्रंथालय में रखी गई, संख्या देखिए संख्या एल० टी० 1242/85)

6.05 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं कार्य मन्त्रालय समिति का नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.06 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 2 अगस्त, 1985/11 श्रावण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।